खण्ड-468, अंक-5
मंगलवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(4 मार्च, 2008 ई0)

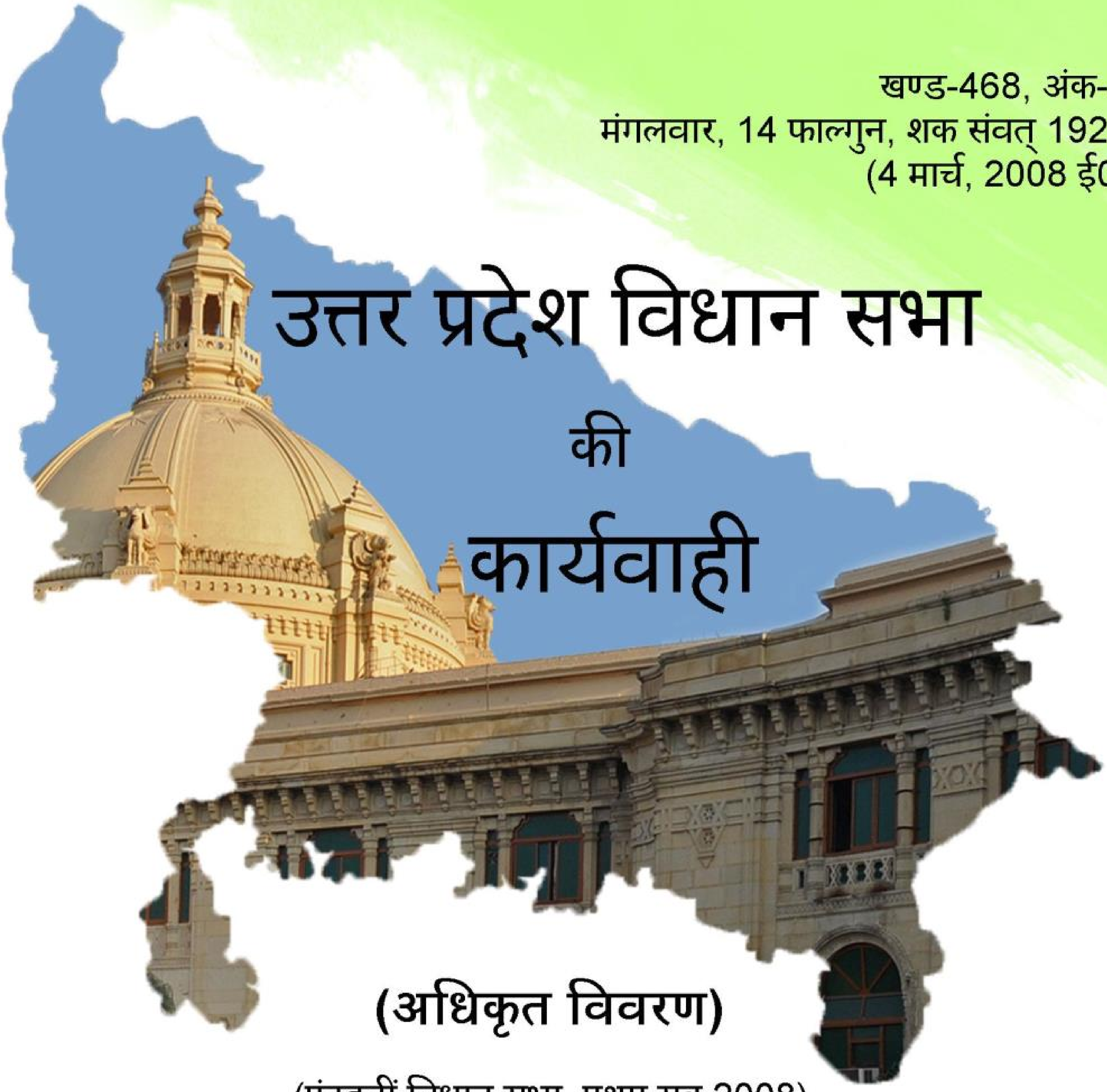

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
चौधरी चरण सिंह कालेज हैवरा इटावा के छात्र श्री मुकेश यादव की मृत्यु में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)	1-2
प्रश्नोत्तर	2-29
चौधरी चरण सिंह कालेज हैवरा इटावा के छात्र श्री मुकेश यादव की मृत्यु में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग	29
सत्ता पक्ष के सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत हैण्डपम्पों के अतिरिक्त 189 हैण्ड पम्प और दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	30-31
पूर्वांचल विकास राज्यांश का लाभ केवल सत्ता पक्ष के विधायकों को मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	32
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32-33
सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत शारदा नहर की पट्टी पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को वन निगम द्वारा अवैध रूप से नीलामी कर अपने ठेकेदारों द्वारा लकड़ी कटवाये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
मुजफ्फरनगर के गांव भोलाहेडी के निकट काली नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद लखीमपुर खीरी में पिछड़ा विकास निधि एवं अल्पसंख्यक विकास निधि का विधान सभावार समान वितरण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
रामपुर के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने एवं उनसे नाजायज रूप से विलम्ब शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
आगरा के मोहल्ला तेलीपाड़ा, लोहामण्डी में दो गुटों के बीच हुये दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों की सफाई सरकारी सफाई कर्मियों से कराये जाने के सापेक्ष नगरीय क्षेत्रों की सफाई मूलतः ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36-37
जनपद महामायानगर के एत्मादपुर से मथुरा वाया खन्दौली मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर ग्राम योजना में कराये गये सड़कों के लेपन/मरम्मत में बरती गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
जनपद मैनपुरी के ग्राम विक्रमपुर डिगिया ताल से हिमायूंपुर तक नाले की सफाई एवं खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
श्री अलीशेर अन्सारी, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक लखीमपुर खीरी को पेंशन ऐरियर एवं पूरी पेंशन देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
शाहजहांपुर सदर तहसील के ग्राम हथौलिया के पास स्थित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध वारी रजबाहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
इलाहाबाद में नजूल भूमि पर बसे गरीब/कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों को भारद्वाज सहकारी आवास समिति तथा रवि सहकारी आवास समिति द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत गोला से आ रहे कतिपय लोगों की सड़क दुर्घटना में हुयी मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	41
विधान सभा उपवेशनों के दिन कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	41-44

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधायकों को अनुमन्य निःशुल्क आवास सुविधा के बावजूद मेन्टीनेन्स के नाम पर ली जा रही धनराशि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	44-45
केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को बुन्देलखण्ड के लिये दिये गये पैकेज के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार की आलोचना किये जाने सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न ...	45-47
प्रदेश सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 'ए' के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय का गठन करके मौजूदा सरकारी वकीलों को हटाकर उनके स्थान पर एक विशेष कैडर के वकीलों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47-48
राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष एवं विधान सभा के सदस्य श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव का अपने दल सहित ब0स0पा0 में विलय करने की सूचना	49-51
श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना ...	51-52
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय केराकत में उमानाथ सेतु के नीचे गोमती नदी के पूरब की तरफ दाह संस्कार कुण्ड व टिन शेड बनवाये जाने विषयक श्री तूफानी राम द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी)	52
श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा द्वारा उनके ऊपर लगाये गये 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमों की जांच कराने तथा उचित कार्यवाही की मांग	52-55
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ..... (जारी)	55-64
उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे कतिपय जातियों के नागरिकों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी	64-66
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	66-75
आबकारी विभाग के बजट से पूर्व लोक निर्माण विभाग का बजट लिये जाने हेतु लोक निर्माण मंत्री का श्री अध्यक्ष से अनुरोध	75-76

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं0-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ... ... (जारी)	76-104
आस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक क्रिकेट सीरीज विजय पर भारत की क्रिकेट टीम को बधाई का प्रस्ताव ... ... (स्वीकृत)	104-106
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान सं0-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ... ... (स्वीकृत)	107-134
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) .... (स्वीकृत) ...	134-162
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग .... (स्वीकृत) ...	162-173
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग .... (स्वीकृत) ...	174
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-22-खेल विभाग .... (स्वीकृत)	174
महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	175-177
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	178-179
उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मनमाने ढंग से निष्कासित सैकड़ों कर्मचारियों की सेवा पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य	179-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर पिलखुआ में हैण्डलूम कपड़े के उत्पादन को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वाणिज्य कर मंत्री का वक्तव्य	181-182
जनपद बागपत में सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा क्षमता से कम विद्युत आपूर्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	182-183
जनपद गोण्डा व बलरामपुर सहकारी बैंक के बकाये की धनराशि की वापसी एवं बैंक शाखा को पुनजीर्वित करने के सम्बन्ध में महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	183-184
जनपद उन्नाव के विकास हेतु शासन से स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	185-186
जनपद संतकबीर नगर के घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये बांध के लिये अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	186-188
जनपद गोण्डा में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	188-189
जनपद चन्दौली, तहसील चकिया के तहसीलदार द्वारा श्रीमती प्यारी देवी से दुर्व्यवहार करने की जांच कराने एवं उनकी पैतृक सम्पत्ति पर हुए अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	189-190
प्रदेश के विभिन्न मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं के प्रमाण-पत्र को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	190-192

विषय	पृष्ठ-संख्या
जलकल संस्थान, हाथरस की भूमि पर बिना भूमि अधिग्रहीत किये जबरन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	192-193
सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में नरेगा योजना की धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	193-195
लखीमपुर खीरी में नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	195-196
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	196
नत्थी	197-215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-344

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह	
(ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ	
नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा

कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बांदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री — एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री — बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री — मेरठ
याकूब हाजी, श्री — मेरठ
योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूं
योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0 — कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह
''राजा भइया'' कुंवर — प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
राघव लखनपाल, श्री — सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री — मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ
मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
राजेद्र सिंह उर्फ
पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पंडित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल,श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर

विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा

नोट-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) व सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौधरी चरण सिंह कालेज हैवरा इटावा के छात्र श्री मुकेश यादव की मृत्यु में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक नियम-311 को सूचना को सुने जाने की मांग

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इटावा के एस0एस0पी0, एस0पी0 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब 311 में आपने सूचना दी है उसको सुनने के लिये हम नियम-56 में ले लिये हैं। आप क्या चाहते हैं मैं उसको सुनूंगा आप सुनाना चाहते हैं या केवल इस तरह से हंगामा करना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, न्यायालय के आदेश के बावजूद यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

(विपक्ष के श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही एवं श्री अनिल चौधरी आदि सदस्यगण अपने स्थान से सदन के वेल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

(डा0 अजय तोमर द्वारा अखबार की प्रति दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

तोमर साहब, मैं उस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं वह यहां का मसला नहीं है, यह अखबार दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैं उस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। आप वहां जाकर अपनी बात करिये। सिरोही जी मैं उसको अग्राह्य कर चुका हूं।

चौधरी साहब, मैंने आपकी सूचना नियम 56 में सुनने के लिये ले लिया है। आप बैठिये यह प्रश्नकाल होने दीजिए, आपका यह प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है यह आप ही लोगों का प्रश्नकाल होता है। अगर प्रश्नकाल का समय बरबाद करेंगे तो यह तो जनता से जुड़ा हुआ प्रश्नकाल होता है आप से भी जुड़ा हुआ प्रश्न काल है, प्रश्नकाल होने दीजिए उसके बाद मैं इसे करूंगा। माननीय चौधरी साहब, मैं आपकी सूचना को सुनने के लिये चयनित कर लिया हूं, प्रश्नकाल होने दीजिए।

यह बात आप वहां जाकर कहिये। चौधरी साहब वहां से चलकर कहिये। प्रश्नकाल होने दीजिए। यह सब आप ही लोगों के विषय होते हैं। इतना महत्वपूर्ण समय आप खत्म कर रहे हैं। यह प्रश्नकाल विपक्ष का होता है ओर विपक्ष अपना समय खत्म करना चाहता है। इसलिये आप जनता की बात को नहीं आने देना चाहते हैं। इससे तमाम जन समस्याएं जुड़ी हुई हैं प्रश्नकाल से उसको आने दीजिए। माननीय चौधरी साहब आप सबको बैठा लीजिए हम सुनते हैं।

(घोर व्यवधान)

मैं आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 34 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने की मांग

**1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिये महिलाओं की साक्षरता दर में अपेक्षित वृद्धि लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की छात्राओं के शैक्षिक स्तर को बढ़ाये जाने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (गैर स्ववित्त पोषित) में अध्ययनरत छात्राओं को सत्र 2004-05 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1533/70-4/2004-46(50)/99, दिनांक 18 जून, 2004 के माध्यम से की जा चुकी है।

विधान मण्डल के सदस्यों को आवासीय स्थान की कमी को देखते हुए अतिरिक्त निवास आवंटित किये जाने की मांग

**2-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास ए ब्लाक, बी ब्लाक तथा सी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ में निवास कर रहे विधान मण्डल के सदस्यों को आवासीय स्थान की कमी को देखते हुए एक अतिरिक्त निवास आवंटित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सदस्यों को अतिरिक्त निवास उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी हां। प्रथम चरण में विधायक निवास-1 दारुलशफा में ऐसे कक्ष जो 500 वर्गफिट के क्षेत्रफल से कम के हैं, के सामने के कक्षों का संविलियन कर एक आवास का रूप दिये जाने की सैद्धातिक सहमति प्राप्त हो गयी है। प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त विधायक निवास-2 (पुराना) के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त किया जायेगा। सी-ब्लाक के दो आवासों को जोड़कर संविलियन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रथम चरण में विधायक निवास-1 के ऐसे कक्ष जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग फिट से कम है, के आमने-सामने के कक्षों को संविलियन कर एक आवास का रूप देते हुए अध्यासित माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

विधायक निवास-1 में दो माह में उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शासकीय व अर्द्धशासकीय शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकगणों को छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक निर्देश

*1-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विभिन्न शासकीय व अर्द्धशासकीय शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकगण अध्यापन कार्य के साथ-साथ सक्रिय राजनीति में भी भाग ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है और विद्यालय राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र बन रहे हैं ? क्या इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

राजकीय शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। अर्द्धशासकीय शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के लिये उक्त प्रतिबन्ध नहीं है।

जी नहीं।

मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को पठन पाठन पर बल देने एवं सतत पर्यवेक्षण के निर्देश दिये गये हैं। यह प्रयास किया जाता है कि विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विविध गतिविधियां सक्रियता से आयोजित हों।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिन्हित कुष्ठ रोगी व इसके निवारण हेतु संचालित योजना

*1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30-9-2007 तक कितने पुरुष एवं महिलाओं को कुष्ठ का रोगी चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 30-09-2007 तक लगभग 14.66 लाख कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया गया है जिसमें 30 प्रतिशत महिला रोगी हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुष्ठ रोग के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 से तथा कुष्ठ रोग के निवारण हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम वर्ष 1983 से संचालित हैं।

प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि रोकने की नीति

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जनसंख्या की वृद्धि रोकने की दिशा में कोई नई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 21 तक लाना है, ताकि सन् 2051 तक जनसंख्या को 44 करोड़ के बजाय 26 करोड़ पर स्थिर किया जा सके। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण, स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को वर्ष 2012 तक 28 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :--

- मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- सकल प्रजनन दर कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम।

उक्त के चलते जनांकिकीय संकेतकों में सुधार भी आ रहा है, जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है--

संकेतक	एस0आर0एस0 2004	एस0आर0एस0 2005	एस0आर0एस0 2006
जन्म दर	30.8/1000 (जनसंख्या पर)	30.4/1000 (जनसंख्या पर)	30.1/1000 (जनसंख्या पर)

मृत्यु दर	8.8/1000 (जनसंख्या पर)	8.7/1000 (जनसंख्या पर)	8.6/1000 (जनसंख्या पर)
नेचुरल वृद्धि दर	22/1000 (जनसंख्या पर)	21.7/1000 (जनसंख्या पर)	21.4/1000 (जनसंख्या पर)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में बढ़ती हुई नकल की प्रवृत्ति तथा नकल माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

वर्ष 2008 की बोर्ड की परीक्षाओं में नकल की रोकथाम तथा शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण तथा पुलिस विभाग सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद को परीक्षा केन्द्रों की संख्या के आधार पर सेक्टरों में विभाजित कर उनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर सतत् प्रभावी निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा समस्त केन्द्र अधीक्षकों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हुए परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु समुचित प्रबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 भी लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत हेतु फ्री बोरिंग किये जाने का निर्धारित लक्ष्य

*4-डा0 अजय तोमर-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्ष 2007-2008 में फ्री बोरिंग की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो इस वर्ष में सरकार द्वारा जनपद बागपत का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जी हां।

इस वर्ष जनपद बागपत हेतु 200 फ्री बोरिंग किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2008 तक 161 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु विज्ञापनों पर प्रतिवर्ष व्यय

*5-श्री लल्लू सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिये विज्ञापनों पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया जाता है ? वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में जनसंख्या नियंत्रण पर कितना धन आवंटित किया गया और कितना खर्च हुआ और जनसंख्या नियंत्रण में उसका परिणाम प्रतिशत में क्या रहा ? क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये वृहद कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

विगत तीन वर्षों 2005-06, 2006-07 व 2007-08 में जनसंख्या नियंत्रण के लिये विज्ञापनों पर प्रतिवर्ष व्यय की स्थिति निम्नवत् है :--

	2005-06	2006-07	2007-08
विज्ञापन पर व्यय	328.56717 लाख	5.00 लाख	2.96184 लाख

वर्ष 2005-06, 2006-07 व 2007-08 में परिवार नियोजन कार्यक्रम (नसबन्दी आपरेशन व लूप निवेशन) हेतु आवंटित धनराशि व व्यय की स्थिति निम्नवत् है :--

	2005-06	2006-07	2007-08
आवंटन	22.06 करोड़	23.00 करोड़	22.26 करोड़
व्यय	18.89 करोड़	13.57 करोड़	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में 22.26 करोड़ धनराशि आवंटित हुई है, वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त पूरे वर्ष का व्यय संकलित किया जायेगा।

जनसंख्या नियंत्रण के अनुश्रवण से सम्बन्धित तीन जनांकिकीय संकेतकों (जन्मदर, मृत्युदर व नेचुरल वृद्धि दर) में निम्नवत् सुधार हुआ है--

	एस0आर0एस0 2004	एस0आर0एस0 2005	एस0आर0एस0 2006
जन्म दर	30.8/1000 (जनसंख्या पर)	30.4/1000 (जनसंख्या पर)	30.1/1000 (जनसंख्या पर)
मृत्यु दर	8.8/1000 (जनसंख्या पर)	8.7/1000 (जनसंख्या पर)	8.6/1000 (जनसंख्या पर)
नेचुरल वृद्धि दर	22/1000 (जनसंख्या पर)	21.7/1000 (जनसंख्या पर)	21.4/1000 (जनसंख्या पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है, जिसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि से जुड़े अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, निजी तथा औद्योगिक इकाइयों के प्रयास से निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की जा रही है व जनांकिकीय संकेतकों में सुधार भी आ रहा है। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को वर्ष 2012 तक 2.8 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग के समतुल्य वेतनमान दिये जाने की मांग

*6-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को सरकार पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासनादेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

शासनादेश संख्या-305 सं0/15-9-04-25(12)/2004 टी0सी0, दिनांक 27 मई, 2004 द्वारा पंचम वेतन आयोग के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

*7-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 2007-08 तक क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उसके सापेक्ष सरकार ने क्या लक्ष्य प्राप्त किये हैं ?

कु0 मायावती-

क्र0सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 07 तक)
1.	शिशु मृत्यु दर	65 से कम	एस0आर0एस0 2006 के अनुसार 71/हजार जीवित जन्म (वर्ष 2007 की सर्वे रिपोर्ट भारत सरकार से प्राप्त होने पर ही वर्ष 2007-08 की स्थिति अवगत करायी जा सकेगी।)

क्र0सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 07 तक)
2.	मातृ मृत्यु दर	460 से कम	एस0आर0एस0 2003 के अनुसार 517/लाख जीवित जन्म (मातृ मृत्यु दर का सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। भारत सरकार से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वर्ष 2007-08 की स्थिति अवगत करायी जा सकेगी।)
3.	सकल प्रजनन दर	3.6	एन0एफ0एच0एस0-3 (2003-04) के अनुसार 3.8 (यह सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। भारत सरकार से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वर्ष 2007-08 की स्थिति अवगत करायी जा सकेगी।)
4.	समस्त जनपदों में जनपदीय स्वास्थ्य मिशन का गठन	70	70
5.	समस्त जनपदों में जनपदीय स्वास्थ्य समिति का गठन	70	70
6.	समस्त जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना	70	70
7.	जनपदीय चिकित्सालय पुरुष/महिला, सा0स्वा0 केन्द्र एवं प्रा0 स्वा0 के0 स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 823 सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 823 सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0 पर रोगी कल्याण समिति गठित
8.	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहित करना	5 लाख लाभार्थी	माह जनवरी, 08 तक 8,04,000 लाभार्थी लाभान्वित

क्र0सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 07 तक)
9.	चौबीस घंटे प्रसव इकाइयों को क्रियाशील किया जाना	320 इकाइयों	माह जनवरी, 08 तक 300 इकाइयां क्रियाशील
10	1 हजार की आबादी में आशा का चयन एवं प्रशिक्षण	1,34,643	1,29,433 आशा चयनित तथा 1,17,096 आशायें प्रशिक्षित
11	नियमित ए0एन0एम0 की तैनाती	2,36,56	2,25,33
12	शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना	चयनित 17 जनपदों में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना	17 जनपदों में कार्यक्रम आरम्भ। जनपदीय टी0ओ0टी0 समस्त जनपदों में पूर्ण। आशा/ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संचालित।
13.	उपकेन्द्र स्तर पर ग्राम प्रधान तथा ए0 एन0 एम0 का संयुक्त खाता	2,05,21	1,47,28
14.	मोतियाबिंद आपरेशन	5,00,000	2,84,966
15.	स्कूल आई स्क्रीनिंग	58,33,333	17,60,981
16.	टी0बी0 वार्षिक केस डिटेक्शन रेट	180 प्रति लाख से अधिक	131 प्रति लाख
17.	टी0बी0 न्यू स्पूटम पॉजिटिव केस	70 प्रतिशत	56 प्रतिशत
18.	कुष्ठ रोग प्रचलन दर	1प्रति 10 हजार से कम	1.03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 07 तक)
19.	चिन्हित/उपचारित मलेरिया केस	1,00,000	8,15,80
20.	मलेरिया/फाइलेरिया मृत्यु	1 प्रति 10 हजार से कम	शून्य

जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता

*8-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को जिला अस्पताल में जाना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त वैक्सीन की उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी हां। जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मांग के अनुरूप एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना

*9-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में 1.00 कि0मी0 की परिधि तथा 300 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का मानक है, जिसके अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय खोले जा रहे हैं जिनमें सभी वर्ग के बालक/बालिकायें एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।

*10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

निजी प्रबन्धकों को नये कन्या विद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना

*11-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में निजी प्रबन्धकों को नये बालिका विद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

बालिका शिक्षा के विकास हेतु असेवित/सेवित योजनान्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना की योजना संचालित है।

भारतीय सेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदेश के नागरिकों को पुरस्कार धनराशि

*12-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदेश के नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार राशि दी जा रही है ? क्या यह धनराशि पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही राशि के बराबर है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि को पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के बराबर किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सम्प्रति यह सम्भव नहीं है।

सरकारी चिकित्सालयों में "एण्टी रैबीज वैक्सीन" उपलब्ध कराये जाने की मांग

*13-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में "एण्टी रैबीज वैकसीन" की बराबर कमी रहती है ? क्या सरकार जनपदों के सरकारी चिकित्सालयों को उनकी मांग के अनुरूप उसे उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी हां। जनपदों के सरकारी चिकित्सालयों को उनकी मांग के अनुरूप एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया

*14-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्डों में डार्क ब्लाक घोषित करने के क्या मानक हैं ? क्या सरकार डार्क घोषित विकास खण्डों में भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी तथा डार्क घोषित विकास खण्डों में नहरों के पानी का कोटा बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू-जल आंकलन समिति, 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को अब भूजल उपलब्धता/विकास दर व भूजल स्तर में गिरावट के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

भूजल रिचार्ज को बढ़ाने एवं गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इस नीति के तहत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में भूजल दोहन को नियंत्रित करने हेतु कृषकों की सहायता हेतु भूजल दोहन की संचालित समस्त शासकीय योजनाओं में भूजल आधारित लघु सिंचाई संसाधनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, नलकूपों का ऊर्जीकरण बन्द कर दिया जाता है तथा इस हेतु ऋण की सुविधा प्रतिबन्धित कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/ जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडेम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

डार्क (अतिदोहित/क्रिटिकल) विकास खण्डों में नहरों के पानी का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में उस क्षेत्र विशेष में नहरों के नेटवर्क व उनमें सतही जल की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा परीक्षण कराकर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा देवी पाटन मण्डलों में घटते जल स्तर को रोकने हेतु तालाबों एवं कुओं आदि की मरम्मत कराकर जल संचय की व्यवस्था

*15-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा देवी पाटन मण्डलों में घटते जल स्तर को रोकने हेतु क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित तालाबों एवं कुओं की सफाई एवं मरम्मत कराकर जल संचय की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा देवीपाटन मण्डलों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है।

सरकार द्वारा घटते हुए भूगर्भ जल स्तर को रोकने के उद्देश्यों से वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण तथा पोखरों/जल संचयन स्रोतों की सफाई हेतु निम्न नीतिगत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाने तथा प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों को अनुमन्य सुविधायें

1-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक (इटीनरेन्ट टीचर्स/रिसोर्स टीचर्स) जो विकलांग बच्चों का शिक्षण कार्य करते हैं, को सभी अनुमन्य सुविधायें एवं वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार के यह निर्देश हैं कि विशेष शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा पर रखा जाय। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन्टीनरेन्ट टीचर्स/रिसोर्स टीचर्स के पद पर संविदा पर भरे गये हैं तथा उन्हें अनुमन्य सुविधायें प्रतिमाह रु0 6000/-नियम मानदेय एवं यात्रा-भत्ता वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम रु0 500/-प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। पद संविदा के होने के कारण नियमित वेतनमान अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिटी मान्टेसरी स्कूल लखनऊ की विभिन्न शाखाओं में छात्रों से मनमानी फीस की वसूली

2-श्री लालजी यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिटी0 मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ की विभिन्न शाखाओं में अध्ययनरत छात्रों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो इस पर रोक लगाने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ की शाखाएं काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त है। शुल्क का नियमन काउन्सिल के नियमों द्वारा किया जाता है।

जी नहीं।

सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ की शाखाएं काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी निर्माण विषयक प्रस्ताव

3-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर नगर के विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदिवारी बनवाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में स्थित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चहारदीवारी निर्माण के लिए वर्ष 2008-09 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा चुका है तथा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था

4-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व से संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापित हैं। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में खोले गये नवीन 15 प्राथमिक विद्यालयों में जनपद को हैण्डपम्प स्थापित कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकरण

5-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को डार्क ब्लाक की श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इस ब्लाक को ग्रे व व्हाईट श्रेणी में लाने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति, 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को अब भूजल उपलब्धता/विकास दर व भूजल स्तर में गिरावट के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

भूजल उपलब्धता आकलन के अनुसार केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

भूजल रिचार्ज को बढ़ाने एवं गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इस नीति के तहत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में भूजल दोहन को नियंत्रित करने हेतु कृषकों की सहायता हेतु भूजल दोहन की संचालित समस्त शासकीय योजनाओं में भूजल आधारित लघु सिंचाई संसाधनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है नलकूपों का ऊर्जीकरण बन्द कर दिया जाता है तथा इस हेतु ऋण की सुविधा प्रतिबन्धित कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/ जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडेम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में कथित रूप में चेचक की शिकायत

6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 2008 में लखनऊ में चेचक के कितने मरीज पाये गये हैं ? क्या सरकार चेचक की रोकथाम के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माह जनवरी, 2008 में लखनऊ में चेचक (स्माल पाक्स) का कोई भी मरीज नहीं पाया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चेचक का पूर्ण उन्मूलन भारत वर्ष से अप्रैल, 1977 में ही किया जा चुका है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ को औषधि एवं रसायन मद में आवंटित धनराशि

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-2007 से 31 मार्च, 2008 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन उपरोक्त अवधि में दवाओं की खरीद हेतु लोकल परचेज सहित, अन्य मदों का बजट क्या है ? क्या महानिदेशक/मुख्यालय द्वारा भी कुछ दवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका अलग-अलग विवरण क्या है ? क्या पूरे वर्ष में प्राप्त एवं खरीदी गयी दवाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ को औषधि एवं रसायन मद में वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 68,91,097.00 (रु0 अड़सठ लाख इक्यानवे हजार सत्तानबे मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

जी हां।

केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में माह फरवरी तक जीवन रक्षक औषधियां यथा ए0आर0वी0/ए0एस0वी0 तथा अन्य आवश्यक औषधियां कुल धनराशि रु0 25,77,859/-(रु0 पच्चीस लाख सत्तहत्तर हजार आठ सौ उन्सठ मात्र) की उपलब्ध कराई गई है।

जनपदों में दवाओं का सत्यापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा एस0एम0ओ0 (सी0एम0एस0डी0) स्टोर द्वारा समय-समय पर किया जाता है। यदि किसी प्रकरण विशेष में प्रथम दृष्टया गम्भीर अनियमितता का तथ्य प्रकाश में आयेगा तो शत-प्रतिशत सत्यापन भी कराया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के श्री विद्या इण्टर कालेज, छपरौली के अध्यापक श्री नीरज को शल्य चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता सम्बन्धी पत्र

8-डा0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के श्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, छपरौली के अध्यापक श्री नीरज कुमार को शल्य चिकित्सा हेतु राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष में आर्थिक सहायता के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत द्वारा पत्रांक सं0 4171-73/2006-2007, दिनांक 3-10-2006 को शासन को अग्रसारित किया गया है ? क्या इसी विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-3 नं0-419671, दिनांक 23-10-2007 माध्यमिक शिक्षा निदेशक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्रा-

जी नहीं। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को प्राप्त हुआ है।

जी हां।

प्रकरण प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया ग्राम पंचायत खुटिहन में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

9-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में ग्राम पंचायत खुटिहन में वर्ष 2006-07 में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

जिला शिक्षा समिति, जनपद गोण्डा की बैठक दिनांक 03-7-07 में यह निर्णय लिया गया कि अधिक आवश्यकता वाले असेवित बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय खोले जायें। तद्नुसार उक्त विद्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है। जिसके कारण वहां निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

जनपद बांदा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के निर्माण कार्य का विवरण

10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से अब तक कुल कितने नये प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कराये गये हैं ? उसका विवरण क्या है ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-12-07 जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम दतरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में घटिया निर्माण सम्बन्धी शिकायती पत्र मुख्य सचिव उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बांदा में वर्ष 2005-06 से अब तक 82 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 130 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 73 प्राथमिक विद्यालय तथा 77 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 9 प्राथमिक विद्यालय तथा 53 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कार्य निर्माणाधीन है।

इनका विवनण निम्नवत् है :-

स्वीकृत वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	लक्ष्य	उपलब्धि	अवशेष	लक्ष्य	उपलब्धि	अवशेष
2005-06	57	57	--	49	49	--
2006-07	15	15	--	20	20	--
2007-08	10	01	09	130	77	53
योग :	82	73	09	199	146	53

जी हां।

निर्माण कार्य की जांच जिला समन्वयक (निर्माण) से करायी गयी एवं विद्यालय भवन का निर्माण अधोमानक पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के जूनियर हाई स्कूल तेंदुआ भगत में आरक्षित भूमि पर निर्माण कराने की मांग

11-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पड़री कृपाल के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में जूनियर हाई स्कूल तेन्दुआ भगत (इमिलियारूपी) के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 विधायक श्री रमेश गौतम द्वारा उक्त विद्यालय की स्थापना में विद्यालय हेतु आरक्षित

भूमि पर निर्माण कराने की संस्तुति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

भूमि खलिहान की होने के कारण विद्यालय का निर्माण उचित नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की दरगाह पर गेस्ट हाउस व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

14-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन में स्थित मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की दरगाह पर विश्व भर से पर्यटक आते हैं ? क्या वक्फ विभाग द्वारा वहां पर गेस्ट हाउस व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त गेस्ट हाउस का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की दरगाह पर विश्व भर से समय-समय पर पर्यटक आते हैं। जनपद स्तर पर मुतवल्ली द्वारा उक्त दरगाह पर गेस्ट हाउस बनवाने हेतु कोई प्रस्ताव अथवा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुतवल्ली/कमेटी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई निर्माण कार्य विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड छपिया एवं मनकापुर में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण कार्य

15-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में वर्ष 2007-08 में जूनियर हाई स्कूल ग्राम पंचायत रतनपुर के लक्ष्मनपुर में एवं विकास खण्ड मनकापुर में ग्राम पंचायत अम्बरपुर में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुआ था ? क्या सरकार को जानकारी है कि बिना निर्माण कार्य कराये एक मुश्त धनराशि बैंक से आहरित की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

एकमुश्त धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण कार्य हेतु गठित समिति

16-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुए ? क्या उक्त स्कूलों का निर्माण कार्य मानक के अनुसार न कराकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? सरकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड में निम्नांकित विवरण के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत हुए :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत उ0 प्रा0 वि0 की संख्या
1	मनकापुर	09
2	छपिया	14
3	वजीरगंज	05
4	मुजेहना	01
5	नवाबगंज	02
	योग :-	31

जी नहीं।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, निर्माण एवं अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की संयुक्त समिति गठित की गयी है जिसकी संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद या देवीपाटन मण्डल में स्थापित किये जाने की मांग

17-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद या देवी पाटन मण्डल में स्थापित करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर सहित फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डलों का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अतः फैजाबाद या देवी पाटन मण्डल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किये जाने की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है।

जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली, बड़ौत एवं बागपत में प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों की चहारदीवारी बनाने की मांग

18-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली, बड़ौत एवं बागपत में कितने प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालय हैं जिनके भवनों की चहारदीवारी बनी नहीं है ? क्या सरकार छात्रों की सुरक्षा हेतु उक्त क्षेत्र के विद्यालयों की चहारदीवारी बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली, बड़ौत एवं बागपत में कुल 58 प्राथमिक एवं 21 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं बनी है जिनका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	प्रा0 वि0 सं0	उ0 मा0 वि0
1	बड़ौत	17	10
2	छपरौली	18	08
3	बागपत	23	03
	योग :-	58	21

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बाबरी में स्थित जनता इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग

19-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बाबरी में स्थित जनता इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? यह नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनता इण्टर कालेज बाबरी जनपद मुजफ्फरनगर में श्री ताहिर हसन प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

20-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में स्थित प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अध्यापकों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं है, परन्तु शिक्षा मित्रों की तैनाती के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला महिला चिकित्सालय, झांसी में सर्जरी हेतु डाक्टर की नियुक्ति व महिला प्रसूति गृह स्थापित किये जाने की कथित मांग

21-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय, झांसी में सर्जरी हेतु डाक्टर की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि झांसी में प्रेमनगर क्षेत्र में महिला प्रसूति गृह स्थापित करने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में वर्तमान समय में एक नगरीय हेल्थ पोस्ट स्थापित हैं। इस क्षेत्र में महिला प्रसूति गृह स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की नीति

22-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की क्या नीति निर्धारित की गई है ? क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश वर्मा, लेखाकार लेखा विभाग कार्यालय सहायक लेखाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच जो एक ही स्थान पर विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

वर्ष 2007 के लिए शासनादेश संख्या-01/3/96-का0-4-2007, दिनांक 24-5-2007 द्वारा स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खसरहा के फिजीशियन डा0 वी0एस0 गोयल का जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में समायोजन

23-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक सामुदायिक केन्द्र खसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर पर तैनात कितने चिकित्सकों को माह दिसम्बर, 07 से जिला मुख्यालय सिद्धार्थ चिकित्सालय पर सम्बद्ध किया गया है ? क्या उक्त सम्बद्धता से खेसरहा केन्द्र पर मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बद्धता को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर पर तैनात किसी भी चिकित्सक को जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध नहीं किया गया है। डा0 बी0एस0 गोयल, फिजीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेसरहा को शासनादेश संख्या-5343/चि-3-2007-जी-354/2007, दिनांक 18-12-2007 के अनुपालन में जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में फिजीशियन के पद पर समायोजित किया गया है, न की सम्बद्ध किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, चिकित्सालय के ब्लड बैंक का लाइसेन्स दिये जाने की मांग

24-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर चिकित्सालय पर ब्लड बैंक का लाइसेन्स न मिलने के कारण मरीजों को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो वहां कब तक ब्लड बैंक का लाइसेन्स दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में आवश्यकतानुसार मरीजों को ब्लड की सुविधा जनपद गोरखपुर एवं बस्ती से प्राप्त होती है।

ब्लड बैंक हेतु निरीक्षण में पायी गयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है कमियों के निराकरण होते ही ब्लड बैंक हेतु लाइसेन्स निर्गत कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में झोला छाप डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी पत्र

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3/319444, दिनांक 10 अगस्त, 2007 जो जनपद-प्रतापगढ़ में मई, 2007 से अब तक झोला छाप डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही के संदर्भ में था, प्रमुख सचिव, चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

मई, 2007 से दिनांक 15-11-2007 तक झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में 15 प्राइवेट चिकित्सकों का चिन्हीकरण किया गया। 08 चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाये जाने पर उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ ग्राम सभा हरीपुर बरदयैता में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय को पूर्ण कराने तथा दुरुपयोग की गयी धनराशि की जांच

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा हरीपुर बरदयैता में वर्ष 1996 से बन रहा उच्च प्रा0 विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय आज तक बनकर पूर्ण नहीं हो पाया है ? क्या इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, पट्टी के पत्र सं0-374, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 पर अवर अभियन्ता की जांच में रुपये 23,385.00 के दुरुपयोग की बात प्रकाश में आयी थी ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[illegible] सिंह सैनी-

[illegible]थमिक विद्यालय पूर्ण।

उच्च प्राथमिक विद्यालय अपूर्ण।

जी हां।

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री अखिलेश चन्द्र उपाध्याय से दुरुपयोग की गयी धनराशि की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में कैम्पों पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

27-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 में दिये गये उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार जनपद सिद्धार्थनगर में माह जनवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक 134 कैम्पों पर व्यय की गयी धनराशि रु0 2,14400.00 (दो लाख चौदह हजार चार सौ) का भौतिक सत्यापन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

भौतिक सत्यापन करा लिया गया है। जनपद सिद्धार्थनगर में माह जनवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक 134 कैम्पों पर व्यय की गयी धनराशि रु0 2,14,400.00 प्रचार-प्रसार, शिविर व्यवस्था, जलपान हेतु लाभार्थियों के वाहन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यय, साबुन/मिट्टी तेल एवं विविध व्यय पर व्यय की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कला विषय से हाई स्कूल उत्तीर्ण व सरकारी नर्सिंग कालेजों से पाठ्यक्रम पूरा की हुयी नर्सों को सरकारी नौकरी में चयनित किये जाने की मांग

28-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नर्सों को जिन्होंने वर्ष 1999 तक सरकारी नर्सिंग कालेजों से पाठ्यक्रम पूरा किया था जो कि कला विषय से हाई स्कूल उत्तीर्ण थीं को सरकारी नौकरी देंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 संस्तुतियों के अनुसार कैरियर एडवान्समेन्ट की मांग

29-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 संस्तुतियों के अनुसार कैरियर

एडवान्समेन्ट स्वीकृत किये जाने के लिये सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रदेश में दूषित पानी की बिसलेरी बोतल के नमूनों की जांच एवं कार्यवाही

30-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में बिसलेरी की बिकने वाली बोतलों में दूषित पानी बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2006 से 31-12-07 तक कितने बिसलेरी नमूनों की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां, सरकार की जानकारी में आया है कि ब्रांडेड बोतल बन्द पेयजल की खाली बोतलों में साधारण पेयजल भर कर बेचा जा रहा है।

वर्ष 2006 में बोतल बन्द पेयजल के 69 नमूने संग्रहीत किये गये जिनमें से 08 नमूने अधोमानक पाये गये। अधोमानक पाये गये विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये। वर्ष 2007 में बोतल बन्द पेयजल के 148 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनमें से 06 नमूने अधोमानक पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के सादुल्लाहनगर में बन्द पड़े खाद बीज गोदाम को पुनः खुलवाये जाने की मांग

31-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के सादुल्लाह नगर बाजार में पूर्व में चल रहे खाद-बीज गोदाम को जनपद बलरामपुर के सृजन के बाद बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द किये गये उक्त खाद-बीज गोदाम को किसानों के हित में पुनः खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

सहकारी संघ सादुल्लाहनगर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खाद-बीज का कार्य जनपद बलरामपुर के सृजन के पूर्व से बन्द हैं।

सहकारी संघ सहकारी अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत जांच में हैं। जांच के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

चौधरी चरण सिंह कालेज हैवरा इटावा के छात्र नेता श्री मुकेश यादव की मृत्यु में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जायं।

डा0 अजय तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी बात को सुन लिया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

सैफई में एक एस0 एस0 पी0 ने स्वयं अपने से गोली चला करके हत्या की, हम यह बात सदन में कहते रहे हैं और सरकार से मांग करते रहे हैं कि जो अपराधी एस0 एस0 पी0 हमारे यहां हैं उनको जेल भेजा जाय लेकिन मान्यवर, यह सियाराम आदित्य, एस0 एस0 पी0।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, मैंने एक निर्णय लिया कि मैं उसे नियम-56 में सुनूंगा और ग्राह्यता पर सुनने के लिये मैंने निर्णय ले लिया है। आपसे मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि मैंने उस सूचना को सुनने के लिये ले लिया है और आपकी बात यथासमय सुनी जायेगी, आप कहियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो आप आदेश करेंगे, उसे हम मानेंगे लेकिन मान्यवर, सबसे पहले इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ले लिया जायेगा।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, हमारी बात भी सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, तोमर साहब यह प्रदेश से बाहर की बातों का संज्ञान ले करके आप लोग यहां इस बात को कहते हैं।

डा0 अजय तोमर-

यह सरकार सदन में हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रही है, इसलिये हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां के साथ लोकदल के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्ता पक्ष के सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत हैण्डपम्पों के अतिरिक्त 189 हैण्ड पम्प और दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है कुबेर सिंह जी ?

*श्री कुबेर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, विषय यह है कि हम लोगों को प्रत्येक सदस्य को 225-225 हैण्डपम्प मिले थे। उससे अतिरिक्त हट करके कुछ हमारे मा0 सदस्यों को 189 हैण्डपम्प अलग से मिले हैं; सवा दो सौ के अतिरिक्त। मैं उसकी शासनादेश संख्या बता रहा हूं। कृपया हमारे दो-तीन बिन्दुओं को नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष-

कुबेर जी कमर पर से हाथ हटाइये।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, जब तक कुबेर जी का हाथ इनकी कमर पर है तब तक आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर गलत कमर पर उनका हाथ जाय तब आप आपत्ति कीजिये। मान्यवर, अपनी कमर पर हाथ रखने से कैसे रोक सकते हैं।

श्री कुबेर सिंह-

विषय यह है कि शेष जो मा0 सदस्य बचे हुये हैं, उनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, उनको क्यों नहीं मिलेंगे ? इसकी शासनादेश संख्या है, सरकार की पक्ष से जो मा0 मंत्री जी हों कृपया नोट करें। शासनादेश सं0-404/38-5-08-67 सम/07 दिनांक 18 फरवरी, 2008, बिल्कुल करेंट में है। यह तो शासनादेश संख्या हो गया और यह हुआ है प्रमुख सचिव रोहित नन्दन, ग्राम्य विकास अनुभाग-5 से। ठीक है ना। कृपया शान्त रहें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह किस नीति के तहत व्यवस्था की गई है ? क्या पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुपात पर अथवा बीटा? अल्फा नाम से क ख ग के आधार पर की गई है ? मान्यवर, यह किस आधार पर की गई है ?

श्री अध्यक्ष-

आप और अध्ययन करके आइये तब उठाइयेगा, अभी बैठिये।

श्री कुबेर सिंह-

अभी पूरी नहीं हुई है, क्या आप विधायकों के द्वारा अपनी मांग करने पर की गयी है, यदि की गयी है तो आपके कार्यालय का दिनांक सहित पत्रांक संख्या और मांगे गये दिनांक को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी के द्वारा जिस अधिकारी को निर्देशित किया गया है उसकी सूची के साथ कृपया इस सदन को अवगत करा दें। आज शाम तक अवगत करा दें, अगले दिन उस पर बात हो जायेगी।

(ठाकुर सूरज पाल सिंह के खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपका पक्ष भी वह रख देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ी बात गम्भीर है, किसी भी अंदाज में बात कही जाए अगर सही बात कही गयी हो तो बात सही है। अगर कोई ऐसा जी0 ओ0 हुआ है तो उसके बारे में मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा जी0 ओ0 हुआ है जिसमें विधायकों को नल मिलने की संख्या में किसी तरह का पक्षपात है या राजनैतिक बुनियाद पर ज्यादा या कम दिये गये हैं। बात किसी भी अंदाज में कही गयी हो परन्तु बात जी0ओ0 नम्बर के साथ कही गयी है इसलिये हम भी जानना चहोंगे कि क्या ऐसा कोई जी0 ओ0 हुआ है। अगर हुआ है तो बता दें ?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आदरणीय आजम खां जी ने जो बात कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से ऐसे सदस्य भी हैं जो लगातार 225 हैण्डपम्पों की मांग करते रहे उनको वह भी नहीं मिले और इस संदर्भ में माननीय सदन के अन्तर्गत कई बार बात उठ चुकी है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनको एक भी हैण्डपम्प नहीं मिला कुछ ऐसे माननीय सदस्य है जिनको 225 से ऊपर के लिये और भी शासनादेश जारी किया गया यह निश्चित रूप से भेदभाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कैसे अनुकूल कहा जा सकता है कि इस सदन के सदस्यों को, जिनको एक भी हैण्डपम्प नहीं मिला। यह आपके संज्ञान में है और आप भी प्रयासरत हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी आ जायेगी तो मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अभी एक बात सामने आयी कि एक शासनादेश का उल्लेख कुबेर सिंह ने किया है। अगर माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में हो इस तरह का कोई शासनादेश है तो देख लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं पता करके जानकारी दे दूंगा। आज ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत ...

पूर्वांचल विकास राज्यांश का लाभ केवल सत्तापक्ष के विधायकों को मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्वान्चल विकास राज्य योजना के अन्तर्गत जो राज्यांश का पैसा पूर्वान्चल के विधायकों को, यानि विपक्ष के जो पूर्वान्चल के विधायक हैं, उनकी योजना नहीं ली जा रही है। पूर्वान्चल विकास राज्यांश का जो पैसा है उसमें केवल सत्ता दल के विधायकों को लाभ मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वान्चल विकास राज्यांश का जो धन है वह विपक्ष के विधायकों को जो पूर्वान्चल के विधायक हैं उनकी भी योजनाओं पर सरकार विचार करेंगी।

श्री अध्यक्ष-

यह सरकार का निर्णय है, इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। अब मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री राम विशुन आजाद-

नहीं मान्यवर, इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है, प्रतिपक्ष के विधायकों की कोई योजना नहीं ली जा रही है। मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें। केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की योजनायें ही ली जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, मैं सूचना पढ़ लूं उसके बाद उठाईये। इतना हम एकमोडेट कर रहे हैं, उसके बाद भी आ हर चीज की जिद बांध लेते हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री निर्मल वर्मा की सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत शारदां नहर की पटरी पर लगे यू0 के0 लिप्टस के पेड़ों को वन निगम द्वारा अवैध रूप से नीलामी कर अपने ठेकेदारों द्वारा लकड़ी कटवाये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर के गांव मोलाहेडी के निकट काली नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद लखीमपुर खीरी में पिछड़ा विकास निधि एवं अल्पसंख्यक विकास निधि का विधान सभावार समान वितरण करने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथी सूचना श्री काशी राम की रामपुर के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने एवं उनसे नाजायज रूप से विलम्ब शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा के मोहल्ला तेलीपाड़ा, लोहामण्डी में दिनांक 19-02-2008 को दो गुटों के बीच हुये दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों की सफाई सरकारी सफाई कर्मियों से कराये जाने के सापेक्ष नगरीय क्षेत्रों की सफाई मूलतः ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर के एतमादपुर से मथुरा वाया खन्दौली मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर ग्राम योजना में कराये गये सड़कों के लेपन/मरम्मत में बरती गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री आलोक कुमार शाक्य की जनपद मैनपुरी के ग्राम विक्रमपुर डिगिया ताल से हिमायूंपुर तक नाले की सफाई एवं खुदाई कराने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की श्री अलीशेर अन्सारी, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक, लखीमपुर खीरी को पेंशन एरियर एवं पूरी पेंशन देने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर सदर तहसील के ग्राम हथौलिया के पास स्थित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध बारी रजवाहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में नजूल भूमि पर बसे गरीब/कमजोर वर्ग के सागरपेशावासियों को भारद्वाज सहकारी आवास समिति तथा रवि सहकारी आवास समिति द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तथा

चौदहवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30/31 जनवरी, 2008 को गोला से आ रहे कतिपय लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों का नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी :-

1-श्री यशपाल सिंह चौहान, 2-श्री प्रदीप जैन आदित्य, 3-श्री प्रदीप माथुर, 4-श्री सिबगतुल्ला अंसारी तथा 5-श्री मदन चौहान।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत शारदा नहर की पटरी पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को वन विभाग द्वारा अवैध रूप से नीलामी कर अपने ठेकेदारों द्वारा लकड़ी कटवाये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बिसवा सीतापुर के अन्तर्गत शारदा नहर की पटरी पर लगे यूके लिप्टस के पेड़ों की अवैध रूप से नीलामी करके वन निगम द्वारा अपने ठेकेदार लगाकर कटान करवा कर काफी मात्रा में लकड़ी खुली बाजार में बेची जा रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के गांव मालाहेडी के निकट काली नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अशोक कंसल-

[महोदय, मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव मोलाहेड़ी के निकट काली नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस पुल के न बनने से आस-पास के कई गांव के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास आने-जाने के लिये काली नदी से अलग कोई भी नजदीकी रास्ता नहीं है जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों कि आस-पास के गांवों के लोग काली नदी पर लकड़ी एवं घास फूस के द्वारा अस्थायी व्यवस्था तो कर लेते हैं लेकिन बरसात के दिनों में यह रास्ता समाप्त हो जाता है जिससे आने-जाने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। जनहित में इस नदी पर एक पुल बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मोलाहेड़ी के निकट काली नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी में पिछड़ा विकास निधि एवं अल्पसंख्यक विकास निधि का विधान सभावार समान वितरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कृष्णा राज-

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी के विकास हेतु 240 करोड़ पिछड़ा विकास निधि एवं 100 करोड़ अल्पसंख्यक विकास निधि का शासन द्वारा वहां की जनता की समस्याओं के समाधान हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी है उसका वितरण जनहित में विधान सभावार कराया जाना न्यायोचित होगा। जनपद लखीमपुर अत्यन्त पिछड़ा है। अतः समान धनराशि का वितरण जनपद के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी विधान सभा क्षेत्र की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुये कराया जाना आवश्यक है। यह जनहित से जुड़ा विषय है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

रामपुर के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने एवं उनसे नाजायज रूप से विलम्ब शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशीराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत विभाग द्वारा समय से विद्युत बिल न भेजकर देय तिथि के बाद प्राप्त होने पर वसूले जा रहे विलम्ब शुल्क से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उ0 प्र0 सरकार द्वारा विद्युत बिल भुगतान हेतु प्रेषित किये जाने विद्युत बिल में देय तिथि निर्धारित की गयी है और देय तिथि के बाद भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क लिया जाता है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद जनपद रामपुर में विद्युत उपभोक्ताओं को देय तिथि के बाद विद्युत बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं और उनसे नाजायज रूप से विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है। इससे विद्युत उपभोक्ता परेशान हैं। यदि प्रतिमाह के स्थान पर दो माह का बिल नियमित रूप से प्राप्त कराया जाय और प्राप्त तिथि से 15 दिन तक जमा करने की छूट प्रदान कर दी जाय तो उपभोक्ताओं को तो विलम्ब शुल्क से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही सरकार का राजस्व की प्राप्ति भी समय से होगी । और विद्युत बिलों की छपाई में खर्च हो रही राजस्व व्यय की भी बचत होगी। जनहित में समय से विद्युत बिल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये समय से विद्युत बिलों को भेजने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा के मोहल्ला तेलीपाड़ा लोहामण्डी में दो गुटों के बीच हुये दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा के मोहल्ला तेलीपाड़ा, लोहामण्डी में हुये दंगे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद आगरा में विगत दिनांक 19-02-08 को तेलीपाड़ा में दो गुटों के बीच दंगा हुआ जिससे स्थानीय पुलिस ने गम्भीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन पुनः दिनांक 20-2-08 को इस दंगे ने भीषण रूप धारण कर लिया। जिससे दोनों गुटों के दो दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से चुटैल हुये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व पुलिस चौकी प्रभारी सहित चार पुलिस कर्मी भी बुरी तरह से चुटैल हुये तथा भारी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दंगा करने वाले पुलिस पर भारी पड़े तथा पुलिस को पीछे खदेड़ दिया। इस बवाल के कारण आगरा की एस0 एस0 पी0 गोली लगने से बाल-बाल बची तथा मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। मौके पर 70 से अधिक बम व कारतूस के खोखे बरामद हुये। दंगे में शामिल व सहयोग करने के कारण 19 महिलाओं को मौके पर से हिरासत में लिया गया था। जिन्हें दबंगों लोगों के दबाव से छोड़ दिया गया। तेलीपाड़ा के इस दंगे के कारण वहां दहशत का वातावरण व्याप्त है इस दंगे के कारण वहां साम्प्रदायिक दंगा भी भड़क सकता था वहां की जनता में बहुत रोष व्याप्त हैं तथा वह यहां जमा बम व नाजायज शस्त्र जखीरे की तलाशी व जांच चाहती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तेलीपाड़ा दंगे पर में वक्तव्य व कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में सभी राजस्व ग्रामों की सफाई सरकारी सफाई कर्मियों से कराये जाने के सापेक्ष नगरीय क्षेत्रों की सफाई मूलतः ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने दिनाक 1 मार्च, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में, प्रदेश के सभी 108000 राजस्व ग्रामों की सफाई की अत्यन्त खराब स्थिति को देखते हुए सभी राजस्व ग्रामों में सरकारी सफाई कर्मियों से कराये जाने की प्रशंसनीय घोषणा की है। इस योजना के कार्यान्वयन से न सिर्फ प्रदेश की सभी ग्रामों की स्तरीय सफाई हो सकेगी, बल्कि साथ में ही 108000 गरीब नागरिकों को रोजगार भी मिलेगा।

लेकिन मुख्य मंत्री की इस घोषणा से प्रदेश में सफाई को लेकर दोहरी व्यवस्था का सूत्रपात हो गया है। प्रदेश के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में सफाई का कार्य अधिक से अधिक ठेकेदारी के आधार पर कराये जाने की प्रथा स्थापित हो गयी है। प्रदेश के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में सफाई मैनुअल के हिसाब से सफाई कर्मियों की बहुत कमी है। सफाई कर्मियों की इस कमी से महानगरों की सफाई व्यवस्था का ढांचा चरमरा गया है। महानगरों में अधिकांश नालियां, नाले और सड़कें कूड़े से पटी होती हैं। महानगरों में 31 प्रतिशत नागरिक मलिन बस्तियों में रहते हैं वहां तो नारकीय स्थिति बनी रहती है।

नगरों में सफाई की इतनी खराब स्थिति तथा सफाई कर्मियों की भीषण कमी के बावजूद सरकार की निगाहें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर गई हैं। यह प्रदेश सरकार का नगरीय नागरिकों के साथ दोहरा आचरण है। नगरों की सफाई ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया, जहां न सिर्फ गरीब दलित, अनुसूचित नागरिकों का आर्थिक शोषण होता है, बल्कि आर्थिक लाभ की प्राथमिकता महानगरों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कूड़े के ढेर में बदल रही है। ग्रामों की तरह सरकार को महानगरों की सफाई व्यवस्था बाल्मीकि समाज के लोगों को दी जानी चाहिए।

सरकार के इस दोहरे आचरण एवं महानगरों-नगरों के साथ भेदभाव एवं पूर्वाग्रहीत व्यवहार के कारण महानगरों के नागरिकों में भेदपरक व्यवहार के विरुद्ध आक्रोश पनप रहा है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके विधान सभा नियमावली के नियम-301 के तहत सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित किया जाय।]

जनपद महामायानगर के एत्मादपुर से मथुरा वाया खन्दौली मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

[आगरा महानगर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-2 शहर की घनी आबादी के मध्य से गुजरने के कारण शहर की लगभग 12 कि0मी0 लम्बाई में जाम की समस्या बनी रहती है। इस ट्रैफिक को विभाजित करने के लिए उत्तरी बाईपास की योजना भी क्रियान्वित नहीं हो पाई।

आगरा की तहसील एत्मादपुर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से एक मार्ग जनपद के ग्राम खंदौली होकर जनपद हाथरस के ग्राम-मई, नयाबाग, विसावर होते हुए जनपद-मथुरा के बल्देव महावन गोकुल होते हुए यमुना पर बने गोकुल बैराज द्वारा पुनः मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आकर मिलता है। प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई लगभग 62 कि0मी0 है। इसके सापेक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एत्मादपुर से मथुरा की दूरी लगभग 64 कि0मी0 है। प्रश्नगत मार्ग जैन तीर्थ स्थली चन्दवार (फिरोजाबाद) को तीर्थस्थली बल्देव, महावन, गोकुल, मथुरा व वृन्दावन से जोड़ने वाला प्राचीन प्रचलित मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग को आगरा के उत्तरी बाईपास की तरह विकसित करने हेतु समस्त अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं व भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद महामायानगर के प्रश्नगत एत्मादपुर से मथुरा बाया खंदौली, मई, नयाबाग, बल्देव मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर ग्राम योजना में कराये गये सड़कों के लेपन/मरम्मत में बरती गयी अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सर्वेश कुमार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में अम्बेडकर ग्राम योजना अन्तर्गत अनेक सड़कों का लेपन एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसमें मानकों एवं गुणवत्ता की अनदेखी करते हुये सरकार धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है जिससे सड़कें पूरी तरह टूट रही हैं, गिट्टियां

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उखड़ गयी हैं और सड़कें पुनः पुरानी दशा में क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। इससे आवागमन में स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शासकीय धन का खुलकर दुरुपयोग निर्माणकर्ताओं द्वारा किया गया है जिससे स्थानीय लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मैनपुरी के ग्राम विक्रमपुर डिगिया ताल से हिमायूंपुर तक नाले की सफाई एवं खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलोक कुमार शाक्य-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ग्राम विक्रमपुर डिगिया ताल से हिमायूंपुर तक ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के नाले की सफाई और खुदाई नहीं हुई है जिससे कई एकड़ भूमि किसानों की जल मग्न हो जाती है। बहुत से किसानों की पानी के कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। नाले की सफाई न होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। उक्त नाले की सफाई व खुदाई कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।]

श्री अलीशेर अन्सारी, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक लखीमपुर खीरी को पेंशन एरियर एवं पूरी पेन्शन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी -

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि श्री अली शेर अन्सारी, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक, लखीमपुर खीरी वर्ष 99 में सेवानिवृत्त हुये थे। वित्त नियंत्रक कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 80071-73 दिनांक 14-8-2006 के द्वारा श्री अली शेर अन्सारी को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड व लाभ-वयैक्तिक प्रोन्नतियां अगली वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के पेन्शन संशोधन का प्राधिकार पत्र भेजा गया, किन्तु जिला कोषाधिकारी लखीमपुर खीरी को पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जिससे श्री अली शेर अन्सारी को पेन्शन, एरियर व पेंशन पूरी नहीं प्राप्त हो रही है। जिससे इनके परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जिससे आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर सदर तहसील के ग्राम हथौलिया के पास स्थित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर तहसील सदर के ग्राम हथौड़िया के पास मुख्य मार्ग पर जहां चौबीसों घण्टे (भीड़-भाड़ इलाके की तरह) आवागमन रहता है, एक हड्डी का कारखाना है, इससे क्षेत्र में भयंकर प्रदूषण हो रहा है।

इस मार्ग से गुजरने वालों में स्कूली बच्चे जो रास्ते में हड्डी की दुर्गन्ध से उल्टी कर देते हैं। आम आदमी बिना नाक पर रुमाल रखे गुजर नहीं सकता। क्षेत्र की जनता में इस कारखाने के कारण काफी रोष है, इस सम्बन्ध में आन्दोलन, धरना प्रदर्शन हो चुका है। इसको हटवाने के लिये नागरिकों ने एक समिति का गठन किया है। पिछले साल विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इस कारखाने के मालिक के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही कर दी गई है परन्तु कार्यवाही से कारखाना हटना दूर रहा कारखाने के मालिक ने कारखाने से मिली उत्तर साइड की जमीन खरीद ली और अब उस पर विस्तार होने जा रहा है। इस कारखाने के कारण वहां का आस-पास का माहौल पोस्टमार्टम हाउस तथा जानवरों के खन्ते जैसा बन गया है जो असहनीय है। जनहित में हड्डी का कारखाना यहां से हटना आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त हड्डी कारखाने को यहां से हटाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध बारी रजबाहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव--

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर में विगत 10 दिनों से क्षेत्र की प्रमुख नहर वारी रजवाहा जोकि ''शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद'' से सम्बद्ध है, में पानी नहीं आ रहा है। नहर में पानी न आने के कारण किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है, स्थानीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

इलाहाबाद में नजूल भूमि पर बसे गरीब/कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों को भारद्वाज सहकारी आवास समिति तथा रवि सहकारी आवास समिति द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* अनुग्रह नारायण सिंह--

[महोदय, इलाहाबाद में नजूल भूमि पर बसे गरीब-कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों को, भारद्वाज सहकारी आवास समिति तथा रवि सहकारी आवास समिति के भू-माफिया घरों से बेदखल करने को धमका रहे हैं। पी0डी0 टण्डन बनाम राज्य सरकार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ने अपने निर्णय दिनांकित 25-3-86 के पैरा 35 में कहा है कि कमजोर वर्ग सागर पेशावासियों को पांच साल में बसाया जाय और पुनर्वासन न होने तक उजाड़ा न जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुये 14-1-1987 को उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमति जताई है।

10 लाउदर रोड जार्ज टाउन, 19 म्योर रोड व 3 कानपुर रोड के सागर पेशावासियों को उक्त समितियें के गुण्डे प्रतिदिन जबरदस्ती उजाड़ देने की धमकी देते रहते हैं। उक्त सहकारी समितियां स्वयं अवैध रूप से चल रही हैं। भारद्वाज समिति पर निबंधक सहकारी आवास समितियों ने प्रशासक नियुक्त किया है।

अतः इस सम्बन्ध में लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त समितियों पर प्रशासक नियुक्त कर प्रशासक से सागर पेशावासियों को मुफ्त नजूल भूमि, पुनर्वासन दिलाने तथा गुण्डों से सुरक्षा प्रदान कराने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत गोला से आ रहे कतिपय लोगों की सड़क दुर्घटना में हुयी मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मिथिलेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का अतिलोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा पुवायां के अन्तर्गत ग्राम गंगसरा निवासी बीरू पुत्र श्री पूरनलाल जाति धानुक कुलदीप सिंह पुत्र श्री रमेशपाल सिंह निवासी गुटहियां, आकाश सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी ग्राम पतले जनपद गाजियाबाद, विनोद कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बाबली जनपद बागपत यह सब लोग गाड़ी नं0 यू0पी0-27 डी0/7979 को गोला से दिनांक 30/31-1-2008 को आ रहे थे, ट्रक संख्या-यू0पी0-25 टी/5390 के टकराने से इन सब लोगों की मृत्यु हो गयी है। जिसमें एक व्यक्ति राज कुमार पुत्र रूकम लाल निवासी गाजियाबाद का घायल है उसका मेडिकल कालेज लखनऊ में इलाज चल रहा है।

दिनांक 25 फरवरी, 2008 को दिनेश पुत्र श्री राजाराम, सुनील पुत्र श्री बालकराम नन्हें पुत्र बालकराम, अखिलेश उर्फ ढुलैत पुत्र ईश्वर दयाल बड़का पुत्र श्री द्वारिका निवासी गढ़ ग्राम पिपरा जब्ती थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर के लोग ग्राम महटा थाना गौहना जनपद सोनीपत (हरियाना) में तेजवीर सिंह के फार्म पर ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर गन्ना भरने जा रहे थे जिसे ट्रक नं0-ए0आर0टी0-1 के0/4018 ने टक्कर मार दिया जिसमें इस सभी व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी है। तथा वहीं के निवासी वासुदेव पुत्र रामेश्वर दयाल, टम्मा उर्फ अवधेश पुत्र कल्यान नन्हें पुत्र लालाराम यह तीन व्यक्ति जो कि सोनीपत में भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है। इस विषम घटना को देखते हुये मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के इलाज हेतु 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु मांग करता हूं। यह एक अतिगम्भीर मामला है जो कि जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपये एवं घायलों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपये दिये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 मार्च, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की दिनांक 5 मार्च, 2008 को विधान सभा का उपवेशन होने के बावजूद जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री राम किशुन की दिनांक 1 मार्च, 2008 को विधान सभा का उपवेशन होने के बावजूद जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी।

तीसरी सूचना श्री उदय भान करवरिया की विधान सभा के माननीय सदस्यों को आवन्टित आवासों की मरम्मत कार्य के रूप में उनसे ली जा रही धनराशि एवं आवासों के किराये में असमानता भी होने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्रीमती अमीता सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विवेक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी की केन्द्र सरकार द्वारा अपने बजट में उत्तर प्रदेश में लागू की जाने वाली विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं हेतु की गयी धनराशि की व्यवस्था के विषय में प्रदेश सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री नरेश अग्रवाल की प्रदेश सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25-ए के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय का गठन करके मौजूदा सरकारी वकीलों को हटाकर उनके स्थान पर एक विशेष कैडर के वकीलों की नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

विधान सभा उपवेशनों के दिन कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी ऐसा लगता है कि सदन में जो सरकार यहां बैठी हुई है। इस सरकार का अंकुश अपने अधिकारियों पर बिल्कुल नहीं रह गया है। बार-बार इस सदन में सदस्यों ने इस बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कहा कि जब सदन चल रहा हो उस समय कोई सरकारी बैठक न हो। पीठ से कई बार निर्देश भी दिये गये हैं संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात का वायदा भी किया है कि हमने आदेश भेज दिये हैं लेकिन इसके बाद भी मुझे एक नहीं दो पत्र मिले हैं। लखनऊ के सी0डी0ओ0 जे0पी0 सिंह का पत्र मिला कि कल सायं काल 5 बजे पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत जो शादी, बीमारी के लिये प्रार्थना-पत्र आते हैं उनके डिस्पोजल के लिये बैठक बुलाई गई है। बकायदा नाम दिया गया है कि इसमें यह लोग मेम्बर हैं। इसी तरह से मान्यवर, दूसरा डी0 के0 सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी का पत्र कि 5-3-08 को अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के लिये जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक स्वर्ण जयन्ती सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई है जिसमें आप सदस्य हैं, उपस्थित रहें। मान्यवर, मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति और सामान्य जाति के लोगों के जो प्रार्थना-पत्र हैं वे समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निस्तारित होते हैं। अल्पसंख्यक के जो प्रार्थना-पत्र हैं वो अल्पसंख्यक आयोग को भेज दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, प्रश्न करिये। प्रक्रिया क्यों बता रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

उनकी बैठकें अलग-अलग होती हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यह बार-बार यहां से आदेश जारी होने के बाद भी यह लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं कि जब सदन चल रहा हो तो यह बैठकें नहीं बुलानी चाहिए। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न माननीय राम किशुन यादव जी का भी है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दोनों मैं बता देता हूं।

(श्री राम किशुन यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट राम किशुन जी को भी बोलने दें।

* श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसी सदन में निर्देश दिये थे कि जब सदन चलेगा तो जिला स्तर की जितनी भी समितियां बनी हैं, उनकी कोई बैठक आयोजित नहीं की जायेगी। मान्यवर, 1 मार्च, 2008 को हमारे यहां मुख्य विकास भवन में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगी थी। माननीय सदस्य उसमें सदस्य होते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी तरफ से बार-बार निर्देश देने के बाद भी जिले के अधिकारी इस सदन की गरिमा और निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें इस सदन में भी बुलायें या जहां आप उचित समझते हों। इस औचित्य के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि सदस्यों के अधिकारों का और आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का जो यहां तय हो जाते हैं उसका भी पालन अधिकारियों के द्वारा नहीं होता है। यह निश्चित तौर से इस सदन की मर्यादा और आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। आखिर उनको कितनी बार बचाने की कोशिश की जायेगी। आपसे चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही की जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक लखनऊ का सवाल है स्वयं जिलाधिकारी आपसे मिलकर उसके लिये खेद प्रकट कर चुके हैं और साथ ही साथ इसको स्थगित कर दिया है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है भूलवश इस बात के निर्देश जारी हो गये थे। मीटिंग के लिये समाज कल्याण अधिकारी का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि सदन की कार्यवाही के दौरान इस तरह की बैठक क्यों रखी गयी। मान्यवर, उन्होंने आपसे स्वतः मिलकर खेद प्रकट किया और बैठक को स्थगित भी कर दिया। दूसरी बात जहां तक यह परम्परा रही है कि अगर कोई खेद व्यक्त कर देता है तो उसे स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। राम किशुन जी ने जो जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के बारे में कहा है तो उस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सतर्कता समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे माननीय सांसद होते हैं। जिलाधिकारी, चन्दौली ने मुझे दूरभाष पर बताया कि समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया था कि बैठक 1 तारीख को बुलाई जाय। मान्यवर, चूंकि सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं इसलिये मजबूरी थी और यह भी बताया था कि विधान सभा की बैठक चल रही है लेकिन इसके बाद भी सांसद जी ने कहा कि हमारे पास एक दिन का समय है। फिर भी हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में चाहे वह जिस स्थिति में हों इस तरह की बैठक आहूत न की जाए। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी को सुना, राम किशुन जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 में नहीं आता है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

मान्यवर, गाजीपुर में मीटिंग रद्द नहीं की गई बल्कि करा दी गई। कोरम पूरा दिखाकर सारी औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इनकी सूचना 300 में नहीं थी लेकिन यह व्यक्तिगत मामला कह रहे हैं। यह किस विभाग के बारे में आप बता रहे हैं ?

श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण का था।

श्री लालजी वर्मा-

इसको हम देख लेंगे और पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे कि किन परिस्थितियों में हुआ और उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्पष्टीकरण लीजिए। दूसरे में तो खेद व्यक्त कर दिया है। करवरिया जी आपकी तो ऐसी कोई सूचना है नहीं है इसलिए इसको निरस्त कर चुका हूं।

विधायकों को अनुमन्य निःशुल्क आवास सुविधा के बावजूद मेन्टीनेन्स के नाम पर ली जा रही धनराशि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री उदयभान करवरिया-

दो मिनट मान्यवर सुन लें, माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा सभी माननीय सदस्यों को आवास की व्यवस्था की जाती है और यहां लखनऊ में विधायकों के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर आवास आवंटित किये जाते हैं। मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि आपके माध्यम से सरकार से कि मा0 सदस्य चाहे जिस जिले से चुनकर आये हों, चाहे जिस क्षेत्र से चुनकर आए हों उनमें सबमें समानता रहती है उसके बावजूद भी जो यहां माननीय सदस्यों को आवास आवंटित किये जाते हैं उसमें किराये में भिन्नता रहती है। नियमों के तहत यह कहा गया है कि माननीय सदस्य को लखनऊ स्थित आवास की व्यवस्था कराई जायेगी और उस पर दूसरी लाइन यह जोड़ दी गई मान्यवर, कि उसका मासिक किराया तीन सौ रुपये मान्य होगा। मेरी आपत्ति यह है मान्यवर, कि माननीय सदस्यों को हम किराये पर भवन उपलब्ध करा रहे हैं उनके रहने के लिए लखनऊ में आवास की व्यवस्था करा रहे हैं दोनों में मान्यवर, भिन्नता है। मान्यवर, सदस्यों की आवास व्यवस्था प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि जैसी विहित की जाए के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना उपयोग करने का हकदार होगा। एक तो मान्यवर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसका किराया कुछ भी माननीय सदस्य को देय नहीं होगा। उसके बावजूद हम भिन्न-भिन्न स्थानों का एक वर्गमीटर के अनुसार मानक तय कर रहे हैं और मानक तय करने के बाद हम माननीय सदस्यों से उसके किराये की मेंटीनेंस के नाम पर या किसी भी नाम पर वसूली कर रहे हैं, मान्यवर, इसका कोई औचित्य या तो नियमावली में संशोधन कर दिया जाए या जिस प्रकार से भी हो मैं आपके माध्यम से सरकार से साग्रह अनुरोध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं कि इस पर अभी न हो तो इसमें आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए जो भी विधायकों को आवास दिये जायें। पार्क रोड पर मान्यवर, मुझे आवास मिला है, पार्क रोड में, मेरे साथ ही दूसरे लोगों को भी वहां आवास मिला है तो या तो विधायकों को एक स्थान पर कर दिया जाए पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, कुछ को पार्किंग की सुविधा प्राप्त है कुछ को पार्किंग की सुविधा प्राप्त नहीं है। यह भिन्नता है सदस्य किसी भी दल का हो किसी भी क्षेत्र का हो उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लेना चाहिए। उसमें निःशुल्क व्यवस्था का प्राविधान आपके द्वारा दिया गया है मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, करवरिया साहब जो आपने संकेत दिया है आज ही हमारे कक्ष में आप आ जाइएगा, स्टेट आफिसर को भी बुला लेते हैं वहां वार्ता कर लेते हैं। इसमें किस तरह से क्या कर सकते हैं विधायक लोगों के आवासों के सम्बन्ध में आज हमारे कक्ष में सत्र के बाद बैठ लीजिएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को बुन्देलखण्ड के लिये दिये गये पैकेज के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार की आलोचना किये जाने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, औचित्य के माध्यम से मैंने भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 पर गम्भीर प्रश्न उठाया है मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं शासन के माध्यम से भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा। यह भारतवर्ष कई राज्यों के संघ के रूप में है और यहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह संघीय है फेडरल है। जिसमें केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के अलग-अलग अधिकार, अलग-अलग संवैधानिक दायित्व, अलग-अलग कर्तव्य हैं। मान्यवर, जहां दोनों की अपनी स्वायत्ता है, बहुत से विषय ऐसे हैं जो सिर्फ केन्द्र सरकार के तहत आते हैं, बहुत से विषय ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार के हैं। मान्यवर, उसी सन्दर्भ में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज, केन्द्रीय बजट से दिया गया है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह सही है या गलत है, कम है या ज्यादा है, यह सरकार के स्तर की बात है, होती रहे। हम समझते हैं कि पिछली बार से 4 गुना ज्यादा है, हमारा दल समझता है और इसमें प्रदेश को बहुत बड़ी धनराशि दी गयी है। हो सकता है कि बसपा के दृष्टिकोण में कुछ फर्क हो लेकिन मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ मैंने देखा कुछ समाचार-पत्रों में सूचना यह है, जनसम्पर्क विभाग ने विज्ञापन छापे, मान्यवर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग इसलिए है कि वह सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करे। सूचना और जनसम्पर्क विभाग सरकारी खर्चे पर किसी दल की नीतियों का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता है। क्या प्रदेश सरकार संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में केन्द्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी और वह भी सरकारी खर्चे पर मान्यवर ? मेरा यह कहना है कि जहां तक प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार की जो आलोचना की है,

उसने अपने संवैधानिक दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है और उसका उल्लंघन किया है। मान्यवर, संवैधानिक सौगंध लेकर सरकार का गठन होता है अगर सरकार संविधान के विरुद्ध काम करती है तो ऐसी सरकार बहुत गम्भीर भूल कर रही है। मान्यवर, मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर सत्तारूढ़ दल को आपत्ति है तो वह अपनी पार्टी से विज्ञापन कराये लेकिन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग केन्द्र सरकार के खिलाफ यदि विज्ञापन छापता है तो यह संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है और चुनी हुई एक निर्वाचित सरकार यदि संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करती है तो फिर ऐसी सरकार के बने रहने पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ऐसी सरकार अब संवैधानिक रह गयी या असंवैधानिक हो गयी ? मेरा कहना है एक गैर संवैधानिक कदम उठाकर यह सरकार पूरी तरह असंवैधानिक हो गयी है, इसने असंवैधानिक कार्य किया है इसे बने रहने का अधिकार अब एक पल भी नहीं रह गया है, इस सरकार ने वह कार्य किया है जो संघीय ढांचे को चोट पहुंचाता है और वह भारत के संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे कह रहा हूं, मान्यवर, इसको आप गम्भीरतापूर्वक लें। मान्यवर, मेरे पास भी है और आपके पास भी लाइब्रेरी में होगी, मान्यवर, आप देख लें, बाकायदा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने इसे जारी किया और उसमें केन्द्र सरकार के खिलाफ एक युद्ध का शंखनाद है तो क्या एक प्रदेश सरकार सरकारी खर्चे पर इस प्रकार से केन्द्र सरकार के खिलाफ शंखनाद कर सकती है ? कल आपकी पुलिस आपकी पी0ए0सी0 क्या केन्द्र सरकार के खिलाफ लड़ेगी या एक प्रदेश, दूसरे प्रदेश के खिलाफ लड़ेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत ढांचा है संविधान का उसके विरुद्ध काम किया है। इसलिए ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने सूचना लगाया था कि बुन्देलखण्ड के लिए स्पेशल पैकेज 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपया जो केन्द्र सरकार से दिया गया है, उसको प्रदेश सरकार किस तरह से खर्च करेगी ? यह आपने औचित्य में पूछा, बस इतना ही तो था ?

श्री प्रमोद तिवारी-

2 लाख 80 हजार करोड़ रुपया दिया भी तो यह धन्यवाद तो इनको देना चाहिए मान्यवर, लेकिन यह केन्द्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मान्यवर, प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या कोई प्रदेश सरकार संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करके केन्द्र के खिलाफ प्रदेश के खर्चे पर विज्ञापन प्रसारित कराकर केन्द्र सरकार की आलोचना कर सकती है या नहीं ?

(अखबार दिखाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह एक स्पेशल पैकेज का है, आप अखबार मत दिखाइए, मैं इसको पहले अग्राह्य कर चुका हूं। यह केन्द्र सरकार के पैकेज के बजट का पैसा है, प्रदेश सरकार की योजना में किस योजना में उसका क्या स्वरूप रहेगा, यह नियम-300 में नहीं आता, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह संवैधानिक संकट है यहां प्रश्न दायित्व का नहीं है, इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, सरकारी पैसे से विज्ञापन नहीं छपेंगे।

(श्री प्रदीप जैन आदित्य अखबार लेकर वेल में आने लगे)

श्री अध्यक्ष-

यह अखबार लेकर कहां आ रहे हैं ?

(श्री प्रदीप जैन आदित्य वेल में आकर अखबार को रिपोर्टर टेबिल पर रखकर पुनः अपनी सीट पर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

एक स्पेशल पैकेज आया है उसी को खर्च करने की बात है। सरकार खर्च करेगी, सरकार कैसे खर्च करेगी, यह औचित्य में नहीं आता है। इससे हमारे औचित्य का क्या मतलब है। यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। मान्यवर, असंवैधानिक सरकार के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन से बहिगर्मन कर गये।)

प्रदेश सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25ए के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय का गठन करके मौजूदा सरकारी वकीलों को हटाकर उनके स्थान पर एक विशेष कैडर के वकीलों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में पैरवी के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति करती है और सी0आर0पी0सी0 की धारा 24 एक और तीन के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है। यद्यपि श्रीमन् 4 और 5 में सी0आर0पी0सी0 की ही उपधारा है 24 की 4 और 5। उसमें पहले यह प्रतिबन्ध था कि जिला जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसर्न से नियुक्ति होगी। लेकिन राज्य सरकार ने यह विलुप्त कर दिया, कोई कारण रहा होगा और राज्य सरकार को यह सीधे गठन करने का अधिकार मिल गया और मौजूदा में जो सरकारी वकील काम कर रहे हैं अगर कन्विक्शन रेट रेखें तो उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट 60 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। मौजूदा सरकार ने एक निर्णय लिया है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0आर0पी0सी0 की धारा 25-क के अन्तर्गत एक अभियोजन निदेशालय का गठन करेंगे। प्रस्ताव गृह विभाग ने स्वीकृत करके शासन को उच्च स्तर पर भेज दिया है। श्रीमन् उससे एक शंका यह पैदा हुयी है कि जब सरकारी वकील कान्ट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारी जब सरकार थी तो हमने उनका मानदेय बढ़ाया है, भत्ता बढ़ाया है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं तो यह अभियोजन निदेशालय गठन करने का औचित्य क्यों बना। अब यह बिल्कुल शंका है कि यह सरकार अभियोजन कैडर के पीछे के व्यक्तियों को नियुक्त करके न्याय व्यवस्था को अपंग कर देना चाहती है। मान्यवर, अभी जो वकीलों की नियुक्ति होती है वह तीन साल के कान्ट्रेक्ट पर होती है। तीन साल के बाद सरकार उनका काम देखती है रिन्यू करे या न करे। उनको हटा दे। इसके पहले भी सरकार ने वहां एक निर्णय लिया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगनादेश दे दिया था। लेकिन श्रीमन् अभियोजन निदेशालय हो जाएगा तो उसमें जो भी सरकारी वकील बनाया जाएगा वह 60 साल की उम्र तक का परमानेन्ट हो गया। यानी की एक कैडर विशेष को पद दिया गया, न्याय व्यवस्था अपंग कर दी गयी और वह एक विशेष पार्टी की नीति को लागू करेगा न कि कानून की बात करेगा तो मान्यवर, वकीलों ने कितना विरोध किया। लखनऊ में हड़ताल हो गयी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हड़ताल चल रही है सरकारी वकील और वकील उसमें हड़ताल पर चले गये तो मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूं और सरकार से चाहूंगा कि इस पर एक स्पष्टीकरण भी दे दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी अगर इसको स्पष्ट कर दें कि क्या कारण है कि सरकार 25-क के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय का गठन कर रही है और क्या नहीं यह सत्य है कि वह एक विशेष कैडर को नियुक्त करना चाहती है ? मैंने इसको औचित्य के माध्यम से आपके समक्ष रखा है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना तो हम शुरू में अग्राह्य कर चुके हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 24, 25 में लोक अभियोजकों की व्यवस्था पूर्ण वर्णित है। केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करते हुए धारा 25ए जोड़ी गयी है। जिसके द्वारा अभियोजन निदेशालय की विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। धारा 25-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था अभी पूर्णरूपेण लागू नहीं है। इसको लागू किये जाने के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका संख्या-एम-791-एम0बी0/2008 अकरम परवेज सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य नियोजित हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मान्यवर, उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, राज्य सरकार द्वारा अलग से धारा 25-ए के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय का गठन करके मौजूद सरकारी वकीलों को हटाकर एक विशेष कैडर के वकीलों को नियुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो इस तरह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह संशोधन केन्द्र सरकार ने जोड़ा है और यह उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष एवं विधान सभा के सदस्य श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव को अपने दल सहित ब0स0पा0 में विलय करने की सूचना

श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का समय दे दें। मैं कुछ अपनी पार्टी एवं अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, वैसे तो कई दिनों से सोच में था कि माननीया और माननीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखूं। इस विषय को लेकर मैंने नेता सदन मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था, उनकी सहमति भी मुझे मिल गयी, वह पत्र मेरे पास है, मैं आपके पास भिजवा देता हूं। कहना यह चाहता हूं कि मैंने शुरू से आज तक जो भी मेरा छोटा सा राजनैतिक जीवन है, उसमें अंधविश्वासों और बुरी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। छात्र जीवन में था, छात्र संघर्ष में था तो नौजवानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया करता था। जेलों में आन्दोलनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की कई सरकारों ने जेल भेजने का काम किया लेकिन अनवरत यह कार्यक्रम चलता रहा। मैं यहां उत्तर प्रदेश की जनता की मेहरबानी से विधान सभा का सदस्य रहने के बाद दिल्ली में लोक सभा और राज्य सभा में चला गया और फिर एक बार जनता की अनुकम्पा से वापस यहां पर आया हूं। मान्यवर, एक बार नहीं कई बार मैं राजनीतिक षडयंत्रों का शिकार हुआ हूं और आज भी इस षडयंत्र के तहत मेरा नौजवान निर्दोष बेटा कई वर्षों से जेल में है। दोष मेरा है मैंने उसे भी इसी संघर्ष की कड़ी बनाने की कोशिश की थी और गलती से जनहित के लिए चुनाव उसे लड़ा दिया था। जिस रोज गिनती हो रही थी उसी रोज सुबह उसको झूठे मुकदमें में गिरफ्तार कर दिया और उस बच्चे को जो जिन्दगी की पहली राजनीतिक सीढ़ी में चढ़ना चाहता था, उसको 302 का फर्जी मुकदमा लगाकर उसको जेल में डाल दिया और वह कुल पांच सौ वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया। लगातार यह षडयंत्र सहते-सहते मैं और मेरा परिवार परेशानियों में खड़ा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जो सोच विचार लेकर आया था कि इस सोच पर चलूंगा, जिन्दगी की राह में चलते-चलते मैं आदरणीय स्व0 कांशीराम जी का नाम लेना चाहूंगा। उनके संरक्षण में कई वर्ष काम करने का अवसर मिला है और संभल लोक सभा में मैं बी0एस0पी0 से चुनाव लड़कर के मैं जीता और आगे बढ़ा और आगे चला। मैं पिछले दिनों से सदन में लगातार बड़े गौर से माननीय सदन की कार्यवाही को सुन रहा था। कभी-कभी अफसोस जरूर होता है मान्यवर, हालांकि मैं किसी पार्टी के नेता पर कोई दोष लगाना नहीं चाहता हूं लेकिन देखता रहता हूं कि सरकार बेशक कितना अच्छा काम करने पर अमादा हो बेशक गरीबों के लिए कितने की कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार दे पर मुझे समझ में नहीं आता कि दूसरे विपक्षी लोग उसमें नुकता-चीनी लगा करके उसे घटाने और तोड़ने का काम करते हैं। अगर राजनीति का अर्थ महज बुराई करना है, अगर राजनीति का नाम महज यह है कि हम कोई भी अच्छा कार्य करें, सरकार हो, विपक्ष हो, अगर उसका दोषारोपण एक दूसरे पर करता है तो मैं इसको राजनीतिक स्वस्थ परम्परा नहीं मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन विचारों को लेकर के हम हमारी पार्टी हमारे साथी राजनैतिक मैदान में हैं, मैंने खूब गौर से देखा, करीब एक महीना माननीय सदन को चलते-चलते हो गया, मैंने देखा उस विचारधारा को जो विचारधारा गरीब, शोषित दलित और

पीड़ितों के लिए बल्कि समतामूलक समाज बनाने के लिए जिस तरीके से बहन मायावती कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं और मान्यवर, कहना यह चाहता हूं कि मैं तो माननीय कांशीराम जी से मिल कर बहुत प्रभावित था। तब मैं नहीं जानता था कि इस विचारधारा को और भी ताकत से लागू करने वाली एक दलित की बेटी एक बहादुर मुख्य मंत्री मायावती के रूप में इस प्रदेश को मिलेगी। इस बात की मुझे बेइन्तहा खुशी है। मान्यवर, मैंने कभी लोभ लालच और चमचागिरी की राजनीति की नहीं, यह मेरी आदत नहीं मेरा स्वभाव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहन यह चाहता हूं कि आज जो कुछ आंखें देख रही हैं और जो कुछ मैं सुन और देख रहा हूं उसी सोचने और देखने के बल पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह गरीब, दलित, पीड़ित और शोषित बल्कि तमाम लोगों को मिलाकर के एक रूप बनाने की कोशिश, समतामूलक समाज बनाने की कोशिश जो आदरणीय बहन मायावती जी कर रही हैं उससे पहले मैंने किसी नेता को करते देखा नहीं हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं ऐसी आवाजों का शिकार रहा हूं कोई यह पहली बात नहीं है, जब भी मौका लगा है, कभी हमारे मीडिया के भाइयों ने, कभी राजनैतिक लोगों ने मुझे पूरी तरह रौंदने की कोशिश की है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं आज मैं इस सोंच पर आया हूं कि मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय परिवर्तन दल उसका नाम है।

श्री राम किशुन-

उसका विलय करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

राम किशुन जी आपको क्या दिक्कत है, आप कृपया शान्त बैठें।

श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव)-

मान्यवर, मेरी पार्टी के दो सदस्य हैं हम लोगों ने मिल करके अपने साथियों से और अपने सारे पदाधिकारियों से यह बात की और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ऐसे वक्त में जब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की भी कुछ निगाहें एक ऐसी महिला और एक ऐसी मुख्य मंत्री पर लगी हुई हैं जो पूरी तरह से समतामूलक समाज बनाना चाहती हैं। तो निश्चित तौर से मैं तो उन आवाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा वक्त अच्छा है निर्णय लीजिए और आकर के समतामूलक समाज का साथ देने का काम कीजिए। मान्यवर, मैं ज्यादा बात नहीं कहता लेकिन जो विचाराधारा इस धरती पर उभरी है, बही है, चली है, मेरी भगवान से प्रार्थना है और मेरी शुभ कामना है कि जो समतामूलक समाज के इतिहास का पन्ना बहन मायावती जी ने लिखना शुरू किया है एक ग्रन्थ के रूप में पूरी दुनिया को रोशनी देगा, पूरी दुनिया को उजाला देगा। तो मैं एक निर्णय लेते हुए और कहते हुए चूंकि मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं मान्यवर, और मैं सोचता हूं कि इस विचार को ले करके जिन संघर्षों की बुनियाद पर हम लोग खड़े हुए हैं उन संघर्षों को बेहतर तरीके से करने के लिए और बेहतर विचाराधारा को लेकर के माननीय मुख्य मंत्री बहन मायावती जी पूरे देश को रोशनी दिखाने का काम कर रही हैं, आगे चलने का काम कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं भी हैं तो मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के साथ विलय करने की घोषणा करता हूं मान्यवर।

(सत्ता पक्ष के द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

मैं घोषणा करता हूं कि पूरी समतामूलक विचारधारा के साथ हम लोग कार्य करेंगे और संघर्ष जो हमारी नीयत है और हम लोग इस ताकत के साथ बढ़ने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश को समतामूलक समाज बनाकर के ताकत बनाने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती उमलेश यादव जी आपके भी इसमें हस्ताक्षर हैं, आप सहमत हैं ?

श्रीमती उमलेश यादव-

मान्यवर, जी हां, सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। माननीय धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव जी आपका पत्र मुझे मिल गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय स्वीकार किया जाता है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दलों के विलय की एक प्रक्रिया है जो डी0पी0 यादव जी ने बताया वह पूरी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से परामर्श करके और जो उसके सदस्य सदन में हैं उन सबकी सहमति से पत्र दिया है। मान्यवर, जो संविधान की दसवीं अनुसूची है उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार उनके द्वारा दिया गया पत्र इस कार्य को करने की शर्तें पूरी करता है। लेकिन उसमें एक कठिनाई दूसरी है वह है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति इस विलय को स्वीकार न करे। तब तक इसकी घोषणा मान्यवर, आपके स्तर से नहीं हो सकती है। इसमें यही थोड़ी त्रुटि प्रतीत होती है। अगर आपको उनकी सहमति प्राप्त हो गयी है तो कोई कठिनाई नहीं।

श्री अध्यक्ष-

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति है, तभी हमने इसकी घोषणा करने का काम किया है। डी0पी0 यादव जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने बात की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

तब मान्यवर, ठीक है।

श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब एक सदन को सूचना देनी है मद संख्या-3 के अन्तर्गत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में सदन में दिनांक 27 फरवरी, 2008 को दी गयी सूचना के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

अधीक्षक, जिला कारागार बरेली ने अपने टेलेक्स दिनांक 29 फरवरी, 2008 जो इस सचिवालय में दिनांक 03 मार्च, 2008 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि अपराध संख्या-491ए/02 केस संख्या 20/05 धारा 147/148/149/336/307/504 भा0द0वि0 में श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, बरेली में दिनांक 26 जनवरी, 2008 को दाखिल किया गया था। श्री सुल्तान बेग, सदस्य, विधन सभा को मा0 न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तृतीय, बहेड़ी (बरेली) के आदेश से दिनांक 29 फरवरी, 2008 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय केराकत में उमानाथ सेतु के नीचे गोमती नदी के पूरब की तरफ दाह संस्कार कुण्ड व टिन शेड बनवाये जाने विषयक श्री तूफानी राम की हस्ताक्षरित याचिका

श्री बिरजू राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय केराकत में उमानाथ सेतु के नीचे गोमती नदी के पूरब की तरफ दाह संस्कार कुण्ड व टिन शेड बनवाये जाने विषयक श्री तूफानी राम निवासी जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री डी0पी0 यादव जी, माननीया श्रीमती उमलेश यादव जी, आप कृपया अब उधर बैठिये।

(श्री डी0पी0 यादव तथा श्रीमती उमलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के लिये निर्धारित स्थानों पर जाकर बैठ गये।) (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा उनके ऊपर लगाये गये 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमों की जांच कराये तथा उचित कार्यवाही की मांग

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मेरा मान्यवर, एक व्यक्तिगत मामला है। मान्यवर, मेरे जनपद गाजीपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। वहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बौरी में मगई नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। वहां पर जेवीसी मशीन लगाकर खुदाई की जा रही थी। मान्यवर, यह 14 अक्टूबर की घटना है। किसान धरने पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे मैं वहां से गुजरी तो उन्होंने मुझे रोका। वहां पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, साढ़े पांच घण्टे तक शासन, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। न जिलाधिकारी आयीं और न उनका कोई प्रतिनिधि आया। वह धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन मेरा उत्पीड़न करने के लिये धारा 143, 341, 283 सेवन क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा किया गया। मान्यवर, मैंने यहां पर 5 दिसम्बर को इस सदन में सूचना दी थी जिस पर 6 दिसम्बर को आपने अपनी इसी

पीठ से यह आश्वासन दिया था कि आपका उत्पीड़न नहीं होगा और मामले की जांच कराई जायेगी। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली यह सरकार इस सरकार ने क्या किया ? सर्वजन हिताय के नारे को अगर तार-तार होते हुए देखना है तो यह नजर आता है कि किस ढंग से किया गया। मान्यवर, आप अगर कोई आश्वासन देते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है क्योंकि आपकी गरिमा है और आपकी गरिमा से इस सदन की गरिमा है, हम सब की गरिमा है। अगर आपकी बात का भी अधिकारी कोई संज्ञान न ले और उसका उल्लंघन करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा वापस लेना तो दूर था 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट लगाया गया जबकि मेरे ऊपर आज तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। न ही मैं कोई अपराधी हूं न मैंने कोई अपराध किया है। अपराधी लोग हमेशा सत्ता से डरते रहे हैं। चाहे वह इधर से या उधर से हों। मान्यवर, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रही हूं। लेकिन अगर देखा जाय नैतिक बल अगर सबसे कम होता है तो अपराधी में कम होता है। मैं अपराधी नहीं थी मेरी चार्जशीट दाखिल की गयी। मान्यवर, लोकतंत्र के अन्दर अगर किसान की जमीन का जबरस्ती अधिग्रहण होगा।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग बात है। जमीन की अधिग्रहण का मसला अलग चीज है। उस पर तो आप नोटिस लगाई थी।

आप अपना व्यक्तिगत मामला बताइये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है, चार्जशीट दाखिल की गयी है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस तरह से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के मैं क्या जवाब दे दूं, इस स्थिति में जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

"है इन्कलाब दहर की बुनियाद, हक जो हकदार तक नहीं पहुंचा है।"

श्री अध्यक्ष-

नहीं जवाब नहीं, मैं बता रहा हूं। इनका माननीय विधायक जी ने एक बार नियम-56 के अन्तर्गत सूचना लगाया था। व्यक्तिगत इन्होंने और व्यक्तिगत खड़ा होकर के कही थी माननीय फातिमा जी तो उसमें हमने भी कहा था और आपने भी कहा था कि दिखवा लूंगा उत्पीड़न नहीं होगा।

तो उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमा जो 7 क्रिमिनल ला ऐक्ट की धाराएं लग गयी थी, उसके संदर्भ में एक बार हमारे यहां से निर्देश भी हुआ था कि आप दिखवा लें कि कहीं इनका उत्पीड़न न होने पाये। वही बात मैं कह रहा हूं। इनकी सूचना कोई नहीं है वैसे ही व्यक्तिगत खड़ा होकर के उन्होंने इस संदर्भ में कहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियमों के अनुसार जो भी कार्यवाही होगी वह होगी और जहां तक जांच का आपने कहा था उसकी जांच करा ली जायेगी और हो रही होगी वह जांच।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कि खुद भी एक हैसियत होती है जो कहें उसका सम्मान होता है। आपने खुद ही इस सदन को आश्वस्त किया था कि वह जांच करायेंगे। मान्यवर, 7 क्रिमिनल ला अमेन्टमेंट ऐक्ट के लगाने के लिए भी कुछ बैकग्राउन्ड चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमें पहले रह चुके हैं वह कितना बड़ा क्रिमिनल है। अभी बहन ने जो बात कही है उसमें एक जुमला यह भी कहा कि अपराधियों की मजबूरी होती है लेकिन सबकी मजबूरी नहीं होती है अपराधियों की मजबूरी होती है वह फ्लोर क्रास करते हैं उन्हें अपने संरक्षण चाहिए होता है और ऐसा होता रहा है मान्यवर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसी धारा एक महिला सदस्य के ऊपर बहुतों के ऊपर आपने लगाई है पिछले दिनों पिछले 6-7-8 महीनों में 323 के साथ 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट एक्ट लगाया गया है आपने इस धारा का बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया है लेकिन क्योंकि आपकी पीठ से यह आदेश हुआ था और खुद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उन्हें यह आश्वस्त किया था कि वह इसमें जांच करायेंगे। जांच का मतलब यह नहीं होता है इसमें चार्जशीट लग जायेगी। जांच का मतलब होता है कि सदन में एक बात आई है और पूरा सदन इस बात से गालिबन उस दिन भी सहमत था कि एक महिला के खिलाफ और एक ऐसे मामले में जिसमें वह मुआवजे की मांग कर रही हों और किसी तरह का कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई आसू गैस नहीं छोड़ी गयी, कोई फायरिंग नहीं हुयी, किसी की हत्या नहीं हुयी, किसी के चोट नहीं हुयी, कोई खरोच नहीं आई, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है इस सम्बन्ध में। मान्यवर, ऐसे मामले में 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट का मुकदमा कायम कर देना दुखद विषय है तो यह जानकारी बस आपसे चाहते हैं कि जांच का मतलब अगर चार्जशीट लगा देना है तो मान्यवर, कुछ नहीं कहना। थोड़ा सा औरों के खिलाफ है, थोड़ा सा आप अपने पद का सम्मान रखते हुए यह बतला दें कि जांच का मतलब अगर चार्जशीट लगा देना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जांच का मतलब यह भी नहीं होता है जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई अगर अपराध हुआ है तो उसको फाइनल लगा देना। निष्पक्ष जांच का जो तात्पर्य है कि जो सही है वह आना। जहां तक माननीय सदस्य, उपनेता समाजवादी पार्टी ने कहा कि 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट के बैक ग्राउन्ड होते हैं, निश्चित तौर पर उसका जो बैक ग्राउन्ड रहा होगा अगर लगा होगा तो उस आधार पर लगा होगा। मैं अभी इसलिये उसकी मेरिट डिमेरिट पर कुछ नहीं कह सकता। इसलिये कि जांच रिपोर्ट अभी मुझे प्राप्त नहीं हुयी है इसलिये मैं नहीं कहता लेकिन उसका यह आधार भी नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला पहले न रहा हो तो

7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट पहली बार नहीं लगता है। ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे। जिसमें इस तरह के लगे हैं और मान्यवर, उसमें हर रिजीम में लगे हैं हर समय में लगे हैं और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि पहली बार में नहीं लगता है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं एक नहीं कई उदाहरण दूंगा जिसमें बिना किसी मारपीट के भी, साधारण सरकारी अधिकारियों से विवाद में भी इस तरह के पहले भी लगे हैं और चार्जशीट भी लगी है। लेकिन मैं इस पर्टीकुलर केस में जो विशेष घटना है इसके बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता हूं इसलिये कि मुझे स्वयं अभी जानकारी नहीं है और चूंकि माननीय सदस्य ने तत्काल उठाया है मैं उसके बारे में पूरी तरह जानकारी करके ही कोई सूचना दे पाऊंगा। इसलिये मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, कल जानकारी आ जाय सदन में। कल वह सदन को सूचित कर दें।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 मार्च, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 05 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। श्री कौकब हमीद आपको बता दिया गया था कि आपकी सूचना दूसरे नम्बर पर है। इसलिये पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अरविन्द गिरि, श्री अशोक सिंह चन्देल तथा श्री उदयराज यादव की चौधरी चरण सिंह कालेज, हैबरा, इटावा में छात्र श्री मुकेश यादव की पुलिस गोलीबारी से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद तथा डा0 अजय तोमर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित पूर्वी जमुना नहर में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद फिरोजाबाद में इनामी कुख्यात अपराधी दुर्गेश जाटव के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचा श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नाराण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री माधो पासवान, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री शिव बालक पासी, श्री राजाराम त्यागी, चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री अजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी की प्रदेश में बैंकों एवं साहूकारों द्वारा ऋण की कई गुना वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह "झीन बाबू" की जनपद सीतापुर के विधान

सभा क्षेत्र बेहटा में भुखमरी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव की श्रीमती उमलेश यादव, सदस्य, विधान सभा एवं स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से भुगतान के आधार पर अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुई :-श्री प्रदीप माथुर, श्री जोखू लाल यादव, डा0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री राम किशुन, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री आर0 के0 चौधरी, श्री सुन्दर सिंह, श्री इमरान मसूद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सनातन पाण्डेय, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री बजरंग बहादुर सिंह तथा श्री अनूप सण्डा। यह जो आप नियम-56 में सूचना दिये हैं, मैं इसको नहीं ले रहा हूं अगर कुछ व्यक्तिगत कहना होगा तो कह लीजियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, 09 जनवरी को जनपद इटावा के थाना सैफई में चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैबरा में छात्र अपनी परीक्षा दे रहे थे। बी0एस0सी0, ए0जी0 थर्ड सैमेस्टर और बी0एस0सी0 ए0जी, फिफ्थ सैमेस्टर, तीसरे और पांचवें सैमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही थीं और श्रीमन् इन परीक्षाओं को लेने के लिए बी0एच0यू0 से डा0 पी0एन0 सिंह, डिग्री कालेज इलाहाबाद से डा0 आर0पी0 सिंह और एन0डी0 कालेज शिकोहाबाद से डा0 राजेश त्रिपाठी और इन सबके को-आर्डीनेशन के लिए डा0 आर0सी0 राम, ये अध्यापकगण वहां मौजूद थे। वहां शान्तिपूर्वक छात्र परीक्षा दे रहे थे। उसके पूर्व एक बहुत शर्मनाक घटना घटी थी, सदन में उसका उल्लेख हो चुका है। 08 जनवरी की रात को लखनऊ में एस0एस0पी0 के आवास के बाहर श्रीमन् सरकार के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुकदमें में फंसाये जाने के अलावा अपनी मर्यादा से चूकते हुए एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई थी एस0एस0पी0 आवास के बाहर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और इस सदन के सम्मानित सदस्य पूर्व मंत्री मा0 शिवपाल सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के सांसद श्री अखिलेश यादव जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उससे लोग उत्तेजित थे। श्रीमन्, एस0एस0पी0 इटावा श्री सियाराम आदित्य और एडिशनल एस0पी0 इटावा श्री रामपाल गौतम और उनके साथ कुछ पुलिस कास्टेबिल थे। ये उस हैबरा पी0जी0 कालेज पर गये, शान्तिपूर्वक छात्र अन्दर परीक्षा दे रहे थे लेकिन मान्यवर, सैफई का नाम आते ही जो स्थिति यहां पैदा होती है। कुछ अतिरिक्त निष्ठा प्रदर्शित करने की स्थिति बन गई है कि अधिकारी कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे वह इस सूबे की मुखिया और अन्य उच्च पदस्थ लोगों की नजर में आने के लिए कोई भी हरकत करने के लिए वह तैयार हैं जिससे वह ज्यादा निष्ठावान प्रतीत हो सके और ऐसी स्थिति में मान्यवर परीक्षा दे रहे छात्रों को उकसाने का काम किया गया, इसके बाद भी वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई लेकिन एस0एस0पी0 महोदय ऊंची चहारदीवारी से खुद ही कूद करके अन्दर गये और मान्यवर, एक सहयोगी की बन्दूक ले करके खुद ही फायर किया। उनकी गोली से मुकेश यादव नामक छात्र की मृत्यु हो गई, अवनीश यादव बुरी तरह से घायल हुआ और

जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा। संयोग की बात थी कि सैफई में मेडिकल कालेज बना है 20 मिनट के अन्दर आपरेशन की व्यवस्था हो गई और उसकी जान बच गई, सुनील यादव मान्यवर घायल हो गया। श्रीमन् इस घटना में 287 बच्चे थर्ड सैमेस्टर बी0एस0सी0 ए0जी0 की परीक्षा दे रहे थे, 169 बच्चे फिफ्थ सैमेस्टर की परीक्षा दे रहे थे। मान्यवर, इतनी गम्भीर घटना हुई दिन दहाड़े घटना हुई, उस पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के आसपास जो भी वजह दिखायी गयी, शान्ति भंग का कोई कारण नहीं हो सकता था, आस-पास कोई दुकान बाजार नहीं था आगजनी की कोई घटना नहीं हो सकती थी। जब पूरे प्रदेश में इसके लिए आन्दोलन शुरू हुआ और सदन में भी इस मामले को उठाया गया तो पहले तो लीपापोती करने का प्रयास किया गया कि पुलिस ने गोली इसलिए चलायी कि स्थिति वहां अशान्तिपूर्ण हो गई थी। मान्यवर, वहां जिन मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी थी उन पर दबाव डाला गया कि आप लिखिये कि हमने गोली चलाने का आर्डर दिया है लेकिन मान्यवर, गोली चलाने का आर्डर देने के सम्बन्ध में वहां ड्यूटी पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर नहीं किये। वहां सांसदों की जांच करने वाली टीम गई उसके सामने भी यह बात आई कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि गोली चलायी जाती और गोली चलाने के लिए मान्यवर, जो स्थापित सिद्धान्त है कि गोली चलाने से पहले लाठीचार्ज, आसूगैस, रबर की गोलियां और उसके बाद पैर पर गोली और उसके बाद आखिरी स्तर पर किसी को गोली मारी जा सकती है लेकिन निहत्थे एवं निर्दोष छात्रों पर गोली चलायी गई। परीक्षा देते हुए, अपनी कापी के साथ खून में लथपथ मुकेश यादव की मृत्यु हो गयी। हमने यहां कहा, सरकार से आग्रह किया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई उसको बचाने का काम चलता रहा और उसको बड़ा भरी तमगा दिया जाने वाला था कि तुमने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीजी की इसलिए छोटा तमगा लखनऊ में लो और बड़ा तमगा मान्यवर, एक होनहार नौजवान को सैफई में गोली मार दिया इसलिए बड़ा तमगा तुमको मिल जाए। यह स्थिति सरकार की रही। सी0जे0एम0 इटावा महोदय के यहां इसका वाद दायर हुआ, सी0जे0एम0 इटावा ने 1 मार्च को 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत यह आदेश कर दिया कि उसके विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। श्रीमन्, हीला-हवाली होती रही लेकिन कल शाम को अर्थात् 3 तारीख को यह मुकदमा सैफई कोतवाली में कठिनाई से दर्ज हुआ। लेकिन एक हत्या के किसी मामले में सबसे पहले मुल्जिमान की तत्काल गिरफ्तारी होती है। एस0एस0पी0 के विरुद्ध मुकदमा कायम, एडीशनल एस0पी0 के विरुद्ध हत्या का मुकदमा कायम, 4 सिपाहियों के विरुद्ध अदालत से पूरी तरह से सारे साक्ष्य स्कूटनाइज करके प्राइमाफेसी केस स्टैब्लिश कर दिया कि इन्होंने हत्या की है, इसलिए इनके विरुद्ध मुकदमा कायम। मान्यवर, यह वह मामला नहीं है कि एफ0आई0आर0 हुई तो साक्ष्य नहीं था, साक्ष्य जुटा लेंगे तब गिरफ्तार करेंगे। प्राइमाफेसी केस स्टैब्लिश करने के लिए पूरा का पूरा साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख था न्यायालय विचार करके प्राइमाफेसी 302, 307 के मामले को उनके खिलाफ बताते हुए एफ0आई0आर0 करने का आदेश दिया। अब एस0एस0पी0 इटावा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, 1 तारीख को हो जानी चाहिए थी। 04 तारीख को जब तक इस सदन में मैं आपसे अपनी सूचना पर निवेदन कर रहा हूं तब तक एस0एस0पी0 इटावा सियाराम आदित्य और रामपाल गौतम,

एडीशनल एस0पी0 और 4 सिपाहियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आज आपका संरक्षण चाहते हैं कि कानून का राज इस प्रदेश में रहेगा या नहीं रहेगा। यह सरकार के आचरण से तो लग गया है। श्रीमन्, इस सदन में हैं और आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सरकार को सीधे आदेशित करें कि आज तत्काल सदन उठने से पहले एडीशनल एस0पी0, एस0एस0पी0 और उन चारों सिपाहियों को गिरफ्तार करके, निलम्बित करके जेल भेज देने की सूचना इस सदन में देने का काम करें। मैं आपकी सूचना पर बल देते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हर हालत में आप उनकी गिरफ्तारी की सूचना और उनके निलम्बित किये जाने की सूचना आज सदन उठने तक इस सदन में देने का निर्देश सरकार को देने की कृपा करें। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर मैं इसलिए बल देना चाहता हूं कि अगर ये कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में स्थिति विस्फोटक होगी। पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो जायेगी जिसके जिम्मे रक्षा का काम है, वह हत्या करेगी, गोलियां चलायेगी तो कैसे काम चलेगा ? इसलिए आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस पीठ से निर्देशित करने की कृपा करें।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाये जाने पर)

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर और लोगों के भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब ने पूरी बात बता दी है।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना 8 तारीख को 10 बजे की है। छात्रों की केवल एक ही मांग थी कि छात्र संघ बहाल करो और माननीय मंत्रियों को ज्ञापन देने जा रहे थे। जय नारायण डिग्री कालेज, लखनऊ में मा0 मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे थे उसी समय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और छात्रों के सिर पर लाठी मारी गयी। मा0 अध्यक्ष जी, वहां पर पूरी तरह से शान्ति व्यवस्था थी। उसके बाद जब छात्र पिटे, गिरफ्तार भी हुए, 6 छात्र गम्भीर रूप से घायल थे और 6 छात्र बलरामपुर अस्पताल में भर्ती भी कराये गये। तो केवल हमारी मांग थी, सांसद अखिलेश यादव की मांग थी कि पहले छात्रों का इलाज हो जाना चाहिए जब वह भर्ती हो चुके थे तो पहले इलाज होना चाहिए वह भर्ती हुए 10 बजे और रात के 9 बजे उन 6 छात्रों को जेल भेज दिया गया। हमारी एस0एस0पी0 से टेलीफोन से बात हुई सात बजे मैंने कहा कि पहले इलाज हो जाना चाहिए, उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, गम्भीर चोटें थीं छात्र बेहोश थे इसके बाद भले ही छात्रों को जेल भेज दो बिना इलाज के बिना रिपोर्ट आने के पहले ही उनको जेल भेजने का काम किया गया। हमने एस0एस0पी0 से कहा कि पहले छात्रों का इलाज जरूरी है। सबेरे भी जेल जा सकते थे लेकिन जो हमारे साथ व्यवहार किया गया रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहां तक कि हमारा गनर था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गनर की रायफल छीन ली गयी, गनर को मारा पीटा गया और हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। सांसद अखिलेश व नेता विरोधी दल विधान परिषद् श्री अहमद हसन के साथ दुर्व्यवहार किया गया एम0एल0सी0 विशाल वर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद सबेरे जब चौधरी चरण सिंह पी0जी0 कालेज के छात्र कोई आन्दोलन वहां नहीं था कालेज के छात्र परीक्षा दे रहे थे वहां के एस0एस0पी0 सुबह आये उस कालेज का मैं अध्यक्ष भी हूं चौधरी चरण सिंह पी0जी0 कालेज का मैं अध्यक्ष भी हूं केवल यह कि यह तो समाजवादी पार्टी के छात्र गुण्डे हैं पहले तो गेट बन्द था वहां पर प्रधानाचार्य थे उनसे भी परमीशन लेना चाहिए, डायरेक्टर हैं उनसे भी परमीशन लेना चाहिए था लेकिन एस0एस0पी0 सियाराम शरण आदित्य, एडीशनल एस0पी0 राम पाल गौतम पहले तो उन्होंने गेट पर गोलियां चलाई तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई उसके बाद दीवार कूदकर छात्रों पर सीधे-सीधे गोलियां चलाई। किसी का आदेश नहीं था कि मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं था जबकि वहां के एस0डी0एम0 हमेशा मौके पर रहते हैं वह थाने में बैठे थे लेकिन सीधे-सीधे वहां जाकर छात्रों पर सीधे फायरिंग की गयी। फायरिंग में मुकेश मौके पर ही मारा गया, सुनील को गोली लगी वह अस्पताल में किसी तरह बच गया वह अस्पताल में महीनों जिन्दगी और मौत के बीच जूझता रहा। उसके बाद प्रमुख सचिव गृह को भी दरखास्त दी गयी, डी0जी0पी0 को दरखास्त दी गयी, थाने में भी दरखास्त दी गयी, एस0एस0पी0 को भी दी गयी इसके बावजूद भी यह एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई। उसके बाद सी0जे0एम0 के यहां जब एफ0आई0आर0 हुई आदेश भी हो गया है एफ0आई0आर0 का लेकिन दो-तीन दिन इधर से उधर टालने के अलावा उस एफ0आई0आर0 के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एस0एस0पी0 सियाराम शरण आदित्य, एडीशनल एस0पी0 राम पाल गौमत की आज तक गिरफ्मारी नहीं हुई है। यह हमारी मांग है कि छात्रों का जब कोई दोष नहीं था परीक्षा दे रहे थे उन पर सीधे-सीधे गोलियां चलायी गयी हैं। तो मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय और गम्भीर कोई मामला नहीं हो सकता है। इन अधिकारियों को जिन्होंने निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलवाई जिसमें छात्र मारा गया है, तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें धमकियां मिल रही हैं जब तक सिया राम शरण आदित्य एस0एस0पी0 रहेंगे तो कौन दरोगा उनकी गिरफ्तारी करेगा ? वहां पर छात्रों को धमकियां मिलने लगी हैं। कालेज में क्या छात्र गोलियां चलाने आये थे परीक्षा के समय। तो मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इनको गिरफ्तार किया जाय, निलम्बित किया जाय ऐसे अधिकारियों को और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। यही हमारी मांग है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सबको कहां बुलाया जायेगा ग्राह्यता पर। जिनकी नोटिस पर हस्ताक्षर हुआ है, मान लीजिए तिवारी जी की नोटिस पर 20 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है। तो क्या सबको बुलाया जायेगा। उदय राज जी, शिवपाल यादव जी ने खुद इस पर वहां का मामला है, विस्तार से बतला दिया। अब इस पर बोलने का शौक हो तो उससे कुछ नहीं। अब शिवपाल जी उस पर बोल चुके हैं। सोबरन सिंह जी, अभी शिवपाल जी ने और चौधरी साहब ने उस पर बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है।

अब उससे हटके कोई नई बात तो आप बतायेंगे नहीं। शिवपाल जी ने जिस तरह से विस्तृत तौर से बता दिया अब सोबरन सिंह जी उसमें क्या जोड़ पायेंगे। अब उससे ज्यादा करेंगे तो हो सकता है बात कहीं दूसरी तरह की कर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप बोलिये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक इस मामले का जिसका माननीय शिवपाल सिंह यादव और चौधरी साहब ने जिक्र किया इस सदन में इस प्रकरण को इसके पहले भी उठाया जा चुका है। मान्यवर, जो नियम-56 की व्यवस्था है, उसके अनुसार यह भी उसमें प्रतिबन्धित किया गया है कि अगर यह विषय उसी सत्र के दौरान उठाया जा चुका है तो फिर उसमें चर्चा नहीं की जा सकती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर) सुन तो लीजिये, वह भी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब बैठ जायें। बात तो आने दीजिये पूरी। क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भूमिका में आपने भी पुरानी बातों को दोहराया तो मैं भी उन बातों को कह सकता हूं। हमने तो कोई आपत्ति नहीं की। मान्यवर, इसी तरह से इस पर काफी सवाल उठे थे। मान्यवर, जहां तक न्यायालय के आदेश का सवाल है माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। इस प्रार्थना-पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-14/08/राम गोपाल बनाम सिया राम शरण आदित्य आदि दिनांक 1-3-08 में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश पारित किया गया। मान्यवर, माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर सैफई में श्री राम गोपाल के आवेदन-पत्र पर थाना सैफई में मुकदमा अपराध संख्या-1बी/08 धारा 147/148/149/307/302/504, 506, 342 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया। न्यायालय के निर्देशानुसार विवेचना थाना सैफई से न कराकर निरीक्षक प्रभारी थाना जसवंत नगर से कराई गई। मान्यवर, वाद विवेचना विवेचक श्री सरजीत सिंह निरीक्षक प्रभारी जसवंत नगर से कराई गई। मान्यवर, वाद विवेचना विवेचक श्री सरजीत सिंह निरीक्षक थाना प्रभारी जसवंत नगर इटावा द्वारा गुणदोष के आधार पर की गई विवेचना से उक्त अभियोग में वादी श्री राम गोपाल उपर्युक्त द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित सियाराम शरण आदित्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म होना नहीं पाया गया। विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 22308 मय जुर्म खारजा रिपोर्ट प्रेषित की गई उस जुर्म खारजा रिपोर्ट को दिनांक 3-3-08 को जिलाधिकारी इटावा द्वारा साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए स्वीकार की जा चुकी है। मान्यवर, यह स्थिति है नियम किसी तरह का वहां और इस तरह का कानून व्यवस्था की वहां कोई समस्या नहीं है। यह नियम-56 के अन्तर्गत आती नहीं है। इसलिय मैं आपसे चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इस तरह से कानून को समझाया जाएगा और इस तरह से अगर सी0आर0पी0सी0 की व्याख्या की जाएगी और अदालतों के आदेशों का बयान इस तरह से अगर सदन में किया जाएगा तो पूरी दुनिया से कानून खत्म हो जाएगा। मान्यवर, अदालत ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने के आदेश दिये और उस आदेश के तहत कल एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। मान्यवर, इंसाफ फक्त इन्साफ की हद तक नहीं बल्कि इंसाफ होते हुए भी नजर आना चाहिए। अगर इंसाफ होता नजर नहीं आएगा तो जैसे एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, मान्यवर, समन्दर के किनारे दरिया के किनारे, नदियों के किनारे वह अक्सर शिकारियों से डरकर अपनी चोंच अपना मुंह रेते के अन्दर छुपा लेता है और यह सोचता है कि मैं सुरक्षित हो गया। महफूज हो गया, लेकिन शिकारी की नजर उस पर होती है। अगर सरकार इस तरह से काम करेगी अभी एक माननीय सदस्या ने सेविन्थ क्रिमिनल ला ऐक्ट की बात रखी, मासूम बच्चों पर नाबालिगों पर आपने सेविन्थ क्रिमिनल ला ऐक्ट के मुकदमें कायम किए। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि अगर यह सही है तो इस सही को आप जारी रखिये और इसको तेज करिए और नाइंसफियां ज्यादा करिए, खूब मुकदमें कायम करिए, खूब गोलियां चलवाइए, खूब लोगों को मरवाइए, अगर यह सही है तो और उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहिये, संख्या बल या किसी अपराधी का पार्टी में आने का यह मतलब नहीं हो गया कि जनता में आपकी बहुत इज्जत हो गई, आपका सम्मान हो गया। पूरे प्रदेश में एक संदेश गया कि एक डिग्री कालेज के दरवाजे बन्द हैं एक मकान के दरवाजे बन्द हैं, एक इमारत के दरवाजे बन्द हैं। उसकी दीवारों को कूदकर एक वरिष्ठ अधिकारी जाकर एक कांस्टेबिल की रायफल लेकर गोली मार दे, यह ऐसे कृत्य हैं यही सही है मान्यवर, कि यहां पर अखबारों को चैनलों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका तजकिरा आता है कल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने आपके सामने यही समाचार-पत्र रखा था। उसकी एक अहमियत है उससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। नेता सदन ने भी अभी मा0 नेता विरोधी दल के सवालात का जवाब देते हुए उदाहरण दिया था कि यह हमारे लोकतंत्र का, हमारी जम्हूरियत का मजबूत पाया है अगर यह पाया गिर जाएगा तो हमारे मुल्क की जम्हूरियत गिर जाएगी। पूरे समाचार पत्रों में यह सच्चाई आई है मान्यवर...

हाजी याकूब-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप बैठ जाइए।

हाजी याकूब-

मान्यवर, 2005 में इदरीस नाम के व्यक्ति को थाना भावनपुर, मेरठ में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

श्री अध्यक्ष-

बैठें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

हाजी याकूब-

उसको थर्ड डिग्री से टैगेल किया गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। जबकि इदरीस पर कोई अपराध का मुकदमा नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

हाजी याकूब-

2005 में चार मुस्लिम समाज के बच्चों को एक चौकीदार ने नोएडा जिले में थाने में दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। (शोर)

हाजी याकूब-

उसको एक इंस्पेक्टर ने इतना प्रताड़ित किया कि उन बच्चों की मौत थाने में ही हो गई और इन बच्चों को जला दिया गया। जबकि मुस्लिम समाज में बच्चों को जलाया नहीं जाता है दफनाया जाता है पूर्व सरकार ने जो ज्यादतियां की हैं उसने अपने कार्यकाल में क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष-

याकूब साहब आप बैठ जायें। आजम खां जी, आप इसी घटना के क्रम में बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन है, आप बैठें तो कह दूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं बात कह रहा हूं, आप बैठें। मैं मा0 अध्यक्ष जी की आज्ञा से खड़ा हुआ हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, कर दें। उसके बाद जो आपका आदेश हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री जी का निवेदन है, कह दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर आपने सुना और मा0 दो वरिष्ठ सदस्यों को मा0 चौधरी साहब और मा0 शिवपाल यादव जी को। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को तो प्रिविलेज है, वह किसी भी इशु पर खड़े हो सकते हैं और नेता सदन को प्रविलेज है आप उनको उसमें अनुमति दे सकते हैं। मान्यवर, इस नोटिस में मा0 श्री आजम खां जी का न तो नाम है और न हस्ताक्षर है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

और दो वरिष्ठ सदस्य और वह भी काबिल सदस्य हैं जिन्होंने इस बात को उठाया था। अब उनकी बात के आने के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष को प्रिविलेज के आधार पर दूसरे को प्रिविलेज दिया जाना मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं होगा, इसमें सारी बात आ गयी। आपने घटना का विवरण दिया, मैंने उसका भी जिक्र किया। कानून ने अपना काम किया, जिस तरह से न्यायालय ने आदेश किया, एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी और उसके बाद विवेचनाधिकारी पर कोई दबाव तो सरकार डाल नहीं सकती। उसने विवेचना किया और विवेचना का जो अन्जाम था, उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। जहां तक मा0 आजम खां का सवाल है कि 7 क्रिमिनल ऐक्ट, मान्यवर, कभी मेरे खिलाफ 107/17 का भी एफ0आई0आर0 नहीं था, एक मामूली सी घटना 1990 में मैं विधान परिषद् का सदस्य भी था और उसके बाद भी उस समय 1990 में मा0 आजम खां भी मंत्री थे, मैं भी सत्तादल का विधायक था, उसके बाद भी मेरे खिलाफ 7 क्रिमिनल ऐक्ट लागू किया गया। मान्यवर, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि लागू नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, 107/17 की भी कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं थी, उसके बाद भी मेरे खिलाफ यह लगाया गया तो यह कहना कि इस तरह का काम हो रहा है, मान्यवर, इस सरकार में कानून का राज चल रहा है और कानून को सरकार द्वारा किसी तरह दबाया नहीं जा रहा है और न उस पर कोई निर्देश देने का काम किया जा रहा है। जो कानूनन कार्यवाही है, न्यायालय पर भी मान्यवर या किसी अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई दबाव नहीं है। सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हैं। विवेचक के ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है। विवेचनाधिकारी ने जो उचित समझा वह करने का काम किया, उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होगी, चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय के आदेश से हुआ है, न्यायालय में जाने का अधिकार है। मान्यवर, न्यायालय के संज्ञान में जब कोई बात आ गयी तो मैं चाहूंगा कि इस पर अब कोई चर्चा न कराकर इसको अग्राह्य करने की कृपा करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां साहब, न्यायालय के आदेश से 156/3 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस बात के लिए संसदीय कार्य मंत्री को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्थिति रखी है।

श्री अध्यक्ष-

हमारी बात भी सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उन्होंने जो स्थिति रखी है, न्याय की, न्यायालय की, अपनी सरकार के काम काज की, हम इसके लिए उन्हें मुबारकवाद देते हैं, सिर्फ यह कह कर कि 'विनाश काले, विपरीत बुद्धे' और इसी के साथ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर मा0 आजम खां ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैने श्री अम्बिका चौधरी व श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 नेता सदन को एक वक्तव्य देना है, मैं चाहूंगा कि इजाजत देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 विधायक जी बैठ जाएं, अग्रवाल साहब आप बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे कतिपय जातियों के नागरिकों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरा, गोड़, माझी व मछुआ जातियों के नागरिकों को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को अनुमन्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन जातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। मेरी सरकार का यह सुनिश्चित मत है कि इन सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यन्त निम्न स्तर की है तथा यह जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित होने की लगभग सभी शर्तें पूरी करती हैं। मेरी सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास करने हेतु कृतसंकल्प है। केन्द्र को विधिवत् प्रक्रिया से इन जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजना इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से इस विषय में अपेक्षित संवाद स्थापित करते हुए अनुश्रवण भी किया जाएगा जिससे कि यह कार्यवाही शीघ्र पूरी हो सके। इस प्रस्ताव के साथ वर्तमान अनुसूचित जातियों को अनुमन्य आरक्षण के कोटे को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से तथा इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित होने का पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से यह भी प्रस्तावित किया गया है कि उक्त समस्त जातियों की संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति को अनुमन्य वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत में भी वृद्धि की जाये तथा इस हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाये। अनुसूचित जातियों के वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि के साथ सम्बन्धित पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने से ही उनको अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा एवं वर्तमान अनुसूचित जातियों

को इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अन्तर्गत यह स्थापित किया जा चुका है कि किसी भी जाति अथवा उप जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है तथा संसद द्वारा इस विषय में कानून बनाया जा सकता है। तद्नुसार राज्य सरकार का अभिमत एवं प्रस्ताव प्रेषित करते हुए मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि इस विषय में शीघ्र कार्यवाही की जाये क्योंकि यह कार्यवाही राज्य सरकार अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। इसे केन्द्र सरकार को करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अधिसूचना के माध्यम से इन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाते हुए अनुसूचित जाति की सूची में घोषित कर दिया गया था। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार को यह भलीभांति मालूम था कि ऐसा करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता है। इसी कारणवश संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के विरुद्ध होने की वजह से उक्त आदेश अवैधानिक एवं शून्य है तथा इसी कारणवश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-76922/2005 डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य दिनांक 20-12-2005 को उक्त अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। इन जातियों को अवैधानिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों से निकालकर अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करके पिछली सरकार ने इन जातियों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के इस अवैधानिक कृत्य से यह जातियां अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों से बाहर हो गयी थीं परन्तु अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित नहीं हो सकीं थी। क्योंकि ऐसा सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार यह सभी जातियां सामान्य श्रेणी में आ गयीं पिछली सरकार में जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों को अनुमन्य लाभों से समाजवादी पार्टी की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत वंचित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा इन समस्त जातियों के हितों के प्रतिकूल अवैधानिक रूप से यह कार्य किया गया है। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन सभी जातियों को मूल रूप से अन्य पिछड़े वर्गों में पुनः स्थापित करने हेतु समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना को निरस्त कर दिया जिससे कि इन जातियों को जब तक यह जातियां अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं हो जाती हैं तब तक अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण का लाभ मिलता रहे। अन्यथा इन जातियों को समाजवादी पार्टी की सरकार की अवैधानिक कार्य के कारण किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन मेरी सरकार द्वारा इसके विपरीत सार्थक रूप से एवं विधि के अनुकूल इन्हें अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को आज दिनांक 4 मार्च, 2008 को भेज दिया गया जिसका कि भविष्य में अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार द्वारा इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय। यह जानकारी मैंने आपके माध्यम से सदन को दी है, धन्यवाद।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

* श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नहर है जिसका नाम पूर्वी जमुना नहर है। यह नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद तक तकरीबन एक सौ चालीस किलोमीटर लम्बी नहर है और हिन्दुस्तान में सबसे प्राचीन नहरों में है। यह 1780 में नहर बनी थी और इसी वजह से जो खुशहाली ऐरिया में थी, उसमें बड़ा योगदान इन नहर का रहा। मान्यवर, पिछले 12, 15 सालों से यहां पानी आना बन्द हो गया है क्योंकि जमुना में पानी कम हुआ और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जिससे यह पानी और बिजली को यहां से जाना चाहिए था वाया हरियाणा उसकी वजह से पानी खत्म हो गया और दस बारह साल से यह सूखी नहर हो गयी है। मान्यवर, यहां यह तय किया गया कि देवबन्द चैनल बनाया जायेगा। मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित कर दें फिर मैं अपनी बात कहूं।

(अनेक सदस्य आपस में बातचीत करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग आपस में बातचीत न करें और शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर बैठें।

श्री कौकब हमीद-

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह नहर जो है 1780 की नहर है और जो खुशहाली इस एरिया में आई है उसकी बहुत बड़ी वजह यह पूर्वी यमुना नहर रही है। मान्यवर, यह चार-पांच जिलों में निकलती हुई दिल्ली आती है, मगर 10-12 साल से इस नहर में पानी आना बिल्कुल बन्द हो गया है। क्योंकि यमुना के अन्दर पानी नहीं रहा, इस वजह से यहां टेल तो टेल, हेड में पानी आना मान्यवर, बंद हो गया तो पिछली सरकारों ने मान्यवर, जब हम लोग सरकार में थे तो यह बात तय हुई कि एक देवबन्द चैनल बनाया जायेगा जिसकी लम्बाई 55 कि0मी0 होगी और इस चैनल के जरिये यमुना नहर में पानी आयेगा और इससे सिंचाई करने की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जायेगी। मान्यवर, यह 55 कि0मी0 यानी दोनों पटरियां मिलाकर 110 कि0मी0 होती है, इन 110 कि0मी0 में से तकरीबन 18 कि0मी0 अभी भी बाकी है और यह तय हो गया था, यह पिछले आठ महीने पहले यह नहर पूरी हो जायेगी। इसके अन्दर अभी दो रेलवे ब्रिज मौजूद है जो बनने हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को रेल मंत्रालय से मिलकर बात करनी पड़ेगी और उन्हें जल्द से जल्द आरम्भ करवाना पड़ेगा। मान्यवर, यह 18 कि0मी0 पूर्ण करना इसलिए जरूरी है कि अगर देवबन्द चैनल न बना तो यह जो सूखे की हालत है यह और तीव्र हो जायेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हरा-भरा इलाका चार जिलों का है, यह सूखे की गिरफ्त में आ जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी गुजारिश है मान्यवर, मेरी जानकारी यह भी है कि सारा पैसा जो था जो उसका स्टीमेट बना था वह सारा पैसा सरकार ने दे भी दिया है मगर डिपार्टमेन्ट ने और नया स्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है और उसे एक्शप्लेशन के नाम पर और फण्ड की जरूरत है जो भी जरूरत हो, चाहे वह पैसे की जरूरत हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेन्ट से मिलकर बात करने की जरूरत हो, चाहे यह 18 कि0मी0 बकाया जो पटरियां हैं इन्हें पूरा करने की बात हो, मगर यह अत्यन्त जरूरी है कि यह चैनल कम्प्लीट हो और पूर्वी यमुना नहर में पानी आने लगे। 140 कि0मी0 लम्बी यह नहर उसके अन्दर चार जिलों के लोग इससे सिंचाई करते हैं, यह बिल्कुल नहीं हो पा रही है, बल्कि सूखे की स्थिति में है यह चार जिले मान्यवर। धन्यवाद।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, नियम-56 की इस नोटिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाईफ लाईन, वहां के किसानों की लाईफ लाईन, पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र के आज किसान उस स्थिति में हैं कि वहां पर खेती नाम की केवल चीज बची है। मान्यवर, सदन में अनेकों बार बुन्देलखण्ड की चर्चा पर केवल लम्बी-लम्बी बहस होती है लेकिन मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों और माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अधिकतर लोग डार्कजोन के अन्तर्गत हैं, पिछले 15 साल से पानी नहीं है, केवल अधिकारियों की हठ धर्मिता से। क्योंकि उसमें 55 कि0मी0 नहर की दोनों पटरियां 55-55 कि0मी0 यानी 110 कि0मी0 लम्बी परियोजना है मिट्टी का काम होने के कारण इस पर गोलमाल और कामधेनु की तरह काम कर रहे हैं न कि इसको किसानों के लिए चिन्ता की तरह काम कर रहे हैं। यह केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से मिलने का काम नहीं यहां के टेण्डर और रूल व्यवस्था का काम कराने का काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, दो बार रिवाइज्ड इस्टीमेट बना दिये गये हैं। पिछली सरकार के समय से यह चल रहा है पैसे की कमी नहीं की जा रही है। लेकिन अधिकारियों की सोच इसके लिये अलग है। अगर यह कार्य पूर्ण हो जायेगा तो मिट्टी के काम में जो घोटाला होता है उस पर रोक लग जायेगी। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के किसानों को पानी मिल सके, गंगा का जल मिल सके यह महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, वह गंगा का पानी हम छोटी बोतल में लेते हैं और पूजा के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। उसको पूजा के स्थान पर रखा जाता है। किसानों को गंगा जल देने के लिये यह देवबन्द चैनल का काम आप करने जा रहे हैं। अधिकारियों ने आंख मूंद रखी है केवल खाने पीने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम इस पर चर्चा की मांग इस नाते भी करते हैं कि इसकी जांच करायी जाये और सेतु निर्माण का काम कराया जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यमुना नदी में गत वर्षों में पानी की कमी के कारण जनपद-सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत की नहरों में पानी की कमी रही है। इन जनपदों में पानी की उपलब्धता हेतु ऊपरी गंगा नहर के कि0मी0 34.630 दायें किनारे से समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। समानान्तर देवबन्द शाखा को टिहरी जलाशय से प्राप्त होने वाले 1100 क्यूसेक पानी को शीर्ष पर लिया जायेगा तथा पूर्वी यमुना नहर के कि0मी0 89.48 (कुआखेड़ा) के पास 1000 क्यूसेक पानी दिया जाना प्रस्तावित है। इस पानी के पूर्वी यमुना नहर के जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत तथा आंशिक रूप से जनपद गाजियाबाद भी लाभान्वित होंगे। इस शाखा की लम्बाई 55.006 कि0मी0 है। समान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल 508 मीटर लम्बाई में अभी चार गैप रह गये हैं, जिनकी भूमि लेने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 02 रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे माह जून, 2008 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्य कार्य भी माह जून, 2008 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित हैं। यह योजना व्यय वित्त समिति द्वारा रु0 286.81 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गयी है जिस पर माह फरवरी, 2008 तक रु0 241.13 करोड़ के आवंटन के पश्चात् शतप्रतिशत उपयोग किया जा चुका है।

मान्यवर, इस तरह से इसमें जून तक इसका पूरा होना प्रस्तावित है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह ग्राह्य योग्य नहीं है। मान्यवर, आज ही सिंचाई विभाग का बजट आ रहा है माननीय कौकब हमीद साहब विद्वान साथी हैं, आप बजाय हमसे स्पष्टीकरण लेने के सिंचाई मंत्री से उस समय स्पष्टीकरण ले लिया जायेगा। इसलिए यह ग्राह्य नहीं है क्योंकि आज ही इस पर चर्चा होना सम्भावित है। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसलिए ग्राह्य होने योग्य नहीं है कि आज ही इस पर चर्चा सिंचाई विभाग के बजट पर की जा सकती है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो चर्चा होती है बजट के दौरान उसमें बहुत सी बातें होती हैं सभी स्पेसिफिक बातें उसमें आ जायें उनका जवाब आ जाये यह जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस चैनल से आप पानी किस दिन दे देंगे। यह कब तक बनेगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी इसमें चार गेप रह गये हैं दूसरे रेलवे ओवर ब्रिज के पूरे होने की बात है उसके कारण यह समस्या है। जैसे ही यह पूर्ण हो जायेगा, सब मिलाकर यह अनुमानित है प्रस्तावित है कि जून 2008 तक पूर्ण करने की बात है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जून, 2008 तक पानी मिल जाय। जो सरकार ने कहा है मैं उसी को कह रहा हूं। मान्यवर, 2 महीने, एक महीने, 3 महीने कब तक कर देंगे ?

(सरकार द्वारा समुचित आश्वासन न मिलने के विरोधस्वरूप श्री कौकब हमीद खां ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री कौकब हमीद तथा डा0 अजय तोमर व संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने 311 में फिरोजाबाद नगर के अपराध से सम्बन्धित नोटिस दिया था जिसे आपने नियम-56 में सुनने की कृपा की है। मान्यवर, अपराध की स्थिति तो बड़े शहरों में सभी जगह समान है हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण यह हो रहे हैं लेकिन फिरोजाबाद का एक विशेष कारण से हमने उठाया। मान्यवर, यह एक सुहाग नगरी मानी जाती है ग्लास उद्योग यहां बहुत बड़ा है और नगरपालिका है। महानगरों में तो अपराध की स्थिति बहुत बढ़ी हुई है, बड़ा होने के कारण यह उदाहरण दिया जाता है कारण बताया जाता है लेकिन यह नगरपालिका है। यहां आये दिन हत्या, लूट इतने बड़ी मात्रा में हो रहे हैं कि पूरे नगर के अन्दर एक दहशत आतंक का वातावरण पैदा हुआ है। यहां के व्यापारी हमसे मिलकर के यह कहे कि जिस तरह से दहशत है और कुछ विशेष अपराधी जिन पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है वह इस तरह से हत्या करके घूम रहे हैं कि हम लोगों का अब वहां व्यापार करना कठिन हो रहा है अर्थात् वह जाने की सोचने लगे हैं। इस बात का प्रमाण इससे भी होता है कि 18 फरवरी को आई0जी0 जोन श्री एस0एन0 सिंह इसी अपराध की भयानक स्थिति को देखते हुए कैम्प किये और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि लगता है कि यहां के पुलिस का खून सूख गया है। यानि वह भी इससे क्षुब्ध हैं कि वहां का प्रशासन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल हैं। मान्यवर, केवल जनवरी माह में 11 हत्या की घटनायें हुई और फरवरी के 14 दिन में 7 हत्या और 3 लूट हुई और इससे बड़ी बात मान्यवर, जिस दुर्गेश के ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है वह 14 तारीख को ओ0पी0 ज्वेलर्स के यहां लूट करता है और लूट करने के बाद एक तमाशबीन ने केवल देख लिया उसको यू ही गोली मार दिया जैसे बच्चे खिलवाड़ में मारते हैं और इससे भी गम्भीर मामला कि अगले ही दिन सुबह एक फन एचआर ट्रेडर्स है उसके यहां रंगदारी वसूलने वह पहुंच गया। यह व्यक्त करता है कि जनता के मन के ऊपर इन सब चीजों को कितना आतंक है। कोई घटना हो जाये और परिचय न जाना जाय कि किसने मारा है तो उसका उतना आतंक नहीं होता है लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर पुलिस एक लाख रुपये का इनाम घोषित किये हुए है वह घटना कर रहा है और घटना करने के बाद अगले दिन रंगदारी वसूल कर रहा है, घूम रहा है यह एक आतंक पैदा करता है दहशत भी पैदा करता है और प्रशासन वहां का बिल्कुल निष्क्रिय है, निष्फल है निष्प्रभावी है यह भी प्रमाणित करता है और यह बयान आई0जी0 जोन का कि लगता है यहां पर पुलिस का खून

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूख गया है यह वहां के जनता की दहशत को प्रमाणित करता है उसको सर्टीफाई करता है। इस समय जो स्थिति है यहां उद्योग बुलाने की स्थिति है। हमारी चिन्ता इसलिए है कि फिरोजाबाद जैसे जो उद्योग नगरी है, सुरक्षा की व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए लेकिन जो उद्योग नगरी है, विश्व प्रसिद्ध उद्योग हैं वहां से अगर पलायन शुरू हो गया इन सब कारणों से मान्यवर, एक नई भदोही में शुरू हुई, बनारस में शुरू हुई तो महानगरों में तो यह घटनाएं होती हैं लेकिन फिरोजाबाद में आप इससे समझे कि एक महीने में 11 हत्याएं लूट की जनवरी में और फरवरी में 7 हत्या और 3 लूट अर्थात दूसरे और तीसरे दिन हत्या और लूट हो रही हो एक नगरपालिका क्षेत्र में और एक दहशत का व्यक्ति करता है और आई0जी0 जोन भी वहां के प्रशासन के बारे में असंतोष व्यक्त करता है। इसलिए इस अविलम्बनीय विषय को मैंने आपके सामने रखा। लोगों को सुरक्षा, भरोसा दिलाने के लिये। उद्योग को संरक्षण दिलाने के लिये इस पर मान्यवर, आप चर्चा करायें, यह मेरा आग्रह है।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसमें 10 प्रतिशत विकास दर की अपेक्षा की। मान्यवर, विकास तब संभव है जब अमन-चैन कायम हो। मान्यवर, फिरोजाबाद उन जनपदों में आता है, जहां का माल एक्सपोर्ट होता है और जब लोग आगरा में ताजमहल देखने आते हैं तो वह फिरोजाबाद भी जाते हैं मार्केटिंग करने के लिये। लेकिन जब यह पता चलता है कि यहां पर लूट, हत्या की वारदातें रोज हो रही हैं और उसमें कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस के उच्चाधिकारी अपना हाथ पीट डाल रहे हैं कि नीचे यह क्या हो रहा है। मान्यवर, अपराध तो होते हैं और होते रहेंगे लेकिन दुख तब होता है जब अपराधियों का हौसला बढ़ता रहे, अपराधियों के साथ सख्ती से पेश न आया जाय। अपराधियों के खिलाफ जिस सख्ती से कार्यवाही की अपेक्षा होती है। वह कार्यवाही न की जाय और उनको राजनैतिक संरक्षण दिया जाय। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में स्थिति के सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इस पर्टीकुलर मसले में जब हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उन हत्याओं और लूट की तरफ जो फिरोजाबाद में जनवरी महीने में घटित हुयी। हमने इसमें अपनी सूचना के साथ लगाया है, 4 जनवरी को हत्या हुयी, टुण्डला स्टेशन पर विश्राम गृह में एक महिला की हत्या हुयी। 7 जनवरी को प्रेम प्रसंगों के चक्कर में एक दम्पत्ति की हत्या हुयी। 11 जनवरी को शेखपुरा में विवाहिता की हत्या हुयी। 14 जनवरी को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुयी। 20 जनवरी को एक हत्या हुयी। 24 जनवरी को एक हत्या हुयी और 27 जनवरी को लाइन पार में पुलिस के मुखबिर की हत्या हुयी, 28 जनवरी को एक हत्या हुयी और 31 जनवरी को एक हुयी। मान्यवर, इतनी हत्याओं की पूरी की पूरी श्रृंखला है और उसके बाद मान्यवर, फरवरी के महीने में 14 दिन में 7 हत्यायें और 3 लूट की वारदातें हुयी हैं और जब मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर एतराज किया और इसके लिये धरना, प्रदर्शन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन किया तो हमारे ही एक पार्षद श्री श्याम गुप्ता जब इन घटनाओं के विरोध में धरने पर बैठे तो पुलिस ने उनकी निर्ममता से पिटाई करके उनको दफा 25 में निरुद्ध कर दिया। यह मान्यवर, स्थानीय पुलिस का व्यवहार है। मान्यवर, हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश सिंह जी कह चुके हैं कि आई0जी0 ने जिस प्रकार से वहां पर कमेन्ट किया। आप अखबारों का संज्ञान नहीं लेते, फिर भी इस घटना की हमने अखबारों की कटिंग लगाकर आपके समक्ष प्रस्तुत की है। हम विशेष रूप से इस पर बल देना चाहते हैं कि हर हालत में जो इन घटनाओं के लिये फिरोजाबाद में दोषी हैं, उनको सींखचों के पीछे होना चाहिये। 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट उन लोगों के खिलाफ लगाया जाना चाहिये, उन लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्यवाही होनी चाहिये जो इसके करने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में हो। मैं इस बात की मांग करता हूं कि वहां अमन-चैन कायम होना चाहिये ताकि विदेशी पर्यटकों में भय न व्याप्त हो और व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा का माहौल दिया जाना चाहिये। आपने मुझे इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद देते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये यह सरकार पूरी तरह से सजग है। मान्यवर, फिरोजाबाद में माह जनवरी में 11 हत्यायें तथा फरवरी में 9 घटनायें घटित हुयी हैं। इनमें से नगर क्षेत्र में जनवरी में 3 और फरवरी में 2 हत्यायें सम्मिलित हैं। अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कार्य करते हुये माह जनवरी-फरवरी में फिरोजाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट के 12 मुकदमें और एन0एस0ए0 के 8 मुकदमें पंजीकृत किये गये। धारा 25 आर्म्स ऐक्ट में 82 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा विभिन्न आपराधिक मुकदमों में वांछित 1023 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नगर बाजार क्षेत्र में स्थायी पिकेट ड्यूटी लगायी गयी है तथा कोबरा मोबाइल के अन्तर्गत 34 मोटर साइकिलों पर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा 12-12 घण्टे ड्यूटी पर लगातार गस्त की जा रही है। अर्थात् एक समय में 17 मोटर साइकिलों से ड्यूटी की जा रही है। दुर्गेश बाल्मीकि नामक अपराधी द्वारा विगत 2-3 माह में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा उस पर 20 हजार ईनाम भी है। उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस कार्य हेतु एस0टी0एफ0 को भी लगाया गया है। मान्यवर, इस प्रकार से हम पूरी तरह से सजग हैं। केवल फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के लिए हम सजग हैं, सरकार काम कर रही है। मान्यवर, यह नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्य करने योग्य नहीं है अभी इस विभाग का बजट भी आयेगा उस पर भी चर्चा का अवसर मिलेगा इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री ओम प्रकाश जी को, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री राम बिशुन आजाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम-56 के अन्तर्गत एक जटिल समस्या की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रकृति के असन्तुलन के कारण दैवीय आपदा, बाढ़, सूखा एवं अन्य दैवीय आपदाएं हो रही हैं। मान्यवर, पेड़ों की कटान से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और यही नहीं दुनिया में आज 11 प्रतिशत पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिसमें हमारा देश और प्रदेश भी शामिल है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गिद्ध प्रजाति के विलुप्त होने से प्रदेश एवं देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके विलुप्त होने से पर्यावरण को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो चुका है। सदन के अन्दर यह चिन्ता का विषय है कि कुछ प्रजातियां क्यों विलुप्त हो रही हैं और हमें इस पर चिन्तन करना चाहिए। यह चिन्ता का विषय है कि वर्ष 1992 के बाद से भारतीय उप महाद्वीप में पायी जाने वाली आठ प्रजातियों में सबसे अधिक सफेद पीठ वाले, पतली चोंच एवं लम्बी चोंच वाले 95 प्रतिशत गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश कुल मिलाकर 8 करोड़ 50 लाख गिद्ध प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है यहां पर 50 से 60 करोड़ पशु और मवेशी हैं, जिसमें चार पांच करोड़ पशु और मवेशी हर साल मरते हैं दूसरी ओर भारत मांसभक्षी देश न होने के कारण मवेशियों व पशुओं के शवों को शहरों और गांवों के बाहर फेंक दिया जाता है जहां चमड़े का काम करने वाले उनके ऊपर से चमड़ा उतार लेते हैं तब शुरू होती है प्रकृति की एक अनमोल प्रक्रिया। हजारों गिद्ध एक मृत जानवर को 20 मिनट में साफ कर देते हैं। प्रकृति ने यह निश्चित किया था हमारे समाज को अवैतनिक स्वीपर दिया था कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको साफ करने के लिए गिद्ध प्रजाति को जन्म दिया था। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का काम गिद्ध प्रजाति के लोग करते हैं। अभी बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और जियालॉजिकल सोसायटी आफ लन्दन और बर्ड लाइफ पार्टनर के वैज्ञानिकों ने गिद्ध प्रजाति के विलुप्त होने पर शोध किया और शोध में यह आया कि गिद्धों की संख्या में कमी का कारण उनके द्वारा खाये जाने वाले मृत पालतू जानवरों का हांड़मांस है। दरअसल बीमारी के समय डाईक्लोफेनिक नाम का दवा आम तौर पर दर्द व बुखार वाले मवेशियों को दी जाती है जो जानवरों के ऊतकों में समा जाती है और मरने के बाद जब गिद्ध मवेशियों को अपना भोजन बनाता है तो यह डाईक्लोफेनिक दवा गिद्धों के गुर्दों में जाकर घातक परिणाम दिखाती है और गिद्धों में गर्दन झुकाकर सोने वाली बीमारी लग जाती है और बाद में यही बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है और दवा खाने के बाद जानवर मर जाते हैं जब गिद्ध उस जानवर का मांस खाता है तो उस दवा का असर उस पर पड़ता है और उसके प्रभाव से गिद्ध के गुर्दे खराब होने से वे मर जाते हैं, जिससे दिनों-दिन उनकी संख्या घटती जा रही है। गिद्ध प्रजाति के कम हो जाने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। जानवर मर जाते हैं उनकी लाश सड़ती रहती है और विषाणु व कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वातावरण में ये विषाणु फैल कर गम्भीर बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। गिद्ध को आप प्रकृति का अवैतनिक सफाई कर्मी कह सकते हैं, गिद्ध मरे हुये जानवरों को खा लेता था जिससे पर्यावरण साफ-सुथरा रहता था लेकिन अब गिद्ध के न होने से यह समस्या पैदा हो गयी है। आज आप देखते होंगे कि चाहे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कोई जानवर मर जाता है तो वह कई दिनों तक सड़ता रहता है और वह प्रदूषित हो जाता है कुत्ते उस मांस को खाते हैं और यही कुत्ते जब आदमियों और बच्चों को काटते हैं तो संक्रामक बीमारियां फैल जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इस गम्भीर समस्या पर चिन्तन करे। अभी पूरे देश में चिन्तन हुआ, शोध हुआ और लोगों ने महसूस किया। हरियाणा सरकार ने इस पर गम्भीर होकर पिंजौर नामक स्थान पर गिद्ध संरक्षण शोध केन्द्र खोला है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में यदि चिन्तन करती है पर्यावरण को सुदृढ़ करना चाहती है तो इस सरकार को चिन्तन करना होगा और पूरे समाज की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा की तर्ज पर गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र खोला जाए। मान्यवर, आज सबसे ज्यादा गम्भीर खतरा पारसियों को हो गया है। यदि कोई मर जाता है तो टावर पर मृतक की लाश रख दी जाती है और उसको खाने वाला कोई जानवर नहीं होता है, स्थिति यह है कि उसकी लाश सड़ती रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हमने चिन्ता नहीं की तो गिद्ध प्रजाति समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, आने वाले समय में गिद्ध प्रजाति ही नहीं कछुआ जो पानी को साफ करता है कुछ रुपयों के खातिर उसकी भारी पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है और कछुओं की तस्करी हो रही है। कौआ, सारस, गौरैया, चील और गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पर्यावरण के प्रति गम्भीर हैं, यह सरकार भी गम्भीर हो। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करे कि गिद्ध प्रजाति की रक्षा के लिए गिद्ध शोध व संरक्षण केन्द्र की स्थापना करें जिससे विलुप्त हो रही गिद्ध प्रजाति को संरक्षित किया जा सके।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसका कार्यवाही से क्या सम्बन्ध है, बताइये ?

श्री राम सागर अकेला-

आप सब जानते हैं कि गिद्ध, जटायु दुनिया में आये, उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गयी है। इसलिए हर वर्ष यह इस सदन में गिद्ध का मामला उठाते हैं। मान्यवर, गिद्ध, जटायु इस दुनिया में आ चुके हैं तो उनके संरक्षण की व्यवस्था आपके माध्यम से सरकार को करनी चाहिए।

वन, जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, यह सही बात है कि गिद्धों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। मा0 राम बिशुन आजाद ने नियम-56 के अन्तर्गत इस पर टिप्पणी चाही है। निश्चित रूप से इन्होंने अपनी

चर्चा में कहा है कि गिद्ध डेक्लोफेनिक सोडियम जो एक प्रकार से दर्द निवारक दवा है और इसे जब किसान अपने जानवरों को ये दवायें देता है तो उसका असर जानवरों पर पड़ता है तथा अब यह जानवर मरते और उन मरे जानवरों को ये गिद्ध खाते हैं तो उसका असर इन पर पड़ता है और वे मर जाते हैं यह वैज्ञानिकों के शोध में आया है। निश्चित रूप से इस बात की चिन्ता उत्तर प्रदेश सरकार को है और हमने सितम्बर, 2005 में एक प्रस्ताव गर्वन्मेंट आफ इण्डिया को भेजा है। प्रजनन केन्द्र प्रस्तावित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार में लम्बित है। हम निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति गम्भीर है। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यहां पर लम्बी चोंच वाले बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश को बचाईये नहीं तो खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अगर सरकार वास्तव में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। जो प्रजनन केन्द्र के प्रस्ताव की बात है तो यह तो हमारी सरकार के समय में ही गया था अब तो आप प्रजनन केन्द्र खुलवा दीजिए। यह जो सफेद चोच वाले, लम्बी चोच वाले, पतली चोच वाले गिद्ध बैठे हैं यह अपनी लम्बी चोच से पूरे प्रदेश को लूटे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर श्री राम विशुन आजाद को सुना एवं वन मंत्री को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी की रात जब सारा देश गणतन्त्र दिवस की खुशियां मना रहा था उस वक्त हमारे जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां के अन्दर ग्राम बभनावा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला मजीद भूख से तड़प-तड़प कर मर रहा था यह लोक महत्व का प्रश्न इसलिए भी है कि मैंने नियम 51 में मान्यवर, आपको और पूरे सदन को सूचना दी थी कि बभनावा, रमुआपुर, भौली, थौरा, गुरगुचपुर, खामवापुर आदि अनेक गांव जो बिसवां में हैं वहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को जाब कार्ड, राशनकार्ड, अन्त्योदय कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, ए0पी0एल0 कार्ड जानबूझकर नहीं बनाये गये हैं उनके साथ में यह दुर्व्यवहार किया गया है और उनकी अनदेखी की गयी है इससे कहीं भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। मैंने जिस घटना का उल्लेख किया है इस घटना के बाद अरुन्धती धुरू जो भोजन अधिकार समिति की उत्तर प्रदेश की सलाहकार हैं मौके पर गयी और उन्होंने बयान लिया तथा इस परिवार की सी0डी0 भी बनाई। इस परिवार में 9 बच्चे हैं यह 11 लोगों का परिवार है। यह भुखमरी का शिकार है कभी इनके यहां खाना बनता था, कभी-कभी खाना नहीं बनता था कभी नहीं बनता था जिसके कारण ही मजीद की तड़प-तड़प कर मौत हुई है अगर इनके अन्त्योदय कार्ड बने होते, जाब कार्ड बने होते तो मजदूरी तो मिल जाती और 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई यह न घटित

होती। मैं मांग करता हूं कि इस मृतक परिवार के आश्रितों को पांच लाख रुपये कम से कम अनुदान के रूप में दिये जाएं और सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मजीद पुत्र शफीक पेशे से नाई का कार्य करता था उसकी मृत्यु के समय 60 वर्ष की उम्र थी तथा कई दिनों से यह बीमार था। उसका इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चल रहा था उसके पेट में दर्द था जिसके फलस्वरूप 24 जनवरी, 08 उसने खाने से मना कर दिया था। मजीद की स्वाभाविक मौत हुई है। जांच में भूख व ठण्ड से मौत होना कारण नहीं पाया गया है। घटना के बाद उसके घर में खाने से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध पाई गई। मृतक के परिवार के पक्ष में 0.14 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन कर दिया गया है व मृतक के दो पुत्रों सफीक व नफीस को रोजगार गारन्टी के अन्तर्गत जाब कार्ड बनवाकर रोजगार दिलाया जा रहा है।

श्री महेन्द्र कुमार उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि इसमें नहीं मिला है लेकिन यह सिर्फ एक मजीद की ही बात नहीं है आज पूरे प्रदेश में हजारों मजीद हैं जो भूख से तड़प कर मर रहे हैं। बाद में उनको बी0पी0एल0 या ए0पी0एल0 के कार्ड बनते हैं तो उससे क्या होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय में ऐसी व्यवस्था करें ताकि भूख से लोग न मरने पाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य महेन्द्र कुमार जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं।

आबकारी विभाग के बजट से पूर्व लोक निर्माण विभाग का बजट लिए जाने हेतु लोक निर्माण मंत्री का श्री अध्यक्ष से अनुरोध

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, अब काफी समय हो गया है इसलिए निवेदन है कि अब बजट प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आपने पहले निवेदन किया था कि लोक निर्माण विभाग को पहले ले लिया जाय।

आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि आबकारी विभाग को बाद में ले लें क्योंकि उसका असर कुछ सवेरे दिखायी दिया था और लोग सुबह कुएं में कूद गये थे। अब अगर इसको पहले ले लिया तो फिर उसका असर दिखाई देगा और हमको और आपको दिक्कत होगी इसलिए आप उससे पहले लोक निर्माण विभाग का बजट ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप लोक निर्माण विभाग की सारी मदें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति निदेशालय वाला भी इसके साथ ही ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हां, ठीक है। माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के सारे बजट एक साथ प्रस्तुत कर दें।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,97,29,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,33,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,16,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन हेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,88,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,32,41,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,71,48,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, 13 मई, 2007 के बाद, हमारी यह सरकार बनने के बाद मैं दूसरी बार माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी की कृपा से लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, जैसा कि सर्वविदित है कि हमारी सरकार सर्वजन हिताय, सर्व जन सुखाय के आधार पर कार्य कर रही है और मान्यवर, उसी के तहत पूरे प्रदेश के हित में हमारी सरकार काम कर रही है और हमारे काम करने का जो तरीका है, हमारी सरकार के काम करने का जो अनुभव है वह पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की एक अहम भूमिका है मान्यवर, मैं दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूं :-

गांव शहर से जुड़ गये, ऐसा हुआ विकास,
सारी सुविधायें हुई अब मजदूर किसान के पास,

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, यह कारनामा अगर किसी ने करके दिखाया है तो बहन मायावती जी की सरकार ने करके दिखाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि 13 फरवरी, पिछले महीने में 13 तारीख को नेता प्रतिपक्ष ने अपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का उत्तर देते हुए कहा था कि यह अभिभाषण गप्प का पुलिन्दा है और जो मैंने महसूस किया, जबसे मैंने संभाला मैंने महसूस किया वह सदन के सामने रखना चाहता हूं।

"नेता प्रतिपक्ष का एलान हुआ है सच बोलो,
इनके घर के अन्दर झूटों की एक मण्डी है,
और घर के बाहर लिखा है सच बोलो,
नेता प्रतिपक्ष का एलान हुआ है सच बोलो।"

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मैं अपनी मूल बात पर आ जाऊं, किसको झूठ बोलना है किसको सच बोलना है कौन सच बोल रहा है इसको मान्यवर, आप अच्छी तरह से समझते हैं पूरा सदन समझता है। मान्यवर, अधिकतर माननीय सदस्य उधर भी बैठे हैं जो जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है। लेकिन अगर पर सच्चाई कहेंगे तो कैसे कहें मजबूरी है मुसीबत हो जायेगी। यह उनका अपना मामला है। मान्यवर, जैसा आप अवगत हैं और पूरा सदन भी अवगत है कि चालू वित्तीय वर्ष इसके

लिए लगभग 6 हजार करोड़ का बजट लोक निर्माण विभाग को 2007-08 में मिला था। जुलाई बजट में आया था और अगस्त में मिला था। 2007 अगस्त में मिला हमारे यहां मान्यवर, जो स्टाफ की पोजीशन है उसमें स्वीकृत पद से सहायक अभियन्ता 50 प्रतिशत कम हैं और अवर अभियन्ता स्वीकृत पद से 70 प्रतिशत कम हैं और यह कमी अभी की नहीं है, कुछ अभी ज्यादा कम हो गए, रिटायर हो गये हैं, पहले से कमी चली आ रही है। लेकिन इतने स्टाफ के कम होने के बाद भी हमें बजट का पैसा मिला अगस्त के महीने में और अगस्त के महीने से गिनती करें तो 8 महीने मिलते हैं, इस 8 महीने में जिस प्रगति से, जिस तेजी के साथ-साथ गुणवत्ता देखने का काम किसी ने किया है तो बहन मायावती जी की सरकार ने, लोक निर्माण विभाग ने किया है। पिछली सरकार में शिकायत आती रहती थी, पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी यहां बैठे हैं, शिकायत मिलती थी कि इसकी गुणवत्ता खराब है लेकिन मान्यवर, हमने गति के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान दिया है और 8 महीने में हमारी सरकार ने जो काम करके दिखाया है, पिछली सरकार का यदि 8 महीने का काम देखा जाए तो वह 50 प्रतिशत कम है। मान्यवर, इतना ही नहीं, हम यह भी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश, देश और विदेशों में भी अपना महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो ब्रिज कारपोरेशन है, विदेशों में भी काम किया, इस पर हम बाद में आयेंगे, यह भी लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ही है। जहां तक उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग का सवाल है तो मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1844 में हुई थी और उस समय इस विभाग का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग था और जब सार्वजनिक निर्माण विभाग था, तब इस विभाग में सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग आदि कई विभागों को मिला करके यह सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था, आज उसका नाम लोक निर्माण विभाग है और स्वाभाविक है कि यदि परिवहन विभाग का मैंने नाम लिया है कोई वाहन चलता है तो वह सड़कों पर चलता है यदि सड़कों पर चलता है तो सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है तो विभागों से इसका चोली-दामन का साथ है। जहां तक परिवहन विभाग की बात है यह एक दूसरे के पूरक हैं।

मान्यवर, जहां तक प्रस्तावित बजट का सवाल है वह तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करूंगा अन्त में कि इसको सहर्ष सब लोग स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें लेकिन कुछ बातें मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश की 70 परसेन्ट आबादी गांवों में रहती है और अगर गांवों में रहती है तो गांवों का विकास बगैर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े नहीं हो सकता है और अगर गांव की तरक्की के बारे में किसी ने सोचा है तो हमारी सरकार ने सोचा है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने सोचा है और इस सम्बन्ध में मैं अपने मा0 सदस्यों तक पहुंचाना चाहता हूं कि 'सड़क का पहिया और प्रदेश की शान है, जबसे सड़कें गांव गयी हैं हंसते हुए किसान है।' आज किसान भी हंस रहे हैं, मजदूर भी हंस रहे हैं और मान्यवर, 'सड़कें किसी प्रदेश का होती है, वरदान, उन्नति हो या व्यापार में, हंसते खेत-खलिहान।' यही सपना हमारी सरकार ने देखा और उसको

साकार कराने में हम लगे हुए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, परिवहन आदि मूलभूत और भी समस्याएं हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है और बजट के तहत इसकी बातें आई हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैंने गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने की बात कही है। मान्यवर, किसान अपने खून-पसीने से अपने कृषि उत्पाद का उत्पादन करता है जब तक उसको मण्डी तक अपने कृषि उत्पाद को ले जाकर उसको बेचकर सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मण्डी तक ले जाने के लिए चाहे वह कस्बों में हो, चाहे नगरों या शहरों में हों, हमारी सरकार ने ग्रामीण मार्गों को प्राथमिकता दी है और मैं इस सच्चाई को भी स्वीकार करता हूं कि अभी तक सारे के सारे मार्ग जो ग्रामीण मार्ग हैं वह पूरी तरह से पक्के नहीं बन पाये हैं लेकिन इसमें हमारा प्रयास है और उसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। इसलिए इन ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 1 लाख 39 हजार 393 कि0मी0 मार्गों का रख-रखाव और मरम्मत का कार्य किया जाता है। इन्हें हम 4-5 भागों में बांटते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का सवाल है उनकी लं0 5 हजार 670 किमी0 है जिसकी मरम्मत एवं सुधार का कार्य समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। हमारा विभाग इसमें एजेंसी के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद राजमार्ग आते हैं जिनकी लं0 8 हजार 439 कि0मी0 है। इनका सारा व्यय, मरम्मत, रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और इसके बाद प्रमुख जिला मार्ग आते हैं इनकी लं0 60 हजार 343 कि0मी0 है, इनकी पूरी व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा होती है। ग्रामीण मार्ग भी है जो गांवों को जोड़ते हैं इन मार्गों में वाहनों के आवागमन को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको चौड़ा, सुदृढ़ करने के काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मार्गों के लिए जो मेरे द्वारा अभी पूर्व में बताया गया है कि जो 5 श्रेणी में आते हैं वर्ष 2008-09 के लिए 6 हजार 793 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया है। मैंने पहले कहा कि वर्ष 2007-08 में यह लगभग 6 हजार करोड़ था और मान्यवर, यह जो प्रस्ताव प्रस्तावित किया है वह 2007-08 से 7 हजार 740 करोड़ रुपये अधिक बजट हमने आपके सामने प्रस्तावित किया है। हमारी सरकार द्वारा जो वर्ष 2008-09 में महत्वपूर्ण कार्य कराये जाने हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना। मान्यवर, इससे पहले जो भी सरकारें थीं उन्होंने ग्राम सभाओं को पक्के मार्गों से जोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह हमारी पहली सरकार है जिसने ग्राम सभाओं को जोड़ने के लिए स्कीम बनायी और जिसके तहत डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के तहत कार्य कराये जा रहे हैं। मान्यवर, इसके तहत हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 403 विधान सभाओं में से प्रत्येक विधान सभा में पांच-पांच ग्राम सभाओं को चयनित करने का फैसला लिया है और चयनित करने के बाद उनका विकास करने का फैसला लिया है। इसके तहत वर्ष 1995-96, 97-98, 2002-03 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों को चालू

वित्तीय वर्ष में संतृप्त करने का निर्णय लिया गया है। इन वर्षों में निर्मित मरम्मत के कार्य भी चालू वित्तीय वर्ष में कराये जा रहे हैं। इसके पहले विकास कार्यक्रमों में राजस्व ग्रामों को ही लिया जाता रहा है लेकिन इस बार हमारी सरकार ने इस योजना के तहत पहली बार ग्राम सभाओं को मानकर राजस्व गांवों को संतृप्त करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधान सभा में आबादी के हिसाब से जो भी ग्राम सभाएं विधान सभाओं में हैं, प्रत्येक विधान सभा से जो सबसे बड़ी तीन ग्राम सभाएं हैं उनको चयनित किया तथा इसके बाद जो सबसे छोटी दो ग्राम सभाएं हैं इनको सम्पर्क मार्गों से जोड़कर पक्का बनाने का फैसला लिया है। इस प्रकार पांच ग्राम सभाएं लेकर उनको चयनित करके उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2008-09 से लेकर 2011-12 तक प्रत्येक विधान सभा में आबादी के क्रम के हिसाब से मान्यवर, यहां कुछ बढ़ा है पहले बड़ी तीन थी और दो छोटी थीं लेकिन अगले वर्ष से वर्ष 2011-12 तक जो पांच सबसे बड़ी ग्राम सभाएं होंगी वह ली जायेंगी तथा जो सबसे छोटी पांच ग्राम सभाएं होंगी वह ली जायेंगी। तो इस तरह से दस ग्राम सभाओं को पक्के मार्ग से जोड़ने का फैसला लिया गया है।

मान्यवर, मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है कि गांव के अन्दर सड़क बना दी गयी, खड़न्जा लगा दिया गया, सड़ी ईंटें लग गयीं, उखड़ गयीं, टूट गयीं लेकिन मैं इस बात के लिए प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ईंटों का न बनाकर सीमेन्ट कंक्रीट से मार्ग बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा चयनित ग्राम सभाओं को जो पहले बन गयी है। काम हो चुका है, उनकी मरम्मत के लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान देने का काम किया है। इस योजना के प्रथम चरण में जो 31 मार्च,- 08 तक लागू है, में प्रत्येक विधान सभा में पांच-पांच गांव प्रत्येक विधान सभा में लिये जायेंगे। इस तरीके से इस चालू वित्तीय वर्ष में मान्यवर, 1900 ग्राम सभायें चयनित की गई हैं और जो आगे 2008-2009 आगे के वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक विधान सभा से 10-10 ग्राम सभायें चयनित करने का फैसला लिया है, जैसा मैं कह चुका हूं। इस तरीके से मान्यवर, वर्ष 2008-09 में और उसके बाद वर्ष 2011-2012 तक प्रत्येक वर्ष 3800 ग्राम सभाओं को चयनित करके प्रतिवर्ष उनको पक्के मार्गों से जोड़ने का काम किया जायेगा। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं के मार्गों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान प्रस्तावित है और इस धनराशि से तकरीबन 4500 कि0मी0 मार्ग बनाये जा सकेंगे। मान्यवर, जिला योजना का मैंने जिक्र किया, इस योजना के तहत मान्यवर, इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमने 713 करोड़ रुपये वर्ष 2007-08 में खर्च करने का प्रस्ताव किया है और मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत इन कार्यों के लिए वर्ष 2008-09 में 580 करोड़ रुपये का जो प्राविधान प्रस्तावित है, वह चालू कार्यों के लिए है और 150 करोड़ रुपये नये कार्यों के लिए है। इस प्रकार कुल 730 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था का प्राविधान हमने किया है। मान्यवर, अभी हमारे साथी ने शहरों की बात कही थी। स्वाभाविक है जिनके क्षेत्र, जिनकी विधान सभा क्षेत्र की सीमायें शहर में ही हैं या शहर में आती है उनका चिन्ता करना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए तो मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से

बल्कि पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मान्यवर, कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत शहरों में भी सड़कों की जो हालत खराब है उसको दुरुस्त करने का काम करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है और यह योजना पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत मान्यवर, नगर क्षेत्र के 4-4 वार्डों का चयन किया गया है, चालू वित्तीय वर्ष में। लेकिन अगले वर्ष में जो चार साल बचेंगे। एक साल तो यह हो गया, पांच सालों की बात मैंने कही है जो चार साल बचेंगे मान्यवर, तो अभी तो हमने चार-चार वार्डों को चयनित किया है, लेकिन अगले वर्ष से 2008-2009 से मान्यवर, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में मान्यवर, चार-चार नहीं बल्कि आठ-आठ वार्डों को चयनित करके उनमें विकास का काम कराया जायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इससे संतुष्ट होना चाहिए और मान्यवर, नाबार्ड योजना का भी मैं आपके समक्ष जिक्र करना चाहूंगा। इस योजना के तहत वर्ष 2007-08 में पुनर्वियोग के उपरान्त मान्यवर रुपया 144 करोड़ की बजटीय व्यवस्था का प्राविधान किया गया है और आगामी वर्ष 2008-2009 में 234 करोड़ रुपये के बजटीय व्यवस्था का प्राविधान का प्रस्ताव प्रस्तावित है। उसका प्रस्ताव किया गया है, जिसमें चालू कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है और जो नये कार्य हैं उनको कराने के लिए 154 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफी कार्य कराये जा रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का जहां तक सवाल है तो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत मान्यवर, 100 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गई थी और जो आगामी वर्ष है 2008-2009 जिसका बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें मान्यवर, 80 करोड़ रु0 का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार मान्यवर 2008-09 में ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु कुल 2252 करोड़ रुपये की राशि इस बजट में प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, एक और प्रोजेक्ट योजना है विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के तहत भी 68 सौ कि0मी0 के मार्ग चयनित किये गये हैं और जिसमें मान्यवर, 2817 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य करने के लिये विश्व बैंक के अन्तर्गत लगभग 2950 करोड़ रु0 का प्रस्ताव किया गया है।

मान्यवर, विश्व बैंक के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में सेतुओं के निर्माण, रख-रखाव आदि के लिये 500 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य योजना सामान्य है इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में 450 करोड़ रु0 का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में मान्यवर, 600 करोड़ रु0 का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मान्यवर, 07-08 में 300 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था और 2008-09 में भी मान्यवर, 300 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जो प्रमुख मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण करने, सुदृढ़ीकरण करने के लिये 2007-08 में 156 करोड़ रु0 की बजटीय व्यवस्था है और इस 2008-09 में इस 156 करोड़ रु0 की राशि को बढ़ाकर 175 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मान्यवर, एक और योजना है नहर सेवा मार्ग, पटरी को पक्का किया जाना। नहर की पटरी जो हैं उनको पक्का करने की भी मान्यवर लोक निर्माण विभाग की योजना है। 2008-09 में मान्यवर, इस कार्य के लिये 20 करोड़ रु0 का बजट

प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, रिंग रोड के लिये योजना है जो प्रमुख मार्ग हैं उसके लिये हमारी सरकार ने रिंग रोड एवं बाईपास के लिये 2008-09 में 20 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसमें मान्यवर, जो 10 लाख से अधिक आबादी के शहर होंगे नगर होंगे उनमें रिंग रोड का निर्माण कराया जायेगा। मान्यवर, इधर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह योजना बनायी गयी है। इस योजना के तहत मान्यवर, 2008-09 में 25 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मान्यवर, हमारे विभाग में मशीनें हैं बहुत सी मशीनें हैं। हाट मिक्स प्लान्ट है, रोलर हैं, टिपर हैं उनके लिये भी 2008-09 में 30 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, प्रमुख जिला मार्ग के सम्बन्ध में भी मैं बता दूं। मान्यवर, इस कार्य के लिये 2008-09 में 1239 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है और मान्यवर कुछ विशेष कार्यक्रम हैं जिसके तहत पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड जो हैं उनके लिये अलग-अलग निधियां बनी हुई हैं। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के बारे में 2007-08 में 445 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान है, 2008-09 में 587 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

एक तरफ बुन्देलखण्ड है वहां भी सूखा है दूसरी तरफ विध्यांचल है यह पूर्वांचल में आता है। बुन्देलखण्ड बुन्देलखण्ड में ही है।

भवन निर्माण अनुरक्षण कार्य के लिए आप भी कई सर्किट हाउसों में डाकबंगलों में गये हैं हमारे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यगण, विपक्ष के सदस्यगण जहां कहीं भी जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो डाकबंगलों में सर्किट हाउस में ठहरते हैं इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए कि सभी डाकबंगलों की सभी निरीक्षण भवनों की सभी सर्किट हाउसों की दशा यह थी कि आधे से ज्यादा सर्किट हाउस और आधे से ज्यादा निरीक्षण भवन में बदबू आती थी, दुर्गन्ध आती थी। लेकिन इसके लिए तो मैं तो धन्यवाद कहूंगा ही लेकिन पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके निर्देश पर काया पलट दी गयी और पूरी तरह से जो भी सर्किट हाउस थे जो भी निरीक्षण भवन थे उनमें अधिकांश की कायापलट की गयी है कुछ थोड़े बहुत रह गये हैं वहां काम चल रहा है। इनके लिए 2008-09 में 46 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है और सारा सदन जानता है कि एक योजना है प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना, इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 जनपदों में कार्य कराया जा रहा है और जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में इसमें 1500 करोड़ रुपये व्यय करके लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इधर आपने भी महसूस किया होगा, महसूस तो सभी ने किया होगा, कुछ स्वीकार करेंगे कुछ नहीं स्वीकार करेंगे सभी ने मान्यवर, स्वीकार किया कि टेण्डर प्रक्रिया मान्यवर, पारदर्शी नहीं थी इसमें गुण्डों का, माफियों का, अपराधियों का राज है। अधिकारियों को डरा दिया गया, ऐसे-ऐसे ठेकेदार बना दिये गये जिसके पास इक्सपीरियेंस सर्टिफिकेट नहीं, वह सत्ता दल के नजदीक थे। यहां तक हुआ मान्यवर कि सत्ता दल के लोगों ने अपने ड्राइवर को भी क्लास वन का कान्ट्रेक्टर बना दिया यहां तक हुआ है मान्यवर। लेकिन हमारी सरकार ने इस टेण्डर प्रक्रिया

को पारदर्शी बनाने के लिए इंटरनेट से भी टेण्डर देने की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। यह पहली बार हो रहा है। अगर कोई बम्बई में बैठा है विदेश में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश से बाहर है अपने घर में बैठा है घर में बैठे-बैठे टेण्डर दे सकता है। लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था दफ्तर में अगर यह व्यवस्था करने का अगर किसी ने काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है।

अगर हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो मान्यवर, हमने करके भी दिखाया है। करके भी दिखाया है नारा भर नहीं लगाया है। मान्यवर, जहां तक गुणवत्ता का सवाल है मैंने पहले कहा है कि पिछले कार्यकाल की भी मैंने सारी शिकायतें निकलवाई और अपने कार्यकाल में भी जो गुणवत्ता की शिकायतें मिली उनको भी निकलवाया। गुणवत्ता की कमी की जो शिकायत थी बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट आई है। हर व्यक्ति यह मानने लगा है कि अगर क्वालिटी मेन्टेन हुई है तो इस सरकार में हुई है बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुई है। मान्यवर, मैंने खुद निरीक्षण किया जहां बतायेंगे वहां चलूंगा, मैंने खुद निरीक्षण किया, मैंने अधिकारियों की टीम बनाकर के भेजा और आप भी जानते हैं जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वह भी जानते हैं मैंने एम0बी0 देखी, मैंने बिल देखे, मैंने इस्टीमेट देखे, मैंने आगणन देखे उसमें कुछ और प्राविधान है पेमेन्ट कुछ और कर दिया गया। मान्यवर, एक उदाहरण दूं, बेवर से लेकर फर्रुखाबाद तक राज्य सड़क निधि से एक रोड बनाई गयी। पिछली सरकार के कार्यकाल में बनाई गयी, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं मान्यवर, जब मैंने स्वयं वहां जाकर देखा तो इस्टीमेट में जो प्राविधान था जो एम0डी0 में दर्ज था तो उसका 50 प्रतिशत भी थिकनेस नहीं मिली। क्वालिटी क्या है यह अलग बात है। अब मोटाई में क्या है वह अलग बात है लेकिन जितनी मोटाई का भुगतान किया गया, उसका 50 प्रतिशत भी काम नहीं मिला और मान्यवर, जब मैं मौके पर गया तो एक्स0सी0एन0, ए0ई0, जे0ई0 सारे अधिकारी रो दिये, मैंने पूछा कि क्या है तो बोले कि साहब हमारी क्या है टेण्डरों में जो मर्जी, वह टेण्डर लेता था बाकी ले नहीं पाते थे और जो कहा जाता था हमें वही दर्ज करना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दर्ज करना है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बीबी-बच्चे भी सलामत नहीं और हम भी सलामत नहीं। यह स्थिति रही है इस प्रदेश की। मैंने मैनपुरी में जाकर चेक किया, मैंने सुल्तानपुर में जाकर चेक किया, मैंने कन्नौज में जाकर देखा। बड़े पैमाने पर पिछले समय में क्वालिटी में गिरावट आई है, यह बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद क्वालिटी मेन्टेन हुयी और गुणवत्ता के अनुरूप कार्य करने का काम शुरू हुआ और यह शुरू हुआ बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। मान्यवर, मैंने सेतु निगम की बात कही। सेतु निगम द्वारा मान्यवर, 2007-08 में 80 सेतुओं का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 400 करोड़ रुपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है और मान्यवर, 2008-09 में 445 करोड़ लागत के 99 सेतुओं को पूरा कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2007-08 से इस वर्ष 2008-09 में 10 सेतु अधिक बनाये जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक रिकार्ड है। राजकीय निर्माण निगम के बारे में रोशनी डालकर

मैं मान्यवर, अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, राजकीय निर्माण निगम ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1243 करोड़ रुपये का कार्य किया और मान्यवर, इसी वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इन दोनों निगमों ने बड़े पैमाने पर लाभ अर्जित किया है। मान्यवर, सेतु निगम कई वर्षों घाटे में रहा है और निर्माण निगम की जो स्थिति है 2006-07 में 37.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया है निर्माण निगम ने। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सैफई में स्टेडियम बन रहा था। उदाहरण सिर्फ सैफई का दे रहा हूं लोग कहते हैं कि सैफई का नाम बहुत जल्दी याद आ जाता है, जगह ऐसी है। लेकिन घटना भी वहीं हुयी इसलिये कहना ही पड़ेगा। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है मैं किसी का नाम नहीं लेता सब अपने आप समझ जायेंगे। पावरफुल लोगों ने शासन में जो टाप पर बैठे थे, उन लोगों ने मान्यवर, घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया और सीमेंट की जो फैक्टरियां हैं उन फैक्टरियों के मालिक से बड़े पैमाने पर वसूली हुयी। घटिया सीमेंट, जिसे पूरी तरीके से प्रेसक्राइब्ड कर ही नहीं सकते हैं, जिसको मान्यता दी ही नहीं जा सकती ऐसी सीमेन्ट का इस्तेमाल हुआ और जब ऐसी सीमेंट सरिया का इस्तेमाल किया तो मान्यवर, 6, 7, 8 पैनल गिर गये। मैं नहीं कह रहा हूं यह तो पूरा देश जानता है, यह स्थिति रही है। हमारे यहां का एक भी उदाहरण बता दीजिए कि कहां गिर गया। मैं स्वयं देखता हूं और हमारी टीम जा करके निरीक्षण करती है। हमारे विधायकों का चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे वह विपक्ष का हो, अगर कोई चिट्ठी देता है तो मैं उसका तुरन्त संज्ञान लेता हूं, मैं सम्मान करता हूं उनका इसलिए हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा करने की मंशा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार इस प्रदेश को देश के नहीं बल्कि विश्व के नक्शे में पहुंचाना चाहती है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सहयोग दें और बिना कटौती के इस कल्याणकारी बजट को पास होने दें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मा0 मंत्री जी ने अभी बहुत तारीफ की कि एक साल के अन्दर या 10 महीने के अन्दर मैंने बहुत बड़ा काम कर डाला है, बहुत तीर मार दिया है और ऐसा लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें 10 महीने में ऐसी हो गई है कि उन पर अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है और सड़कें तभी अच्छी क्वालिटी की बनायी जा सकती हैं जब अच्छी तरह से ईमानदारी से काम किया जाए। मा0 मंत्री जी ने कहा कि एक साल के अन्दर 10 महीने के अन्दर जबकि पिछले बजट में प्राविधान किया था 6052 करोड़ रुपये का और अभी मंत्री जी के कहने के अनुसार लगा कि मंत्री जी ने पूरे अधिकारियों की तारीफ भी कर डाली, बहुत तारीफ कर डाली। हम भी पी0डब्लू0डी0 मिनस्टिर थे, उस समय का बजट 5200 करोड़ से कुछ ज्यादा का था और मंत्री जी ने रखा है 6052 करोड़ रुपये का और शायद अभी तक खर्च पाये हैं लगभग 3268 करोड़ रुपया। मान्यवर, 6052 करोड़ रुपये का बजट था तो आज तक देखा जाए तो 51 प्रतिशत से ज्यादा बजट खर्च भी नहीं कर पाये हैं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मंत्री जी ने बताया कि कुल सड़कें 1 लाख, 39 हजार, 400 कि0मी0 हैं, उनका रख-रखाव भी करना है, उच्चीकरण भी करनी है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं लगभग 5700 कि0मी0, राजमार्ग हैं 8888 कि0मी0, मुख्य जिला मार्ग 3745, 30,133 कि0मी0 जिला मार्ग और 87 हजार, 768 कि0मी0 ग्रामीण सड़कें हैं। माननीय मंत्री जी ने गांवों की बात की और कहा कि हमने गांवों में सब कुछ कर डाला। उसके पहले क्या गांवों में कुछ नहीं हुआ ? मात्र 10 महीने के अन्दर सब कुछ कर डाला। माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष में, हमारी सरकार में गांवों की सड़कों के लिए 3075 करोड़ रुपये खर्च किया गया और आपने क्या किया, बताईये ? इस वर्ष 10 महीने के अन्दर उस पर कितना खर्च किया ? आपने प्राविधान रखा था शायद 17 हजार 600 कि0मी0 सड़कें बनाने के लिए 2350 करोड़ रुपये का और खर्च कर पाये 1427 करोड़ रुपया। इसके पहले वाली सरकार ने गांवों पर खर्च किया था 3075 करोड़ रुपये।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई) मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ज्यादा खर्च करके दिखा दिया। माननीय मंत्री जी, सड़कों की गुणवत्ता जरूरी है, समयबद्धता भी जरूरी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना भी जरूरी है और शायद मंत्री जी का पता ही नहीं हैं डील-डौल में तो ठीक है डीलिंग में बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है। आपके प्रमुख सचिव ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या पैसा नहीं चल रहा है। करो पिछली सरकार की बात एक पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग में बता दीजिए। चलिए आप खूब घूमें लेकिन जहां आप गए वहां कमीशन बढ़ गया कितना कमीशन बढ़ा ऊपर के नाम पर पहले जब पैसा अवमुक्त होता है तो ऊपर के नाम पर 6 प्रतिशत 7 प्रतिशत पहले ही दिन उससे कटौती हो जाती है। ठेकेदारों की बात करते हैं। हम लोगों ने कभी ठेका देखा भी नहीं है। हमारे परिवार, के हम सब लोग ठेकेदारी से दूर रहे आप ठेकेदारी की जब बात करते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखिए।

(इस समय 3 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुये)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता-

सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह शांति बनाए रखें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह हाल हो गया है पी0डब्लू0डी0 में ग्रामीण सड़कें 7 हजार बननी थीं हमने इससे ज्यादा करके दिखाया था। राष्ट्रीय मार्ग भी हैं मंत्री जी बताइए राष्ट्रीय मार्ग के लिए कितना पैसा लिया था और उसमें कितना खर्च किया। पैसे के लिए आप कटोरा लिए घूम रहे हैं दिल्ली सरकार से लगभग 20 करोड़ रुपये मिले वह भी खर्च नहीं कर पाए यह शर्म की बात है। आज 80 हजार करोड़ की बात करते हैं। इसी तरह से राजमार्ग 8,848 कि0मी हैं मुख्य जिला मार्ग 7,345 कि0मी0 हैं इसके लिए भी प्राविधान होना चाहिए था क्या यह सड़कें जरूरी नहीं हैं। अन्य जिला मार्ग 30 हजार 133 कि0मी0 पर कितना पैसा रखा है और कितना खर्च किया है। आपने केवल 1427 करोड में केवल हजार-ग्यारह सौ करोड़ से ज्यादा नहीं इन सड़कों पर खर्च कर पाए। कहां से सड़कें अच्छी बन गई जब पैसा खर्च नहीं हुआ इतना पैसा खर्च हुआ उसमें कमीशन का क्या हाल हैं अधिष्ठाता महोदय, आपको गोरखपुर के बारे में तो पता होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्री जी को बताना चाहता हूं मंत्री जी ने छेड़ ही दिया है उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं इन 70 जिलों में बताइए कहां-कहां पैसा दिया है पिछली सरकार के समय के और अपने समय की तुलना कर लें। फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर फैजाबाद में मैंने दिया था 274 करोड़ 29 करोड़ कुछ अम्बेडकर नगर में बाराबंकी में 72 करोड़, सुल्तानपुर में 421 करोड़, श्रावस्ती में लगभग 18 करोड़, बहराइच में 48 करोड़, बरेली में 261 करोड़, पीलीभीत में 16 करोड़ शाहजहांपुर में 38 करोड़, बदायूं में 143 करोड़, बरेली में 60 करोड़, आजमगढ़ में 170 करोड़, मऊ में 11 करोड़, जौनपुर में 66 करोड़, बलिया में 24 करोड़, आजमगढ़ में 73 करोड़, (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)

इटावा का भी बता रहा हूं। इटावा से तो बहुत जिले आगे हैं उनको भी पैसा दिया है। मैनपुरी को भी दिया है। देंगे फिर और ज्यादा देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और बनायेंगे सरकार। प्रमोद तिवारी जी हैं नहीं, इनसे पूछ लो इनको भी पैसा दिया था कि नहीं दिया था। कोई ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि हमको नहीं दिया। विधायकों को कितनी-कितनी किमी0 की सड़क दी। पांच और सात कुल 12 किमी0 सड़क सबको दी थी। (शोर) एम0एल0सी को भी दिया था। अधिष्ठाता महोदय, आप तो थे उस समय हाउस में उस समय। कोई भी किसी भी दल का रहा हो सबको दिया है अब तो चल रहा है 50 परसेंट। आज तो फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट हो रहा है। और जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगायेंगे कितनों को जेल भेजा है आपने ? बता दें। मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं मैनपुरी का। करहल से किशनी रोड स्वीकृत हुई थी। बहुत दौरा किया है आपने। इस सड़क पर 9 करोड़ खर्च हो गया। हमने उसको जेल भिजवा दिया उस इंजीनियर को। जेल से छूटने के बाद अभी अगर दिखवा लिया जाय वह एक्सी0इन0 कहीं पी0डब्लू0डी के कहीं न कहीं या तो किसी अधिकारी के यहां या किसी मिनिस्टर के यहां बैठा होगा आफिस में बैठा होगा। 9 करोड़ खर्च हो गये और रोड बनी नहीं। मैनपुरी की करहल से किशनी इस रोड की लम्बाई 29 किमी0 के लगभग होगी ज्यादा भी हो सकती है। मैंने उसको जेल भी भेज दिया- और जेल से छूटने के बाद आप जानते हैं मान्यवर कि 9 करोड़ का जो गबन करेगा वह कहीं न कहीं सेटिंग करके जमानत भी हो गई। मैंने तो करा जेल रखा और वही जब जाता है दौरे पर तो मंत्री जी आपके साथ गाड़ी में पीछे बैठकर जाता है। माननीय मंत्री जी, मजबूर सिंह इंजीनियर है और इस समय उसका पता लगा लें उसके प्लान्ट लग रहे हैं आगरा में। काम वही कर रहा हैं इसी तरह से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पारदर्शिता रखेंगे टेन्डर में। उन्नाव में क्या हो गया ? रोड स्वीकृत नहीं और टेण्डर हो गया कोई करोल एण्ड कम्पनी है टेण्डर हो गया और कितना कमीशन ले लिया पहले ही और पास हुई नहीं, पैसा स्वीकृत हुआ नहीं। माननीय मंत्री जी मैं भी पी0डब्लू0डी0 मंत्री रहा हूं पौने चार साल, हम तो एक प्लाट भी नहीं खरीद पाए।

(हंसी)

आपका बाराबंकी में 20-25 एकड़ का फार्म है और हम एक प्लाट भी नहीं खरीद पाए। इंजीनियर का काम है पैसा इकट्ठा करें। इंजीनियरों का कमीशन कहीं 40 परसेन्ट है, कहीं 50 परसेन्ट है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कहीं पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। हमने कमीशनखोरी कम करके दिखाई थी। ऊपर का काम खत्म हो गया था। आप पता लगा लेना। (शोर)

आज अगर चुनाव हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा। जनता ने तय कर लिया है। जब निकलोगे तो फूलों की माला नहीं पड़ेगी दूसरी तरह की माला पड़ेगी और [× × ×] होगा...

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, [× × ×] क्या असंसदीय शब्द है।

श्री अधिष्ठाता-

इसको दिखवा लिया जाएगा आप बैठ जाएं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनता के साथ ठगी, कमीशनखोरी करके उत्तर प्रदेश की जनता का जो पैसा है वह पैसा आपका थोड़े ही है। जो पैसा सड़कों पर खर्च होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि सेतु निगम में इन्होंने लक्ष्य रखा 76 पुल बनाने का और बनाए 17 पुल।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमने 531 पुल स्वीकृत किए थे।

एक मा0 सदस्य-

कागज पर किए थे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बनकर खड़े हुए हैं। 531 पुल दस करोड़ के नीचे हैं और 52 पुल बड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य से आग्रह है कि शान्त रहें। जब माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा तो अपने समय में अपनी बात कहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अभी मैं बता रहा था कि एक अमिता जी के यहां पुल दिया, मैंने शिलान्यास किया था। जनपद बलिया में टोंस नदी पर खम्मनपुरा घाट पर पुल स्वीकृत हुआ था उसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा काम हो गया था, पैसा पूरा पहुंच गया था और लगभग एक साल से काम नहीं हो रहा है और इसी तरीके से औरैया में ग्वारी नदी कंजौसा, कालेश्वर मन्दिर तट सेतु, इसका भी काम शुरू हो गया था, यह जालौन से जोड़ता है। इसका भी 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया था लेकिन काम रुका हुआ है। एटा में कादरगंज घाट, यह बहुत बड़ा पुल है, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर तो कई पुल स्वीकृत हैं, कुछ बन भी गये हैं, एक-दो का उद्घाटन भी हो गया है। मान्यवर, एक भी पुल इन 10 महीने में शायद स्वीकृत नहीं हुआ है। जिन पुलों पर 80 परसेन्ट काम हो गया था, वह तो कुछ बनायें हैं लेकिन एक भी नया पुल 10 महीने में आपने स्वीकृत नहीं किया है। आप पुलों की बात करते हैं, पिछली सरकार का एवरेज एक साल में 104 पुल बनाने का है। जब एक भी पुल नहीं बनेगा तो सेतु निगम के उन 7 हजार कर्मचारियों का क्या होगा ? मा0 मंत्री जी ने जो कहा, मानो उत्तर प्रदेश का सारा विकास हो गया, अब तो सड़कों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पूरा बजट भी

खोल दिया। मान्यवर अम्बेडकर गांवों के लिए जो धनराशि अवमुक्त की है, वहां पर वही खड़ंजा हटा रहे हैं, जो ठीक है, जो कभी 3-4 साल पहले ही लगा था। जिसकी मरम्मत 8 वर्ष बाद होनी चाहिए थी, उसी को उखाड़ कर आप बना रहे हैं। 8 साल बाद जिसकी मरम्मत होनी चाहिए थी आपने तो 4 साल में ही मरम्मत करा डाली तो यह तो होना ही नहीं चाहिए था। यह पैसा उनके लिए होना चाहिए था, जहां सड़कों की जरूरत है, जिन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है। राजमार्ग हैं, राजमार्ग का पैसा अम्बेडकर गांव में लगा दिया तो क्या राजमार्ग की जरूरत नहीं है, क्या जिला मार्ग की जरूरत नहीं है ? आपने बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में कितना-कितना पैसा दिया है, हमारी सरकार ने तो 522 बुन्देलखण्ड और 522 पूर्वांचल को दिया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसकी वजह थी कि वहां एक भी आदमी भूख से नहीं मरा था, काम मिल रहा था, अगर सूखा पड़ा था। बिजली भी मिल रही थी, 16 घण्टे, 20 घण्टे। बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे बिजली मिल रही थी। वहां सूखा पड़ा था लेकिन वहां सड़कें भी बन रही थी, वहां के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, सूखा पड़ने के कारण वह सड़कें बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मंत्री जी बतायें। कितना पैसा दिया, बुन्देलखण्ड को ? कोई पैसा नहीं दिया। दिल्ली से मांगा है, 80 हजार करोड़, लेकिन उसमें भी 50/50 परसेण्ट हो जायेगा और कुछ नहीं, इस सरकार में लूट-घसोट, कोई विकास का कार्य नहीं, जो विकास के काम चल रहे थे, वह भी ठप। तो मान्यवर मैं इसलिए यह बताना चाहता हूं, इटावा में भी एक सड़क है।

एक सदस्य-

सैफई का भी बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आप सैफई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, इटावा में एक बाईपास बना है। उस पर जमुना का पुल भी बनना था। 5 लाख रुपये का काम हुआ और पेमेन्ट उसमें हुआ है 60 लाख रुपये का। वह भी एडवांस में। जैसे उन्नाव में हुआ। उन्नाव में भी एडवांस में पैसा दे दिया गया था। ठेकेदारों की बात करते हैं। क्यों दे दिया एडवांस में। ठेकेदारों को कहीं एडवांस में पैसा दिया जाता है ? और ठेकेदारों का क्या भरोसा। या तो बहुत कमीशन है। जब हम मंत्री थे तो एक भी ठेकेदार हमारे बंगले पर नहीं आ सकता था, कभी आया भी नहीं। और पता कर लेना, कोई एक्सिएन भी हमारे बंगले पर नहीं आए हैं और अब हम तो देख रहे हैं कि अटैची सीधे चली आती है। और कहां जाती है वह तो जब जांच हो जएगी तब पता चल जाएगा। इतनी बेइमानी, इतना भ्रष्टाचार शायद आजादी के बाद देश के किसी कोने में नहीं हुआ। तो इसलिए मान्यवर, यह बहुत बड़ा विभाग है। और माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि गेस्टहाउस मैंने सब करा दिये। कौन सा गेस्टहाउस करा दिया, कौन सा सर्किट हाउस करा दिया। मान्यवर, मैं तो अभी बनारस गया था। पता कर लेना कि एक कम्बल की कीमत क्या है। कितना पेमेंट होता है, मान्यवर, 10 हजार रुपये। मान्यवर एक तौलिये की कीमत क्या है, 1 हजार रुपये। जो 200-250 रुपये का आता है। और मान्यवर जैसे ही हम बाथरूम में गये जैसे ही फ्लेश चलाया तो जो अन्दर

जाना चाहिए था तो वह आया बाहर। मैं बनारस सर्किट हाउस की बात कर रहा हूं। और पानी का क्या हाल था। मेरे साथ में एक विधायक जी भी थे। जो अन्दर जाना चाहिए था वह आया बाहर। मुझे भी 10-20 मिनट इंतजार करना पड़ा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने बहुत दौरा किया है। मान्यवर, बरेली डुडवारी मार्ग के उच्चीकरण एवं लेपन हेतु धनराशि एक करोड़ साठ लाख, दैवीय आपदा के राजस्व विभाग द्वारा दी गयी है। और राजकीय निर्माण निगम, जौनपुर इकाई काम कर रही है। इसमें भारी घपला हो गया। काम पूरा नहीं हुआ अभी तक और इसकी जांच चल रही है। और कई रोडें ऐसी हैं जिनका कोई काम नहीं हुआ और पेमेंट हो गया। बहुत सी रोडें हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय। मान्यवर, औरैया जनपद में यमुना नदी पर पिटरोरी पुल है, बहुत जरूरी है। वहां पर यमुना है, बीहड़ है और बाद में चम्बल भी है। और स्वीकृति भी हो गयी थी और उसमें लगभग 50 प्रतिशत काम भी हो गया था, अब काम रुका पड़ा है। जालौन में यमुना नदी पर भीखेपुर जूही था इसका भी पचास प्रतिशत से ऊपर का काम हो चुका है, लेकिन काम रुका पड़ा है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर देबुल नदी तहसील जलालाबाद, कोला घाट 43 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है, इस पर पैसा पहुंचा चुका था लेकिन काम बन्द हो गया है। बनारस में दो पुल थे-बलुआ घाट का और राम नगर घाट का काम चल रहा था यह बन्द है। मिर्जापुर में दो पुल थे गंगा नदी पर, ओम प्रकाश जी के क्षेत्र में पड़ता था, एक चुनार था और दूसरा एक और था। एक कछुआ बालूघाट और एक बक्सर में फतेहपुर में, तो सारे यह काम बन्द पड़े हैं। तो इस तरह से चालीस पुल थे, पैसा पहुंच चुका था, सभी में काम बन्द है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस पर केवल समाजवादी पार्टी के लोग ही चलेंगे। इस पर सभी दलों के लोग चलेंगे और किसी भी प्रदेश की अगर तरक्की करनी है तो सड़क अच्छी होनी बहुत जरूरी है, पुल बहुत जरूरी है। आपको भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा और इसी तरह से कमीशन बढ़ता गया तो न सड़क बन पायेंगी न पुल बन पायेंगे। क्या हालत हो गयी है एक साल के अन्दर। सड़कों की हालत जर्जर हो गयी है, गड्ढे हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शिवपाल जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आदेश होगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। इस विभाग के द्वारा बहुत कुछ होना है, यह बेरोजगारी दूर कर सकता है और अगर किसी प्रदेश की तरक्की करनी है तो अच्छी सड़कें होनी जरूरी है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सदस्यों से निवेदन है कि आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बहुत से सदस्यों को इसमें बोलना है। मैं भाजपा के सुरेश्वर सिंह जी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने बजट में गांव, गरीब किसान, ग्रामीण अंचलों का ध्यान भी दें। मान्यवर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हम लोग आते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में डामर रोड नहीं रुकती है। जहां बरसात का पानी लगा रोड खराब हो जाती है। अभी मंत्री जी ने जिक्र किया है कि गांव के अन्दर सीसी रोड बनायी जायेगी तो आग्रह यह है कि जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की सड़कें हैं वहां सीसी रोड बनायें, गांव के अन्दर जो भी सम्पर्क मार्ग बनें उन्हें नालियों से आच्छादित किया जाय। जिससे गांव में चलने में कोई असुविधा न हो। एक हमारे यहां चहलारी घाट पर पुल बन रहा है बहराइच जनपद में निर्मित हो रहा है, पहला इतिहास है कि जहां पर नदी है वहां पर पुल नहीं बन रहा है पुल नदी से एक किमी0 पहले बन रहा है, जहां पुल बन रहा है वहां पर लोगों की किसानों की लहलहाती हुई फसलें खड़ी हैं। दोनों तरफ गाईड बन्धे बनेंगे और गाईड बन्धों के अन्दर मशीनों द्वारा कृषकों की भूमि नदी को खोद करके उस नदी को उसमें गिराया जायेगा। गाईड बन्धों का तो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जो बीच के किसानों की खेती जा रही है, उसके मुआवजे के ऊपर अभी कोई विचार नहीं चल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो बीच में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन किसानों की जा रही है, लहलहाती फसल का नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार से गाईड बन्धे का मुआवजा दिया जा रहा है या अप्रोच का मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरह से उस कृषक की भूमि का मुआवजा भी किसानों को उपलब्ध कराया जाये। दूसरी बात मान्यवर, चहलारी घाट पर पुल बन रहा है, बहराइच से दिल्ली के बीच की दूरी चहलारी घाट पुल बन जाने के कारण 100 कि0मी0 कम हो जायेगी, चहलारी घाट पुल का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन बहराइच से लेकर के सीतापुर तक जो सम्पर्क मार्ग है, बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पुल तो दो साल के अन्दर बन कर तैयार हो जायेगा, पुल का कार्य प्रगति पर चल रहा है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि साथ ही साथ इन सम्पर्क मार्गों का भी पुनुरुद्धार कराया जाये। हमारे क्षेत्र में दो-तीन पुल एक सरयू नदी पर बौण्डी घाट का पुल बहुत आवश्यक है, लगभग 50 हजार की आबादी सरयू के उस पार रहती है, जाने के लिए काई साधन नहीं हैं, जहां आदमी तीन किमी0 की दूरी चल कर के अपने गंतव्य तक जा सकता है, 50 कि0मी0 घूम करके गाय घाट से आत है। आपके माध्यम से आग्रह है कि बौण्डी घाट पर पुल का निर्माण कराने की कृपा करें। एक कटाई घाट है, कटाई घाट भी सरयू और घाघरा के मध्य में पड़ता है, जनपद लखीमपुर और बहराइच का बार्डर है, इस पुल के बन जाने से जनपद बहराइच और जनपद लखीमपुर का सम्पर्क हो जायेगा, यदि संभव हो तो पक्का पुल बनवा दिया जाये और यदि सरकार द्वारा अविलम्ब संभव न हो तो कटाई घाट पर पीपे का पुल ही वर्तमान में स्वीकृत कर दिया जाये। जब योजना बनेगी तब पुल बनवाया जायेगा। रमपुरवा गांव से गड़वा चौराहे तक सम्पर्क मार्ग बना हुआ है लेकिन बीच-बीच में पैच पड़े हुए हैं, कहीं 500 मीटर का पैच है कहीं एक कि0मी0 का पैच है, अधूरी सड़क है मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उसको भी जोड़ने का कार्य कराया जाये। 500 तक की आबादी के गांव को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने

की बात कही गई है लेकिन अभी बहुत से ऐसे 1000 की आबादी के गांव है जो अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं और सम्पर्क मार्गों से जिन गांवों को जोड़ा भी गया है अधिष्ठाता महोदय गांव 5000 की आबादी का है, गांव 3000 की आबादी का है, उस गांव को एक पहले घर से जोड़ करके उस गांव को संतृप्त मान लिया गया है जबकि गांव के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए दो-दो, तीन-तीन कि0मी0 की दूरी बाकी रह गयी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन गांवों को जोड़ा जाये तो उस गांव के अन्तिम छोर तक सड़क बनाकर के उन गांवों को आच्छादित किया जाये, तभी गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कोई मतलब होगा और इसके साथ-साथ 500 की आबादी वाले गांव को भी सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाये। एक ग्राम सड़क आई है बीच में रुक गई है चन्दपइय्या से सिकन्दरपुर बीच में एक-डेढ़ कि0मी0 का काम बचा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चन्दपइय्या से सिकन्दरपुर को जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। एक बहराइच से बाजपेई पुरवा 20 कि0मी0 का सम्पर्क मार्ग बना हुआ है, बसहा घाट का पुल बना हुआ है, उमरपुर घाट का एक छोटा सा पुल है, वह एक ड्रेन का पुल है, आप दोनों विभागों के मंत्री हैं यदि चाहे तो ड्रेन के ऊपर पुल बनवा सकते हैं उमरपुर घाटका और चाहे लोक निर्माण विभाग से बनवा कर के बहराइच से महसी तहसील दूरी 15 कि0मी0 कम की जा सकती है। मैं कटौती प्रस्ताव के ऊपर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आपका आभारी हूं कि आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जनपद मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कुछ जनपद हैं उनकी समस्याओं को रखना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी उनका संज्ञान लेकर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, हमारे यहां स्थित एन0एच0 93 इस समय बहुत ही खराब हालत में है विशेषकर आगरा से अलीगढ़ तक। उस पर चलना बिल्कुल दूभर है। मान्यवर, हाथरस व अलीगढ़ के बाईपास के वास्ते इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, जनपदों में जो अन्य विभाग कार्यरत हैं जैसे गन्ना विभाग, जिला पंचायत विभाग, मण्डी परिषद्, नलकूप निगम इनके द्वारा जो ग्रामीण सड़कें बनायी जाती हैं विधायक निधि से या सांसद निधि से वह कुछ समय बाद ही खराब हो जाती है। उनके पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि इन सड़कों के बनने के बाद इन्हें पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा टेक अप किया जाना चाहिए ताकि उनका अनुरक्षण कार्य व रख-रखाव हो सके। मान्यवर, उपरिगामी सेतुओं में विशेषकर दो सेतु जानसठ रोड के लिए रेलवे क्रासिंग मुजफ्फरनगर पर एक उपरिगामी सेतु का निर्माण जरूरी है। इसी तरह से दिल्ली यमनोत्री राज्य मार्ग पर शामली कस्बे में रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना चाहिए। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के एम0डी0आर0 जिनमें मुख्य

रूप से थाना भवन, चरथावल, मुजफ्फरनगर मार्ग व मुजफ्फरनगर शापुर बुढ़ाना मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, इसी तरह से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कुछ असेवित ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं हो पाया है। उनका निर्माण होना अति आवश्यक है। मान्यवर, फेज-6 में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा थ्रू-रूट्स का निर्माण कराया जा रहा है विशेषकर जनपद मुजफ्फरनगर के ऊन, थाना भवन विकास खण्डों में तो इसमें विशेष प्राथमिकता दी जाये। यह अनुरोध है। मान्यवर, पानीपत-खटीमा राज्य मार्ग को एक लेन से दो लेन में परिवर्तित किया जाय। मान्यवर, एक बिन्दु मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि निर्माण सामग्री का जो उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समय किया जा रहा है वह निम्न स्तर का है। अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत जो आज सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है वह भी बनने के दो दिन बाद टूट गया है। इस पर ध्यान दिया जाये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझावों का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल प्रदान करने के लिये अवसर प्रदान किया। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह सही बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के शासनकाल में जितने पुलों और सड़कों का कार्य हुआ था आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिसको एक साल होने जा रहा है, कहीं भी कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। मान्यवर, आज जो पूर्वांचल का राज्यांश है हम लोग यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्यगण हैं उनकी संस्तुतियों पर पूर्वांचल के राज्यांश पर पैसा खर्च किया जा रहा है और विपक्ष के लोगों को एक भी पैसा सड़क निर्माण पर नहीं दिया गया है। मान्यवर, हमारे आजमगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र में टोंस नदी पर दो पुल बन रहे हैं, एक बेलवा बनहारा मार्ग टोंस नदी पर आधा से ज्यादा काम हो गया है इसको इस समय रोक दिया गया है। इसी तरह से मिलकीपुर खोजापुर घाट पर टोंस नदी पर पुल बन रहा है वह भी रोक दिया गया है। मशीनें सब हटा ली गयी हैं। इसी प्रकार से मान्यवर, शहर का बाईपास बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है चलना दूभर हो गया है। मान्यवर, इसी तरह से आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर मिक्सड प्लान्ट से काम हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी आप उसकी जांच करवा लें दो महीने में ही वह सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है टूट कर फट गयी है। मान्यवर, जो समाजवादी की सरकार के समय में काम स्वीकृत हुए थे वही पैसा खर्च किया जा रहा है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है जनता से जुड़े मामले हैं इस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, अनुरोध है कि आप राजनीति के उद्देश्य से इस तरह का भेदभाव का काम न करें। माननीय मंत्री जी आप इसका संज्ञान लें। सभी माननीय सदस्य एक हैं मैं यही कहना चाहता हूं हमारे विपक्ष के साथियों को भी जो सत्ता पक्ष के अब नहीं रहे हैं हमारे विपक्ष के साथियों को भी सड़कों के लिए देना चाहिए जिस तरह से माननीय शिवपाल यादव मंत्री थे इनके शासनकाल में 7-7 कि0मी0 सड़कें सभी माननीय सदस्यों को चाहे पक्ष

के रहे हों चाहे विपक्ष के रहे हों सबको देने का काम किया था। साथ ही साथ जितना पुल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बना है वह आज तक आपका एक साल होने जा रहा है आपका एक भी पुल दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी सड़कें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बन गयी है आप दिखवा लें आपकी सरकार की एक वर्ष होने जा रहा है कहीं सड़कों का अता पता नहीं है जो अम्बेडकर गांव पुराने थे वहां सड़कें भी अच्छी थी उस पर पैसा खर्च करके मरम्मत के नाम पर कमीशनखोरी में पैसा लिया गया है। जो लूट हो रही है पी0डब्लू0डी0 में उसको रोकने का काम करें और दूसरे पर आरोप लगाने का काम न करें क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह कार्य किया है आपकी पार्टी की सरकार चाहे जितना दिन चलेगी आप समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह से काम नहीं कर सकते हैं। मैंने लिखित भी दिया था माननीय मंत्री जी को कि वह फलांफलां सड़कें खराब हो गयी हैं उनकी जांच करा ली जाय लेकिन आज जांच में भी पता नहीं चला है कि वह सड़कें कहां गयी हैं। इसलिए यही मैं आपसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से जो कार्य हो रहा है उसको जल्द कराया जाये। चाहे मन्दूरी तहबरपुर मोहम्मदपुर मार्ग मेरे विधान सभा के अन्दर हैं वह सड़कें तोड़ करके छोड़ दी गयी है और उस पर कार्य नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारी और सड़कें हैं जो तोड़ करके छोड़ दी गयी है, गिट्टी पड़ी हुई है जनता का चलना दूभर हो रहा है और उस पर कार्य नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दे और उस कार्य को जल्द से जल्द कराने का कार्य करें। अधिकारी आपके विभाग के चाहे इक्सियन हों, एसई हों, जूनियर इंजीनियर हों सब मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और कमीशन खोरी कर रहे हैं किसी को डर नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती बजट पर बल देता हूं।

* श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपने मुझे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानीय बजट के सम्बन्ध में विचार करने का अवसर दिया। मैं बधाई दूंगा। दुर्गा प्रसाद यादव जी का कि उन्होंने समर्थन किया, हम लोगों की ताकत बढ़ी भविष्य का आगाज कराया उन्होंने। मान्यवर, हमारे प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और लोकप्रिय एवं कर्मठ मंत्री माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में उनके निर्देशन में लोक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी यहां पर जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी ने बजट के विषय में चाहे राजकीय राजमार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हों चाहे ग्रामीण मार्ग हो सारे मार्गों के गुणवत्तापरक निर्माण के लिए माननीय मंत्री जी जो विस्तारपूर्वक अपनी योजना बताई थी उसके संदर्भ में कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए निवर्तमान मंत्री जी ने माननीय मंत्री जी से कहा था कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जैसे तीर मार दिया हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक कहावत कही जाती थी कि "ईर, वीर फत्ते" तो सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज 'ईर वीर'' मौजूद है ''फत्ते'' नहीं मौजूद हैं नहीं तो वंशवाद की बेल से निकले हुए निर्वतमान मंत्री जी जिनको लोक निर्माण विभाग के तकनीकी शब्दों की जानकारी भी नहीं होगी। उन्होंने लोक निर्माण पर अपना विशद ज्ञान का प्रकाश डाला मैं उस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं मान्यवर, उन्होंने अधिष्टाता महोदय से कहा, आपकी ओर इंगित करते हुए कहा कि कमीशन के बारे में जानकारी आप दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री आप थे कमीशन का रेट आप तय करते थे और प्रश्न आपकी ओर किया जा रहा था कि कितने परसेन्ट कमीशन लिया जाता है। कह रहे थे कि एक पैसा कमीशन में नहीं लेते थे यह तो बड़ी बुद्धिमानी की बात है। मान्यवर, कोई मूर्ख ही ऐसा काम करेगा जो अब कमीशन पैसे में लेगा जब गड्डी में लेने का वक्त है तो पैसे में क्यों लेगा ? यह तो हर पढ़ा-लिखा आदमी जानता है कि कमीशन पैसे से लेने की बात नहीं की जाती थी। आज सदन के बीच में जब कहा जाता है कि 50-50 प्रतिशत के कमीशन की बात की जाती है। मान्यवर, एक बात के लिये मैं बधाई देना चाहूंगा तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी को कि इस विभाग का नाम बदल दिया गया था तब इस विभाग का नाम लूट निर्माण विभाग कहा जाता था और लूट निर्माण मंत्री कहा जाता था और मान्यवर, शोध कार्य करने का श्रेय तत्कालीन मंत्री जी और उनके विभाग को जाता है। मोबाइल टेक्नालोजी अभी तक सड़कों पर हिन्दुस्तान में कहीं भी ईजाद नहीं हुयी थी, यह इसी विभाग द्वारा ईजाद की गयी थी। मोबाइल टेक्नालोजी का अभिप्रायः मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, मोबाइल टेक्नालोजी ईजाद की गयी थी इनके ठेकेदार आते थे सड़क बनाते थे, बरसात होती थी और सड़क बहकर के दूसरे गांव में सेट हो जाती थी और कहते थे कि दोनों गांव को संतृप्त कर दिया गया, यह काम तत्कालीन मंत्री जी द्वारा किया जाता था। मान्यवर, मैं आपका एक मिनट समय और चाहूंगा। जिस तरीके से हमारे यहां गुणवत्तापरक कामों के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था माननीय मंत्री जी ने बताया कि आज हमारी सरकार के द्वारा हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो सड़कें बनाई गयी हैं उनकी गुणवत्ता का आंकलन कर लिया जाय और इसी राजधानी क्षेत्र में लोहिया मार्ग बनाया गया है जो लोहे से पाट दिया गया आज तक उस सड़क की गुणवत्ता का आंकलन कर लिया जाय, पता चल जायेगा कि अच्छा निर्माण किस सरकार ने किया है। बजट के आंकड़ों को मान्यवर, सिर्फ आंकड़े बाजी का खेल बताकर जिस तरीके से एक वक्त था महोदय समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि भारत में वंशवाद चल रहा है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वंशवाद का अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो समाजवादी पार्टी में देखना चाहिये आज जिनको यहां मंत्री बनाया गया था योग्यता के बल पर नहीं, वंशदान की काबिलियत के नाम पर मंत्री बने थे, इनके यहां योग्यता कोई पैमाना नहीं थी। मान्यवर, आपने मुझे अनुदान बजट के समर्थन में अपनी बात कहने का अवसर दिया मैं आपको हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्टाता जी, आपने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की लोक प्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल निर्देशन में लोक निर्माण

मंत्रालय का बजट इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि पूर्व की सरकारों में सड़कों की जो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस सरकार में सड़कों की गुणवत्ता के आधार पर मंत्री जी ने जो सड़कें बनाने का फैसला किया, इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जब मंत्री जी हमारे कन्नौज जनपद में दौरे पर गये थे, तो दो-तीन सड़कों को देखा था, एक सड़क पर जैसे ही कुदाल मारी गयी तो वैसे ही पूरा ऊपर का पोर्शन उखड़कर बाहर आ गया था जिसमें नीचे सारी मिट्टी पायी गयी थी। लोक निर्माण मंत्री जी ने मौके पर ही वहां के अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने का काम किया था। इसलिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पिछले सरकार के कार्यकाल में माननीय अधिष्ठाता जी तारकोल की जगह पता नहीं ऐसा कौन सा काला-काला पदार्थ डाला जाता था जो पता ही नहीं लगता था कि है क्या ? मैंने कहा कि पहले जब तारकोल पड़ता था तो गरमी के सीजन में जब हम लोग चलते थे तो ऊपर आ जाता था, यह तो पता नहीं कौन सा केमिकल था कि काला तो दिखता था लेकिन कुछ मजेदार हिसाब समझ में नहीं आता था जिससे सड़क मजबूती का हिसाब बने। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा में मकनपुर, ठठिया, तिर्वा इचरगढ़ सौरिख मार्ग के चौड़कीरण का मार्ग प्रस्तावित किया है, जिसमें 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है इसके लिये मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके पहले की सरकार में टेण्डर की व्यवस्था नहीं थी, लिस्ट देख करके काम दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार में इंटरनेट के माध्यम से टेण्डर की व्यवस्था की गई है, इससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मकनपुर की सड़क दी है उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छिबरामऊ, सौरिख, खडिनी, एरवाकटरा तक जिसकी लम्बाई लगभग 20-22 किलोमीटर होगी, इसका चौड़ीकरण का कार्य होना आवश्यक है, अनुरोध है कि इसका चौड़ीकरण का कार्य करा दिया जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सकरावा के पास आरिन्द नदी पर बझेड़ी के पास पुल था वह टूट गया है, उसे भी बजट में सम्मिलित कर लें और दूसरा पुल खबरामऊ घाट पर ईशन नदी पर है, इसे भी बजट में सम्मिलित कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, हम उस क्षेत्र से चुन करके आये हैं, जिसके पूर्व इन सड़कों की यह हालत थी कि जिस औरत के बच्चा न हो रहा हो उसे आपरेशन के लिये ले जाना पड़ता था तो उस सड़क पर एम्बुलेंस में ले जाइये, रास्ते में उसके बच्चा हो जाता था। मुझे नहीं मालूम कि पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड की कौन सी सड़क बनायी है लेकिन आज मैं दलीय भावना से ऊपर उठकर श्री नसीमुद्दीन जी को जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ काम कराना शुरू किया है हमारे बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं। और एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात के लिये उनको सचेत करता हूं कि मा0 मंत्री जी आपको सचेत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आप प्रयासरत हैं उसमें आपके ही सहयोगी बाधा डाल रहे हैं। वहां पर खनिज विभाग रिश्वत लेता है एक हजार रुपये, फारेस्ट लेता है दो सौ रुपये और जिला परिषद् लेती है, 650 रुपये, तो मान्यवर, इस प्रकार ये गुण्डा टैक्स लगा करके बाधा पहुंचायी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि ठेकेदार जो रेट बढ़े हैं इन महीनों में गिट्टी के बालू के मौरंग के, इनकी वजह से ठेकेदार भाग रहे हैं और नये ठेकेदार आपको मिल नहीं पा रहे हैं। कृपा करें इस गुण्डा टैक्स को बन्द करा दीजिये। यह पूरे इलाके में फैला हुआ है और खास तौर से आपके बुन्देलखण्ड बांदा में। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरे साथ भी घटना घटित हुई, इन ठेकेदारों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया मैंने सारा सामान बरामद कराकर पुलिस को दिया और पुलिस ने जांच की। और वह रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के यहां भेजी लेकिन आपकी सरकार के मंत्री के दबाव के कारण उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मान्यवर, यह अनोखी घटना है कि पकड़ा गया और एस0डी0एम0 ने थाने के अन्दर रिपोर्ट दर्ज करायी, एक आदमी जेल गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसको अरेस्ट स्टे नहीं दिया, वह माफिया है। लेकिन आपके ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री के कहने पर एस0डी0एम0 की रिपोर्ट पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। इस पर आप रोक लगावें, हम आप व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हैं कि जो आपने बुन्देलखण्ड के लिये रुचि ली है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है बहुत ज्यादा पी0डब्लू0डी0 का बजट बढ़ाया गया है और मैं उन सब पर न जा करके, क्योंकि आप समय हमको देंगे नहीं। संक्षेप में अपनी ही विधान सभा क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं बाढ़ प्रभावित इलाके का हूं, बंधे के बारे में सिंचाई विभाग का बजट आयेगा तो कहूंगा लेकिन बंधा टूटने के बाद जो क्षति हुई, जो सड़के हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और वाश-आउट हो गयी है, जगह-जगह गड्ढे बन गये थे। आवागमन बाधित हो गया था आपके विभाग ने मिट्टी भरवाकर उसके ऊपर खण्ड़जा करके किसी तरह से आवागमन शुरू कर दिया है। लेकिन माननीय मंत्री जी केवल विशेष मरम्मत करने से पैच करने से उन सड़कों पर पूरी तरह से आवागन सम्भव नहीं हो पायेगा इसलिये मेरी आपसे यह गुजारिश है कि वह सड़कें जो सिसवा नहर से लेकर बाघाचोर, सिसवा नहर से विरवर, सिसवा नहर से मठिया श्री राम को जाने वाली सड़कें हैं और घघवा जगदीश से ए0 पी0 तटबंध है उसको जाने वाली सड़क पर जो पुल है उसका पाया ही ध्वस्त हो गया है और सड़क पूरी तरह से वाश आउट हो गयी है। यह ठीक है आपने अम्बेडकर गांवों के सड़कों के निर्माण की योजना बनायी गयी है लेकिन यह बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, वह आपकी सड़कें हैं, आपके विभाग की सड़कें हैं उन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये भी माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं। दूसरे

हमारे यहां पिछली सरकार ने 3 बड़े पुल स्वीकृत हुये थे बांसी नदी में। एक पुल मलाही घाट का वह चुनाव अधिसूचना जारी होने के समय तक पूरा हो चुका था, दो पुल पिपरा घाट और चौवया पटखोली के बन रहे हैं, पैसा आवंटित है लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। मान्यवर, बाढ़ प्रभावित इलाका है, वह पुल बन जायेंगे तो उससे वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं पूर्वान्चल ओर बुन्देलखण्ड विकास निधि की बात यहां पर आयी है। माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण में कम से कम यह स्पष्ट करेंगे कि जो धनराशि बतायी है 587 करोड़ रुपये की, उसमें पूर्वान्चल का हिस्सा कितना है और विशेष रूप से मैं कुशीनगर जनपद से आता हूं और जैसी शंका यहां पर विधायकों की है, हम विपक्ष के लोगों को पूर्वान्चल के राज्यांश से धनराशि नहीं मिलेगी। तो मेरी शंका ज्यादा इसलिये है क्योंकि कुशीनगर जनपद में सत्ताधारी दल का कोई भी विधायक नहीं हैं कुशीनगर जनपद में पूर्वान्चल के राज्यांश की धनराशि जो आप अवमुक्त करेंगे, उससे यह स्पष्ट होगा कि दलीय भावना से ऊपर उठकर यह सरकार सर्वजन हिताय की कितनी बात कर रही है ? इसी वजह से माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से यह जानकारी भी हासिल करना चाहता हूं। मान्यवर, ए0 पी0 तटबंध हमारे यहां है उसकी अप्रेच रोड सेवरही से लेकर ए0पी0 तटबंध तक 5 कि0मी0 बीच में नहीं बन पायी है। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी को कि पिछले कार्यकाल में 14 कि0मी0 के लम्बाई में बंधे की पिचिंग हुई थी। अन्त में और भी सदस्य आपसे मांगेंगे, इस कार्यकाल में तो हम लोग दूसरी बार आये हैं लेकिन 10 मीटर सड़क के लिये भी तरस गये। पिछली बार 5 कि0मी0 और 7 कि0मी0 सड़कें दी गयी थीं। पिछली बार जब आपने बजट प्रस्तुत किया उस समय मैंने कहा था पुनः उस मांग को दोहरा रहा हूं कि इन विधायकों के सम्मान को बढ़ाने का काम करिये और दो, तीन चार या पांच कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक को देने के ऊपर विचार करेंगे इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री शिवपाल सिंह यादव के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अधिष्ठाता जी अभी मंत्री जी ने घोषणा की कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के पांच गांवों को उनके विभाग द्वारा विकसित किया जायेगा। मैंने आशंका जाहिर की थी कि मंत्री जी शहरी क्षेत्र की ओर उपेक्षा हो जाती है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक नगर में चार वार्डों को काशीराम नगर विकास योजना से विकसित किया जायेगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उन महानगरों का क्या होगा जिन महानगरों में पांच-छह विधान सभा क्षेत्र हैं वहां पर आप चार वार्डों को विकसित करेंगे तो कुछ विधान सभा क्षेत्रों में तो एक वार्ड का भी विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये यह अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के पांच-पांच वार्डों को विकसित करने का काम किया जाय। अधिष्ठाता महोदय, विडम्बना यह है कि लोक निर्माण विभाग का बजट खत्म करने के लिये हमेशा निर्माण कार्य फरवरी, मार्च में ही शुरू हो जाते हैं इस समय इतनी तीव्रता से कार्य होते हैं कि बिना गुणवत्ता की जांच किये किसी

तरह से काम खत्म करने के उद्देश्य से बिना मानक के अनुरूप न होते हुये निर्माण कार्य कराये जाते हैं इसलिये ऐसा नियम बना दिया जाय हर सरकार के लिये कि जो निर्माण का बजट होता है उसके कार्य हर हाल में दिसम्बर से पहले प्रारम्भ हो जाना चाहिये जिससे गुणवत्ता बनी रहे और पैसे का सदुपयोग हो जाय। हमारे यहां कानपुर महानगर में जी0टी0 रोड रावतपुर गुटैया में डिवाइडर बनाया जा रहा है वहां पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाए बिना ही यह डिवाइडर बनाया जा रहा है इस डिवाइडर को न पेंट किया जा रहा है न ही कोई सिग्नल लगाये जा रहे हैं जिससे आये दिन वहां वाहन टकराते रहते हैं औद दुर्घटनायें होती रहती हैं। मंत्री जी अगर डिवाइडर बनायें तो पहले सड़क का चौड़ीकरण कराया जाय व किनारे के अतिक्रमण को हटाया जाय तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। शहरों में विशेष रूप से महानगरों में सड़कें तो चौड़ी कर दी जाती हैं लेकिन जो बिजली के खम्भे लगे होते हैं उन बिजली की लाइनों को वहीं लगा रहने दिया जाता है जिससे यह खम्भे सड़कों के बीच आ जाते हैं जिससे इनसे आये दिन वाहन टकराते रहते हैं और दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन घटनाओं को रोकने के लिये बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान वगैरह को आपस में सामन्जस्य बनाकर समन्वित विकास करना चाहिये ताकि महानगरों को इसका लाभ मिल सके। एक अन्य अनुरोध मंत्री जी से करना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में जो 7 कि0मी0 सड़क दी गई वह चुनावी आचार संहिता के कारण रोक दी गई कुछ क्षेत्रों में पैसा पहुंच गया लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक काम नहीं हुआ मेरा अनुरोध है कि इस सड़क की योजना का लाभ सभी 403 विधायकों को मिलना चाहिये। सरकार चाहें किसी की हो लेकिन विभाग को किसी से पक्षपात नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री शिवपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुये श्री शिवपाल सिंह जी ने विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। मैं अपने जिले उन्नाव के बारे में बताना चाहता हूं। हम प्रथम तो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहेंगे कि इधर वाल ध्यान दे दें। हम आलोचना कम सुझाव देंगे। ऐसे सुझाव देंगे जिसमें करोड़ों रुपये की बचत भी है और गोल माल भी है। वास्तव में जब हम लखनऊ से कानपुर मार्ग की तरफ चलते हैं जाजमऊ से कानपुर मार्ग की तरफ चलते हैं जाजमऊ के पहले एक आजाद मार्ग इसी नेशनल हाई वे पर पड़ता है उस रोड से यह 5 कि0मी0 की सड़क है जो उन्नाव और कानपुर को गई थी उस रोड को मिलाती है। पहले से भी अच्छी बनी थी लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपया लगाकर चार लेन की उसको बनाया गया बनाने के बाद अब देखिये बड़ी अच्छी लीला हमारे अधिकारी इसके लोक निर्माण विभाग के इतने होशियार,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतने चतुर और इतने भोले मंत्री हमारे जो कि हैं तो निपुण मगर इतने भोले के करोड़ों रुपये स्वीकृत करते चले जा रहे हैं। इनको यह भी होश नहीं है कि अभी तीन दिन पहले 5 करोड़ की यह रोड बनी है और उसी के समानान्तर रोड गंगा एक्सप्रेस हाई वे जा रही है जिसके ऊपर 8 लेन बनने का प्रस्तावित है, उसी गंगा के किनारे 20 करोड़ लागत की एक रोड, इसी रोड को पुनः 8 लेन की प्रस्तावित करके जिसको कल ही 5 करोड़ रुपये लगाकर बनाया गया था आज फिर वह प्रस्तावना में लेकर 20 करोड़ का मार्ग स्वीकृत हो गया। मान्यवर, 20 करोड़ रुपये जा रहे हैं। इनको बचाने का प्रयास करें और जो 5 करोड़ जो जा चुके हैं उसकी जांच कराने का काम करें। एक तो मेरा यह बिन्दु है और दूसरा बिन्दु एक हमारी रोड जाती है यही लखनऊ से मुहान रोड होते हुये अजगैन में मिलाती है और उन्नाव होते हुये सीधे कानपुर चली जाती है। उस रोड पर चलना बंद हो गया है। गड्ढामुक्त योजना चली थी 1998 में जिसके लिये मार्ग विकास निधि बनाई गई थी। इस निधि के माध्यम से (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, एक मिनट लूंगा अधिक समय नहीं लूंगा। यह रोड इतनी गड्ढायुक्त हो गयी है कि कोई आदमी उसमें नहीं चल सकता है 2-2, 4-4 मील चक्कर करके लोग जा रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह मुख्य मार्ग है अगर उस ओर से बचत करें तो कुछ इस तरफ खर्च कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सुन्दर सिंह लोधी-

और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसमें 1 हजार की आबादी वाले गांव को माननीय मंत्री जी ने पहले ही बताया कि उनको जोड़ने का काम। उसमें कितना जोड़ा गया। यह आप देखें।

(श्री राजेश कुमार का नाम पुकारने पर)

मेरी समझ से एक सुझाव देकर ही हम अपनी बात समाप्त करें क्योंकि शराफत से बैठ जाना माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि बड़े भाग्य से वही लोग चुकर इसमें बड़े परिश्रम से आते हैं और बड़ी समस्या से आते हैं अगर वह अपने क्षेत्र की समस्या एक मिनट और दो मिनट में भी न दे सकें तो दुर्भाग्य होगा। हम दूसरे बजट के ऊपर भले ही न बोल पायें मगर अगर समय दें कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो या चार मिनट का समय दें क्योंकि हमारा इतना बड़ा शरीर है। आपने दो मिनट का समय दिया दो मिनट में हमको समय आधी सांस आने में और आधी सांस जाने में बीत जाती है इन्होंने लाल बत्ती जलाई, प्रतिबंध लगाया इसलिये हम थोड़ा सा निवेदन ही करेंगे कि निवेदन इस आधार के ऊपर करेंगे कि यह तो सरकार कमीशनखोर की सरकार हमारे माननीय शिवपाल जी ने कही है, उस कमीशन को बचा कर के यह जो बिगड़ी हुई रोडे हैं उन पर लगा देंगे। यह जो अम्बेडकर गांव को जोड़ने की बात कही है उसमें किसी से कोई राय मशविरा नहीं है। हम पुनः आपको बधाई देते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं।

*श्री राजेश कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रस्तुत बजट पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये माननीय सदस्य जी ने बड़ी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इनकी सरकार की उपलब्धियां इतनी अच्छी रही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जहां बड़े-बड़े खाद्यान्न घोटाले हुये इनकी सरकार में। जहां काम के बदले अनाज के घोटाले हुये उसी जगह उसकी तर्ज पर पी0डब्ल्यू0डी0 का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लखीमपुर माधोगंज मार्ग जिसका उच्चीकरण हो रहा था। इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के ठेकेदारों ने पूरा पत्थर खाने का काम किया। एक भी पत्थर नहीं पड़ा हुआ है रोड खुदी पड़ी है। इसी तरह से मान्यवर गोला से मोहम्मदी मार्ग पर जिसका उच्चीकरण हुआ और उस उच्चीकरण और चौड़ीकरण की मान्यवर, जांच हुई उसमें इतना घोटाला हुआ उसमें गड्ढायुक्त सड़क हो गई दो-दो फिट के गड्ढे हो गये। इसी तरह से बांकेगंज रोड से हरीहर रोड के मध्य, पी0डब्लू0डी0 की रोड पर एक पुलिया का निर्माण हुआ और पुरानी पुलिया तोड़कर दोनों साइड में नई-नई ईंटें घेरकर के बीच में पुरानी ईंटें लगाकर के पैसा हड़पने का काम किया जिसकी हमनें जांच के आदेश दिये, कोई भी जांच मान्यवर, इनकी सरकार में नहीं हुई। इसी तरह से पलिया से निघासन की जो रोड थी उसी रोड पर मान्यवर इनके पी0डब्लू0डी0 मंत्री के कार्यकाल में वह रोड बिल्कुल साफ हो गई। जमा खर्च हो गया। आज अम्बेदकर गांव की रोड की बात करते हैं। अम्बेदकर गांव बन रहे हैं हमारी सरकार पक्षपात नहीं करती है आपने पक्षपात करने का काम किया जहां आपने समग्र गांव दिये थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों को रोड देने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार में अम्बेडकर गांव में बहन कुमारी मायावती जी ने नीचे से ऊपर से, दोनों ओर से अम्बेडकर गांव बनाने का काम किया था और पूरे चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहें विपक्ष के विधायक हों प्रत्येक गांव में पांच-पांच ग्राम सभायें, दोनों को रोड देने का काम किया। वहां रोड बन रही है और आपकी सरकार में दो-दो फिट के गड्ढे सड़कों में हुये थे और हमारी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने आर0सी0सी0 की रोड बनवाने का काम किया। सबको रोड देने का काम किया तो आपके पेट में दर्द हो गया ...

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राजेश कुमार-

अभी आप बोल रहे थे कि पुल के निर्माण कार्य स्वीकृत किये .. (मा0 जुल्फिकार अहमद भुट्टो का नाम पुकारा गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

बैठिये आप। मैंने जुल्फिकार अहमद जी को बुला लिया है।

श्री राजेश कुमार-

इस समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने घोटाले हुये। अपने-अपनों को रेवड़ी बांटने का काम किया, माननीय पूर्व मंत्री जी को याद है....

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री राजेश कुमार-

[x x x]

*श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। इस लोक निर्माण के बजट में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिये समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सन् 2010 तक तथा शेष सभी गांवों को 2021 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है। मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में यातायात के लिये फ्लाई ओवर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सेतुओं उपरिगामी एवं अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिये आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता के आधार पर इनका निर्माण कराने की योजना है 2008-09 में 145 सेतु निर्मित कराये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बाईपास, रिंग रोड व एक्सप्रेस वे के निर्माण में निजी क्षेत्रों के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेन्सीज के बीच इक्विटी सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित योजनाओं को बी0ओ0टी0 पद्धति से कराने का निर्णय लिया है। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी पर बलिया से नोयडा तक 900 कि0मी0 लम्बा आठ लेन का एक्सप्रेस वे का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुये मोहांड तक, झांसी से कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-कुशीनगर तक, आगरा से कानपुर तक एवं बिजनौर से मुरादाबद होते हुये फतेहगढ़ तक चार अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण निजी सहभागिता के आधार पर करने का अभूतपूर्व निर्णय हमारी सरकार का प्रमुख कदम है। इससे प्रदेश में रहने वाले गरीब मजदूरों के रोगजार की व्यवस्था भी सम्भव हो सकेगी। मान्यवर, बहिन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में बनी सरकार की प्रमुखता अम्बेडकर ग्रामों के अपूर्ण/अधूरे सम्पर्क मार्गों को इस वर्ष पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है साथ ही पहले से निर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त किया जायेगा। डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना के अन्तर्गत हर वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से 5-5 ग्राम सभायें चयनित की गई हैं। इस प्रकार कुल 1900 ग्राम सभाओं में सभी राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के मजरों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने लिया है। मान्यवर, दिसम्बर, 2007 तक 2,375 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है वर्ष 2008-09 में 3500 लम्बाई में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण किये जाने का लक्ष्य है जो पहले से 1125 कि0मी0 अधिक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बसपा सरकार का एक और क्रांतिकारी कदम मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना का प्रारम्भ करना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में आठ-आठ वार्ड तथा प्रत्येक जनपद में एक नगर पंचायत का चयन प्रस्तावित है। इस योजना में चयनित वार्डों में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों के सुधार हेतु 175 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित की गई है इसी प्रकार मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु 35 करोड़ रुपये और पूर्वांचल विकास निधि हेतु 141 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आपने मुझे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सनातन पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने हमारे नेता मा0 शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा लोक निर्माण विभाग के बजट पर लाये गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यहां पर पक्ष, विपक्ष और दर्शक दीर्घा में अधिकारीगण बैठे हुये हैं। जब पक्ष अपनी बात रखता है तब उधर के लोग अपनी मेजें थपथपा देते हैं और विपक्ष जब आइना देखाने का काम करता है तो इधर के लोग मेजें थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह संदेश दिया जा रहा है, इस बात का संदेश जा रहा है कि आप सत्तापक्ष में बैठे हुये लोग कहीं से भी संवेदनशील हैं ही नहीं, यह जो बातें सदन से उठ रही हैं, यह अधिकारी आपको देख रहा है, वह महसूस कर रहा है कि यह आपस में लड़ने का काम करते हैं और वह भी अपने को मस्ती-भरा महसूस कर रहा है और जनता दुखी है आपने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुये, पिछली सरकार पर आप जो कटाक्ष करने का काम किया है, मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं जो कहूंगा, मैं यहां शपथ लेकर सदन में बैठा हुआ हूं, आप जांच कराने का काम कीजियेगा, जो बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, कमीशनखोरी तक की बातें कही गयीं, आज क्या हो रहा है, इस अनुरोध को कार्यवाही में नोट करा लें, हम चाहते हैं, आप 72 घंटे में जांच करा लीजियेगा, जो सजा देंगे, मैं तैयार हूं। हमारे यहां के अम्बेडकर गांव की सड़कों का पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया। लोक निर्माण मंत्री जी ने कबूल किया कि हमारे यहां अभियंताओं की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां हैं। आपने वह पैसा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को ट्रांसफर कर दिया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 20 जनवरी, 2008 को निविदा प्रकाशित की गई। वह निविदा बिना कारण बताये 16 जनवरी को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रद्द कर दी गयी और काम बिना टेण्डर कराये बांट दिया गया। बड़ी-बड़ी बातें हो रही है कि हमने जो है इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू किया है। आपने कौन सी प्रणाली लागू किया है। अम्बेडकर गांवों का पैसा, आपके अधिकारियों ने खुले मन से मुझसे भी कहने का काम किया था, माननीय मंत्री जी नाम बता दूंगा आपके कक्ष में कि उसने कहा था कि मेरी मजबूरी है, मैं ऊपर 8 प्रतिशत धन देकर सार्वजनिक निर्माण विभाग से ट्रांसफर कराकर लाने का काम किया है। बुलवा लीजियेगा हमको भी, उनको भी और आपके सामने हो जायेगा और इस तरह की बात, हम तो 15 दिन की बात कह रहा हूं और यह काम हुआ और वह बिना टेण्डर कराये कामों को बांट दिया गया। आप 8 महीने में 6 हजार करोड़ रुपया खर्च करने की बात कह रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार का दिया हुआ पैसा, नगरा से बिलथरा रोड, नगरा से रसड़ा, नगरा से ताईबड़ा गांव, यह सड़कें आज भी उसी अवस्था में पड़ी हुयी हैं। जबकि इसका पूरा का पूरा पैसा पूर्ववर्ती सरकार में दिया जा चुका था। आप तो उपचुनाव में गये भी थे, माननीय मंत्री जी भी गये थे। उन सड़कों का हाल भी आपने देखने का काम किया। क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। आपने अम्बेडकर गांव की बात कही।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें। माननीय सदस्य श्री जोखू लाल यादव जी।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के बजट पर हमारी पार्टी के नेता श्री शिवपाल सिंह यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिये बोलने का अवसर दिया।

आस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक क्रिकेट सिरीज विजय पर भारत की क्रिकेट टीम को बधाई का प्रस्ताव

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट। हिन्दुस्तान ने आस्ट्रेलिया को हराकर सिरीज जीत ली है मैं आपको बधाई देता हूं, और आपके माध्यम से पूरे सदन को बधाई देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनको एक्साइज का बजट एक तो शाम के बाद रखना चाहिये था। अब इंडिया मैच जीती। अगर इसके बाद एक्साइज का बजट होता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता-

हाशमी जी आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, हमने कल भी बधाई दी थी और आज भी बधाई देना चाहते हैं और जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के हैं उनको विशेष रूप से 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर बधाई हो जाने दीजिये।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सूचना दी है। हालांकि मैं सोच रहा था कि बार-बार माननीय तिवारी जी क्यों आ-जा रहे हैं। अब समझ में आया कि क्यों आ-जा रहे थे। हालांकि स्वाभाविक है हम सब हिन्दुस्तानी हैं, और हिन्दुस्तानी हैं तो हिन्दुस्तान के लिये चिन्ता करना हमारे लिये जरूरी है।

मान्यवर, जो प्रमोद तिवारी जी ने सूचना दी है कि आस्ट्रेलिया से हमारा भारत वर्ष क्रिकेट सिरीज जीत गया है, तो मेरा प्रस्ताव यह है कि पूरे सदन की तरफ से एक बधाई संदेश उन खिलाड़ियों को भिजवा दें कि उन्हें यह जीत बहुत मुबारक हो-मुबारक हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने जो सूचना दी है कि इण्डिया क्रिकेट श्रृंखला जीत गयी है तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इण्डिया टीम को बधाई भेज दी जाय। क्योंकि हमारे प्रमोद तिवारी जी भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। (व्यवधान) हां हम कहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनको भी आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ खेल सिखा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो खेल यह खेल चुके हैं मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इनको जानकारी नहीं है मैं नेशनल प्लेयर रहा हूं वालीबाल का और 11 बार नेशनल खेल चुका हूं लेकिन यह पता नहीं कौन सा खेल खेलते हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मुझे यह नहीं पता था कि यह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं ? आज मेरे संज्ञान में आया है कि यह बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं। तो मान्यवर, पूरे सदन की तरफ से यह बधाई टीम को भिजवा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और जो माननीय मंत्री जी की ओर से आया है तो हम लोग इसका समर्थन करते हैं। हमारा यही कहना है कि भारतीय टीम को हम सबकी भावनाएं पहुंचा दें, उन्हें पूरे सदन की ओर से बधाई भिजवा दें। जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके आस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है उसके लिए हम हृदय से बधाई देते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस प्रस्ताव के साथ एक आवश्यकता थी शायद माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं गया, यह प्रस्ताव उन्हीं की ओर आ सकता है। जो वर्ल्ड चैम्पियन सरीखी प्रतियोगिताएं हैं उनमें जीतकर आने वाली टीम के लिए हमेशा से यह बात रही है कि जो अपने प्रदेश के खिलाड़ी

हैं, उनका भी योगदान रहता है, अनिवार्य रूप से हमेशा सरकार उनके पुरस्कार की बातें करते रही है। आज जब हम सदन में पूरी टीम को इस अवसर पर, जो आस्ट्रेलिया अपने को न सिर्फ विश्व विजेता समझ रहा था, अजेय समझ रहा था और उनका दंभ और अहंकार नस्ली भेदभाव वाली टिप्पणी करते थे, उन परिस्थितियों में हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा को ऊंचा किया इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री जी ने बधाई संदेश का प्रस्ताव रखा है वह बधाई दे दें। यह भी आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर माननीय मंत्री जी, आज चाहें उसकी मात्रा घोषित करें या न करें, आप समर्थ हैं स्वयं कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से परामर्श कर लें, आपकी ओर से बात इस सदन में इसी अवसर पर आनी चाहिए जो प्रदेश के खिलाड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी सिरीज में भाग ले रहे थे हिन्दुस्तान की ओर से और यह विजय हासिल हुई है, तो उनके लिए बड़े पुरस्कार की घोषणा सरकार करे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप पारित करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने आस्ट्रेलिया के ऊपर हम सबकी भारत की एक ऐतिहासिक विजय के लिए यहां एक प्रस्ताव किया है, हम सब इस सदन की ओर से गौरवान्वित महसूस करते हुए उन्हें बधाई संदेश प्रेषित करना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या यह सदन इस बात से सहमत है कि आस्ट्रेलिया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भारत की टीम को बधाई संदेश प्रेषित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, यह संदेश प्रेषित किया जाये। अब हम लोग पुनः बजट पर शुरू होते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट का समय लूंगा।

मान्यवर, मद संख्या-9(11) पर आज खेल विभाग का बजट है,

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अम्बिका जी, उसमें विवाद नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं विवाद की बात नहीं कह रहा हूं। खेल विभाग का बजट रखते समय तक भी अगर सरकार वह घोषणा कर देगी तो हम उसका स्वागत करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान सं0-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान सं0-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान सं0-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें), अनुदान सं0-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (क्रमागत)

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर हमारे पार्टी के नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी जब अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरे प्रदेश की सड़कों की समस्या समाप्त हो गई है, अब इस विभाग की जरूरत नहीं है। मैं बड़े अचम्भे में पड़ गया कि अभी इनका कुछ कार्यकाल बाकी है, आखिर मंत्री जी का क्या होगा ? माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि किसी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि अगर किसी मुल्क की सम्पन्नता का आंकलन करना हो तो उस मुल्क की सड़कों का आंकलन कर लिया जाये और साथ ही साथ उस अर्थशास्त्री ने यह भी कहा था कि अगर किसी भी देश की तरक्की और सम्पन्नता देखना है तो वहां के भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा और इसके लिए तीन चीजों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, वह तीन जो बाधक हैं, नेता अफसर और पूंजीपति, अगर ये तीनों ठीक हो जायें तो उस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है उस पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, समय-बद्धता का सवाल है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का सवाल है, माननीय मंत्री जी आप में अगर नैतिक साहस हो तो हम आपको एक सड़क का नाम बताते हैं, हम इलाहाबाद जनपद से चुन कर आते हैं, इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग आपकी सरकार के पिछले कार्यकाल से बन रहा है और आप उसकी गुणवत्ता की जांच करा लीजिए, समयबद्धता की बात तो यह है कि वर्षों से सड़क बन रही है मान्यवर हालात तो यह भी हैं कि दो-दो कि0मी0 आज भी पड़े हुए हैं फूलपुर इलाहाबाद की बीच की दूरी में। ठेकेदार का एडवांस पेमेण्ट कर दिया गया है मान्यवर, वह सड़क उसके रहमों-करमों पर पड़ी हुई है। यह है इनकी समयबद्धता वर्षों से काम चल रहा है, आज वह पूरा होने की स्थिति में नहीं, दो किमी0 का एडवांस भुगतान, ठेकेदार छोड़ कर भाग कर चला गया, पूरी सड़क जो इलाहाबाद से जौनपुर होते हुए जाती है, आज उस पर चलने वालों का क्या अपराध है मान्यवर, हम तो कहते हैं कि जांच करवा लीजिए ? दूसरे माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि हमने, आपने चुनाव से जीत कर आने के बाद यहां पर संविधान की कसम खाई थी और शपथ खाई थी और आप जिस पार्टी के हैं उस संविधान को बनाने वाले डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। आपने तो संविधान का उल्लंघन किया और भारत का संविधान कहता है, मान्यवर, आप हमारी बात से सहमत होंगे कि

किसी भी चीज में जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र के आधार पर भेद-भाव के नाम पर विभेद नहीं किया जा सकता है ? लेकिन आपने तो वह भी कर दिया, अपनी पार्टी के लोगों को 10-10 कि0मी0 और 5-5 कि0मी0 सड़कें दे दीं, जबकि भारत का संविधान आपको यह इजाजत नहीं देता है, आपने तो भारत के संविधान का उल्लंघन करके अपने ही पार्टी के लोगों को लाभ आपने दिया। आप सर्वजन सुखाय की बात करते हैं आखिर इधर बैठे हुए विधायकों का कौन सा अपराध है ? कम से कम दिलों में जो हो, सामने कम से कम हाऊस में एक चीज तो देखने में लगे कि बराबर का हक सब विधायकों का है इसलिए मान्यवर, केवल इस बात की अपील करते हुए मान्यवर, मैंने जो दो तीन बातों का उल्लेख किया है आप उसका संज्ञान लेने का काम करेंगे। मान्यवर, इलाहाबाद से हम लखनऊ के लिये आते हैं। कमीशन की बात शुरू हुई है। सदन में कमीशन की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इलाहाबाद से लखनऊ के लिये जो हम लोग आते हैं आप किसी सड़क को देख लें कि वह खड्ढा मुक्त है या युक्त है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तो मस्त है लेकिन सड़कें गड्ढा युक्त हैं और सड़कें गिट्टी मुक्त हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह लोक निर्माण विभाग का बजट है यह जनता से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, हमारे जनपद बुलन्दशहर में 8 विधान सभायें हैं। जिनमें दो पर भाजपा के विधायक हैं और शेष 6 पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक काबिज हैं। मान्यवर, अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत वहां पैसा भारी मात्रा में दिया गया है लेकिन जो भाजपा के दो विधायक हैं उनके क्षेत्रों के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया है। जो 6 बसपा के विधायकों के क्षेत्र हैं उनको एक बड़ी धनराशि दी गयी है। मान्यवर, मंत्री जी हमारे मित्र भी रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या हो गया है जब तब आप पाला बदल दिया करते हैं ? मान्यवर, मंत्री जी पूरे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं केवल 203 विधान सभाओं के नहीं हैं। आपको चिंता सबकी करनी चाहिए लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया गया है कि जहां पर बसपा के विधायक हैं उनको पैसा दिया गया है बाकी क्षेत्रों को नहीं दिया गया है ? मैं माननीय मंत्री जी को दो तीन पत्र लिख चुका हूं। एक बहुत छोटी सड़क है ओलीना से जोलीगढ़ 1.25 कि0मी0 की सड़क है। धनराशि विभाग के द्वारा 2001-02 में स्वीकृत होकर विभाग को मिल गयी थी लेकिन आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। पता नहीं पैसा कहा चला गया ? मैंने प्रश्न भी रखा था जवाब आया कि जब संसाधन उपलब्ध होंगे तब इस सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा। मान्यवर, पत्थर पड़े हुए हैं 2001-02 में पैसा जिले में चला गया था अब यह उत्तर आ रहा है कि उसके लिये संसाधन नहीं हैं मंत्री जी के पास। आप उस सड़क का निर्माण करा दें। मान्यवर, इसी तरह से एक दूसरी सड़क है शेखपुरा गड़वा से मोहनपुर यह तीन कि0मी0 की सड़क है। इस पर आप निकल नहीं सकते हैं। माननीय मंत्री जी आप हमारे साथ दौरा लगा लें। आपको गाड़ी में 5-7 गनर और फोर्स रखनी पड़ेगी जो

धक्का दे देकर गाड़ी को पार करा पायेगी। आप उसको दिखवा लें और कार्य करा दें। मान्यवर, इसी तरह से एक पुल काली नदी पर जो पहले स्वीकृत हो गया था बुलन्दशहर बाई पास उसका निर्माण कराया जाये। उस पर पैसा रोक दिया गया है। एक दूसरे पुल की बात है काली नदी पर। मान्यवर, अब पुल का निर्माण अकबरपुर व करीम नगर बनकर मोझा के पास काली नदी पर तथा नवादा उत्तरा के दूसरा पास एक पुल काली नदी पर बनना है वह भी जरूरी है। उसको शीघ्र बनवाया जाये। इसी तरह से नीम नदी पर खाद मोहन नगर गांव में एक छोटा पुल बनने की बात है उसको भी आप निर्माण कराने की कृपा करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है। मान्यवर, इन छोटी-छोटी मांगों पर ध्यान देने का काम करें। मान्यवर, आज अम्बेडकर ग्रामों के लिये जो पैसा चाहिये वह कम धनराशि है। बावन हजार ग्राम सभायें हैं। मान्यवर, आपने पूरे प्रदेश में पांच-पांच और दस-दस गांव की बात कही है इस धनराशि में आप कितने साल में पूरा करा पायेंगे। आपका एक साल हो गया है चार साल बाकी रह गया है। शेष ग्रामों का आप काम कैसे करा पायेंगे ? इसमें बहुत पैसे की आवश्यकता है आप बजट प्रावधान उसमें बढ़वायें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं कोई भाषण न देकर अपने जनपद की बात रखना चाहता हूं। हमारे जनपद में लुम्बनी दुद्धी मार्ग स्टेट हाइवे मार्ग है जो बर्डपुर से ककरहवा तक हाईकोर्ट के स्टे से रुका हुआ है और वह आज तक नहीं बना। उसमें आप अपने विभाग से कहें कि स्टे खारिज करा दें दो साल हो गया। यह सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। इस पर अभी कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ है इसके बारे में मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था लेकिन अभी तक इसका स्टे खत्म नहीं हुआ है इसका भुगतान पहले ही हो चुका है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु पिपरहवा जहां भगवान बुद्ध पैदा हुये थे और जिनकी 29 साल जवानी बीती थी और वहीं से वह गौतम बुद्ध बनने के लिये गये थे वहां के कुशीनगर से कपिलवस्तु यानि कुशीनगर से गोरखपुर कोल्हुईलोटन कपिलवस्तु और कपिलवस्तु से सिद्धार्थनगर होते हुये श्रावस्ती तक की जो सड़क है यह तमाम जगहों से टूट गयी है या खत्म हो गयी है यह जापान के सहयोग से बनी थी इसका फिर से चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराने की कृपा करें। जिससे यह पर्यटन की दृष्टि से ठीक हो जाय। मान्यवर, हमारे यहां एक पिटनी घाट करछुलिया घाट दो पुल है और इस करछुलिया घाट के पुल पर आपने मुझे कई बार आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस पर कई लाख रुपया गया था और इसके पहले जब आपकी सरकार नहीं बनी थी उसके पहले यह पैसा वापस चला आया था चुनाव के समय में। इस पर कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। वह लकड़ी का पुल है वह टूट गया है हर साल दो चार बच्चे उसमें गिरकर मर जाते हैं। साइकिल से पढ़ने जाते हैं उसमें गिरकर मर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप दिखवा लें तो

आपकी कृपा होगी। यह दोनों पुल टूटे हुये हैं। ककरही पुल जो बस्ती से सिद्धार्थनगर को जोड़ता है सबसे महत्वपूर्ण पुल है उसका एक पावा टूट कर नदी में गिर गया था। चुनाव के नाते वह बन गया है उस पर दूसरा पुल प्रस्तावित है। मान्यवर, आपकी कृपा होगी अगर उस पुल को भी आप देखने की कृपा करेंगे। हमारे जिले की अधिकांश सड़कें खस्ताहाल हैं मैं चाहूंगा कि उनका निर्माण कराया जाय। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डुमरियागंज से बांसी और बांसी से इटवा और डुमरियागंज से बढ़नी यह तीनों सड़कें इतनी खराब हैं कि इसमें एक किलोमीटर भी चलने में पैदल आदमी 20 मिनट में चलता है तो इसमें गाड़ी से चलने में 10 मिनट लगता है। मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस पर पैसा भी पड़ा हुआ है लेकिन इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सड़कें जो पीआई वन और पीआई टू में हैं उन पर अभी कोई काम नहीं शुरू किया गया जबकि तमाम सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी काम कराने की कृपा करें। इसी तरह से बांसी से खेसरहा होते हुये सन्त कबीर नगर को जोड़ने वाली सड़क भी ऐसी ही पड़ी हुई है। हमारे यहां अम्बेडकर सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी एक भी सड़क पर काम नहीं शुरू हुआ है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब घर जाते हैं तो बाराबंकी से रामनगर घाघराघाट करनैलगंज जरवल रोड जाती है यह सड़क तो चौड़ी, उच्चीकरण करा दीजिये। इतने गड्ढे इतने खड्ड बड्ड हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है तो इसको भी ठीक कराने की कृपा करा दें। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं हमारे जिला मुख्यालय पर एक भी वीवीआईपी गेस्ट हाउस नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण है कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब विदेश के पर्यटक न आते हों। जहां श्रीलंका, जापान से पर्यटक आते हैं और एक ही पीडब्लूडी का गेस्ट हाउस 1957 का बना है उसी में इधर-उधर होता है। मेरा अनुरोध है कि सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनवाने की कृपा करें। अंतिम बात है वहां कर्मचारियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है पूरे डिवीजन में एक जेई कैसे काम होगा एक एई है तो कृपा करके एई, जेई की संख्या बढ़ा दें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (श्री ओ0 पी0 सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी को बधाई देना चाहूंगा जिनके निर्देशन में लोक निर्माण विभाग का माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया जिसमें गुण्वत्तापरक और समयबद्ध तरीके से सड़कों के निर्माण करने की बात कही गयी है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार ने योजना बनाई है कि अम्बेडकर गांव के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधान सभा का विकास हम उन गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। मान्यवर, अम्बेडकर गांव का नाम जब इस सदन में आता है तो निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे अम्बेडकर गांव में बनने वाली सड़क पर केवल एक जाति विशेष के लोग ही चलने का काम करेंगे वह यह नहीं समझते कि इन अम्बेडकर गांव में जब सड़कें बनेंगी तो उन अम्बेडकर गांव की सड़कों पर सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी सम्प्रदाय के लोग चलेंगे और उससे पूरे गांव का विकास होगा। मान्यवर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार सन् 2002-2003 में अम्बेडकर गांव के नाम पर बहन कुमारी मायावती जी ने गांव के विकास करने की बात कही थी तब भी जो सड़कें अम्बेडकर गांव में स्वीकृत की गयी थीं, जब यह सरकार चली गयी थी तो आने वाली सरकार ने इन सड़कों को निरस्त कर देने का काम किया था। अम्बेडकर के नाम से तो इस कदर लोगों को परेशानी थी कि अम्बेडकर गांव के नाम को बदलकर समग्र गांव रखने का काम किया था। मान्यवर, आज जो लोग उधर बैठे हुये हैं, जो आज पूर्वांचल विकास निधि की बात कर रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है मान्यवर, हमने भी साढ़े 3 वर्ष उधर बैठने का काम किया है। हमने भी देखा कि जिस तरह से पूर्वांचल विकास निधि में पिछली बार में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हम लोगों के प्रस्ताव पर गांव के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि में राज्यांश से पैसा देने का काम किया लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपने उन सारी स्वीकृतियों को खत्म कर दिया। खत्म ही नहीं कर दिया माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप तो खुद जानते होंगे कि जिन सड़कों पर गिट्टियां पड़ चुकी थीं, जिन सड़को पर काम शुरू हो गया था, वहां से गिट्टियां उठवा ली गयी और पड़ा हुआ सामान को वापस लेने का काम किया गया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे प्रदेश में एकरूपता के अनुसार विकास करने का लक्ष्य लिया है, मैं उसके लिये आपको बधाई देना चाहूंगा। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकारों में टेन्डर प्रक्रिया किस तरह होती थी। मैं जनपद सुल्तानपुर से चुनकर आता हूं मेरे जनपद में लोक निर्माण विभाग के टेन्डर में इन्हीं की पार्टी के लोग भिड़ गये थे और आपस में ऐसी गोली चली और दिन दहाड़े जनपद सुल्तानपुर में चार लोग मारे गये, इन्हीं की पार्टी के ब्लाक प्रमुख भी मारे गये। मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि आपने ऐसी टेन्डर प्रक्रिया की शुरुआत की है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से टेन्डर प्रक्रिया को रखने का काम किया है। जिससे कम से कम इन माफिया और गुन्डा तत्व जो टेन्डर में जाकर के बन्दूकों के बल पर टेन्डरों को कब्जा करने का काम करते थे आपने ऐसे माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात कहकर अपने क्षेत्र की बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, निश्चित रूप से पिछली बार जो सड़कें हमें इस विधान सभा में मिली थीं मान्यवर उनकी गुणवत्ता की क्या बात करूं। निश्चित रूप से पूर्व मंत्री जी द्वारा दी गयी थी उस पर एक किमी0 आगे वह जो सड़क बनवाई थी, हमने अपनी विधायक निधि से उससे एक किमी0 की सड़क दिया, मान्यवर, उस सड़क की यह दशा है कि जब उस सड़क से गिट्टी की ट्रक गयी तो वह धंस गयी। मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से एक बात कहेंगे कि मेरे क्षेत्र के इकनौ जयसिंहपुर मार्ग का नवीनीकरण कराने का काम करें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 राज कुमार सिंह गौतम-

अधिष्ठाता महोदय, आपने हमारी लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के लोक निर्माण विभाग के बजट पर विचार रखने का मौका दिया है, इसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अधिष्ठाता महोदय इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिये इच्छाशक्ति झलकती है। अभी मा0 जोखू यादव जी कह रहे थे कि जब मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि कदाचित पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या समाप्त हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को कि उन्होंने अपने अन्तर्मन से सारी समस्याओं पर इतनी गहराई से सोचा है कि सामने बैठे हुये लोगों को यह सपने साकार होते नजर आने लगे हैं। जहां इस बजट के अन्दर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर, मुख्य जिला मार्ग से, अन्य जिला मार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है वहीं नीयत से इंटरनेट पर टेन्डर व्यवस्था के माध्यम से यह भी व्यवस्था की गई है कि इन पैसों की लूटपाट न हो पाये। अभी पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने दिनों में इतना रुपया खर्च कर दिया, आप तो इतना भी नहीं खर्च कर पाये। हमें माफ कीजियेगा कि जैसे आप खर्च कर पाये थे, उस तरह से हम नहीं खर्च कर पायेंगे। हम लोग बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग मान्यवर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिये अपने जीवन को बलिदान करने वाले लोग उस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे जैसे कि आपकी सरकार ने किया था। मैं गाजीपुर जनपद से चुनकर आता हूं कुछ उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं कि आपके कितने सदस्य वहां से चुन करके आये थे और कैसे वहां से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ। यह अगर आप सोचेंगे तो कहीं न कहीं यह भ्रष्टाचार ही इसका कारण है। अधिष्ठाता महोदय, गाजीपुर से जमनिया की सड़क के लिये पैसा आता है और करोड़ों रुपया लगाकर बनायी गयी वह सड़क ऐसे चकनाचूर हो करके रसातल को प्राप्त हो गई। मान्यवर, जमनिया के अन्दर 80 लाख रुपये का घोटाला किया जाता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही आपका विकास से लगाव था, हमारी परीक्षा होने को बाकी है आपके कार्य-कलापों के आधार पर जनता की अदालत ने यह फैसला दिया और आपको सत्ता से बाहर कर दिया है, हमारा तो फैसला होना अभी बाकी है। हमने तो अभी शुरुआत किया है, मैं कहना चाहता हूं कि-

उजाड़े हैं गुलिस्तां, जिन हाथों से दीवाने,
अगर तुम चाहते तो कितने वीरानें संवर जाते।

मैं कहना चाहता हूं कि-

जज्बा शौक-ए-शहादत को क्या कीजिये,
हमने अपनी हथेली पर सर रख लिया।
कत्ल होने से यारों कहां तक डरूं,
कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्हीं शब्दों के साथ बजट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये अपनी सरकार एवं मा0 मंत्री जी को बधाई देते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

*श्रीमती अर्चना सरोज-

माननीय अधिष्ठाता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीया मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी के कुशल नेतृत्व में मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सड़कें किसी भी क्षेत्र व प्रदेश के विकास की सशक्त माध्यम होती है और कम्युनिकेशन की एक सशक्त माध्यम होती हैं, उसी से उस क्षेत्र व प्रदेश का विकास परिलक्षित होता है। मैं भदोही विधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, जो विश्व के नक्शे पर कारपेट सिटी के नाम से विख्यात है लेकिन सड़कों के विकास के नाम पर जीरो है। यह कहा जाता है कि जब गाड़ियां हिचकोले लेने लगे तो समझ लीजिए कि भदोही की सीमा प्रारम्भ हो गयी है। यह पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। माफियागिरी और टेण्डर की बात, हमारे पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि माफिया गिरी नहीं होती थी। मैं अपने भदोही विधान सभा की सड़कों के बारे में कहती हूं कि आज उन सड़कों का जो हमारे भदोही की मुख्य-मुख्य सड़कें हैं, 70 प्रतिशत और कहीं-कहीं 100 प्रतिशत तक भुगतान हो गया है और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और निर्माण केवल कागजों पर है। हमारे बजट में पारदर्शिता के लिए टेण्डर को इलेक्ट्रानिक माध्यम से शुरू किया गया है और गांवों और शहरों में विकास के लिए सभी सड़कों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। पूर्व मंत्री ने जैसा कि कहा है, अपनी उपलब्धियां गिनायी हैं, उन्होंने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से अपने दिल का मलाल निकाला है, आंकड़ों की बात पर मत जाईये, आंकड़ें बोलेंगे तो आपकी सरकार की कलई खुलेगी। आप इस विकास के बजट को पूरे हृदय से स्वीकार करिये। क्योंकि-

"बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी,
लोग बेवजह आपकी उदासी और कारनामों का सबब पूछेंगे।"

इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आगे का मिसरा है कि-

"और लोग बेवजह तुम्हारी उदासी का सबब पूछेंगे,
लोग पूछेंगे कि तुम इतनी परेशां क्यों हो।"

*श्री अरविन्द गिरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को पढ़ा भी और उनके प्रस्तुत बजट को सुना भी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश इस बात का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवाह है कि आजादी से लेकर आज तक जितनी सड़कों का निर्माण, जितनी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, जिला स्तरीय मार्गों का निर्माण, माननीय निवर्तमान लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हुआ, जितने पुलों का निर्माण मात्र दो-ढाई वर्षों के अन्तर्गत हुआ एक उदाहरण ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है। यह कहने का प्रश्न नहीं है, वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है, प्रत्यक्ष है हर तीन कि0मी0 पर लोक निर्माण विभाग की सड़क बनती दिखती थी। प्रदेश का कोई जनपद नहीं है, प्रदेश की कोई ऐसी विधान सभा नहीं है जहां पर पुल जो वर्षों-वर्ष से अपेक्षित थे, जनता की मांग थी लेकिन स्वीकृत नहीं हुये थे लेकिन यह पहला अवसर था, हम आपको बताना चाहते हैं इसी सदन के अन्दर 10 वर्ष तक हम जिस पुल की अपेक्षा करते रहे और सदन में रखते रहे, वह पुल हवा में लटका करते थे चाहे वह आंवला का हो, चाहे कस्ता का हो। मात्र एक विधान सभा में 4 पुल एक वर्ष में स्वीकृत ही नहीं हुए, निर्माण कार्य करके जनता को समर्पित किये गये। पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पुलों का निर्माण हुआ है हम गोला गोकर्णनाथ जहां से चुनकर आते हैं हमारे साथी विधायक सवाल कर रहे थे हालांकि यह विषय नहीं है फिर भी मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है खाद्यान्न घोटाला किसकी सरकार में हुआ है। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब बनी थी श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उस सरकार के कार्यकाल में एक दो की संख्या में नहीं न ही दर्जन की संख्या में बल्कि सैकड़ों की संख्या में ठेकेदारों से लेकर इंजीनियर्स तक को जेल जाना पड़ा था। हमारे यहां लखीमपुर मैगलगंज, कस्ता जो मार्ग है उसके चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत था उसको बिना निरीक्षण कराए धन खर्च कर दिया गया। मैं गोला मुहम्मदी मार्ग के लिए पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसमें गड़गड़ी के कारण दो अधिशासी अभियन्ता, 6 अवर अभियन्ताओं व 10 से अधिक बड़े ठेकेदारों को जेल जाना पड़ा था और उनको एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। हमारी सरकार में जिस तरह का काम किया गया हम अम्बेडकर के नाम के विरोधी नहीं हैं लेकिन अम्बेडकर गांवों के चयन में विधायकों के प्रस्ताव भी लेने चाहिए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पहले 5 कि0मी0, 7 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक को दी जाती थी। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां नई सरकार बनने के बाद जो 70 प्रतिशत काम हो चुका था केवल 30 प्रतिशत के लिए धन अवमुक्त होना था लेकिन आज तक वह धन अवमुक्त नहीं हुआ। अम्बेडकर गांवों के विकास की बात की जाती है लेकिन इसमें सदस्यों से सारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं। एक विधायक अपनी इच्छानुसार हैण्ड पम्प का प्रस्ताव नहीं कर सकता है।

श्री अधिष्टाता-

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरी-

मैं पूर्व लोक निर्माण मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पांच कि0मी0 12 कि0मी0 सड़क निर्माण के कार्य विधायकों के प्रस्ताव पर कराए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अम्बेडकर गांव और समग्र गांव के प्रस्ताव हम विधायकगण कर सकेंगे ऐसी व्यवस्था करें। तभी हम

विधायकों का सम्मान होगा और इससे सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहां से नेपाल, पीलीभीत, बहराइच का आवागमन रहता है सड़क खराब होने के कारण 6 महीने आवागमन समाप्त हो जाता है। गोलाबाईपास बनने के लिए वर्षों मैं सदन में उठाता रहा इस बाइपास के निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ लेकिन राजनैतिक द्वेष के कारण काम रोक दिया गया यह उचित नहीं है। यह सदन की गरिमा के भी खिलाफ है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरी-

हम लोग यहां पर पक्ष और विपक्ष में बैठते हैं लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं उनमें दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, पश्चिमांचल की तो यहां बात होती है लेकिन मध्यांचल कहां चला जाएगा ? अगर सर्वेक्षण कराया जाय तो आज की तारीख में पीलीभीत से लेकर लखीमपुर, बहराइच का जो तराई का क्षेत्र है यहां की सड़कों की जितनी हालत खराब हैं कहीं भी चले जाएं साल भर में सड़क ध्वस्त हो जाती है आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। यह क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि महत्वपूर्ण गोलाबाई पास को पूर्ण कराया जाय तथा गोला-सिकन्दराबाद-कस्ता मार्ग, कस्ता-आजान-भमरी मार्ग, मोहम्मदी, सिकन्दराबाद-लखीमपुर मार्ग जिसका चौड़ीकरण उच्चीकरण, स्वीकृत हो चुका है इन सभी मार्गों का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाय तथा धकहाघाट का पुल बनवाने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरी-

इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आपसे उसमें तीन सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोला सिकन्दराबाद कस्ता मार्ग का उच्चीकरण, चौड़ीकरण, एस0जी0एस0 से बनना। मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग को जो कि तहसील को जिले से जोड़ने का काम होता है मान्यवर, उसका उच्चीकरण, चौड़ीकरण स्वीकृत है। सिर्फ द्वेष भावना के कारण उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शादाब फातिमा जी आप बोलिये। अब गिरि जी का कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्रीमती सैययूदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिये आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और जो कटौती प्रस्ताव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर बल देती हूं। मान्यवर, हमारे भाई राजकुमार सिंह जी इस पर बोलते हुए कह रहे थे कि उन्होंने कातिलों के मोहल्ले में घर ले

लिया है। हमारी उनसे गुजारिश है कि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कत्ल होने से अच्छा है कि मसीहाओं के मोहल्ले में आ जाइये। कम से कम जिन्दगी की दो चार सांसें तो मिल जायेंगी आपको। कातिलों के मोहल्ले में तो घर ले ही लिया है आपने। मसीहाओं के मोहल्ले में आ जाइये। खैर जनाब नसीमुद्दीन साहब ने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग का बजट रखा है वह बजट जब उन्होने रखा तो जैसा और लोगों ने कहा कि लगा कोई सड़क बनने के लिये बाकी नहीं है। लम्बा चौड़ा बजट था। बहुत से लोगों के दिलों में उम्मीदें जगी, तमन्नाओं के चिराग जले होंगे उम्मीदों के फूल खिले होंगे लेकिन यह पहला मौका नहीं है इससे पहले भी लोक निर्माण विभाग का बजट माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने रखा था और उस वक्त भी बड़े-बड़े वादे थे यकीनन उस वक्त भी लोगों के दिलों में उम्मीदों के चिराग जले थे, तमन्नाओं के दीपक जले थे और आज जब यह वित्तीय वर्ष खत्म होने के करीब है और जो धन का आवंटन हुआ था उसमें से 55 प्रतिशत से अधिक की धनराशि खत्म नहीं हो पाई तो आज आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और शायद उसको लग रहा है कि-

"तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं।"

आज उसको लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ खिलौने आये थे क्योंकि अम्बेडकर गांव का जो लक्ष्य रखा गया था, विकास की बात कही गई थी। वह पूरी नहीं हुयी। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी तमाम अम्बेडकर गांव हैं, वहां विकास का कार्य उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। मार्च खत्म होने में कितना समय रह गया है यह सबको मालूम है लेकिन मुझको दो मिनट का वक्त मिला है, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी लेकिन यह जरूर कहूंगी कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है। बहुत उदार हैं, सिलेरहनी का जज्बा भी आपके अंदर बदर्जए, उत्तम मौजूद है इसलिये मैं आपसे कह रही हूं आपने लोगों को 5-5 करोड़ की सड़कें दी थीं। मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रही हूं मैंने अपने यहां प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता जी से कहा कि आपने सबकी सड़कें बनाई हमारी सड़कें क्यों नहीं बनी प्रस्ताव तो आपने हमसे भी मांगा था 5 करोड़ की सड़कों का उन्होंने कहा कि आप माननीय मंत्री जी के यहां से भिजवा दीजिये। सड़कों का प्रस्ताव नहीं आया। नाम लेकर उन्होंने बताया कि जखनिया विधान सभा में सड़कें बनी है आपका प्रस्ताव नहीं आया इसलिये आपकी सड़कें नहीं बनेंगी। हमारा तो इनसे सिर्फ इतना कहना है कि क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी का कुछ न कुछ मुद्दा होता है हम भी मुंह में जबां रखते हैं काश पूछे कि मुद्दा क्या है ? अपने लोगों को 5 करोड़ की सड़क दी हैं हमारे को 1 करोड़ 2 करोड़ की ही दे दीजिये। तो भी हमारे क्षेत्र का विकास हो जायेगा। हमारे क्षेत्र में एक समस्या है गाजीपुर शहर के अन्दर रोजा क्रासिंग के ऊपर एक उपरिगामी सेतु की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर (माननीय आज़म खां द्वारा यह कहना कि काहे इनसे मांगो भिखमंगे से मांगा जाता है ?) जाम लगा करता था इसलिये पिछली सरकार में लंकाअंधऊ मार्ग बना था। उससे लोगों की समस्या बहुत हद तक हल हो गई थी उससे लोग जाते थे। श्रीमन् मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि इस समय प्रान्तीय खंड के अधिशासी अभियन्ता ने उस मार्ग के ऊपर बैरीकेटिंग कर

दी है। राड लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहूंगी कि उसकी जांच करवा लें और पूछें उनसे कि भारी वाहनों के लिये जो बाई पास बनाया गया था ताकि शहर का भार कम हो सके उसको बंद करवाने का क्या औचित्य है, कृपया इसको अवश्य दिखवा लें ?

हमारे यहां पर, मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

(श्री सतपाल सिंह जी का नाम पुकारा गया)

साथ में एक बात और कहनी है बौरी पुल एवं पहुंच मार्ग के किसानों को कम्पन्सेशन नहीं मिला है उसको दिला दिया जाए। चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैंने एटा का दौरा किया, तमाम जगहों का दौरा किया और सड़कों की गुणवत्ता को जांचा है, परखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देती हूं कि कृपया वह एक बार हमारे जनपद गाजीपुर में अवश्य आएं और आकर के एक वर्ष के अन्दर जो सड़कें लोक निर्माण विभाग ने बनाई हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करें। चाहे टी0ए0सी0 कमेटी भेजकर जांच करें लेकिन मान्यवर, एक आग्रह जरूर है....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शादाब जी अब बैठ जाएं। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा और श्री छत्रपाल सिंह जी दोनों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड बहुत सारे क्षेत्रों की बात को सुना हूं अब मैं उत्तरांचल की ओर आपको ले चलता हूं और अपनी बात रखता हूं। मैं उत्तरांचल की सीमा से लगा बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं। मैं अपनी बात आलोचना के रूप में नहीं सुझाव के रूप में रख रहा हूं। समय बहुत कम है इसलिए मैं अपने सुझाव पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी के सामने रख रहा हूं। मैं उस विधान सभा से हूं जहां पर मा0 नेता, जहां पर हमारी बहन मायावती जी बैठती है वहां पर चार-चार बार उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। ऐसे पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के क्षेत्र से मैं हूं मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां कई सारे लोग पर्यटन के लिए नैनीताल को चुनते होंगे बरेली से नैनीताल जाने वाले राजमार्ग पर बहेड़ी विधान सभा है, लोग उदाहरण देते हैं बहेड़ी विधान सभा और नैनीताल रोड का, अगर हमारी रोड हो तो नैनीताल रोड जैसी हो आज उस रोड की बहुत दुर्दशा है बहुत बड़ा ट्रैफिक यहां से चलता है। हल्द्वानी, किच्छा यह उत्तरांचल के बड़े नगर हैं वहां से बहुत बड़ा बालू और मौरंग का कार्य होता है। लगभग बरेली और उसके आसपास के पांच-छः जिलों में बालू की सप्लाई होती है उस रोड की दुर्दशा होने के कारण से बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान सरकार को होता है। मैं पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हमारे भाई शिवपाल जी के कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने कोई रोड का ठेका लिया है और वह एटा जनपद के हैं यादव भी हैं उन्होंने 6-7 किलोमीटर सड़क बनवाई। माननीय मंत्री जी 6-7 किलोमीटर

में 82 पैच लगे हैं उसकी गुणवत्ता का इतने से अंदाज लग जाएगा। कितने मानकों पर खरे उतर रहे हैं उससे अंदाजा लगा लीजिए। मैंने खुद गिना है सात किलोमीटर में 82 पैच हैं मैं चाहता हूं जरा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसको दिखवा लें। मान्यवर, उत्तरांचल की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की व्यापार कर की और वन विभाग की चौकियां हैं। उत्तरांचल की भी चौकियां हैं और उत्तर प्रदेश की भी चौकियां हैं। उसके कारण से वहां पर जो बहुत बड़ा ट्रैफिक चलता है उससे रात को प्रतिदिन 6-7 घंटे प्रतिदिन जाम लगता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण करवा दें। चार लेन की सड़क बनवा दें। जिससे वहां पर जो यातायात बाधित होता है जनता को परेशानी होती है रात्रि में, वहां दो-तीन किलोमीटर सड़क चौड़ी हो जाएगी तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी विधान सभा में तीन चार पुलों का निर्माण बहुत आवश्यक है। मान्यवर, उत्तरांचल से सीमा से लगी नदियां हैं वहां पुल बनना बहुत आवश्यक है मैंने लिखकर भी दिया है। इसका संज्ञान कृपया ले लें। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तीन मिलें हैं लगभग 100 राइस मिलें हैं जिससे पूरे देश में चावल के सप्लाई का काम होता है और इतना हैवी ट्रैफिक चलता है और रोड का खस्ताहाल है मैं चाहता हूं कि जहां पर तीन-तीन मिलें लगी हैं दो चीनी मिलें हैं, कताई मिल लगी है राजस्व की प्राप्ति होती है, मैं चाहता हूं कि उन सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

डॉ0 अजय तोमर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के मुख्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, प्रदेश स्तर की दो-तीन बातें हैं, उनका पहले मैं जिक्र करते हुए, आपके माध्यम से और आपका संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मा0 मंत्री जी प्रदेश में अनेक 4 और 6 लेन की सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव प्राइवेट-पब्लिक पार्टनर शिप के स्तर पर ट्रिपल-पी के स्तर से कराने जा रहे हैं, मंत्री जी के पास सिंचाई विभाग भी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यमुना-गंगा से निकलने वाली अधिकतर नहरों की पटरियों पर सरकारी जमीनें हैं, जिसका आपको अधिग्रहण भी नहीं करना है, अगर उन नहर की पटरियों के साथ-साथ इस तरह की कोई योजना लाकर 2 या 4 लेन की सड़कों का निर्माण किया जाय तो इससे प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा सड़कों का नेटवर्क बनेगा। जो मेरा सुझाव है यदि इसको शामिल कर लिया गया तो इससे प्रदेश का तो भला होगा ही मैं भी आपका आभार व्यक्त करूंगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं, ऐसी सड़कें जहां-जहां भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच से निकलती हैं, उन सड़कों के टूटने पर उनके पुनः निर्माण पर बहुत भारी खर्च होता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक नीति बना दी जाए कि जहां-जहां सड़कें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गुजरती हों, वहां अवश्य उनके दोनों ओर नाले बनाने का प्राविधान किया जाए। जहां नई सड़कें बन रही हैं, वहां शुरू से नाले बनाये जायें और जहां इस तरह की पुरानी सड़कें

हों, उनका पूरे प्रदेश में सर्वे कराकर नाले बनाने का काम किया जाए। शायद नाले बनाने का एक वर्ष में उतना खर्च नहीं होगा जितना पानी भराव की वजह से सड़कें टूटने से उनकी मरम्मत और नवनिर्माण पर खर्च होता है। इसके साथ ही मैं एक उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर बागपत जनपद में काफी समय से पुल की मांग चली आ रही है, आप कहीं भी सर्वे करा कर, जहां भी उचित समझें, बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा के लिए यमुना नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव अपने सुझाव में डलवाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, समय देना आपकी सीमा में है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब तक तो मैं प्रदेश स्तर के सुझाव रख रहा था, मैं अपने क्षेत्र के सुझाव तो रख लूं। इसके लिए दो मिनट का समय और दे दें, इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी से सिफारिश करवाना चाहता हूं। थोड़ा समय दे दें।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश स्तर का एक और सुझाव देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का एक मुख्य मार्ग है, डीवाई रोड-57 जो देश की राजधानी नई दिल्ली को उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून से जोड़ती है, भारत के पवित्र धाम यमुनोत्री को जाती है, हरियाणा के विभिन्न पुलों के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद और बागपत जिलों को जाती है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से जाती है, ट्रोनिका सिटी विकसित होती औद्योगिक नगरी से जाती है। मान्यवर, इस मार्ग को 6 लेन करने की भी आज मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

*श्री भगेलू राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो अभी कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कहा, मालूम पड़ता है कि उनकी सरकार में हम लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था बाकी इनकी सरकार में नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि पिछली सरकार में 5 कि0मी0 और 7 कि0मी0 सड़क मिली थी। मान्यवर, कागज में सड़कें तो मिल गयीं थीं लेकिन जो विपक्ष के विधायक थे, विशेष रूप से बसपा के जो विधायक थे आपने उनके क्षेत्र के लिए कोई धन आवंटन नहीं किया था। केवल लिखा-पढ़ी में पांच और सात कि0मी0 सड़कें दे दी गयीं थीं। मान्यवर, पिछली सरकार में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 2002-03 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हम लोगों ने पूर्वांचल निधि में जो प्रस्ताव दिया था उसमें पहली किश्त का पैसा चला गया था और जब आपकी सरकार आयी तो आपने दूसरी किश्त का पैसा रोक लिया था। मान्यवर, मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की यह पहली सरकार थी जब इनके यहां पर प्रस्ताव आता था तो प्रस्ताव के साथ-साथ विधायक और उनके क्षेत्र का नाम और दल का भी नाम लिखा जाता था। मैं भी 1993 से इस सदन का सदस्य रहा हूं। मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा है। प्रस्ताव के साथ केवल विधायक का नाम और क्षेत्र या जिला लिखा जाता था। इनकी सरकार में दल का नाम इसलिए लिखा जाता था ताकि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को कोई भी मरम्मत का काम न दिया जाये। मान्यवर, दिसम्बर, 2004 में अकबरपुर का लोक सभा का चुनाव हो रहा था। माननीय शिवपाल यादव जी हमारे क्षेत्र में कादीपुर विधान सभा में हेलीकाप्टर से गये। और वहीं बाईरोड आपको जाना था अकबरपुर। कादीपुर से तेजपुर तक इतनी खराब रोड थी आपके सरकार के रिजिम में कि उस सड़क के गढ्ढों को मिट्टी और गिट्टी से भर दिया गया था और वह मिट्टी और गिट्टी दो महीने में खराब हो गयी। उखड़ गयी। मान्यवर, मैंने इस मामले को सदन में भी कई बार उठाया है। उस समय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लोक निर्माण मंत्री थे जब मैं इस समस्या को आपके सामने उठा रहा था तो आप मुस्करा रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रामशिरोमणि शुक्ला जी अब आप बोलें।

श्री रामशिरोमणि शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था इस सरकार में सड़कों के निर्माण के लिए की है। मान्यवर, हमारे सामने पूर्व मंत्री माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बैठे हैं, आजम साहब बैठे है। मान्यवर, मैं जिस जिले से चुनकर आया हूं उनकी सरकार में उस जिले का बड़ा नाम था। उस जिले का नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक मंत्री हुआ करते थे। इनकी सरकार यहां लखनऊ से नहीं बल्कि वहां प्रतापगढ़ से चला करती थी। मैं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को बताना चाहूंगा कि पैसे तो आपने बहुत दिये लेकिन आपने एक कलेक्टर वहां नियुक्त किया था। जितना बजट आपने दिया था उस कलेक्टर ने मुम्बई में बैठकर टेण्डर पास किया करता था और वहां की जो सड़कें बदहाल हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में भी विशेषकर गुण्डाराज स्थापित किया था। टेण्डर वहां कलम से नहीं बल्कि बंदूकों से हुआ करता था। और मुम्बई की सरजमीं से हुआ करता था। आज आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े उलाहने देते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा और अपने तमाम माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ भी चार उंगली

उठती है। मैं अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहूंगा विपक्ष के सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि "मेरा दिल साफ है मैं तो साफ दिल से मिलता हूं, अरे तुम्हारे दिल की तुम जानो कि तुम किस दिल से मिलते हो।" इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को पुनः बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अपनी मांग रखिये सीधे। सिर्फ दो मिनट में।

श्री प्रवीण पटेल-

श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें लोक निर्माण विभाग के बजट पर समर्थन में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं।

मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी का कि आपने जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग का बजट रखा है, गांव के विकास के बारे में, शहरों के विकास के बारे में, वह बहुत अच्छा है। आज हम जिस क्षेत्र में जाते हैं इस बात को देखकर प्रसन्नता होती है, जिधर भी चले जाईये हर जगह अच्छी सड़कें बनती हुई मिला करती हैं। और, लोग गुणवत्ता की बात करते हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि बहनजी के नेतृत्व में जो सड़कें बन रही हैं, हर क्षेत्र में देख लें, गुणवत्ता के मामले में चाहे सड़कों का मामला हो या अन्य विभाग का हो, सबको नम्बर-1 का स्थान मिलेगा। आज हम यह कहना चाहते हैं कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि आज मुख्य मंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है, ऐसे प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा है जो कि ऐसे गरीब लोगों से ताल्लुक रखता है, जो हाशिये पर थे। ऐसे लोगों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए। हम तो विपक्ष से कहना चाहेंगे कि वह इस कार्य के लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देते। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं।

श्री आसिफ-

माननीय अधिष्ठाता जी, लोक निर्माण विभाग के जनहित में, प्रदेश हित में जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, मैंने किताब में पढ़ा था, उस पत्रिका में लिखा था कि आज दुनिया में जो सुपर पावर है, अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में मायने रखती है, सारे देश उसका लोहा मानती हैं, तो उसकी बुनियाद सड़क से जुड़ी हुई है। आज वहां बुनियादी तौर पर सड़कों का मजबूत जाल है और वह सब जगह से सड़क से जुड़ा हुआ है और मजबूत है। उसने दुनिया में नाम रोशन किया। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि देश के उन शहीदों ने, जिन्होंने एक सपना देखा था आजाद हिन्दुस्तान का, जिन्होंने शाहदत दी थी कि आजादी के बाद हमारा मुल्क कैसा होगा, रहने वाले लोग हैं वह कैसे होंगे, जिस विधान सभा से मैं चुनकर आया हूं वहां पर चले जायें, गांवों में लोगों ने सड़कें नहीं देखीं, मजरों में सड़कें नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, मजरे में रहने वाले लोगों को जिनको इस

प्रदेश में ही नहीं देश के अन्दर जीने का हक नहीं दिया गया, जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर किया उन मजरों की स्थिति है कि आज वहां पर सड़कें नहीं हुई। जिस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं, जिस मुल्क को दुनिया के अंदर उस कुदरत ने अपनी अनोखी छटा से नवाजा है, दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का मुकाम है, चाहे कुदरती तौर पर देख लिया जाय और चाहे तरक्की तौर पर देख लिया जाय, कहीं न कहीं चूक हमसे हुई है। अगर सत्ता में हम बैठते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और विपक्ष में जाते हैं तो यह सकारात्मक सोच नहीं होती। अभी शिवपाल सिंह जी अपने कटौती के प्रस्ताव पर बात रख रहे थे, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर अंगूर नहीं मिले तो वह खट्टे हो गये। अगर सकारात्मक सोच होती, एक मिसाल देना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर साढ़े तीन साल आपकी हुकुमत चली। उस हुकुमत के अन्दर केन्द्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो....जो पूरे प्रदेश के अन्दर उसका अपना एक मुकाम है, किसी क्षेत्र में अगर वह सड़क बनी हो तो दूर से यह दिखता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क बनी है। आस-पास के लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि मध्य प्रदेश में चले जाइये, बिहार में चले जाइये, राजस्थान में चले जाइये, आज वहां पर सातवां या आठवां फेज चल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में तीसरा फेज क्यों चल रहा है ? वहां इसलिए चल रहा है साथियों कि उसमें पारदर्शिता थी, उसमें कोई कमीशनखोरी नहीं थी ?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री आसिफ-

मान्यवर, 1300 करोड़ नहीं 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना का आपकी सरकार में अभी पड़ा हुआ है, मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को।

(श्री आसिफ के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आसिफ जी, अब आप बैठिये। शाहिद मंजूर जी सिर्फ दो मिनट में आप अपनी बात रख दें।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो बजट रखा गया है बहुत सारी लोक लुभावनी घोषणायें की गई हैं। पिछले साल बजट में भी यही लोक लुभावनी घोषणायें की गई थीं। पिछले वर्ष भी अम्बेडकर गांवों के विकास की बात कही गई थी और इस वर्ष भी अम्बेडकर ग्रामों की विकास की बात कही गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के अम्बेडकर ग्राम विकासों में जो काम हुआ है उनकी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनपद मेरठ में आप

जांच करा लें, इनकी सच्चाई का और इनकी गुणवत्ता का उसी जांच से पता चल जायेगा। दूसरा अभी हमारे विपक्ष के ज्यादातर साथियों ने मांग की, कि यह दे दिया जाये, वह दे दिया जाये मैं सिर्फ वर्तमान सरकार से एक मांग करता करना चाहता हूं कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में या मेरे जनपद में पिछली सरकार में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो सड़कें दी थीं या जो काम दिये थे, मेहरबानी करके उनको पूरा करवा दो, हमें इस सरकार से, जो पहले दिन से ही बदले की भावना से काम कर रही है, यह क्या सड़क देगी और यह क्या विकास का काम करेगी ? जितना विकास का काम पिछली सरकार ने कराया था, मात्र उसे पूरा करा दो, हम तो उसी में धन्य हो जायेंगे और हमारा क्षेत्र उसी में धन्य हो जायेगा। पिछली सरकार ने गंगा को पार करने के लिए ज्योतिबाफूले नगर को एक बड़े पुल की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार आई तो उसका प्रस्ताव चेंज हुआ और मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ने के बजाय, हस्तिनापुर चला गया। हमने सोचा कि ठीक है हस्तिनापुर से ही हो जाये लेकिन लगता यह है कि वह प्रस्ताव डम्प होकर रह गया। पिछली सरकार में छोटे-छोटे तीन-चार पुलों के निर्माण की बात हुई थी। मेहरबानी करके मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है परीक्ष परिकल्पगढ़ ब्लाक का वहां पुल के निर्माण की घोषणा हुई थी, वह नहीं हुआ फतहरेपुर के लिए एक पुल की घोषणा हुई थी वह नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप बैठ जायें। माननीय हरपाल सिंह जी आप अपनी बात कहें।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, बस एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, यह बड़ी लोकप्रिय सरकार है मगर मोहतरम् नसीमुद्दीन साहब जो शेरो-शायरी से ताल्लुक रखते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि-

"सोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है,
जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।"

पहले भी कई बार टूटी थी और इंशा अल्ला आगे को भी टूटेगी। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

*श्री हरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आरोप-प्रत्यारोप का दौर सदन में चल रहा है मैं तो केवल अपने क्षेत्र की समस्या और अपने क्षेत्र की नहीं केवल उस समस्या को बताऊंगा जहां पूरे प्रदेश के लोग गुजरते हैं। केवल वह मेरे क्षेत्र में सड़क आती है, इसलिए मैं कहना उचित समझता हूं। गजरौला से हसनपुर सम्भल मार्ग जो आगे लखनऊ तक मिलता है, उसमें हसनपुर के पास में कालाखेड़े पर एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुलेला नाम का नाला है जो टूटा पड़ा है और उस सड़क पर मैं समझता हूं कि प्रत्येक मिनट पर एक सवारी गुजरती है और वह नीचे को कच्चे के रास्ते से होकर गुजरती है और प्रत्येक महीने में दो-तीन ऐसी घटनायें होती है कि लगभग चार-पांच लोग मर जाते हैं। नौ महीने के कार्यकाल में कम से कम नौ बार मैं लोगों को अस्पताल में पहुंचा कर आया हूं क्योंकि वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं।

मान्यवर, यदि हसनपुर के निकट कालाखेड़ा में खुलेला पुल का निर्माण हो जाये तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता का हित होगा और जो दुर्घटनायें होती हैं वह मामला भी ठीक हो जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से ढवारसी से रहरा-यह सड़क टूटी हुई है इसकी मरम्मत करा दी जाये और इस पर पुल का निर्माण करा दिया जाये। तो चालीस कि0मी0 का रास्ता घूम कर जो ब्लाक में जाने के लिये तय करना पड़ता है वह मुश्किल से 7-8 कि0मी0 का रह जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से ढवारसी से दौरारा मार्ग है-इसकी मरम्मत का कार्य कराया जाये और इसका चौड़ीकरण कराया जाये तो पूरे क्षेत्र को सुविधा हो जायेगी और लोगों को 50 कि0मी0 का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसी तरह से खपड़ी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से मान्यवर झुण्डी माफी से काला खेड़ा चीनी मिल सड़क आती है वह कच्ची है मैं अनुरोध करूंगा कि वह पक्की बना दी जाये। मान्यवर, इन सड़कों के निर्माण से प्रति वर्ष वाहनों पर जो करोड़ों का तेल खपता है वह बचेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी मेरे क्षेत्र की सड़कों पर ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और बोलने की मांग करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप सब लिखकर दे दीजिये। वह सब कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायें। साढ़े तीन घंटे का समय लोक निर्माण विभाग के बजट पर दिया गया था। 31 माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं। अभी सिंचाई विभाग का बजट है उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। जैसा कि अभी अधिष्ठाता महोदय ने कहा था आपके क्षेत्र की कोई स्पेसिफिक समस्या हो या बजट से सम्बन्धित कोई सुझाव हों तो वह आप लिखकर के दे दें। वह कार्यवाही का अंग हम बना लेंगे। वह कार्यवाही आपके पास चली जायेगी। जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं वह आज लिखकर के दे दें।

श्री अवध पाल सिंह यादव (दुग्ध विकास राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार)-

मान्यवर, एटा से चार विधायक हैं एक विधायक बोलना चाहते हैं आप कृपया उन्हें बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है कि लिख करके दे देंगे वह कार्यवाही † का अंग बनेगा। अब माननीय शिव पाल सिंह यादव जी को बोलने दें।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी मेरे कटौती के प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है उससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, जब से माननीय मंत्री जी नें लोक निर्माण विभाग को सम्भाला है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला है। कमीशनखोरी बढ़ी है और गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो जो अभी कुछ माननीय विधायकों ने कहा मैं लखीमपुर खीरी का, गोला प्रधान रोड खुटार गोला प्रधान रोड यह है हमारे समय की रोड, और दूसरी प्रधान लखीमपुर रोड इन्हीं दोनों रोडों की जांच करा लें गुणवत्ता का पता चल जायेगा और इसी तरीके से पुलों की बात बहुत कही थी कमरियाघाट का पुल, बहुत बड़ा पुल है घाघरा का, पैसा भी स्वीकृत हो गया था पैसा भी पहुंच गया था जिले में लेकिन आज तक पुल पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है तो माननीय मंत्री जी जो कुछ बजट में रखा केवल कपोल कथाएं है पिछले वर्ष भी रखा था। अम्बेडकर गांव में जो काम हो रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है वही खड़न्जा उठाकर वही ईंट वही मिट्टी लगा दी जा रही है। इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है, कमीशनखोरी है, और इसकी भी जांच अगर करा ले मंत्री जी कितना पैसा लिया जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भी ट्रांसफर इक्सियन से 10 लाख सीधा-सीधा आ रहा है और यहां तक कमीशन पहुंच गया है 50 प्रतिशत-50 प्रतिशत सीधा बजट का और उसमें भी मैंने बताया माननीय मंत्री जी को भी बताया। मैंने कम कर दिया था अधिकारियों का बहुत कम।

श्री अध्यक्ष-

टोका-टाकी नहीं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो भी इक्सियन से ले करके मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूं, ऊपर नहीं जाता था अब फिर ऊपर शुरू हो गया। यह जांच करा लो। (टोका-टाकी से व्यवधान)

मान्यवर, इतिहास बनेगा, इसका भी बनेगा 10 महीने का भी इतिहास बनेगा और हमारा भी बनेगा कि कौन बेइमान है। मान्यवर, मैंने जो कटौती रखी है और हमारे साथियों ने जो कटौती पर समर्थन किया है। मैं कटौती पर बल देता हूं।

---

† नोटः-(मा0 सदस्यों के लिखित भाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 197-215 पर)

श्री अवध पाल सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मंत्री नहीं उठा सकते हैं व्यवस्था का प्रश्न उनको उठाने दीजिए। मान्यवर, मैं माननीय शिवपाल जी और अन्य सदस्यों का उत्तर देने से पहले अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लूं आपके माध्यम से। किसी ने कहा है-

खिलाफ हैं होने दो, कोई जान थोड़ी है,
यह सब धुआं हैं, आसमान थोड़ी है,
मुझे पता है कि विरोधी भी कम नहीं,
लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़े है।

मान्यवर, आपको तो चिन्ता होनी चाहिए। मैं अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें भी इनको कष्ट है। मान्यवर, जब तक कटौती का प्रस्ताव और उसके बाद माननीय पूर्व मंत्री, लोक निर्माण विभाग का मैंने भाषण नहीं सुना था मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी बातें आयेंगी जिससे मुझे कुछ जानकारी मिलेगी। मान्यवर, मैं रहने वाला बुन्देलखण्ड का हूं, पश्चिम में पढ़ा-लिखा हूं और स्पोर्ट्स कोटे में डिफेन्स में नौकरी की है। तीन-साढ़े तीन साल नौकरी करने के बाद माताजी के बीमार होने के कारण नौकरी छोड़कर चला आया। मान्यवर, यह आपको भी पता है और ज्यादातर माननीय सदस्य जानते हैं कि पूर्वांचल में मेरा 10-12 साल से आना जाना है और चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के हों, मेरे उनसे सम्बन्ध हैं। पूर्वांचल में एक कहावत है कि "सुपवा बोले तो बोले चलनियां बोले जेमा बहत्तर छेद"। अब साहब तू ही व्यवस्था देब, हम का करि। एकरे बाद हम का करि। खैर मान्यवर, आज चलनी को भी बोलते देख लिया। पिछला जो बजट रखा गया था उस पर कटौती का प्रस्ताव पूर्व लोक निर्माण विभाग, राज्य मंत्री जी ने रखा था, इस बार इनके गुरूजी ने रख दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ जानकारी मिलेगी लेकिन सिर्फ उनका तजुर्बा ही सामने आया। काफी अच्छा तजुर्बा है, मैं इनके तर्जुबे की दाद दूंगा। इन्होंने सबसे पहले शुरूआत ही यह की कि एक रुपया कर दिया जाय और 365 परियोजनायें गिना दी कि यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। उधर एक रुपया कर दिया जाय और इधर सारा काम करवा दिया जाय। खैर वह रस्म अदायगी है वह उन्होंने किया। लेकिन मान्यवर, जहां तक कार्य कराये जाने का सवाल है माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय शिवपाल जी ने कमीशन पर काफी जोर दिया, अच्छा तजुर्बा है। अभी माननीय गंगवार जी बोल रहे थे और कार्यवाही में भी है मान्यवर। गंगवार जी बोल रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा हमारे दल के नहीं हैं, यह भी विपक्ष के हैं और वह भी विपक्ष के हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय शिवपाल जी के रिश्तेदार ठेकेदार हैं। माननीय शिवपाल यादव जी ने उनको अवैध ढंग से ठेका दिया था। यह मैं नहीं कह रहा हूं विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने उनके कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए यह बात कही है और इतना ही नहीं कहा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मेरा कोई रिश्तेदार ठेकेदार नहीं है। मैं कह रहा हूं इसकी जांच हो जाय।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अरे मैं खुद जवाब दे लूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जाय, अगर इनकी बात सही निकले, यह इस्तीफा दे दें। रही रिश्तेदार की बात तो तुम भी रिश्तेदार हो।

श्री अध्यक्ष-

न इनकी, न उनकी, गंगवार साहब की।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

समाजवादी पार्टी का नारा ही रहा है हल्लाबोल। अच्छी खासी बात चल रही थी शिवपाल यादव जी ने हल्लाबोल दिया। मान्यवर, जब हल्लाबोल है तो उस पर भी दो लाइनें बोल दूं-

कैसा नारा कैसा कौल, अभी बदलता है माहौल - हल्लाबोल,

कैसे साथी कैसे यार, सब बेकार, सबकी नीयत डॉवाडोल - हल्लाबोल।

इसके अलावा मान्यवर, कुछ नहीं है। खैर, अब यह मैं कहूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो यहां बिल्कुल सही है। माननीय सदस्य की बात मैंने कही और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इनके रिश्तेदार, ठेकेदार थे, बड़े पैमाने पर कमाई हुई है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन चूंकि ठेकेदारों को कमीशनखोरी की बार-बार बात कही गई है लेकिन जब तक बात सदन में आ गई तो मैं मा0 शिवपाल यादव जी से आपके माध्यम से कहूंगा कि जोगेन्द्र एण्ड कम्पनी कौन है, वह जानते होंगे। राजू यादव एण्ड कम्पनी कौन है, मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं कम्पनी का नाम ले रहा हूं। अब नाम ही कम्पनी का ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं। ये किसके रिश्तेदार हैं, मा0 पूर्व लोक निर्माण मंत्री भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है, मैं भी जानता हूं और हो सकता है कि आप भी जानते हों। इसके अलावा बिहारी कंस्ट्रक्शन कम्पनी कौन है और क्या है, किसका ड्राइवर था और कहां से फर्जी प्रमाण-पत्र ले लिया। मा0 पूर्व मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, मुझसे अच्छा जानते होंगे, कमीशन है कि पार्टनरशिप है, इसे भी वही जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कौन है यह मैं जानता हूं वह मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि पूर्व मंत्री जी की पोल खुल जायेगी। मान्यवर, सॉई कंस्ट्रक्शन कम्पनी, इसका मालिक कौन है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। किसकी कितना पार्टनरशिप है, पूर्व मंत्री जी बेहतर

जानते होंगे। अंकुर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, मान्यवर, किस-किस का नाम लूं, कमीशन खाया कि पार्टनरशिप हुआ कि क्या हुआ। पिछली बार राज्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था तो हमने कहा कि चलो भाई जूनियर हैं लड़कप्पन है लेकिन अब सीनियर ने रखा तो सीनियारिटी आयेगी लेकिन मान्यवर, इसमें भी बचकानी बातें आईं, जो पहले बोल चुके थे फिर वही बातें, खड़ंजा उखड़ गया वही लगा दिया। हमें क्या करना है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां भी अनियमितता होगी, किसी भी ठेकेदार को, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा। जहां भी इस तरीके की बातें हमें मालूम होंगी, जितनी जगह हम करा सकते होंगे उतनी जगह चिन्हित करके जांच करायेंगे, हम कहां जांच करायेंगे यह आपको बताने की जरूरत थोड़े ही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और कमीशन। मान्यवर, यह कौन सा ट्रांसफर सीजन है और इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग करने का किसको अधिकार है, आप भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है। यह भी अपना तजुर्बा है, इनका पता भी है। और एक सरकार में, ट्रांसफर उद्योग चला करता था आपकी सरकार में। प्रमोशन में सुविधा शुल्क लिया जाता था आपकी सरकार में। यह बहन कु0 मायावती जी की सरकार है, यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कही है, जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो धनराशि है वह भारत सरकार से आती है। हमारा विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में काम करता है और इसके लिये पैसा लाने के लिये हमारे अधिकारी कई बार दिल्ली जा करके भारत सरकार से जा करके सम्पर्क किये हैं। सदन सम्भवतः 13-14 में जब भी खत्म होगा, उसके बाद मैं भी कार्यक्रम बनाकर वहां से प्रयास करूंगा कि इसके तहत पैसा मिले। मान्यवर, 70 जिलों में, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कुछ जिलों के नाम गिना दिये, हमने वहां दिया, हमने वहां दिया। मैं यह मानता हूं कि एक जैसा एमाउण्ट हर जिले को जारी या आवंटित नहीं किया जा सकता, कहीं आवश्यकता ज्यादा है, कहीं आवश्यकता कम है, कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का विकास ज्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन यह कहना कि फलां जिले को इतना दिया, हमने इतना दिया था। मान्यवर, कहिये तो 70 जिलों की सूची पढ़ दूं। हमारी सरकार ने जनवरी, 2008 तक आगरा को 49.81 करोड़, फिरोजाबाद को 64.66 करोड़, अलीगढ़ को 62.37 करोड़, हाथरस को 32.28 करोड़, मथुरा को 45.90 करोड़, एटा को 57.63 करोड़, मैनपुरी को 58.50 करोड़, इलाहाबाद को 101.86 करोड़, कौशाम्बी को 21.56 करोड़, फतेहपुर को 35.64 करोड़ दिया, प्रतापगढ़ को 53.67 करोड़ दिया, आजमगढ़ को 101.53 करोड़ दिया, माननीय दुर्गा यादव जी बैठे हैं। इसी तरीके से मऊ को 39.69 करोड़, बलिया को 39.80 करोड़ क्योंकि वहां बाई-इलेक्शन था इसलिये वहां थोड़ा विलम्ब हुआ। जौनपुर को 75.19 करोड़, बरेली को 55.88 करोड़, शाहजहांपुर को 70.18 करोड़, बदायूं को 108.70 करोड़, पीलीभीत को 21.44 करोड़, फैजाबाद को 25.10 करोड़, अम्बेडकर नगर को 56.50 करोड़, बहराइच को 68.27 करोड़, श्रावस्ती को 23.73 करोड़, गोण्डा को 76.82 करोड़, बलरामपुर को 45.68 करोड़, सुल्तानपुर को 61.49 करोड़, बाराबंकी को 79.25 करोड़, गोरखपुर को 117.99 करोड़ दिया है। मान्यवर, महराजगंज को 45.21 करोड़, देवरिया को 50.68 करोड़,

कुशीनगर को 37.30 करोड़, बस्ती को 50.60 करोड़, संत कबीरनगर को 32.40 करोड़, सिद्धार्थनगर को 49.92 करोड़, झांसी को 38.74 करोड़, ललितपुर को 15.23 करोड़। मान्यवर, पूरे 70 के 70 जिलों की सूचना है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां का न हो, कहिये तो बाकी और पढ़ दूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो वर्ष 2006-2007 के अधूरे मार्ग पड़े हैं, जहां पर पत्थर पड़ा है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय खन्ना जी, आप लिखकर दे देंगे, जो भी सम्भव हो सकेगा दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 3 बार लिखकर दे चुका हूं, सदन में भी उठा चुका हूं। पत्थर पड़े हैं लेकिन लेपन नहीं हुआ है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप लिखकर दे दीजिए। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि हमने इंजीनियरों को जेल भेजा। यह भी जरा मालूम कर लें कि कौन हैं वे इंजीनियर, क्यों जेल भेजा, किस नीयत से जेल भेजा ? जब इनकी पूर्ति नहीं कर पाये तो जेल भेज दिया। एक वर्ग विशेष के इंजीनियर्स के खिलाफ बदले की भावना से कार्य किया गया। हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती है। जो अच्छा काम करता है उनकी हम सराहना करते हैं और जो लापरवाही करता है उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्यवाही करती है। जहां तक पूर्वांचल की बात है ठेकेदारों, अधिकारियों के बंगले में आने की बात है तो जब ठेकेदार ही घर के, तो बाहर के लोगों को अन्दर आने की जरूरत ही नहीं है। घर के अन्दर ही ठेकेदार, वही समधी, वही रिश्तेदार तो बाहर से आने की जरूरत ही क्या है। जो यह कहा गया कि हमारे टाइम यह हुआ, हमने यह विकास किया इस सम्बन्ध में कहना है कि इसके पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के समय में चाहे पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेंट हो या दूसरे विभाग इनमें जो काम स्वीकृत थे, जो कार्य चल रहे थे उन सारे कामों को आपने बन्द करा दिया और जमीन वापस लेने का काम आपकी सरकार ने किया है। जिसका जीता जागता उदाहरण अम्बेडकर नगर का ओवरब्रिज है जो बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू किया था आपने उसे बन्द करा दिया। आपने जिले समाप्त कर दिए कमिश्नरियां समाप्त कर दी जिनको कोर्ट ने बहाल किया और हमें इन्साफ मिला। यह विकास के लोग प्रदेश को विनाश की ओर साढ़े तीन-पौने चार साल के कार्यकाल में ले गए। आपको जनता ने समझ लिया कि अगर आप एक घण्टे भी रहे तो यह प्रदेश इस धरती पर नहीं पाताल में ले जाएंगे इसलिए प्रदेश की जनता ने सोच समझ कर फैसला लिया है और आपको इधर से उधर बैठा दिया जो आपने ओवर ब्रिज बन्द करा

दिया था वह भी पूर्ण हुआ तो हमारी सरकार में। मैं भी अम्बेडकर नगर रहा हूं पिछले 10 सालों से जाता आता रहा हूं। मैं वैसे तो बुन्देलखण्ड का रहने वाला हूं। हमारे सदस्यों ने जो बातें रखी हैं उनके बारे में जवाब देना चाहता हूं। जो सुरेश्वर सिंह ने एन0एच0 93 की बात रखी इसमें भारत सरकार से पैसे की कोशिश कर रहे हैं। रामबीर जी बैठे हुए हैं इनसे भी इस सम्बन्ध में मेरी बात हुई है। श्री विवेक सिंह जी ने जो बधाई दी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कम से कम विपक्ष में सच्चाई कहने वाले लोग भी हैं। हमारे गंगवार साहब ने भी सच बोला मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। चंदेल साहब हम और आप काफी दिनों तक साथ रहे "दायी से क्या पेट छिपाना। लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं" तुझे ऐ जिन्दगी हम दूर से पहचान लेते हैं। डाक्टर साहब ने, श्री विश्नोई साहब ने, श्रीवास्तव साहब ने, जोखूलाल, शुक्ला जी ने जो बात कही है हमने उसको नोट कर लिया है हमारी सैयदा सादाब फातिमा जी ने गाजीपुर आने का निमंत्रण दिया और खुद ही चली गई।

श्री अध्यक्ष-

तैयारी में गई होंगी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वैसे मान्यवर मुझे खुशी है कि वह आपको बताकर के गई हैं, मुझे नहीं बताया उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को बता गई होंगी। (व्यवधान) मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। मैं उस मामले में बहुत दूर हूं। नजदीक वाले नजदीक हैं। मुझे दूर ही रखिये। एक साहब ने बैठे-बैठे कह दिया काफी सीनियर हैं, भिखमंगे हैं क्या मांगना ? अब उसका क्या मैं जवाब दूं काफी सीनियर हैं, समझदार हैं। अगर किसी से इज्जत चाहते हैं तो सामने वाले की भी इज्जत करनी पड़ेगी और मैं उनके लिये दो लाइन कहना चाहता हूं कि-

फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट
यह हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो
और किरदार से बुलन्द हुआ करता है नसीब
अच्छा सुलूक कीजिये हर आदमी के साथ।

मेरा मश्विरा है मान्यवर, मुझे कोई आलोचना नहीं करना है। उम्र में छोटा हूं हो सकता है तजुर्बे में भी छोटा हूं। लेकिन छोटा अगर कोई सही बात कहे तो मान लेना चाहिए मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मानेंगे और भविष्य में उसका अनुश्रवण करेंगे पालन करेंगे और उसका अमल करेंगे। मान्यवर, तोमर साहब ने भी बात कही है इनका मैं एक साथ में जवाब दे देता हूं। मान्यवर, यह एक बात आई थी कि बाढ़ से रोडों की जो क्षति हुई है उसकी मरम्मत की व्यवस्था की बात कही है तो उसके बारे में मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि राहत आयुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग के बजट से यह पैसा आता है। बिसवा नहर का जो प्रकरण उठाया गया। उसमें जो बाधा चौक है क्या बोला गिरवट बोला क्या बोला मैं लिख नहीं पाया ठीक से। आदि इमारतों में जो बाढ़ से हानि हुई

है उसमें राजस्व विभाग से धन की प्राप्ति होनी है और हम प्रयास कर रहे हैं जैसे ही प्राप्त हो जायेगा उसमें कार्यवाही करेंगे। अब्दुल वारिस साहब ने भी कैराना की बात कही है। कैराना, दुधवा थाना भवन की बताया है यह मार्ग स्वीकृत है मन्सूरपुर शाहिदपुर के लिये इन्होंने कहा, स्वीकृत है। मुज्जफरनगर चरथावल के लिये इन्होंने कहा, स्वीकृत होने जा रहा है, प्रोसेस में है। एक बात आई मजबूर सिंह की, मैं कार्यवाही में नहीं जाना चाहता कि कैसे आई ? कहां से आई ? मजबूर सिंह की बात कही मान्यवर शिवपाल सिंह जी ने लगभग मजबूर सिंह जी, मैं इनका रिकार्ड बता दूं यह 20 सालों तक सस्पेंड रहे अपनी नौकरी में जिसकी तारीफ हो रही थी। यह 20 साल तक सस्पेंड रहे। हमारी सरकार कितने सालों से है ? यह सारा आपको मालूम है और विपक्ष को भी मालूम है। उनकी तारीफ कर रहे हैं जो 20 साल तक सस्पेंड रहे। 2003-2004 में बहाल हुए पिछली सरकार में वर्ष 28-2-2004 को मैनपुरी में तैनात किये गये। उसके बाद 14-5-2006 में उन्हें मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया, सस्पेंड होते-होते फिर बचे। 28-12-2006 को निलम्बित हुए और निलम्बन की अवधि में ही रिटायर हो गये। अच्छा रिकार्ड। जिसका जिक्र माननीय शिवपाल सिंह कर रहे थे। ऐसे इंजीनियर इनको भाते हैं मान्यवर। काम चलता है। ना अब कौन सा काम चलता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इधर बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की स्थिति के बारे में माननीय शिवपाल सिंह जी ने जो कहा है, उसको मैं स्पष्ट कर दूं। कि 2006-2007 में पूर्वांचल में 56.25 करोड़, 2007-2008 में 49.45 करोड़ 2008-2009 में 76 करोड़ का प्राविधान है। पूर्वांचल विकास निधि में मान्यवर, 2006-2007 में 191.25 करोड़ 2007-08 में 170 करोड़ और 2008-09 में 256 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। बुन्देलखण्ड विकास पैकेज में जो आवंटन हुआ है वह मान्यवर 2006-07 में 100 करोड़, 2007-08 में 50 करोड़, 95 लाख और 2008-09 में मान्यवर 82 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। मान्यवर, बारहवें वित्त आयोग से जो होना है 2006-07 में 175 करोड़, 2007-08 में 175 करोड़, 2008-09 में 175 करोड़, प्रत्येक वर्ष के लिए मान्यवर 175 करोड़, रुपया प्रस्तावित है। मान्यवर, राष्ट्रीय राज मार्ग के बारे में कहा गया। मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर, राष्ट्रीय राज मार्ग में जो 2006-07 में आवंटन हुआ था वह 49.91 करोड़ और व्यय हुआ था 149, इसी तरह से 2007-08 में 192.4 करोड़ का आवंटन हुआ चालू वित्तीय वर्ष में, यह जनवरी तक है इसमें फरवरी शामिल नहीं है। 162 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है 82 परसेन्ट, इसमें फरवरी मार्च का नहीं जुड़ा है खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि फरवरी, मार्च में ज्यादा तेजी से काम होता है। प्रगति बता रहे हैं 50 प्रतिशत और जनवरी तक 82 प्रतिशत कार्य हो चुका है अब पता नहीं इनको कहां से आंकड़े मिले। कार्यवाही में आ रहा है आप पता कर लीजिएगा। सेतुओं के बारे में मान्यवर, कहना चाहूंगा 80 सेतु इस साल बनाने का लक्ष्य है और जनवरी तक मान्यवर, 37 सेतु पूरे हो चुके हैं। मान्यवर, 9 सेतुओं का जहां तक सवाल है, 27 सेतु बनाए जाने हैं 11 करोड़ के, 40 सेतुओं के प्राविधान की लागत 109 करोड़ है नाबार्ड से यह कहा गया है कि 109 करोड़ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में पूर्व मंत्री जी ने बात कही। ग्रामीण सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार के कार्यकाल में, पिछले साल की

बात कर रहा हूं तीन हजार 75 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ और इन्होंने व्यय किया पूरे साल में 1444 करोड़ रुपया, 50 परसेन्ट यह व्यय नहीं कर पाए। चालू वित्तीय वर्ष का बता दूं जनवरी तक की बात कर रहा हूं फरवरी और मार्च शामिल नहीं है, पहले बता चुका हूं कि इन दो महीनों में काम ज्यादा होता है। तो 24 करोड़, का लक्ष्य था जिसमें जनवरी तक 1327 करोड़ का व्यय किया गया अब यह कितने परसेन्ट बना कहां से आंकड़े पा गए कहां से हो गया नहीं आंकड़े मिल रहे थे मुझे बता देते मैं दे देता मैं उपलब्ध करा देता। सही आंकड़े तो देते कम से कम सदन को गुमराह तो न करते, सदन का समय तो बरबाद न होता। मैं ज्यादा बात न कह करके कोई ऐसी बात नहीं है जो स्पष्ट न की हो हम फिर कहते हैं इस प्रदेश को भयमुक्त, अन्याय और अनाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी की सरकार, इस प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। मैंने सारी बात का जवाब दे दिया है कि माननीय शिवपाल जी और इनके दल के सारे लोग मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को यह वापस ले लें और इस लोकप्रिय बजट को पास होने दें धन्यवाद्।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री सुन्दरलाल लोधी-

मैंने 20 करोड़ की बात पूछी थी।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। सीधा-सीधा मंत्री जी ने कहा, जब कुछ नहीं मिला तो रिश्तेदार हो गये जाने कहां से रिश्तेदार हो गये। तो मान्यवर, यह सब झूठ है और झूठ का पुलिंदा है और सीधा-सीधा मा0 मंत्री जी बेईमानी को संरक्षण दिए हैं, इसलिए इस बजट से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। लोक निर्माण विभाग फिर बहुत पीछे चला जायेगा। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,97,29,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,33,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,16,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,88,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,32,41,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,71,48,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,50,07,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,38,44,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की तरह सिंचाई विभाग भी गांव से जुड़ा हुआ विभाग है और जहां तक गांवों की बात आती है तो हमारा जो किसान भाई है उसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है। मान्यवर, इसमें जो कृषि योग्य भूमि है वह 189.48 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में जो कुल नहरें हैं, छोटी-बड़ी नहरें मिलाकर नहरों की लं0 72 हजार 450 किमी0 है। मान्यवर, नहरों के साथ-साथ हमारे प्रदेश में नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है और जो प्राइवेट नलकूप हैं निजी नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है उनको छोड़कर जो हमारे राजकीय नलकूप हैं उनकी संख्या 28 हजार 366 है। इसके अलावा लघु डाल नहरों से भी सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में लघु डाल नहरों की संख्या 243 है और जलाशय पोषित प्रणालियां हैं उनकी संख्या 67 है। मान्यवर, हालांकि सिंचाई अधिष्ठान की शुरुआत सन् 1823 में हुयी थी। कालान्तर में स्वतंत्र सिंचाई विभाग की स्थापना वर्ष 1936 में हुयी थी और मान्यवर, तभी से यह विभाग अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। मान्यवर, नहरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश में सिंचाई की जाती है जिसका मैंने ऊपर विवरण दिया है कि नहरों की लम्बाई कितनी है। मान्यवर, जब नहरों में पानी आता है तो पानी के साथ सिल्ट आना भी स्वाभाविक है। मान्यवर, सिल्ट की सफाई के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के विभागीय बजट में 30.78 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है और इतनी ही धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना एवं अन्य रोजगार परक योजनाओं से भी प्राप्त हो जायेगी जो प्रस्तावित है। चालू वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी, 08 तक विभागीय बजट से 23.93 करोड़ एवं रोजगार परक योजनाओं से 26.55 करोड़ रुपये का उपभोग करते हुए 25,524 किलोमीटर नहरों की सफाई का कार्य कराया गया है। आठ हजार पैसठ नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया गया है, यह 15 फरवरी, 08 तक के आंकड़े हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर यह शिकायतें मिलती हैं, पूर्व में भी मिलती रही हैं, अभी भी मिल रही हैं, सिल्ट की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा खाया जाता है या तो सफाई नहीं होती है और सफाई की गयी तो किया काम कम जायेगा और उसका भुगतान ज्यादा कराया जाता है। इसके लिए हमने टीम बनायी। पहली बार एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एक टीम बनायी कि नहरों में सिल्ट की सफाई से पहले टीम को भेजा जाय और वह टीम वहां जाकर निरीक्षण ही नहीं करे बल्कि उसकी वीडियोग्राफी भी हो। उस टीम ने निरीक्षण कर लिया, फिल्म बन गयी, तब उस जगह की सफाई करायी गयी और फिर उसी टीम को भेजा कैमरे के साथ कि जो काम हुए हैं उसे देखा जाय कि वह किये हैं कि नहीं और उसकी भी वीडियोग्राफी हुई तो यह प्रदेश में पहली बार ऐसा किया गया। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता लाने के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि एक-एक पैसे का जो सफाई के लिए लगाया गया किसानों का उसका लाभ मिले। इसके अलावा कुछ अनुरक्षण कार्य भी किये जाते हैं। नहरों में इसके लिए विशेष तौर से मरम्मत के लिए 2008-09 में 54.73 करोड़ रुपया प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-08 से 25 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, निरीक्षण भवनों का जीर्णोद्धार और विस्तार का कार्य भी किया गया। जिस तरह से मैंने लोक निर्माण विभाग के बजट में कहा था

कि यह भवन बनाकर छोड़ दिये गये, मैं मानता हूं कि इन्टीरियर में बने हुए भवनों का इस्तेमाल नहीं होता था. मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं जो भी सरकारें रहीं उसने यह भवन बनाकर छोड़ दिये थे उनकी मरम्मत नहीं की गयी। जिस तरह से पी0डब्लू0डी0 के सर्किट हाउस में दुर्गन्ध आती थी वही हाल इनका भी था। लेकिन हमारी बहन मायावती जी ने सरकार के बनते ही उसकी काया पलट कर दी। इसके जीर्णोद्धार के लिए तथा विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में दस करोड़ की व्यवस्था की। मान्यवर, जिसमें बाद में तीन करोड़ की व्यवस्था और करनी पड़ी, कुल 13 करोड़ की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई, बाद में यह बढ़ाई गई और मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए मान्यवर, 10 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक से एक परियोजना चल रही है। मान्यवर, उस परियोजना का नाम है उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर परियोजना। मान्यवर, यह परियोजना 2002 में शुरू की गई है। माननीय पूर्व सिंचाई मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, इनको भी मालूम है, 2002 में शुरू की गई और इसको पांच साल में अक्टूबर, 2007 में पूरा होना था और मान्यवर, इसके लिए 819.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, लेकिन मान्यवर, जो हमारी पूर्व की सरकार की थी, उसने इस परियोजना की तरफ देखा नहीं और जब मान्यवर, नहीं देखा, यह कुछ जिले इसमें लिये गये, बाराबंकी है, जौनपुर है, कुछ शायद प्रतापगढ़ का भी हिस्सा है सम्भवतः मैं समझ रहा हूं रायबरेली का भी है, सुल्तानपुर है, इन हिस्सों के लिए मान्यवर, यह योजना विश्व बैंक से होनी थी। मैंने बताया कि 819.31 करोड़ रुपये इसमें व्यय होने थे लेकिन 2002 से जब यह परियोजना शुरू हुई और 13 मई, 2007 तक जब हमारी सरकार बनी मान्यवर, तब तक मात्र 165 करोड़ रुपये व्यय हुए। फिर क्या स्थिति बनी ? वर्ल्ड बैंक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम इस धीमी प्रगति से खुश नहीं हैं हम इस परियोजना को विदड्रा करने पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने वर्ल्ड बैंक के जो प्रतिनिधि थे मिस्टर जोलेटा उनके साथ कई बार मीटिंग की। मैं मौके पर सुल्तानपुर भी गया, वहां जा करके देखा, वहां भी मीटिंग की, लखनऊ में भी बैठ करके मीटिंग की, उनसे अनुरोध किया, उनकी कण्ट्री डायरेक्टर इण्डिया आई उनसे मिला, कण्ट्री डायरेक्टर जी, माननीया मुख्य मंत्री जी से मिली, कई बार उनसे बात करने के बाद उनको यह विश्वास हुआ कि नहीं यह परियोजना आगे चल सकती है और मान्यवर, हमारे लाख प्रयास करने के बाद जो यह प्रथम चरण की परियोजना थी, यह कई चरणों में होनी थी, प्रथम चरण की परियोजना थी जो 2002 में शुरू होकर 2007 में खत्म होनी थी।

मान्यवर, विश्व बैंक हमारे लाख प्रयास करने के बाद सशर्त विश्व बैंक दो साल के लिए समय बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि 13 मई के बाद हमने क्या किया ? 13 मई से लेकर के फरवरी, 2008 तक हमने लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय किये जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। मान्यवर, हमारी प्रगति से वह संतुष्ट भी हुए और एक तरफ तो उन्होंने प्रथम चरण की परियोजना को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अनुरोध पर वह मान्यवर, आप भी जानते हैं कि बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे बात की. माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी कण्ट्री डायरेक्टर मिलने आई, मेरी बात

हुई, वह ताज होटल में रुकी हुई थी, उनके मेम्बर थे, मैंने ताज होटल में जा करके उनसे बातचीत की। मान्यवर, हमारी इधर की प्रगति को देखकर के विश्व बैंक ने द्वितीय चरण में बुन्देलखण्ड में भी यह परियोजना चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मान्यवर, अब कितना पैसा दिया जायेगा द्वितीय चरण में यह तो नहीं पता। यह अनुमान है कि लगभग एक हजार करोड़ रु0 से अधिक ही मिलना चाहिए। अब खर्च हमने नहीं किया या आपने नहीं किया। अब खर्च करने में इतनी ज्यादा चिन्ता है कि पी0डब्लू0डी0 विभाग का बजट पास हो गया तो चले गये। रुके नहीं। अब उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा इससे मतलब नहीं है। किसानों की समस्याओं को उठाने की जरूरत नहीं है। कितने पानी की जरूरत है यह बताने की जरूरत नहीं है। बड़े फिक्रमंद लोग हैं ? देख लीजिये कितनी चिन्ता है प्रदेश की जनता की किसानों की। प्रथम चरण की यह जो परियोजना है उसके लिये 2008-09 में 218.60 करोड़ रु0 का व्यय का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, और भी कई योजनायें हैं ए0आई0बी0पी0 योजना है। यह भारत सरकार से आंशिक रूप से वित्त पोषित योजना है। इस योजना के तहत 2008-09 में 1106.42 करोड़ रु0 का व्यय किये जाने का प्रावधान है। मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष में जो व्यय हो रहा है और जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें 50 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, पूर्व में ही मैंने नलकूपों की बात कही है। नलकूपों की मरम्मत, पुर्नोद्धार के लिये उनके आधुनिकीकरण के लिये मैं नहीं समझता हूं कि पहले मन से काम हुआ। आप माननीय ओम प्रकाश सिंह जी इसके लिये हमें बधाई देंगे कि इसके संचालन और अनुरक्षण के लिये पूरे साल में एक के लिये 12 हजार रु0 की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर हमने 20 हजार रु0 करने का फैसला लिया है। यह इसलिये कि जो भी जा रहा है पानी के लिये उसका सही अनुरक्षण हो सके और सही संचालन हो सके। मान्यवर, इसी तरह से 2008-09 नलकूपों का निर्माण कराये जाने की योजना प्रस्तावित है और मान्यवर, इसमें जो लघु सीमान्त कृषक है उनको प्राथमिकता दी जायेगी उस एरिया में उनको प्राथमिकता में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 250 जो नलकूप फेल हो गये हैं तो मान्यवर, उनका पुनर्निर्माण भी मान्यवर प्रस्तावित है और साथ में मैं यह भी बताता चलूं कि प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में 68 प्रतिशत नलकूप हैं उसमें सिंचन का काम करते हैं। 68 प्रतिशत निजी नलकूपों से किया जाता है।

मान्यवर, पम्प नहर योजना है इस योजना के अन्तर्गत भी कई जनपदों में कार्य चलाया जाना प्रस्तावित है। इसमें से मान्यवर, जनपद इलाहाबाद, चन्दौली, बांदा इन जनपदों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इधर हमारा प्रयास है कि कृषकों की भी भागीदारी नहरों के रख-रखाव और संचालन में होनी चाहिए। एक कारण होता है कि जो ज्यादा मजबूत है उसने बीच में काट लिया बाकी पानी बह रहा है। मान्यवर, इसके लिये हमारी सरकार ने कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का फैसला लिया है ताकि जो जल का बटवारा है वह समानतापूर्ण ढंग से किया जा सके और यह जो पानी काटने और दुरुपयोग होने की बात है वह रोकी जा सके। मान्यवर, इधर पानी को जो टेल तक पहुंचाने की बात आई। मान्यवर, मेरे पास सूची है खैर में उत्तर भाषण में दे दूंगा। इसकी मेरे पास सूची है। 20 वर्षों में 22 वर्षों में जहां मान्यवर, पानी नहीं पहुंचा था उन

जगहों पर, उन नहरों पर, उन रजवहों पर इस साल पानी पहुंचा। हमारी सरकार ने इस साल वहां पानी पहुंचाने का काम किया। मैं अभी देखकर बता देता हूं उदाहरण के लिए माल के पास नबीपनाह गांव है। वहां मैं स्वयं गया, किसानों ने मुझसे खुद कहा कि 20 साल के बाद इस नहर में पानी देखा। शाहपुर माइनर है माननीय सरोज साहब के यहां, पूरी लिस्ट है मैं उत्तर भाषण में बता दूंगा। इतना ही नहीं मान्यवर, माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी स्वयं गये। उन्नाव जिले में गये श्री सैफुद्दीन सोज साहब रायबरेली जनपद में भ्रमण पर गये। उन्होंने तारीफ की माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने पुरवा ब्रांच को देखकर कहा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। यह मैंने नहीं कहा बल्कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने इस बात की तारीफ की। जाहिर है कि जब केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ देखकर के तारीफ कर रहे होंगे। इधर बुन्देलखण्ड में सूखा है हमारे विध्यांचल में भी दो जिलों में सूखा है। अब मान्यवर, सूखे को देखते हुए बुन्देलखण्ड में कुछ परियोजनाएं मान्यवर, प्राथमिकता जिनके प्रदान की जा रही है उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण की परियोजना, औगासी पम्प नहर आधुनिकीकरण की परियोजना, लेथरी बांध परियोजना, सिराज बांध परियोजना, रसिरबांध परियोजना, कुरार बांध परियोजना को पूर्ण करने के साथ-साथ और भी जो उसके अन्य कार्य है वह भी किये जाने हैं। कजनौधा बांध परियोजना, कुटारी बांध परियोजना, लोअर रोहणी बांध परियोजना, भटौर बांध परियोजना तथा जमरार बांध परियोजना संचालित की जा रही है। मान्यवर, केन नहर जो बुन्देलखण्ड में है केन नहर प्रणाली है उसके पुनरुद्धार के लिए माननीय विवेक सिंह जी बैठे हैं, 10 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है केन नहर के लिए। मान्यवर, इधर बुन्देलखण्ड में ही बांदा जनपद में स्थित 8 बंधियों का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता पुनर्स्थापना करने के साथ-साथ इलाहाबाद में 22 बंधियों के निर्माण हेतु 3 करोड़ 10 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, इसी तरह से निर्माणाधीन बांध सागर परियोजना के तहत इलाहाबाद जनपद और मिर्जापुर जनपद में क्रमशः 74823 हेक्टेयर एवं 75930 हेक्टेयर सींच प्रस्तावित है। इसके लिए 370 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर, बाढ़ को देखते हुए वैसे तो जहां अभी सूखा पड़ा है वहां कभी-कभी बाढ़ ऐसी आती है कि तबाही मचा देती है मैंने खुद जाकर के देखा है मान्यवर। कि जहां 4 साल से सूखा है, 5 साल से सूखा है, वहां कभी-कभी ऐसी बाढ़ आती है कि सैकड़ों गांव डूब जाते हैं और बड़े पैमाने पर हानि होती है लेकिन जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या आती है वह पूर्वांचल में आती है। पूर्वांचल में कई नदियां हैं, घाघरा है, सरयू है, गंडक है, राप्ती है। इनमें से ज्यातर नदियां नेपाल से आती हैं जो भी नेपाल का पानी है, वह हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान्यवर, इसके लिये वर्ष 2008-2009 में 370 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सरकार इसको पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है और मान्यवर, आय-व्ययक 2008-2009 से सम्बन्धित कुछ आंकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आगामी वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये रु0 1994.10 करोड़

राजकीय नलकूप सहित लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये रुपये 203.86 करोड़, तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु रु0 369.43 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित हैं मान्यवर, हमारी बहुत सी योजनायें हैं जिनका आधुनिकीकरण होना है जैसे आगरा नगर का आधुनिकीकरण परियोजना का कार्य प्रगति पर है और मार्च 2008 तक इसको पूरा किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, माननीय सदस्यों का ध्यान रखते हुये मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, हर वर्ग का ध्यान रखा है और अगर हमने कहा है कि ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' तो इससे किसान भी वंचित नहीं रहा है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कटौती के लिये कुछ रहा नहीं। कटौती की आवययकता है नहीं। सभी से अनुरोध करूंगा जितने भी माननीय सदस्य है, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, कि इसको ध्वनि मत से पारित होने दें। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कटौती का प्रस्ताव रखता हूं कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्टान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा विशाल प्रदेश है और यहां पर करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 12 करोड़ लोग गांव में कृषक के रूप में या उससे जुड़े हुये लोग रहते हैं यहां पर 97,942 गांव हैं और जनसंख्या के हिसाब से जब देखते हैं 1991 और 2001 के बीच में, तो मान्यवर, यहां प्रदेश की 25.86 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कृषि के बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी चले गये, लाल जी वर्मा जी, इन्होंने अपने बजट प्रस्ताव में कहा था कि कृषि की विकास दर 5.7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है हमको 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त करनी है। भारत सरकार की स्थिति आज यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो आज पहला वर्ष चल रहा है, उसमें 3.8 के स्थान पर 2.6 कृषि की विकास दर हो गयी है। उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 5.7 प्रतिशत कैसे होगी, यह बात समझ में आने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी कहा गया है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सिंचाई विभाग का बजट गांव का जो गरीब हैं, किसान हैं जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है वह बजट के तकनीकी पहलुओं को नहीं जानता। न वह राजस्व के आंकड़ों के खेल को जानता है उसको तो अपने खेत में पानी चाहिये। बजट में आंकड़े, बजट की बाजीगरी इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। गांव का गरीब, गांव का किसान उसको अपने खेत के लिये पानी की व्यवस्था चाहिये। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है खाद्यान की कमी हो रही है और कृषि क्षेत्र

तेजी से घट रहा है और सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि सिंचाई से सम्बन्धित है हमने पिछले वर्ष बाहर से पूरे देश में अनाज मंगाया 1700 रुपये क्विंटल। सिंचाई की व्यवस्था अगर ठीक से नहीं होगी तो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, यह सोचने का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस हिसाब से कृषि का क्षेत्र कम हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उस स्थिति से हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ा पा रहे हैं और सिंचित क्षेत्र का लक्ष्य भी हम ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज भी स्थान सिंचित क्षेत्र में 73.7 प्रतिशत है। हमसे आगे दिल्ली का 100 प्रतिशत, पंजाब का 25 प्रतिशत, हरियाणा 85 प्रतिशत है। यह सब उत्तर प्रदेश से लगे हुये प्रदेश हैं। सिंचित क्षेत्र हमारा इन प्रदेशों से भी कम है, वह प्रदेश हमसे आगे बढ़ रहे हैं। चिन्ता यह होनी चाहिए कि हमारा सिंचित क्षेत्र कैसे तेजी से बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, अभी राजकीय नलकूपों की बात कही जा रही थी। वास्तविक स्थिति यह है कि राजकीय नलकूपों के बारे में यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो स्थिति बहुत खराब हैं कनेक्शन के दाम बढ़ गये हैं और चालू हालत में 28,366 नलकूप हमारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 97,942 गांव और राजकीय नलकूप 28,366 एक गांव के हिस्से में 3 नलकूप पड़ेंगे। बात बहुत बढ़-चढ़कर की जा रही थी। तीन गांव के नलकूपों से कैसे सिंचाई होगी जबकि माननीय मंत्री जी ने यह बात भी कही है कि 2008-2009 में हम 670 नये नलकूप लगायेंगे। अभी आपने बजट भाषण में भी कहा है कि 670 नलकूप और 97942 गांव, 403 विधान सभा एक विधान सभा के हिस्से में सवा/डेढ़ राजकीय नलकूप हिस्से में आयेगा। इन नलकूपों से क्या होने वाला है ? मेरा यह सुझाव भी है कि इन नलकूपों से गांव के गरीब की कई सिंचाई होने वाली नहीं है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। राजकीय नलकूपों की स्थिति खराब, संख्या बहुत कम, आधे से अधिक खराब पड़े हैं और गांव में ट्यूबवेल आपरेटर नाम का एक व्यक्ति है, वह कभी किसी ट्यूबवेल पर नहीं जाता। ट्यूबवेल बन्द पड़े रहते हैं और वह ताला लगाकर घर में सोता है। उसकी भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि लोगों को सिंचाई का लाभ मिले।

मैंने विद्युत विभाग के बजट में कहा था कि प्रदेश में 85 प्रतिशत किसान 3.125 एकड़ से भी कम के हैं और माननीय अध्यक्ष जी, अब चकबन्दी चल रही है किसी गांव में चले जायें तो आप देखेंगे कि यहां सभी मा0 विधायक गण ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, केवल 26 मा0 विधायकों जो नगरीय क्षेत्र वालों को छोडकर। अधिकांश काश्तकार एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ के हैं। मैंने विद्युत विभाग के बजट पर यह सुझाव दिया था कि इन किसानों की, गरीबों की आप सुन लें। यदि इन किसानों की, गरीबों की नहीं सुनी जायेगी तो कोई बच नहीं पायेगा। इनको तीन हार्स पावर का आप कनेक्शन दे दें लेकिन बिजली विभाग के प्रस्ताव पर कोई सरकार की ओर से जवाब नहीं आया था। जिसके पास एक-दो एकड़ जमीन है वह अपने नलकूप कैसे लगायेगा ? मा0 मंत्री जी ने कहा कि 68 परसेंट निजी नलकूपों से सिंचाई होती है। हम गरीब लोगों को सिंचाई की सुविधाएं कैसे मुहैया करायें इस पर विचार करने की आवश्यकता है नलकूपों की संख्या बढ़ानी

चाहिए ताकि जो छोटे कास्तकार हैं वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। मा0 अध्यक्ष जी गरीब किसान की चिन्ता कीजिए, आप कहते भी हैं आपकी सरकार की प्राथमिकता भी है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पश्चिम क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर से मेरठ मण्डल, सहारनपुर मण्डलीय और आगरा मण्डल इन मण्डलों में डार्क की श्रेणी में बहुत विकास खण्ड पर उनके बहुत सारे गांव आ गये हैं। वहां पर बिजली के कनेक्शन मिलने बन्द हो गये हैं, सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरा मा0 मंत्री जी से सुझाव है कि उन क्षेत्रों का सर्वे कराकर जहां-जहां डार्क की श्रेणी में विकास खण्ड के उनके गांव आ गये हैं वहां-वहां नहरों की व्यवस्था की जाए ताकि वहां खेतों की सिंचाई हो सके वरना वहां का किसान भूख की कगार पर हो जायेगा। इन सब चीजों की व्यवस्था अगर बजट में नहीं हो पायेगी तो किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। पूर्वी यमुना नहर के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे मा0 कौकब साहब चले गये हैं, उन्होंने इस बात को कहा था। उसमें भी नहर की व्यवस्था हो ताकि किसानों को लाभ हो सके। कुछ परियोजनाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसमें किसकी गलती है। बहुत दिनों से सिंचाई विभाग का यह दुर्भाग्य रहा है कि योजनाएं शुरू होती हैं और इस विभाग का विभाग के अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं होता। विभाग के अधिकारियों ने सिंचाई विभाग को बहुत दुहा है। योजनाएं बहुत दिनों से लम्बित हैं, हालांकि बहुत लम्बी कहानी है मैं दो-तीन के बारे में कहूंगा।

सरयू नहर परियोजना वर्ष 1977-78 में शुरू हुई और 1988-89 में इसे पूरा होना था। मा0 अध्यक्ष जी, यह 222 करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन बढ़ते-बढ़ते इसका बजट आज 2702.38 करोड़ रुपये हो गया। 2480.38 करोड़ रुपया इस प्रदेश के गरीब किसानों पर बोझ बढ़ गया। क्यों बढ़ा क्यों काम पूरा नहीं हुआ, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, हालांकि बहुत सारे रिटायर हो गये होंगे, उनके लिए कोई दण्ड का प्रावधान नहीं हुआ है। क्यों प्रदेश का नुकसान हुआ, योजना पूरी नहीं हुई और 2480.38 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। जिन लोगों ने इस विभाग को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और किसानों का कुछ भला नहीं कर पाये, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कनहर सिंचाई परियोजना 1976-77 में शुरू हुई, कुल लागत उसकी 27.75 करोड़ रुपये थी और वह बढ़ते-बढ़ते 555 करोड़ रुपये हो गई। मान्यवर, 555.60 करोड़ रुपये की योजना हो गयी है, हम कहां जा रहे हैं ? हम किसकी चिन्ता कर रहे हैं, हम गरीब की कहां चिन्ता कर रहे हैं, गरीब किसान को क्या देंगे, इस विभाग को लोग खा गये हैं। 27 करोड़ में काम हो जाता लेकिन यह बढ़कर 555.60 करोड़ रु0 हो गया। सरयू नहर योजना थी उससे 12 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई होती। 222 करोड़ रुपये की योजना 12 लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई होनी थी लेकिन मान्यवर, केवल 7.72 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता कर पाये हैं। सिंचाई की क्षमता कम, पैसे की लागत ज्यादा, हम कहां जा रहे हैं ? सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, कनहड़ परियोजना जब यह योजना बनी थी तो कहा गया था कि 12 लाख 25 हजार टन खाद्यान्न

का उत्पादन करेंगे, 27 करोड़ हमारा खर्च होगा। योजना बन गयी, कार्य शुरू हो गया 1976-77 में शुरू हो गया। आज तक पूर्ण नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है ? कब तक पूर्ण होगी, इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। इसमें भी माननीय अध्यक्ष जी, 527.85 करोड़ का नुकसान राजस्व का घाटा हुआ, इसकी भरपायी कौन करेगा ? खाली यह बात करने से काम नहीं चल पायेगा कि हम नहीं कर पाये, जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए, समय-सीमा निश्चित होनी चाहिए वरना प्रदेश का भला नहीं हो पायेगा। हम किसी का भला नहीं कर पायेंगे ? चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध की बात मा0 मंत्री जी कर रहे थे यह झांसी जनपद के मऊरानीपुर तहसील के ऊपर बना हुआ है। 542 करोड़ रुपये की योजना थी और आज बढ़ते-बढ़ते 1450 करोड़ की योजना हो गयी है। कब पूरी होगी, अधूरी पड़ी हुई है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित होगी ? चौधरी चरण सिंह की राजघाट योजना, चौधरी चरण की अगौसी पम्प नहर योजना, बहुत लम्बी कहानी है। अगर बताऊं तो 3 घण्टे लगेंगे। ऐसी बड़ी योजनायें जो बहुत लम्बे समय से शुरू हुई है इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी दोषी हैं, 30-40 साल से जो सिंचाई विभाग में हो रहा है, प्रदेश का पैसा जा रहा है, गरीबों का पैसा जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो कोई भी इसमें दोषी हो, ऐसे लोगों को बाहर के दरवाजे का रास्ता दिखाइये, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो ? माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ नियंत्रण के बारे में हमारे बाढ़ से कुल प्रभावित क्षेत्र 36 जनपद हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हमारा इन जनपदों में 73.06 लाख हेक्टेयर है। हम अभी तक केवल 58.242 लाख हेक्टेयर सुरक्षित कर पाये हैं। तमाम केन्द्र की योजनायें, तमाम प्रदेश का पैसा, इसमें बहुत बड़ी धनराशि आ रही है लेकिन हम अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं। 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 58 लाख हेक्टेयर सुरक्षित कर पाये हैं और सारे काम इसमें वर्ष 2006-07 में जो पैसे की बात कही गई है बजट आपने 2637 करोड़ का दिया है लेकिन जो लक्ष्य हमारा है वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं मेरा चिन्तन मेरी सोच यह है लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। लक्ष्य तक आप ठीक प्रकार से नहीं पहुंचे इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, घाघरा नदी और गण्डक नदी में हर साल बाढ़ आती है इससे बहराइच, बस्ती, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, देवरिया आदि जिले प्रभावित होते हैं इसी तरह से राप्ती की बाढ़ की विभीषिका जो हर साल आती है उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। यह सही है कि यह कई प्रदेशों का मामला है इससे नैपाल, बिहार, से भी सम्बन्ध है। हम ठीक प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सिल्ट की योजना है मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 20 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा है पहले पानी तो पहुंचाइए आपने उन्नाव रायबरेली की बात कही मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं सिल्ट सफाई से पानी तब पहुंचता है जब नहरों में पानी हो। हमारे क्षेत्र बुलन्दशहर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ रजवाहे मध्य गंगा नहर के निर्माण तथा अन्य भी राजवाहे हैं इनमें एक बूंद पानी नहीं है लेकिन आपके अधिकारी कागजों में हेरफेर करके फर्जी आंकड़े बनाकर रिपोर्ट कर देते हैं कि इतनी सिल्ट सफाई हुई और इतनी जगह टेल तक पानी पहुंचा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके यहां नहरों में रजबहों में सिल्ट सफाई होती है, लेकिन जब वर्षा होती है तो

फिर वह सिल्ट नहरों में चली जाती है। इसमें जो भी जिले स्तर के अधिकारी फर्जी आंकड़े बनाते हैं या आंकड़ों में हेराफेरी करें उनको दण्डित करना चाहिए। वास्तव में सिल्ट सफाई ठीक प्रकार से होती नहीं है तो दूसरे सिल्ट सफाई के लिए मशीन आती है वह मशीन एक स्थान से खोदती चली जाती है एक तरफ मिट्टी डाल देती है वह मिट्टी बाद में फिर नहर में चली जाती है इसलिए उस मिट्टी को हटाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था करनी पड़े तो करें लेकिन उस मिट्टी को वहां से हटाने का काम होना चाहिए। आपने टेल तक पानी पहुंचाने को कहा है लेकिन आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। आपने कहा है कि 8,348 में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य था लेकिन आपका जो बजट है इसमें 7,618 टेल तक पानी पहुंचाने की बात लक्ष्य प्राप्त नहीं आपने कही है। जब पानी नहरों में होगा तभी तो टेल तक पानी पहुंचायेंगे जब पानी ही नहीं है तो कैसे टेल तक पानी पहुंचायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सिंरोही जी 15 मिनट हो गए हैं। अब समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मैं दो तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रजबहे, नहरें हैं उनकी पटरियां हैं उनमें कुछ पटरियां पक्की हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो साल के अंदर जो रजवाहों के किनारे पक्की पटरी बनी है उसमें से अधिक की टूट गई है कुछ पर पत्थर पड़ा है डामर नहीं हुआ है। ऐसे रजवाहों का आप सर्वे करा लें जहां काम अधूरा पड़ा है उनको पूरा कराने का काम कराया जाये जो खराब बनाई गई हैं उनकी जांच भी करायेंगे और ऐसे लोगों को दण्डित भी करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपके सामने कोई चारा नहीं है। केन्द्र सरकार की योजना है केन्द्र सरकार से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार आपके समर्थन से चल रही है आपके समर्थन से भी और दायें हाथ बैठे लोगों के समर्थन से भी। कभी-कभी आप केन्द्र की आलोचना भी करते हैं और झगड़े भी आपस में करते रहते हैं लेकिन दिल्ली में बी0एस0पी0 व समाजवादी पार्टी एक है। केन्द्र से बहुत सारी योजनायें इसमें हैं, वहां से जो धन की आवश्यकता है आप सब मिलकर केन्द्र से भी उनको पूरा करायें। आवश्यकता आज इस बात की है कि इन सभी कामों को मैंने जैसा पहले भी कहा कि इन सब कामों को लक्ष्य निर्धारित करके समय पर पूरा करायें जिससे उत्तर प्रदेश के गरीबों और किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो सके। यदि हम ऐसा कर पायेंगे तो इस बजट का लाभ है वरना। सत्ता आयेगी, विपक्ष आयेगा। सत्ता वाले बजट रखेंगे और विपक्ष वाले कटौती रखेंगे और इस तरह से यह व्यवस्था चलती रहेगी। इससे गांव के गरीब किसान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात मात्र 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं माननीय सिरोही द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि यह पीली और हरे रंग की किताबें सिंचाई विभाग की बजट सम्बन्धी जो साहित्य हमको उपलब्ध कराया गया है इसमें कुशीनगर जनपद का कहीं पर नाम नहीं है। आपने बजट भाषण में बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में बताया कि बड़ी गंडक नदी से बाढ़ आती है लेकिन मान्यवर, यह हरी किताब में तो घाघरा और दोआबा के बीच जिन के हिस्से में जिन जनपदों का नाम लिया गया है बहराइच, गोण्डा, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, देवरिया लेकिन कुशीनगर का कहीं पर नाम नहीं है। उसी तरीके से बाकी कहीं पर पश्चिमी गंडक कैनाल का भी नाम दर्ज नहीं किया गया है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर से हमारे जनपद में सिंचाई का कार्य होता है। उस गंडक नहर की पटरियां क्षतिग्रस्त हैं। 118-400 पे जो रेग्युलेटर है वहां पर उसकी पटरी क्षतिग्रस्त है। वहां पर टुकड़े डालकर उसके रोकने का काम किया गया है। जिससे वहां पर सीपेज हो रहा है। वहां टूटने की सम्भावना भी है। यही स्थिति 110-400 पे भी बनी हुई है। मान्यवर, नहरों की सफाई की गई है, काफी नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और इसको आपने स्वतः भी स्वीकार किया है। हमारे यहां से जो नहरें हैं कुटण्डा रजवाहा, बेदूपार माइनर, तुलसीपुर की माइनर और जो रजवाहों में गेट लगे हुए हैं या तो वो गेट टूटे हुए हैं या तो गेट उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं या गेट ही नहीं लगे हैं जैसे बहादुरपुर रजवाहा, सेवरही, मिसरौली, भगवानपुर रजवाहा नहरें हैं। नहरों में जो सफाई की गई है वह नरेगा के द्वारा कार्य कराया गया है और नरेगा के द्वारा जो काम कराया गया है उन मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक जो सूचना मेरे पास है नरेगा से जो सफाई कराई गई है उसका भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, यह पीली किताब में गंडक नहर के बारे में लिखा गया है। वह मात्र उल्लेख है गंडक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना और इसमें धन आवंटन है। .01 लाख का आवंटन है। .01 लाख मेरी समझ में नहीं आया कि दस हजार के टोकन मनी का आवंटन करने का इसमें औचित्य क्या है। बाढ़ के बारे में मान्यवर, मैं अपनी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं।

मान्यवर, हमारे यहां बाढ़ आई माननीय मंत्री जी इससे पूरी तरह अवगत है। ए0पी0 तटबन्ध 2.4 पर कट गया। माननीय प्रमुख सचिव, सिंचाई गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों की बैठक में मैं मिला था मैने उस समय भी कहा था कि वह बंधा जहां पर टूटा है, जहां पर कटा है, जहां पर बंधा नहीं टूटना चाहिए था इस बात की जांच कराने की आवश्यकता है कि आखिर वह बंधा कैसे टूटा। अगर वहां पर बंधा टूट सकता है तो ए0पी0 तटबन्ध जिसकी लम्बाई 17 किलोमीटर है तो वह एक से लेकर 17 किलोमीटर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, बंधा टूटा उसके बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है लेकिन वहीं पर जो पी0पी0 तटबन्ध है, अमुआ खास, अमुआ और पी0पी0 पिपराघाट कहलाता है वह पी0पी0 तटबन्ध पिपरा पिपरासी उसका पूरा नाम है, अमुआ खास के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वहां भी एक बार 2002 में बाढ़ आ चुकी है भारी तबाही हुई थी। इस बार भी बाढ़ आई है और इस पर 4.9 पर काफी ज्यादा दबाव था मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि बाढ़ बचाओ का कार्य सामान्यतः मानसून आने के वक्त किया जाता है और परिणाम यह होता है कि उससे न तो गुणवत्तापरक काम हो पाता

है न मजबूती से काम हो पाता है और जनता के मन में यह बात घर कर जाती है कि बाढ़ के वक्त जब बाढ़ बचाओ कार्य किया जाता है तो उस पैसे की लूट अधिकारी, नेता और ठेकेदार करते हैं। तीनों मिलकर यह करते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समय से पहले इस बात की जानकारी की जाए और जहां-जहां आवश्यकता है वहां बाढ़ बचाओ का कार्य समय से पूर्व कराया जाए। ताकि बाढ़ की तबाही से जनता को बचाया जा सके इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर सिरोही जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बाजीगरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र तक सीमित रहकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मेरा जनपद सिद्धार्थनगर है सरजू नहर परियोजना जैसा कि सिरोही साहब ने बताया मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं इस जनपद को आच्छादित करती है। मान्यवर, 1977 में जब शिलान्यास हुआ था तो मैं मौजूद था केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी उसका शिलान्यास कर रहे थे और अभी भी उसको हम रोज देखते हैं। यह परियोजना में जमीन बड़े पैमाने पर तो ले ली गई लेकिन बीच-बीच में जहां जमीन नहीं मिली, उसका प्रयास नहीं किया गया उसका परिणाम है कि आगे तो किसानों की जमीन लेकर खुदाई कर दी गई बीच में अगर चार सौ मीटर कहीं व्यवधान पड़ गया तो उसका प्रयास करके निपटारा करना चाहिए। परिणाम यह है किसान की उधर जमीन चली गई और उसे पानी नहीं मिल रहा और चार सौ मीटर बीच में पड़ा है माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग के लोगों से कहते, हमने प्रयास करके बहुत सी जमीन दिलाई है। यह सही है जब यह परियोजना बनी थी तब 222 करोड़ की थी, अब कितनी हो गई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। इसके लिए कोई एक सरकार दोषी नहीं है। यह जरूर है कि इन नहरों से जहां पानी भी नहीं चलता है, सिंचाई भी नहीं होती है, वहां भी आप वसूली कर लेते हैं। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो सब लोग आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस लेकर तहसीलदार आए थे, मैंने तो सिंचाई ही नहीं की। इस बारे में आप अपनी नीतियों में संशोधन करें। आपने नियम बना रखा है कि यदि खेत के बगल से नहर जा रही है, भले ही किसान उससे सिंचाई न करें, उससे सिंचाई वसूली जायेगी चाहे उसने पानी लगाया हो या न लगाया हो। हमारे यहां तो ऐसा है कि सुबह जाते हैं, शाम तक बोरिंग करके पानी निकाल लेते हैं। आपकी नहर बनने के पहले से ही वहां छोटी-छोटी बोरिंग हैं लेकिन आपके अधिकारी उनसे जबरिया सिंचाई की वसूली करते हैं। अगर एक किसान किसी दूसरे के खेत से पानी लेकर जाता है तो जिस खेत से वह पानी लेकर जाता है उससे भी वसूली कर लेते हैं। इस पर आप बैठक करके कोई इस तरह का नियम बनायें जिससे किसान को राहत मिल जाए क्योंकि हम लोगों को उन्हें लेकर तहसील जाना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है जो लोग पड़ताल करते हैं उन्हें मौके पर जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर कहीं नहर कट गई, क्योंकि आपकी बिजली खर्च होती है, वह पानी तो बहकर निकल जाता है लेकिन आस-पास के किसानों के ऊपर वह लिख दिया जाता है। इसी तरह जो [illegible]-छोटी नहरें हैं, रजवहे हैं, बड़े पुल तो आप नहीं स्वीकृत करते हैं, वह दूर-दूर बनाते हैं लेकिन आप कदम पुलिया तो बना सकते हैं जिससे एक गांव का आदमी दूसरे गांव चला जाए। आबादी के किनारे आप नहर बना देते हैं लेकिन बड़े पुल प्रस्तावित नहीं करते हैं इससे गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उसमें कई बार बच्चे मर भी जाते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि गांव के किनारे से जहां इस प्रकार की नहरें निकली हैं, जहां आप बड़े पुल नहीं बना सकते हैं तो वहां आप कदम पुलिया 2 लाख 4 लाख रुपये खर्च करके बना सकते हैं, इससे गांव के लोगों को बहुत राहत मिल सकेगी। हमारे गांव के पास जो नहर है उस पर एक कदम पुलिया बनाने का प्रस्ताव था, आपके जो चीफ साहब है, फैजाबाद में वह समझते ही नहीं है, जब मैं सरकार में था, पहले भी नहीं समझ पाते थे और आज भी वह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा बजट चाहिए। उसमें दो लड़के डूब कर मर चुके हैं लेकिन वहां कदम पुलिया नहीं बन पायी, इसको आप बनवा दें।

अध्यक्ष जी, बाढ़ के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं हम बाढ़ से भी प्रभावित हैं, बाढ़ हमारा नैपाल से आता है, हमारा गंगा-यमुना का बाढ़ नहीं है। हमारी राप्ती, बूढ़ी राप्ती, छोटी-छोटी नदियों का बाढ़ है, जब नैपाल में पानी बढ़ जाता है तो हम सब लोग डूब जाते हैं। इसका पानी नैपाल से आता, इसके लिए बहुत पहले जलकुम्भी योजना, भालूबांध योजना, तमाम योजनाएं बनी थी लेकिन जब तक भारत सरकार और नैपाल सरकार की बात नहीं होगी। नैपाल सरकार में हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, मैं वहां कई बार गया, कोइराला जी से, भट्टाराई जी से बात हुई तो उन्होंने कहा यह मामला भारत सरकार का है, उनके माध्यम से बात करायें, क्योंकि उन्हें भी पानी की जरूरत है। वह चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा भी लाभ हो। इसलिए यदि आप इस पर केन्द्र सरकार से परामर्श करके इस बात को करते तो बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर का बहुत सा भाग, कुशीनगर का बहुत सा भाग बचाया जा सकता है, इस पर प्रयास करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बांध आप बनाते हैं, पालिटिकल लोग आते हैं, दबाव डालते हैं और आप उसे स्वीकृत कर देते हैं। हम उस बांध की पूरी परिकल्पना उसके पानी के बहाव को देखकर नहीं करते हैं इसलिए जब उसमें पानी भरता है तो वह हल्के से टूट जाता है और गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। इसलिए इस ओर भी आपको देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे यहां एक परियोजना गई थी, हमारे क्षेत्र की बड़ी लम्बी परियोजना थी, 8 करोड़ की, उसमे कुछ काम का काम हुआ, कुछ का नहीं हुआ।

(इस समय 7 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए।)

कोई प्रोजेक्ट कारपोरेशन है। वह [illegible] कारपोरेशन के कोई श्री गोपाल मिश्रा थे [illegible] बहुत उनको खोजा तो वह ढूंढे नहीं मिले और वहां काम करवा लिया और मजदूरों की मजदूरी आज तक नहीं दी। मैंने आपसे असेम्बली में सवाल भी किया था और लिखित उत्तर भी दिया था कि मैं इसमें जांच

करा रहा हूं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको भी दिखवा लें। धन्यवाद।

श्री शिवगणेश लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने कांग्रेस के उस जमाने को देखा है आज से 20 साल पहले जब प्रदेश की नहरें किस तरह से उफनाकर चलती थीं, किसानों के खेत में पानी जाता था, किसान का चेहरा मुस्कराया रहता था, फसल लहलहाती रहती थी। लेकिन 20 साल के बाद आज देखा कि प्रदेश की सारी नहरों में जहां पानी चलता था वहां आज पेड़ उग आये हैं। किस तरह से अधिकारी बंदरबांट करके विभाग को सोने की चिड़िया समझकर लूटा गया है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूंगा। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि अधिकारियों का रवैया कैसा है। लेकिन आज माननीय सोनिया गांधी जी के सौजन्य से एक हमारे यहां प्रोजेक्ट पुरवा ब्रांच मरवा ब्रांच रिमार्डनिंग योजना के तहत कार्य चल रहा है, उसमें प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के सहयोग से वह योजना आज चल रही है। पुरवा और मरवा ब्रांच के बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहूंगा कि सन् 1977 में नहर संकरी कर दी गयी उसके बाद पानी की मात्र जो 800 क्यूसिक थी वह 300 क्यूसिक कर दी गयी। पानी टेल तक नहीं पहुंचा। रायबरेली की नहरें पूरी तरह से सूख गयी। रायबरेली का किसान पंजाब और हरियाणा पलायन करने लगा। भुखमरी के कगार पर आ गया, त्राहि-त्राहि मचने लगी। सारी खेती बंजर हो गयी, लोग चीखने लगे तो माननीय सोनिया गांधी जी से हम लोगों ने कहा कि आप इसमें कोई ऐसी योजना दो तो हमारी नेता ने उपरोक्त योजना दी जिसके माध्यम से उन नहर की सफाई चल रही है। जिस तरीके से बंदरबाट ठेकेदार लोग कर रहे हैं, कौन-कौन से ठेकेदार इसमें शामिल हैं किस तरीके से बिलों का भुगतान हो रहा है, पूरी योजना सफेद हाथी की तरह हो गयी है। मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि कृपया पुरवा और मौरावां ब्रांच में आप पानी छुड़वा दें। मौरावां ब्रांच का पूरी तरीके से आकार ही बिगड़ गया है। अभी कार्य शुरू हुआ है, अधिकारी वहां पर हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 1977 के बाद यह पहली बार मौका मिला है। रायबरेली के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की गम्भीरता को समझें किसान आपको धन्यवाद देगा, बधाई देगा। क्योंकि अगर यह योजना फेल हो गयी तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा उन किसानों को पानी मिलने में।

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 70 प्रतिशत ऐसे ट्यूबवेल वहां खराब पड़े हैं कर्मचारी वहां नहीं रहता है। अधिकारियों से कहने पर एक-एक हफ्ता बीत जाता है तब वहां जांच हो पाती है। इस तरह से यह रायबरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है कि अगर आप खेती को ठीक नहीं करा पाते तो आप प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। पंजाब, हरियाणा आज सिंचाई के मामले में कितना आगे हो गया, वहां खेती लहलहा रही है। उत्तर प्रदेश का किसान किस तरह से भुखमरी के कगार पर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय

सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से ध्यान दें और रायबरेली के जो किसान हैं उनके लिए नहर को ठीक करवा दें। धन्यवाद।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, आप विधिवत् जानते हैं कि जब से बी0एस0पी0 की सरकार की स्थापना हुई उसके बहुत पहले नेता सदन बहन कुमारी मायावती जी ने नारी सुखों को त्याग कर सर्व समाज के दुखी, पीड़ित लोगों को भाई बनाकर उनके सुख सम्मान और शान्ति के लिए संघर्ष किया और उनके इस संघर्ष में माननीय सिंचाई मंत्री जी एवं लोक निर्माण मंत्री जी एक समर्पित सिपाही बनकर निष्ठापूर्वक उनके संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बात दो शब्दों में कहूंगा कि जो सामने बैठे हुए सदस्य है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कुछ बातें कहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उनके साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, उन्होंने मंत्री जी से कमीशन की बात कही थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह मिशन में लगे हुए हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वह परिवारवाद चला रहे हैं, कमीशन लेने का काम उन्होंने किया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 'यहां तांगियें कफस है, वहां खत्म आशियाना, उनका न यहां टिकाना न वहां टिकाना, किसी सरमिगूखा डाली पे रखूंगा दो चार तिनके, न बुलन्द शाख होगी न जलेगा आशियाना।' माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे, वह अपना दर्द कह रहे थे कि अपनी सरकार में कहते-कहते मैं थक गया, अपनी सरकार के बारे में बता रहे थे कि एक फुट का पुलिया, कदम का पुलिया तक अपनी सरकार में नहीं बना सके तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह सरकार कितनी क्रियाशील थी। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी विधान सभा में आपके प्रयासों से काफी विकास कार्य हो रहे हैं, एक भगवानपुर बनफर से परशुरामनगर तक की नहर पटरी है, यदि इसे आप पिच करा देंगे तो वहां के गरीबों का किसानों का काफी कल्याण होगा। मान्यवर, जो हमारा क्षेत्र बलरामपुर है वह राप्ती नदी के किनारे से सटा हुआ है। वहां पर बाईपास है। अगर आप उसे बाढ़ नियंत्रण में ले लेंगे तो बाईपास के काम में आयेगा और शहर को बचाने के काम भी आयेगा। मान्यवर, जनपद बलरामपुर में जहां मेरा निजी घर है वहां ग्राम नौबस्ता मुड़िला एक गांव है जो राप्ती कटान से काफी प्रभावित है। बाढ़ से आधा गांव कट चुका है मेरा अनुरोध है कि उसे बचाने के लिए बजट में लेने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

सभी साथियों से अनुरोध है कि वे कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात रखें, आगे महत्वपूर्ण विभाग है।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सिंचाई विभाग का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है और यह ग्रामों से जुड़ा है, किसानों जुड़ा है, और कृषि विकास की दर भी इस पर निर्भर करती है। मान्यवर, सिंचाई के बिना गांवों से लेकर शहर तक अन्न की भी किल्लत पैदा हो सकती है और जो दूसरे उत्पादक है उनकी भी किल्लत हो सकती है क्योंकि सिंचाई के लिये जो साधन आज सरकार ने दिये हैं चाहे नलकूप के माध्यम से हों चाहे रजबहा नहरों के माध्यम से हों। लेकिन वह सभी माध्यम आज फेल से साबित है। बजट माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा और बहुत ही तरीके से स्पष्ट किया है लेकिन फिर भी बहुत सारी योजनायें विफल हैं और मैं खासतौर से कहना चाहूंगा जो नलकूप सरकार के द्वारा दिये जाते हैं, असिंचित क्षेत्र के लिये मेरा निवेदन है कि जितने विधायकों के क्षेत्र में ऐसे असिंचित क्षेत्र हैं उनको कम से कम पांच-पांच सरकारी नलकूप मिल जायें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, बहुत सारी नहरें, बहुत सारे रजबहे मेरे क्षेत्र में भी कई गूल ऐसी है जो खत्म सी हो गई है, मान्यवर, से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कल्याणपुर गांव की एक गुल है जो बिल्कुल खत्म की कगार पर है और उसमें पानी भी नहीं आता और सिंचाई विभाग से उसमें कभी-कभी मुकदमा भी चला दिया जाता है मान्यवर। मान्यवर, रजबहें जिस ढंग से मन-माने रोस्टर से चल रहे हैं उसे आज सिंचाई प्रभावित हो रही है।

मान्यवर, इसी प्रकार से जल प्लावन का भी मेरा क्षेत्र है और जल प्लावन के माध्यम से मेरे क्षेत्र में कई ऐसे नाले हैं जिनका उपयोग जल प्लावन के लिये न होकर, सिंभावली शुगर मिल के गंदे नाले के द्वारा किया जा रहा है। एक फुलवारा ड्रेन है जो सिंचाई विभाग का नाला है लेकिन उसमें प्रदूषित पानी जो गंगा नहर को जा रहा है उसके लिये प्रयोग किया जा रहा है। मान्यवर, मैं एक ऐसे प्रश्न, एक ऐसी योजना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं मेरे यहां पर अनूप नहर शाखा है जिससे साढ़े तीन करोड़ से उसकी पटरी पर निर्माण कार्य होना था, लेकिन पिछले एक साल से वह 40 मील से लेकर 51 मील तक उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आता है, मान्यवर, साढ़े तीन करोड़ रुपये स्वीकृत थे उसमें पत्थर डाल कर टेकेदार भूल गया और आज तक उस पटरी पर पत्थर पड़े हैं, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से नोट करके इस पर कार्यवाही कराने का काम करें। इसी तरह से मान्यवर, मध्य गंगा नहर की पटरी पर 58 से 90 मील तक मेरा क्षेत्र आता है वह मध्य गंगा नहर मेरे क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक मात्र चलती है, जब पानी की जरूरत नहीं होती है, तब उस नहर का संचालन होता है और आस-पास का क्षेत्र इतना जल प्लावन से भर जाता है और सिंचाई होती नहीं है, उसकी पटरी इतनी खराब है मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मुझे अपनी बात कह लेने दें, सुबह से बैठा हूं, अब प[illegible] बार मेरा नम्बर आया है।

मान्यवर, उसकी पटरी इतनी खराब है कि उससे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। मान्यवर, सिंचाई होती नहीं, किसान का नुकसान होता है, तो मेरा निवेदन है उस पटरी को 58 मील से 90 मील तक उसको सुधरवाने का काम करें तो यह भी एक बहुत बड़ा जनहित में कार्य होगा। मान्यवर, सिंभावली ब्लाक में एन0एच0-24 के पास ग्राम अटूटा, उसमें एक बहुत गंदा बड़ा नाला है, मान्यवर, सिंचाई विभाग का पुल बना हुआ है, वह पुल लगभग टूटने की कगार पर है, कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से है कि अगर उस पुल को बनवा दिया जाये तो यह भी गांव वालों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मान्यवर, फुलवाड़ा, पशुवाड़ा एक बहुत बड़ा नाला है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मदन चौहान जी अब आप समाप्त करें। डा0 राजेन्द्र सिंह जी आप अपनी बात कहना शुरू करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, वहां हजारों हेक्टेयर भूमि जल प्लावन से बाढ़ से बरबाद हो जाती है, तो इस समस्या के निदान के लिये भी आप समुचित प्रबन्ध करें। इसी के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के अन्दर जो आगरा कैनाल का बेल्ट है उसके अन्दर से चोरी को रुकवाया जाये। मान्यवर, मुझे सुन लें। मैं सिर्फ आगरा नहर तक अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं। इसका सात मील भाग दिल्ली में और 7 से 47 मील का भाग हरियाणा में और 47 से 100 मील का भाग मथुरा और आगरा में आता है। इस पर आप क्षमता बढ़ाने के लिये 145.80 करोड़ रु0 खर्च कर चुके हैं जिससे कि इसकी क्षमता 2100 से बढ़कर 4000 क्यूसेक हो जाये। मैं आशा करता हूं कि इस क्षमता के बढ़ने के बाद आगरा नहर को 4 हजार क्यूसेक पानी मिल सकेगा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आगरा कैनाल में जो हरियाणा में सेकसाई से ऊपर वाला भाग है उसमें पानी की चोरी होती है। कृपया इस चोरी को रोकने का प्रावधान करें। मान्यवर, यमुना जल बंटवारे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद चल रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश को भी भागीदार बनायें। यह वाद हरियाणा और दिल्ली के बीच में चल रहा है। मान्यवर, दिगनेर से मुसेपुरा तक फतेहाबाद क्षेत्र में नहर की

पटरी को पक्का कराने की कृपा करें। इसी के साथ ईरादतनगर रजवाहे की पटरी को भी पक्का कराने का काम करें। मान्यवर, फतेहाबाद में ज्यादातर नलकूप खराब पड़े हैं उन्हें ठीक कराया जाये। मान्यवर, हार का पुरा तथा पारोली सिकरवार में नये नलकूप लगवायें जिससे कि 15 सौ एकड़ जमीन की सिंचाई की जरूरत पूरी हो जायेगी। मान्यवर, आगरा तथा खैरागढ़ को जोड़ने वाली खारी नदी पर एक पुल का निर्माण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है लेकिन कतिपय कारणों से कार्य बंद है। कृपया उसे पूरा करा दें। मान्यवर, कान्हापुर पर आगरा टर्मिनल पर एक पुल बनवाने का काम करें। इसी तरह से चेक डैम, बांध के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद में खारी नदी और उटंगन नदी पर जल संचय व जल संभरण के लिये आवश्यक है। मान्यवर, जो डार्क ब्लॉक हैं शमसाबाद उसमें विशेष योजना के तहत आप नलकूप लगवाने का प्रावधान करें तथा कुछ नलकूपों को प्राइवेट रूप से भी बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान करें। यह मेरा अनुरोध है।

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी का भाषण सुना। और उस भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि मंत्री जी भी उसी बात से चिंतित हैं जिससे कि यह पूरा सदन और विपक्ष आज चिंतित है। मान्यवर, ऐसे इलाके उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं जहां 4 वर्ष से सूखा पड़ रहा है और यही इलाके हैं जिनमें बाढ़ आ जाया करती है। अधिष्ठाता जी, मेरा स्पष्ट मानना है और पूरा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि सरकारों का गठन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि वह एक विजन रखेंगे नीति बनायेंगे। अगर बाढ़ आती है तो आप उस पानी को रिजर्ववॉयर में सुरक्षित कर लें ताकि विषम परिस्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। कभी अतिवृष्टि हो तो पानी का संचय कर लिया जाये ताकि जब सूखा पड़े तो उस पानी का इस्तेमाल वहां पर किया जा सके। मान्यवर, उत्तराखण्ड बनने के बाद इस सूबे की सिंचाई तंत्र की व्यवस्थायें बदली जानी चाहिए। हमारे बड़े रिजर्ववॉयर उत्तराखण्ड में चले गये हैं। उसके बाद से कोई जल नीति बनाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे सूबों ने जहां पर बहुत बड़ी नदियां नहीं हैं वह पानी का मैनेजमेंट हमारे यहां से बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहां गंगा, जमुना, राप्ती, बेतवा, केन, शारदा आदि बड़ी-बड़ी नदियां हैं लेकिन हम उनके पानी का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर आवश्यकता है तो इस चीज की कि एक जल नीति का निर्माण किया जाय और उस जल नीति में यह तय होना चाहिए कि हम पानी का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किन इलाकों को कितना पानी देंगे। मान्यवर, विभाग से जुड़ी एक और बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि कृषकों से सहयोग ले कर समितियां गठित करके पानी का बंटवारा होगा। किसान परिवार में पैदा होने के नाते मेरा स्पष्ट मानना है कि आप बन्दरों के बीच में भेली डालने का काम कर रहे हैं। किसान आपस में

लड़ लड़कर मर जायेगा उसका फैसला नहीं हो सकता। अगर हाइडिल डिपार्टमेंट अपनी बिजिलेंस शाखा रख सकता है, अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सी0आई0एस0एस0 का गठन कर सकता है तो क्यों नहीं सिंचाई विभाग एक कार्यदल का गठन करके एक टास्कफोर्स का गठन करके इस व्यवस्था को नहीं सम्भाल सकता। मान्यवर, आपके जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनके जो अधिकार हैं वह आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व लिखे गये। उसमें अधिकतम जो उनको अधिकार है वह 100 रुपये जुर्माना करने का। आज की तारीख में 100 रुपये के जुर्माने से आपसे कौन डरने जा रहा है। मान्यवर, मेरी स्पष्ट मान्यता है जब तक आप अपने एक्स0 ई0 एन0 को अपने ए0ई0 को समरी ट्रायल का अधिकार नहीं देंगे और उनको जुर्माना करने का जैसे ट्रैफिक का नियम आप तोड़ते हैं साथ का साथ दरोगा आता है चालान लिखकर आपके हाथ में 500 रुपये का 1000 रुपये का रमन्ना थमा देता है। अगर नहर एक्ट को आपको संशोधित करना पड़ेगा तभी यह नहरें चल पायेंगी। मान्यवर, यह नहरों का सह संचालन नहीं हो रहा है। आप यह देखिये कि यह जो डार्क ब्लाक पैदा हुए हैं यह क्यों हुए हैं ? यह सारे डार्क ब्लाक नहरों के या रजबहों के टेल एन्ड पर आते हैं। और हेड वाले ने पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। एक नीति है कि हेड पर 40 फीसदी रकबा या 40 फीसदी सींच क्षेत्र होगा। आज हेड वाला तो हन्ड्रेड परसेन्ट और कहीं-कहीं तो 2 हन्ड्रेड और थ्री परसेन्ट पानी ले रहा है और टेल वाले के लिये पानी नहीं छोड़ रहा है। यह ला एण्ड आर्डर से जुड़ी व्यवस्था है इसके लिये सिंचाई विभाग को एक अलग से अपने नहर एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। एक अध्ययन दल बनाना पड़ेगा तब मैं समझता हूं कि आप अपने किसान को संतुष्ट कर पायेंगे।

मान्यवर, मेरा एक और मानना है कि जितनी आपकी योजनाएं हैं वह 30-30 वर्ष से चल रही हैं और उनमें कुछ नहीं हो रहा है। इनकी जिम्मेदारी फिक्स करिये जिससे कि इनकी इकोनामिक वायबिलिटी निकलकर आ जाये। मान्यवर, मेरा और एक स्पष्ट मानना है कि सबसे ज्यादा यू0 पी0 में पानी का वेस्टेज हो रहा है। इस पानी की अगर आप वेस्टेज रोक दे, नहर से जो पानी मिलता है उसकी वेस्टेज को भी रोक देंगे तो आपका सिंचित रकबा बढ़ जायेगा। मैं अन्त में सिर्फ अपने क्षेत्र की दो तीन परेशानियां बताना चाहता हूं। मेरा पूरा क्षेत्र तहसील सादाबाद जनपद हाथरस मांट ब्रांच गंगनहर और हाथरस ब्रांच के टेल पर है और मेरा स्पष्ट मानना है कि टेल फीड करा हुआ दिखाने के लिये अधिकारी सिर्फ पूरे रबी में या खरीफ में एक दिन पूरा प्रयास करके नहर के टेल तक पानी पहुंचा देते हैं और उससे आबपाशी वसूलने का काम कर लेते हैं। बाकी रोस्टर के मुताबिक कभी भी टेल का पूरा संचालन नहीं होता है इसी वजह से यह डार्क ब्लाक बने हैं मान्यवर, यह इन्सपेक्शन हाउस की बात आई थी अपने हित की भी बात कर दूं। हमारे इलाके में एक विसावर नहर कोठी है कम से कम उस पर 100 बीघा जमीन है 20 एकड़ रकबा है बहुत शानदार अंग्रेजों के जमाने की कोठी है उसका भी अगर जीर्णोद्धार हो जाय बड़ी मेहरबानी होगी। और यह दिल्ली और हरियाणा का जो विवाद है पानी का आपके हिस्से का पानी वह ले रहे हैं आप उसको ले लें। मैं इसी के साथ कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*पं0 राम कुमार तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रदेश को एक शरीर से स्वस्थ, मन संकल्पवान, मेहनत से फौजी ऐसा सिंचाई मंत्री इस प्रदेश को दिया है। मैं आपको बता दूं अधिष्ठाता महोदय, दूसरा बहन मायावती का इसलिये आभारी हूं कि मेरे जिले में 33 वर्ष से केवल दो परिवारों का साम्राज्य था। केवल दो परिवारों का साम्राज्य था। पहली बार बहन कुमारी मायावती जी की कृपा से उस जिले से 33 वर्ष बाद मैं 46 किलो का व्यक्ति ऐसे लोगों से लड़ रहा था जो 33 वर्ष से एक-एक कुन्तल के लोग थे, उनको हरा कर बहन मायावती की पार्टी से जीतकर मैं सदन में आया। मैं जब जीतकर गया तो मैंने जीतने के बाद अपनी विधान सभा के लोगों से कहा था कि मैं पद चिन्हों पर नहीं चलूंगा, अलग से अपने पद चिन्ह बनाऊंगा तो आज हमें मौका मिल गया। हमारी विधान सभा ललितपुर जिले में मेहरौनी पड़ती है और मैं आपको बता दूं सन् 1980 से जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वो कभी इस सदन में बोले नहीं। तो एक रिकार्ड तो मैंने 28 वर्ष बाद तोड़ दिया कि उस विधान सभा क्षेत्र का विधायक 28 वर्ष बाद सदन में बोल रहा है। अब मैं सिंचाई की बात बता दूं, मेरे जिले में तीन-चार पुल बन रहे हैं, मैंने सिंचाई मंत्री जी से एक दिन कहा था और उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने कहा था कि इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा देंगे। एक महत्वपूर्ण चीज और बता दूं मेरा जिला मध्य प्रदेश के बीना क्षेत्र से जुड़ा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी प्रार्थना है कि चूंकि मैं पहली बार चुन करके आया हूं, पहली बार बोल रहा हूं तो सबको दो मिनट का समय दें तो मेरा समय दो गुना कर देना। बुन्देलखण्ड से जो विधायक हैं उन्हें बहुत कम बोलने का मौका मिलता है क्योंकि अध्यक्ष जी की निगाहें ज्यादातर उस तरफ रहती हैं, इस तरफ कम रहती हैं। तो मान्यवर, मध्य प्रदेश में बीना एक जगह है जहां पर हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है और ललितपुर से उसकी दूरी 30 किलोमीटर है। मुझे ढाई सौ किलोमीटर का चक्कर लगा करके वहां जाना पड़ता था लेकिन मा0 मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया तो तीन महीने पहले उस पुल को स्वीकृति मिल गयी और अभी एक महीने पहले काम लग गया। मेरे जिले में 6 डैम प्रस्तावित थे, कचरौधा, उटारी, लोवर रोहणी, जमणार, भावनी और भौरट। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ी जगह बुन्देलखण्ड है और बुन्देलखण्ड में सबसे पिछड़ा जिला ललितपुर है। हमें ऐसी जानकारी है कि पाण्डेय जी अभी विधान सभा से गये थे तो सारे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ी जगह मेहरौनी है। मैं आपके माध्यम से बता दूं बुन्देलखण्ड के विधायकों को, हालांकि वह तो जानते ही हैं क्योंकि वह बुन्देलखण्ड में रहते हैं लेकिन जो बाहर के विधायक है उनको बता दें कि हमारे यहां 6 डैम प्रस्तावित हैं उनमें चार डैमों के काम इसी सरकार में शुरू हो गये। खुल्लम-खुल्ला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेण्डर हुए, किसी को बन्दूक नहीं कोई गोली नहीं। मान्यवर, हमारे राजनीतिक गुरु है ओम प्रकाश जी, अगर बैठे होते तो वह भी सुनते। जब वह सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं एम0ओ0यू0 बहुत अच्छी चीज है और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि एम0ओ0यू0 बहुत बुरी चीज है। लेकिन मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि खुल्लम-खुल्ला टेण्डर हुए। जो कम टेण्डर डालेगा काम वही करेगा और एक समय-सीमा निर्धारित कर दी कि इस समय-सीमा में तुम्हें यह काम पूरा करना है। मैं बता दूं दूसरी अच्छी बात कि एक तो मैंने यह 28 वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया, दूसरा मैं बता दूं विकास के मामले में कि इस वक्त मेरी विधान सभा में लगभग 2 सौ करोड़ रुपये के काम शुरू हो गये। बहन मायावती ने स्वयं झांसी में जाकर देखा हमारे जिले में एन0टी0पी0सी0 का बहुत बड़ा कारखाना, आश्चर्य की बात नहीं मैं बता दूं क्योंकि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना नहीं, राजनीति करने की इच्छा नहीं लेकिन इन पांच सालों में मेरे अपने जिले में इतना विकास हो जायेगा कि आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अधिष्ठाता जी चूंकि मैं कम वजन का व्यक्ति हूं तो कभी-कभी मुझे भी बोलने का समय दे दीजिएगा।

*श्री विश्वनाथ-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सिंचाई के महत्व से सभी वाकिफ हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां की जमीन बेहद उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं और सिंचाई के लिये पानी मिल जाये और ड्रेनों से पानी जमाव बह जाये तो खैराज की जरूरत नहीं है न कुदरत का कोप वहां बरसता है। इसलिये मैं समस्या आपके सामने नहीं रख रहा हूं। केवल नहरों के टेल तक पानी पहुंच जाये जिसके लिये यह सरकार संकल्पित है। यह सरकार खुद महसूस करती है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसे पहुंचाने का काम हो। ड्रेनों से पानी निकाला जाये और जल जमाव न हो और फसल और जमीन का एक बड़ा हिस्सा बर्बादी से बच जाये। यह मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नहरों की पटरी के किनारे की जो सड़कें नहर विभाग ने बनायी हैं उनकी सारी ईंट टूट गयी हैं वह बहुत दिन की बनी हुई हैं, नहरों की पटरी टूटी हुई है इसलिये आप ईंटों वाली सड़कों को पिच करवा दें तो आपका आभारी हूंगा। दूसरी चीज, माननीय मंत्री जी मैं फाजिल नगर विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप ड्रेनों की सफाई करवा दीजिए, नहरों की सफाई करवा दीजिए, जल जमाव नहीं होगा, उपज अच्छी होगी और आपको खैरात की अर्जी से फुर्सत मिलेगी। दो बातें और कहूंगा आप पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर भी हैं और एरीगेशन के भी मंत्री हैं। आप सिंचाई विभाग द्वारा घाघी ड्रेन पर रहसूजनूबी पट्टी के सामने पुरैना घाट कापुल, झरही ड्रेन पर गुरूवलिया देवी स्थान के सामने पुल, कुरमौटा बसडीला पांडे के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीच चखांड़ पर पुल, तरूअनवा-अतरवल टोला के सामने सुन्दा नाले पर पुल का निर्माण करवा दीजिए तो इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण होगा। इसके साथ ही मा0 मंत्री जी आप कुछ सड़कों को भी देख लेते। मथुरिया रजबहा खण्डजा पटरी को जवरा तक पिच करा दें, जोकवा रजबहा की पटरी सपहा से फाजिलनगर रोड़ को पिच करा दें और बसन्तपुर-नौगांवा से शिवसरया तक नहर की पटरी को पिच करा दें। इसी के साथ अधिष्टाता महादेय, आपने मुझे चंद बातें करने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिरोही जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की कुछ मुद्दों पर आना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आगरा मण्डल में अपर आगरा कैनाल जो दिल्ली से निकलती है उसकी बड़ी दयनीय दशा है। उसके रिनोवेशन का कार्यक्रम पूर्ववर्ती सरकारों के समय से चल रहा है इसमें बड़ा घपला है इसकी जांच कराई जाय। इससे निकलने वाला शेरगढ़ रजबहा, सहर रजबहा, तथा लेफ्ट शेरगढ़ रजबहा और मथुरा वृन्दावन के तमाम माइनरों की खुदाई जे0सी0बी0 से कराना आवश्यक है क्योंकि वर्षों से इन माइनरों और रजबहों की खुदाई नहीं हुई है जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इसको तत्काल करा लिया जाय जिससे टेल तक पानी पहुंच सके। इसके साथ-साथ आपकी राल ड्रेन की सफाई होना आवश्यक है वह रजबहा और इन माइनरों की पटरी को पंक्का कराना आवश्यक है। मैं आपका ध्यान गत सरकार में सिंचाई विभाग में एक बहुत लम्बे स्कैम की ओर ले जाना चाहता हूं इसे तत्कालीन पी0ए0सी0 के चेयरमैन ने पकड़ा था मैं चाहता हूं कि इस घपले की परतों को उतारने का काम किया जाय और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान यमुना नदी पर गोकुल बैराज का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था मथुरा वृन्दावन पेयजल के लिये यमुना का पानी इस कदर प्रदूषित है कि आये दिन उसमें गंगाजल मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। अधिष्टाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंत्री जी अपने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें कि जब भी गोकुल बैराज में पानी की आवश्यकता हो गंगाजल समय-समय पर छोड़ा जाना चाहिए जिससे प्रदूषण की मात्रा कम हो सके। मंत्री जी आपका ध्यान बृन्दावन में यमुना नदी के कटान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यमुना नदी द्वारा बार-बार कटान करने के कारण शहर को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है वहां पर राधाकृष्ण पाण्डेय घाट निर्माण की आवश्यकता है जिससे नदी का कटान रुक सके और इस ऐतिहासिक और पौराणिक घाट को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त के0सी0 घाट जिसकी फोटो पंचम तल पर या अन्य जगहों पर लगी होती है यह के0सी0 घाट भी जर्जर अवस्था में है इसका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है इसके ऊपर 140 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है जिस प्रोजेक्ट को बनाने के लिये सिंचाई विभाग ने 14 लाख रुपये दिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विशेष प्रोजेक्ट के लिये सरकार शीघ्र ही बाढ़ राहत या नाबार्ड से पैसा निर्गत कराये जिससे कि आगे की कार्यवाही हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। हमारा क्षेत्र फरेंदा नेपाल से सटे होने के नाते जनपद महाराजगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहां राप्ती नदी व बूढ़ी राप्ती हमारे क्षेत्र के किनारे से बहकर निकलती है। बरसात में हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हो जाती है। हमारे क्षेत्र में बहुत से बंधे हैं एक बंधा है राजपुर, दौलतपुर। इसकी अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त हुई थी लेकिन वह बंधा जनहित में नहीं। वहां की जनता ने आन्दोलन किया उस समय उस बन्धे का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस बंधे के लिये किसी जनप्रतिनिधि ने कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 4 करोड़ के बांध का निर्माण कराया जा रहा है जो जनता के हित में नहीं है इसके लिये विगत एक सप्ताह से वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि उस बांध के बनने से वहां कोई भी बाढ़ नियंत्रण का काम रुकने वाला नहीं है क्योंकि वहां बाढ़ नेपाल के नालों से आती है। हम लोग बाढ़ के समय वहां रहे हैं और देखते रहे हैं। पूरी तरह से लूट खसोट मचाने के लिये सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 4 करोड़ के बंधे का निर्माण कराया जा रहा है। यह नाबार्ड से वित्त पोषित है। इसकी गलत सूचना दी गयी है कि 20 गांव उससे बचाये जा रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है जिसमें 20 नदियां उसके अन्दर जा रहे हैं और मैं दावे के साथ सदन में कह रहा हूं कि उससे कोई भी सिंचित भूमि किसानों को किसी तरह से कोई सुविधा नहीं है। कोई सिंचित भूमि उससे नहीं बच रही है। इसनाते मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कि बंधे का निर्माण तत्काल रुकवाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, स्वच्छ सरकार देना चाहते हैं। मैं दावे के साथ सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई खण्ड द्वितीय महाराजगंज के अभियंता राकेश कुमार के खिलाफ वहां के अधीक्षण अभियंता द्वारा.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

बजरंग जी, आप अपना भाषण समाप्त करें। धूराम लोधी जी।

श्री धूराम लोधी-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया है हम बुन्देलखण्ड की तरफ से उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं आज तक किसी भी सरकार ने जब से देश आजाद हुआ है, बुन्देलखण्ड के लिये इतनी सिंचाई परियोजनाएं किसी सरकार ने नहीं दी हैं इसलिये हम बधाई देना चाहते हैं माननीय बहिन जी को, माननीय सिंचाई मंत्री जी को। उनको हम यह सुझाव भी देना चाहते हैं कि सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां ट्यूबवेल लगवा दिये जायं लेकिन पानी का जो घटता हुआ स्टेटा है इसके बारे में नहीं सोचा गया कि इसे हम कैसे पूरा करेंगे। मान्यवर, यह सुझाव है कि जिस जमीन पर ट्यूबवेल लगा है और खेत समतल है। उस खेत के चारों तरफ मेढ़बंदी करके उस खेत में एक बोरिंग करा दी जाय एक डायरेक्ट रिचार्ज उसमें एक जाल बांध करके पूरा बरसात का पानी जो उस खेत से निकलकर बह कर जाता है उस पानी को जमीन के अन्दर डाला जाय। मान्यवर, हमारे बुन्देलखण्ड में जब किसी-किसी जगह बोरिंग की जाती है तो ट्यूबवेल के लिये तो 80-80, 100-100 फुट बालू मिलती है। मान्यवर, जब वह पानी बालू में जायेगा तो पानी फिल्टर होकर आ जायेगा। तो हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में यह योजना लागू की जाय। जहां भी चेक डैम बने हों बड़ी-बड़ी बंधिया बनी हो, तालाब बने हों, बड़े-बड़े बंधे हों जिनका पानी निकास है, वहां रिचार्ज एक बोरिंग कराके प्लास्टिक का पाइप डलवाकर उसके ऊपर एक जाल बांधकर ताकि कूड़ा करकट न जाय इस पानी के स्टेटा को बढ़ाया जा सकता है और पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक धसार नदी है। जिस पर बैराट सागर परियोजना के लिये पिछले वर्ष का बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी का उसमें आया था और उसका सर्वे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और जो हमारे अधिकारियों की जानकारी में है। लेकिन वहां के सर्वेयर अधिशासी अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं वे काम नहीं करना चाहते हैं। एक इंच सर्वे का काम बढ़ा नहीं है, घटा जरूर है। हम यह अनुरोध करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि उसका सर्वे का काम जल्दी से जल्दी कराया जाय और केन्द्रीय जलायोग से उसकी स्वीकृति ली जाय और पर्यावरण विभाग से उसकी स्वीकृति लेकर बैराट सागर बांध बनवाने का निर्णय जल्दी लिया जाय और उस पर काम शुरू करवाया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत हो गया, आप लोग आबकारी पर बोल लीजियेगा।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी अपनी बात रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

हाउस तो शान्त कराइये।

श्री अधिष्ठाता-

आबकारी पर 15-15 मिनट बोल लीजिएगा। हाशमी जी बैठिये।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का आग्रह कर रहे थे)

(शोर)

हाशमी जी बैठ जाएं। सिरोही जी अपनी बात रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

हम मना कब कर रहे हैं हाउस तो शांत हो जाए।

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही साहब आपको कोई बात नहीं रखनी है। अगर नहीं रखनी है तो हम माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

दो मिनट का समय दे दें। मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य मनमानी न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मंत्री जी कुछ जवाब तो दे दें।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

हाशमी जी बैठ जाएं आबकारी पर बोल लीजिएगा। सिरोही जी आप नहीं बोल रहे हैं मैं मंत्री जी को बुला रहा हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सिरोही जी के साथ-साथ विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है उसको मैंने गम्भीरता से सुना है लिखा भी है। सिरोही जी ने स्वीकार किया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं जो केन्द्र सरकार से

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दूसरे प्रान्तों की है और दूसरे देश से सम्बन्धित हैं उसके बाद भी इन्होंने हमारी सरकार से उम्मीद रखी है- सिरोही जी को मैं इन दो लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि-

"दामन तुम्हारा कैसे सितारों से हम भरें,
हम आदमी हैं घर है हमारा जमीन पर।"

आप सितारों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसकी बात करते हैं। मान्यवर, माननीय सिरोही साहब ने आपरेटर की बात कही है कि घर में सोता है ताला लगवा देता है आगरा और मेरठ मण्डल के ब्लाकों की बात कही है वहां के रजबहों के बारे में बात कही है मा0 सिरोही साहब जानते हैं यदि नहीं जानते हैं तो मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से मा0 सिरोही साहब को और पूरे सदन को बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे ज्यादा समय मेरठ मण्डल में ही बीता है। पैदा हुआ बुन्देलखण्ड में, बांदा जिले में, पढ़ा-लिखा मेरठ में, डिफेंस में नौकरी की थी मेरठ में और पार्टी संगठन का काम देखा तो उसका भी हेड क्वार्टर मेरठ बनाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। आपके इलाके को भी देखा है, बुलन्दशहर को भी देखा है, हो सकता है कि कहीं-कहीं पानी नहीं पहुंच रहा होगा, आप लिखकर दे देंगे तो हम दिखवा लेंगे। आपने नहीं बताया है कि कहां नहीं है, आपने जनरली कहा है। जिन मा0 सदस्यों ने जिन नहरों का उल्लेख किया है, मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 दिन में दिखवा लूं और वित्तीय संसाधनों के आधार पर उसका निदान भी करूंगा। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की बात आपने कही है, अब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है। क्या लापरवाही की, यह भी स्पष्ट नहीं, कहां पर की, किस काम पर की, यह भी स्पष्ट नहीं है। हम उसकी तह तक पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचे ? अब पूरे प्रदेश के अधिकारियों को लेकर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता कि एक साथ सब को सजा दे दी जाए। मा0 सिरोही जी को और मा0 सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की कमी है, उसी प्रकार से सहायक अभियन्ताओं और अवर अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में भी कमी है और इनको भर्ती करने का काम आयोग द्वारा होता है। हमारे बराबर प्रयास चल रहे हैं तो भी बहुत सी कमियां स्टाफ कम होने के कारण भी रह जाती हैं, थोड़ा विलम्ब हो जाता है।

मान्यवर, बाढ़ के बारे में बात आई है। बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा। हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है और भारत सरकार को पत्र लिख करके मा0 सैफुद्दीन सोज साहब जो जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं, भारत सरकार, नई दिल्ली के, पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि जो भी नेपाल सरकार के मध्य 1996 में वार्ता हुई थी, महाकाली संधि के अन्तर्गत, शारदा नदी, परपंचेश्वर परियोजना, घाघरा नदी पर करनाली बांध परियोजना तथा राप्ती पर नदूरे, जिसे भालू बांध भी कहते हैं, तो यह परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं, तो इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है और पूरे विस्तार से पत्र लिखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में

जो बाढ़ आती है, वह नेपाल से आती है लेकिन इसके लिए हम निश्चिन्त होकर नहीं बैठे हैं। बाढ़ के समय में भी, हमारे बहुत से माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, जिन्होंने देखा है कि एक बार नहीं गया, दर्जनों बार जा करके जो भी बन सका, हमारी सरकार से, जो सम्भव हो सका, मैंने राहत देने और मदद देने का काम किया और मैं ही नहीं मा0 मुख्यमंत्री जी भी गई और मान्यवर, सिरोही जी ने रजबहों की पटरियों की बात कही है, मैं आदेशित कर दूंगा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो भी हो सकता है, उसे ठीक करा दें। मान्यवर, राय साहब ने कुशी नगर की बात कही है। नरेगा में मजदूरी की बात कही है। मैंने हर चीज नोट किया है। राय साहब की तरफ से एक बात आयी है 10 हजार टोकन मनी की। मान्यवर, यह पुनर्स्थापना का काम है और यह परियोजना नाबार्ड से कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए इसमें टोकन मनी की व्यवस्था की गयी है। काम शुरू होने के बाद जो भी धन की उपलब्धता होगी, नाबार्ड से मिलना है, उसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और मान्यवर, माननीय राय साहब ने बाढ़ बचाव के बारे में कहा है कि बाढ़ के ही समय बाढ़ बचाव कार्यक्रम न चलायें। लेकिन मान्यवर, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते है जो बाढ़ के समय ही चलाये जाते हैं। उसके अलावा जो हम पहले कर सकते हैं वह कार्य कराने के लिए कई महीने पहले सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। और सम्भवतः काम भी चल रहा होगा। लेकिन फिर भी दिखवा लेते हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

संवेदनशील भी दिखवा लीजिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

संवेदनशील भी दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी सही राय आयी है उसे हम स्वीकार करेंगे। मान्यवर, यह पहले ही निर्देश दे दिये गये हैं। भारत सरकार की इस सम्बन्ध में स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग है उसमें हम यह बात कहेंगे। मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने सरयू नदी परियोजना की बात कही है कि सरयू नदी परियोजना पड़ी हुई है। 400 मीटर की बात कही है। मैं इसको दिखवाता हूं कि कहां 400 मीटर है, कैसे रुका हुआ है, क्या है। हालांकि पहले ही आख्या के लिये कह दिया गया था कि उसकी पूरी आख्या भेजें, लेकिन अभी आख्या नहीं आयी है। जहां तक 400 मीटर की बात है, इसको हम दिखवा लेते हैं। यह जो पड़ताल की बात कही गयी है कि मौके पर सिंचाई वसूली नहीं देखते हैं जैसा बता दिया वैसे ही वसूली करते हैं। तो इसके लिये भी हम निर्देश देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ताल के आधार पर ही सिंचाई की वसूली करें। मान्यवर, कदमपुलिया के बारे में बताया। इस पर देखते हैं संसाधनों को देखते हैं। हालांकि ज्यादा खर्च नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको गम्भीरता से लेते हैं। यू0 पी0 प्रोजेक्ट में भुगतान नहीं किया, यह भी बात आयी तो इसको भी हम दिखवा लेते हैं और इसके बाद माननीय श्री शिवगणेश लोधी जी ने भी कुछ बातें

रखीं। पुराने साथी हैं। पैर फिसल गया, नहर में गिर गये, हम फिर निकालेंगे पुराने साथी को। खैर कोई बात नहीं है। मान्यवर, मैं तो समझ नहीं पाया कि लोधी जी क्या बात कह रहे थे। उनकी पार्टी के केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री माननीय सैफुद्दीन सोज साहब उसी जिले में जाते हैं और जाकर सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं कि सचमुच में अगर कहीं किसानों को पानी मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, और उन्हीं की पार्टी के श्री शिवगणेश लोधी जी हमारे दोस्त हैं और जल्दी ही निकटतम दोस्त होने वाले हैं उनका कहना है कि पानी नहीं मिल रहा है। लगता है कि आपस में तालमेल नहीं है। अगर तालमेल होता तो आप दोनों एक जैसी बात करते। केन्द्रीय मंत्री कुछ और कहते हैं और मा0 विधायक जी कुछ और कहते हैं। मान्यवर, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सदन में कहना उचित नहीं समझते हैं। आपने ठेकेदारी के बिलों की बात कही है। उसे दिखवा लेते हैं। मदन चौहान जी ने बातें रखीं, माथुर जी ने भी आगरा के बारे में कहा, अपर गंगा कैनाल के बारे में कहा, मैंने सभी सदस्यों की बातें नोट की हैं, मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं, जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे उसके तहत ही कुछ कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि जो भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी, बिना किसी हीला हवाली किये हुए सारी बातों को एक दायरे में रहकर वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए दिखवा लेने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अब कोई बात नहीं रह गयी है। सिरोही जी बुलन्दशहर जिले के हैं, मैं भी मेरठ मण्डल में 21 साल रहा हूं जो आपके जिले में आता है, संभवतः आप अकेले ही अपने दल से होंगे, नहीं करवरिया जी आपके साथ हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसे पास करवायें।

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, दिक्कत यह है कि माननीय मंत्री जी पढ़े लिखे है, मेरठ पले वही कार्य किया हैं, नेता सदन भी बुलंदशहर की हैं, जो पुराना जिला गौतमबुद्धनगर हो गया है, लेकिन निगाहें पश्चिम की तरफ टेढ़ी हो चुकी हैं कभी-कभी। मैंने एक बात विशेष रूप से कही थी डार्क ब्लाक के बारे में। आपके संस्थान के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं राघवेन्द्र सिंह जी, उनकी रिपोर्ट है, एस0डी0डब्ल्यू0डी0, उसमें उन्होंने कहा है कि 813 ब्लाक हैं, उसमें से 450 ब्लाकों की स्थिति बहुत खराब है और उनमें बाईस सेंटीमीटर से छप्पन सेंटीमीटर वाटर लेविल डाउन हो रहा है हर साल। तो इन डार्क ब्लाक्स में, जो चार सौ पचास हैं, इनका सर्वे कराकर इनका वाटर लेविल कैसे बढ़ें इसमें चिन्ता करें। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(इस समय 8 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,50,07,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96-सिंचाई विभाग (निर्माण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-96-सिंचाई विभाग (निर्माण) के अन्तर्गत परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,38,44,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त [illegible],86,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि [illegible] की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी विभाग के बारे में कुछ [illegible] चाहता हूं, आबकारी विभाग मान्यवर, वाणिज्य कर विभाग के बाद दूसरे नम्बर का प्रदेश का राजस्व देने वाला विभाग है। आबकारी विभाग का जो बजट है मान्यवर, उस बजट में केवल नान प्लान की व्यवस्था

है। इसका कारण यह है कि यह राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। मान्यवर, वर्ष 2008-2009 में व्यय का अनुमान 50 करोड़ 33 लाख 49 हजार हुआ, वर्ष 2008-2009 में जो राजस्व प्राप्ति का अनुमान है मान्यवर, उस अनुमान के हिसाब से 5 हजार 40 करोड़ है। इस प्रकार मान्यवर, जो प्राप्त होगा उसके विरुद्ध विभाग का जो अनुमानित व्यय है वह लगभग मान्यवर 1 परसेण्ट है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पिछले पांच वर्षों का राजस्व का रिकार्ड मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2002-2003 में जो लक्ष्य था वह 2697 करोड़ था और इसके विरुद्ध जो प्राप्ति हुई थी विभाग को 2557.79 करोड़ मान्यवर, प्राप्त हुई थी। मान्यवर, इसके बाद वर्ष 2003-2004 में जो लक्ष्य था वह 2850 करोड़ था लेकिन उसके विरुद्ध 2472.87 करोड़ इस वर्ष में प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वर्ष 2004-2005 में 3000 करोड़ का लक्ष्य था उसके विरुद्ध 2686.89 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई थी। मान्यवर, इसी तरीके वर्ष 2005-2006 में जो लक्ष्य था वह 3200 करोड़ का था, उसके विरुद्ध मान्यवर 3088.73 करोड़ प्राप्ति हुई थी। मान्यवर, गत वर्ष 2006-2007 में जो लक्ष्य था वह 3700 करोड़ था और प्राप्ति जो हुई थी वह 3551.93 करोड़ मान्यवर, उसकी प्राप्ति हुई थी। मान्यवर, जहां तक चालू वित्तीय वर्ष का सवाल है इसमें तीन बार लक्ष्य बढ़ाया गया, 2007-2008 में आबकारी विभाग का जो लक्ष्य है राजस्व प्राप्त करने का वह तीन बार बनाया गया, पहले ऐसे बर्बली बनाया 3800 करोड़ का फिर उसको कर दिया 4100 करोड़ और जब 4100 करोड़ की प्राप्ति हो गई और जब 4100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जो दो-तीन महीने प्राप्ति हुई चार महीने तक बढ़ करके प्राप्ति हुई, तो फिर 4100 करोड़ से बढ़ा करके 4192 करोड़ कर दिया गया। फिर भी हमारा विभाग 4192 के विरुद्ध हर महीने 100 परसेण्ट से आगे जाने लगा। जब उससे भी आगे जाने लगा मान्यवर, तो तीसरा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, 4592 करोड़। यह मेरी जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के इतिहास में पहली बार तीन-तीन बार लक्ष्य बढ़ाया गया। मान्यवर, जो राजस्व प्राप्त हुआ है फरवरी, 2008 तक 3265.99 करोड़ रु0 का प्राप्त हुआ है जबकि पिछली बार इसी अवधि में 2881.63 करोड़ रु0 प्राप्त हुआ था। इस तरह से 384.36 करोड़ रु0 अधिक प्राप्त हुआ है जो 13.30 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, राजस्व बढ़ाने के लिये प्रवर्तन कार्य में तेजी लायी गयी। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 2008 तक 1 लाख 27 हजार 151 छापे मारे गये और उनमें से 29 हजार 874 स्थान संदिग्ध मिले। इनमें 8 लाख 96 हजार 5 सौ 55 बल्क लीटर कच्ची शराब मिली। 1 लाख 37 हजार 1 सौ 12 बल्क लीटर अवैध देशी मदिरा और 63 हजार 5 सौ 4 बल्क लीटर विदेशी मदिरा प्राप्त हुई। इसका प्रतिफल क्या है। देशी का प्रतिफल 126 लाख और विदेशी का जो प्रतिफल है वह 98 लाख बाजार भाव के अनुसार बनता है। मान्यवर, जब हमने छापे मारे तो बड़े पैमाने पर अवैध मदिरा पर रोक लगी और मान्यवर, इस पूरे वित्तीय वर्ष में एक भी कैजुएल्टी नहीं हो पायी है। जबकि पिछले वर्षों में सरवाग लखनऊ में 16 मरे थे, मीरगंज, बरेली में 17 लोग मरे थे। उन्नाव में दो बार में कुल 20 लोग मरे थे। हरदोई में 2 मरे थे सिद्धार्थनगर में 3 लोग मरे थे। फिरोजाबाद में 7 मरे थे। इस

प्रकार 7 काण्डों में कुल 61 लोग मरे थे और हमारी सरकार बनने के बाद से एक भी व्यक्ति विषाक्त मदिरा पीने से मृत्यु नहीं हुई। फिर तस्करी व अन्य पदार्थों का जहां तक सवाल है इसमें जो 82 हजार 5 सौ 75 मुकदमें 2007-08 में दर्ज किये गये और लगभग 104 वाहन पकड़े गये, 50 हजार 5 सौ 26 लोग गिरफ्तार हुए। जिसमें 9 हजार 1 सौ 2 लोगों को जेल भेजा गया।

मान्यवर, विभाग में स्टाफ की भारी कमी है। वाहन इत्यादि भी कम हैं। हम विभाग का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और मान्यवर, विचार चल रहा है। शीरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। शीरा परामर्श समिति का गठन किया गया है। शीरा माह फरवरी, 2008 तक 249.82 लाख कुन्तल शीरे का उत्पाद हुआ। जब कि मान्यवर, पिछले वर्ष इसी अवधि में 262.41 लाख कुन्तल हुआ था जो इस वर्ष से लगभग 5 प्रतिशत कम है। इस शीरे में फरवरी, 2007-08 में 154.37 लाख कुन्तल प्रदेश में फरवरी, 2008 तक खपत हुआ और लगभग 18 लाख कुन्तल उत्तरांचल व अन्य राज्यों को निर्यात किया गया। एल्कोहल के बारे में बताना चाहता हूं कि एल्कोहल फरवरी, 2008 तक 2795.52 लाख बल्क लीटर एल्कोहल का उत्पात हुआ गत वर्ष इसी अवधि में 2090.54 बल्क लीटर उत्पाद हुआ था। जो कि चालू वित्तीय वर्ष में गत वर्ष से 33.72 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में शीरे पर आधारित 57 और अनाज पर आधारित 3 आसवनियां स्थापित हैं। मान्यवर, आबकारी नीति वर्ष 2007-08 में देशी शराब, देशी मदिरा को राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्रथम चरण में नवीनीकरण की प्रक्रिया तथा नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का लाटरी द्वारा व्यवस्थापन किया गया जिससे व्यवस्थापन शीघ्र सम्पन्न हुआ और मैं प्रतिफल फीस के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। अधिसूचना संख्या 1815ई2/13-2007-91/2002, दिनांक 31-7-2007 से विदेशों से आयातित मदिरा का प्रतिफल फीस का पुनर्निमाण किया गया। मान्यवर, समुद्र पार आयातित स्प्रिट के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, एक्स कस्टम ब्राण्डेड मूल्य और परमिट फीस के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, रुपया 254 से लेकर 500 तक 560 रुपया प्रति बोतल, रुपया 500 से अधिक 580 रुपये प्रति बोतल। मान्यवर, समुद्र पार से आयातित वाइन 750 एमएल बोतल पर न्यूनतम 66.66 या बोतल का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो। समुद्र पार से आयातित बियर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं 5 प्रतिशत बीबी रुपया 20, 650एमएल की प्रति बोतल और 5 प्रतिशत बीबी तक रुपया 35, 650एमएल की प्रति बोतल एवं 8 प्रतिशत की बीबी तक। मान्यवर, उपरोक्त प्रतिफल की फीस के निर्धारण से जहां एक ओर उत्तर प्रदेश आसवन तथा यूरोपियन इण्डियन की लम्बे समय से चली आ रही भारत निर्मित विदेशी मदिरा व वाल्ट्स एण्ड ओरिजिनल मदिरा आयातित देशी मदिरा की प्रतिफल फीस में समानता की मांग की पूर्ति हुई है वहीं दूसरी ओर रिक्त राजस्व के साधन सृजित हुए हैं। मान्यवर, मैंने सारा डाटा अब आपके सामने रखे हैं। 5.6 साल पुराने राजस्व की जो प्राप्ति हुई वह भी रखा है। आज की जो स्थिति है, वह भी रखा है। यहां मान्यवर, एक बात अक्सर कही जाती है और कही नहीं जाती तो लोगों का मानना है कि आबकारी विभाग का मतलब लोग शराब विभाग मानते हैं। शराब

विभाग ही नहीं है मैं वह डाटा आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं, जिसकी जानकारी शायद किसी को हो। मान्यवर, प्रदेश में अल्कोहल की जो खपत होती है, उससे पेय मदिरा के लिये 5.5 प्रतिशत, औद्योगिक प्रयोजन के लिये 26.5 प्रतिशत, अन्य प्रयोजन के लिये लघु उद्योग है, स्कूल कालेज में लैब में जो स्प्रिट इस्तेमाल होती है, फार्मेसिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मेरा अन्य का मतलब उससे है, तो अन्य प्रयोजनों में 12.1 प्रतिशत अन्य प्रान्तों को जो निर्यात होता है, 44.3 प्रतिशत और देश के बाहर जो निर्यात किया जाता है वह है 1.6 प्रतिशत। मान्यवर, प्रदेश की कुल खपत 28.7 प्रतिशत पेय मदिरा के प्रयोजनार्थ और 48.8 प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनार्थ और 22.8 प्रतिशत अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग होता है और दूसरे कामों में दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है, उसको मैनें रखा है। मान्यवर, विभाग की जो स्थिति थी मैनें उसको स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी जानकारी नहीं रह गयी है। यदि कोई ऐसी जानकारी माननीय सदस्यगण चाहते होंगे तो मान्यवर, वह भी आपके माध्यम से देने का प्रयास करूंगा।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं। आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आबकारी विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे, बीच में सिंचाई का जब बजट चल रहा था, तो बीच में मैनें इशारा किया था कि 8 पी0एम0। मान्यवर, आप इलाहाबाद से लखनऊ आइये, लखनऊ से कानपुर जाइये, यहां से बरेली जाइये किसी भी दिशा में आप चले जाइये, सड़कों पर आपको हर जगह लिखा मिलेगा 8 पी0एम0। मान्यवर, पहले मैं भी यह समझ नहीं पाता था कि यह 8पी0एम0 का मतलब क्या है। लेकिन बाद में मालूम चला कि आबकारी विभाग की कोई मदिरा है जिसका नाम 8पी0एम0 है और 8पी0एम0 के बाद प्रदेश में बाकी सारा काम बंद, केवल आबकारी विभाग का काम प्रारम्भ। नौ बजे इसका बजट आया, इस प्रकार एक घन्टे विलम्ब हुई। अब यह एक घन्टे के विलम्ब का कारण क्या है, यह माननीय मंत्री जी बता पायेंगे क्योंकि बीच में कहीं चले गये थे, कहां गये थे, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, करवरिया जी, हमारे विभाग के सबसे बड़े ग्राहक हैं, इसलिये इनको ज्यादा चिन्ता है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इनकी बात सही है। माननीय मंत्री जी की यह सही बात है कि मैं इनके विभाग का सबसे बड़ा ग्राहक हूं। लेकिन इनके पास कई विभाग हैं, तो शायद आबकारी नहीं, किसी अन्य विभाग का सबसे बड़ा ग्राहक हूं। मान्यवर, पिछले साल भी माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था और मैंने उसकी कटौती रखी थी और प्रदेश की आबकारी नीति के बारे में चर्चा करने की बात

आई थी। माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया और बताया कि शराब का क्या रेट है, कहां से कितनी हम मंगा सकते हैं, कहां कितनी हम भेज सकते हैं, किस अल्कोहल का क्या रेट है, क्या हमने निर्धारित कर दिया है लक्ष्य, पूरा का पूरा माननीय मंत्री जी का बजट भाषण उसी पर बेस रहा। मान्यवर, कोई सकारात्मक बात तो नहीं आई। जो माननीय मंत्री जी ने बताया यह तो किसी शराब की दुकान में जाकर इसका रेट हम लोग ले सकते थे, उसको इस सदन में इतना विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं थी। मान्यवर, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आबकारी विभाग प्रदेश में दूसरे नं0 पर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है यह तो सौभाग्य की बात है लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है कि आबकारी विभाग जो प्रदेश में दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है, उसकी नीति आज तक नहीं आयी है। मान्यवर, बजट आ गया है, जनवरी के अन्तिम हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा विलम्ब होता है तो फरवरी के पहले सप्ताह से आबकारी नीति आ जाती है। दुकानों की स्थापना किस तरह से करेंगे दुकानों के आगे नीति क्या बनायेंगे ? मान्यवर, यह एक इतिहास रहा है, आबकारी नीति सदैव जनवरी के अन्तिम या फरवरी के पहले सप्ताह में आ जाती है। मान्यवर, आज बजट प्रस्तुत हो रहा है अभी तक आबकारी नीति का कोई अता-पता नहीं है। हमारी सरकार थी हमनें लाटरी सिस्टम किया था और माफियाराज आबकारी विभाग से समाप्त हो गया था। मान्यवर, अभी तक कोई नीति ही नहीं बनी है कि वही दुकानें रिन्यूअल होंगी या फिर से नये सिरे से लाटरी करेंगे। अगर मान्यवर, वही दुकानें नियमित कर देनी हैं तो जो दुकानें चार-पांच साल से कोई एक व्यक्तिगत ठेकेदार चला रहा है तो आपने माफियाराज को फिर से जन्म दे दिया। मान्यवर, उसकी मोनोपोली हो गई। मान्यवर, पांच-छः साल से कोई नयी पॉलिसी नहीं आ रही है वही दुकानें जो चल रही हैं उन्हीं को रिन्यूअल कर दिया जाय। तो यह भी तो माफियाराज को जन्म देने जैसा ही है। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी तक तो आबकारी नीति नहीं आयी हो सकता है कि आपका जब तक जवाब आये तब तक कुछ न कुछ आपके दिमाग में आ जाय। लेकिन आप इस नीति को स्पष्ट करेंगे कि आप नयी लॉटरी सिस्टम करेंगे या उन्हीं पुरानी दुकानों को रिन्यूअल की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, रिन्यूअल की व्यवस्था का मतलब है कि फिर से आबकारी विभाग में माफियातन्त्र को बढ़ावा देना।

मान्यवर, पिछली बार ब्लू वॉटर कम्पनी के विषय में मैंने चर्चा की थी। जिस दिन बजट था उसी से करीब 20 दिन पहले ब्लू वॉटर कम्पनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और ब्लू वॉटर कम्पनी को शुगर फेडरेशन के साथ मिला करके इसको सहभागीदार बना करके शराब की चेकिंग का काम दे दिया गया। इस पूरी बजट पुस्तिका में इसका कहीं वर्णन नहीं है, वह कम्पनी ऊपर-ऊपर बनी, ऊपर-ऊपर काम में लगी हुई है, क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, उसने कितनी शराब की चेकिंग की और उसमें से कितनी ऐसी शराब मिली जो होलोग्राम युक्त नहीं थी। मान्यवर, क्या ब्लू वॉटर कम्पनी और शुगर फेडरेशन ने आज तक एक भी बोतल की कम्प्लेन किया कि यह शराब गलत आयी और यह शराब उत्तर प्रदेश में बिकने लायक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपने उन्हें जो जिम्मेदारी दिया उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। कहीं बिचौलिया का

काम करके उन्होंने अपनी जेब भर ली हो और उस कम्पनी का तो भला हो गया हो और उत्तर प्रदेश के राजस्व की क्षति हुई हो। मान्यवर, जो आपने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी शराब के होलोग्राम की चेकिंग की, तो क्या यह कम्पनियां इतनी ईमानदार हो गई हैं कि सारी की सारी सही-सही शराब पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकाल में दे दिया, कहीं एक बोतल भी शराब बिना होलोग्राम के नहीं आयी और अगर आयी तो इस ब्लू वॉटर कम्पनी ने क्या काम किया ? इसकी क्या रूपरेखा है इसे आपको बजट में देना चाहिए था कि ब्लू वॉटर कम्पनी को हमने चीनी संघ के साथ मिलाया है। इसमें कोई जिक्र नहीं है और यह पुस्तिका पूरी तरह से पिछले वर्ष के बजट की कापी है केवल इसके ऊपर यह वर्ष 2008-09 का लेबल लगा दिया गया है, इसमें कोई नयी चीज और नयी दिशा नहीं है। आप आबकारी विभाग को आप अच्छी दिशा में ले जायें, सार्थक दिशा में ले जायें। मान्यवर, कोई शराब की बिक्री से ही उत्तर प्रदेश का राजस्व इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल बनता है, एल्कोहल जरूर बनायें, चीनी मिलें चलें, हम इसका विरोध कहीं नहीं करते हैं। मान्यवर, आप राजस्व एकत्रित करें, इथेनॉल बनायें, अब तो भारत सरकार की पॉलिसी आ गई है कि पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जायेगा, उससे पर्यावरण का भी लाभ होगा और आपके राजस्व का भी कहीं घाटा नहीं होगा और उत्तर प्रदेश को 12 स्टेट प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, 12 स्टेट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को आवंटित किये हैं कि उत्तर प्रदेश वहां पर इथेनॉल की सप्लाई करे और मान्यवर, अगर हम इथेनॉल की सप्लाई करते हैं तो हमारे प्रदेश में या जिन प्रदेशों में देंगे इथेनॉल तो इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इस प्रकार से यह हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और राजस्व के लिए भी अच्छा है। अगर हम 10 प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का काम करते हैं तो 13 करोड़ बल्क लीटर हमारा इथेनॉल का इस्तेमाल होगा। मान्यवर, 12 प्रान्त जो हमें दिये गये हैं, उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये हैं, जिनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एथेनॉल की सप्लाई करने लगें तो 60 हजार करोड़ ब्लक लीटर एथेनॉल की खपत हम कर सकते हैं। मान्यवर, हम अपने प्रदेश से ये जो 5 प्रतिशत आपने बताया कि 5 प्रतिशत एथेनॉल पेय में आता है, बाकी औद्योगिक में आता है। जो पेय वाला है इसको भी खत्म कर दीजिए कोई जरूरी है कि शराब के माध्यम से राजस्व कमाया जाए। प्रदेश की खुशहाली के लिए हम इसकी व्यवस्था बना सकते हैं और प्रदेश को हम खुशहाल कर सकते हैं। मान्यवर, दूसरा एक और मंत्री जी को अपने बजट भाषण में बात कहनी चाहिए थी, यह जो वर्ष 2008-2009 की बजट पुस्तिका है इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि क्या हम नई औद्योगिक इकाइयां अल्कोहल से सम्बन्धित बनाने पर कोई भी लाइसेंस देंगें, यहां इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं आयी है। यहां यही आया है कि यह शराब इतने की यह शराब इतने की, यहां इतने कर्मचारी हैं, यहां यह है, यहां वह है। इसमें कोई नीति है ही नहीं तो फिर इस किताब का कोई मतलब नहीं है।

हम इस अल्कोहल को ले कहां जायेंगें, इस अल्कोहल को किसी उत्पादन में कैसे प्रयोग करेंगें ? इस विषय में इस बजट भाषण और बजट पुस्तिका में कहीं कोई बात दर्शायी नहीं गयी है।

मान्यवर, आप स्मरण करें, देशी शराब की 70 प्रतिशत की बिक्री है, अधिकतम इसकी खपत करने वाले कौन लोग हैं ? वे गरीब लोग हैं जो सड़कों के किनारे बसते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, दिनभर मजदूरी करते हैं और दो वक्त की रोजी नहीं कमा पाते लेकिन इतने थके रहते हैं कि जो शराब की दुकान गांव में रहती है उस पर जाकर शराब खरीद कर और पीकर बिना भोजन किये सो जाते हैं। मान्यवर, हम क्या उत्तर प्रदेश के मजदूर की यह स्थिति करना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी ने आंकड़ा दिया है वह मैं आपको बताता हूं कि कुल देशी मदिरा की दुकानें हैं वह 11,896 हैं, विदेशी मदिरा की दुकानें 2755 हैं, बीयर की 2429 और इसके बाद भांग की 2048, कुल 19 हजार के लगभग ये दुकानें आबकारी विभाग की पूरे प्रदेश में संचालित हैं। ये गांवों तक फैली हुयी हैं इनकी जड़ें गांव तक फैली हुई हैं केवल शहरों तक ही नहीं हैं। अब तो एक नया सिस्टम कर दिया गया है जिसका इसमें फिर उल्लेख नहीं है। इस किताब से अगर कोई आदमी चाहे कि आबकारी की नीतियों के विषय में जान ले तो नहीं जान सकता है, इसका भी उल्लेख नहीं है उसके बाद एक और प्राविधान कर दिया कि अगर किसी प्रकार की सह-दुकान खोलना चाहें तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफिसर से अनुमति लीजिए और उसके बाद दुकान खोल दीजिए। कागज में एक दुकान और जमीन पर 3 दुकान, मान्यवर, हम इस प्रदेश में क्या नीति लागू करना चाहते हैं और किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं ? मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव कपारी है, कभी अगर माननीय मंत्री जी इलाहाबाद के दौरे पर आये तो मैं साग्रह वहां पर आने का निवेदन करता हूं और माननीय उपाध्याय जी, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, जहां पर आप बिजली संयंत्र लगा रहे हैं उससे लगा हुआ यह कपारी गांव है, यह उसमें आ रहा है। यह पूरी सपेरा बस्ती है और बहुत बड़ी बस्ती है, शायद उत्तर प्रदेश में सांप पालने वालों की, गरीब लोगों की इतनी बड़ी बस्ती कहीं नहीं होगी। मान्यवर, आप वहां 5-6 बजे के बाद चले जाइये तो केवल पति ही शराब पिये नहीं मिलेगा, पत्नी भी शराब पीये हुए मिलेगी और अगर उनका छोटा बच्चा है तो वह भी शराब पिये मिलेगा। हम किस दिशा में उनको ले जा रहे हैं ? मान्यवर, उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है और वहां पर अगल-बगल में 3 शराब की दुकानें है। एक कपारी में खोल दी इसके साथ बगल में सह दुकानें खोल दी।

मान्यवर, आप राजस्व कमाने का यह तरीका अपनाना चाहते हैं। क्या हम उत्तर प्रदेश के राजस्व को इस स्थिति में बढ़ाकर कि हमने उत्तर प्रदेश का राजस्व हमने बढ़ा दिया, हमने विकास कर दिया, हम अपनी पीठ को थपथपाना चाहते हैं और अगर मान्यवर, यह राजस्व बढ़ाने का तारीका है तो इस तरीके से कदापि हम सहमत नहीं हैं। प्रदेश के नौजवान को नुकसान न पहुंचाया जाए, प्रदेश का गरीब और प्रदेश का किसान जो यहां पर मेहनत करके खेती से पैदा करके अनाज हम सबको खिलाने का काम करता है उसको शराब के नशे में ढकेल करके उससे काम नहीं ले सकते हैं। धीरे-धीरे जर्जर स्थिति हो जायेगी, दीमक लग जायेगा। मैं सचेत करता हूं अगर आप शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर इतना ध्यान न देकर एल्कोहल के औद्योगिक उपयोग के लिए ज्यादा करेंगे तो आपको इसकी सराहना मिलेगी और हम लोग भी बधाई देंगे निश्चित रूप से

आपको पूरा उत्तर प्रदेश बधाई देगा इससे राजस्व घटेगा नहीं इस वर्ष करके देख लीजिए अगली साल जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो पता लगेगा कि आपका राजस्व बढ़ा है या घटा है। एक आरोप है हो सकता है कि मैं सही हूं या गलत उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी बगल के प्रदेशों से होती है मेरा स्पष्ट आरोप है कि ब्लू वाटर कम्पनी जो बनी है इसके लोग ही स्मगलिंग का काम करते थे इस कम्पनी के बन जाने के बाद इण्टर स्टेट स्मगलिंग की एक गाड़ी नहीं पकड़ी गई जो गाड़ी पकड़ी गई वह इण्टर डिस्ट्रिक्ट की पकड़ी गई और वह लोग पकड़े गये जो बेचारे छोटे लोग हैं उनको दफा 60 में बन्द करने का काम किया गया। इसलिए छोटे-मोटे आदमी भले ही पकड़े गये हों क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में टार्गेट फिक्स होता है इंस्पेक्टर होते हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं। आपके यहां जो इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं आप उन्हें बुलाकर परेड करवा लीजिए पता चलेगा किसी का सर मुड़ा, किसी का पैर मुड़ा है वर्दी पहनाकर खड़ा नहीं कर पाएंगे। जिनके ऊपर स्मगलिंग रोकने का दायित्व है उन इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को देख लीजिए कभी अपने कार्यालय में किसी सिपाही को बुलाकर परेड करवा लीजिए आपको पता चल जाएगा। इन्हें देखकर स्मगलिंग रुकेगी नहीं बल्कि तस्करी बढ़ेगी इनको देखकर तस्करों का मनोबल बढ़ेगा। इण्टर स्टेट स्मगलिंग ब्लू वाटर कम्पनी के आने के बाद रुकी है या ज्यादा बढ़ी है। इसके मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। एक और चीज की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं पर्यावरण की विकट समस्या है प्रदेश ही नहीं देश में पर्यावरण की विकट समस्या है।

हम नई-नई योजनाएं बनाते हैं, प्रदूषण मुक्त वायु मिले, प्रदूषण मुक्त जल रहे, प्रदूषण मुक्त आवास रहे इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन यह जो डिस्टलरी हमारी चल रही है क्या कभी हमने उनके द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच करने की क्या मंत्री जी ने कोशिश की है। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए उल्लेख करना चाहता हूं। आप नोट कर लें जांच कराकर हाउस को अवगत करा दें। आपके डायजेस्टर लगाए जाते हैं यह डिस्टलरी में लगाए जाते हैं जो कचरा निकलता है उसमें कचरे को डाला जाता है और फिर उसमें पानी डालकर उन्हें चलाकर पानी को समाप्त कर दिया जाता है। फिर उस कचरे को ब्वायलर में डाल दिया जाता है इसमें मीथेन और कार्बन मोनो आक्साइड गैस बनती है यह ईंधन का काम करती है आप दिखा लीजिए आप पी0डब्लू0डी0 में चेकिंग करते हैं, सिंचाई विभाग में चेकिंग करते हैं कभी इसको भी चेक कर लीजिए कि कितनी डिस्टलरी में यह योजना है कितना प्रदूषण डिस्टलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं इस पर अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। हर डिस्टलरी में ट्रीटमेंट प्लांट भी होना चाहिए इसकी बाध्यता है नियमतः जिसने नहीं लगाया उसे अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए जिसने लगाया हो उसे ही आप अनुमति दें। कितने आपके डिस्टलरी ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं सहारनपुर मुरादाबाद में जितनी डिस्टलरी हैं उसमें एक ही नाम बता दें जिसमें यह ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा हुआ हो। यह उससे निकलने वाले कचरे को सड़कों पर फेंक देते हैं या किसी नदी में फेंक देते हैं लेकिन यह प्रदूषण तो उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। डिस्टलरी के मालिक तो मस्त हैं उनका काम तो हो गया उनकी डिस्टलरी तो चल रही

है उनका काम रुकने वाला नहीं है बिना ट्रीटमेंट प्लांट के डिस्टलरी चल रही हैं लेकिन भुगतना तो जनता को पड़ रहा है। यह काम सारी की सारी डिस्टलरियों में होता है। अगर विश्वास न हो तो लखीमपुर में खम्भार खेड़ा इसके बीच में कभी आते जाते गाड़ी से देखियेगा कि कितना कचरा मान्यवर, एक बार उस कचरे को मान्यवर, भैंसों ने खाया और 20 भैंसे वहां पर मर गईं उस कचरे को खाकर तो यह हालत है उस प्रदूषण युक्त कचरे की। यह सारी नीतियां बननी चाहिये।

आबकारी विभाग में केवल हमने यह कह दिया कि हमने बहुत राजस्व कमा लिया और हमारा विभाग दूसरे नम्बर हो गया तो इससे पीठ थपथपा देने से ही काम नहीं चल जाता है इसके लिये नीतियों का निर्धारण आवश्यक है। आप गरीब लोगों की बड़ी चिन्ता करते हैं, आप मुझे यह बता दें कि कितनी डिस्टलरियां ऐसी हैं जहां 20 प्रतिशत से ज्यादा परमानेन्ट लेबर हैं। मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा पर काम हो रहा है। बेचारे 10-10 साल से 5-5 साल से गरीब आदमी काम कर रहा है वहां पर लेकिन परमानेन्ट नहीं किया जा रहा है। उसको ठेके पर रखा जा रहा है। तो यह भी तो मान्यवर: उनका दोहन किया जा रहा है। इस पर अगर माननीय मंत्री जी अगर आप वाकई गरीबों का हित चाहते हैं तो इसको कड़ाई से लागू कीजिये। एक शासनादेश जारी करिये कि वहां पर जितनी भी वैकेन्सी है या जितने भी कर्मचारियों की आपको आवश्यकता है उनको आपको परमानेन्ट करना होगा। आप लोगों को रोजगार देंगे। नौजवान जो शराब पी रहा है, मजदूर जो शराब पीकर पड़ा है जब आप उसको रोजगार दे देंगे तो वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेगा। यह मेरा एक सुझाव है अगर आप इसको मान लेंगे माननीय मंत्री जी तो निश्चित रूप से अभी आपका विभाग नम्बर दो का विभाग है। अभी आपही ने कहा है मैंने नहीं कहा है। नम्बर एक का नहीं नम्बर दो का विभाग है आपका यह आपके मुखारविन्द से निकला है मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि नम्बर नम्बर दो का विभाग है। हमारा अब वह किस चीज में है यह मैं नहीं जानता। तो मंत्री जी आप उस नम्बर दो के विभाग को नम्बर एक का कर दीजिये कुछ ऐसा कर दें कि वह नम्बर एक पर हो जाय। कुछ ऐसे सार्थक कदम उठा लेंगे तो वह नम्बर दो से नम्बर एक पर आ जायेगा और शायद उत्तर प्रदेश के विकास में आपके विभाग का महत्व और बढ़ जायेगा। मान्यवर, सहकारी आबकारी आयुक्त आपके यहां 1995 के बाद कोई नियुक्त नहीं हुआ। उसकी आवश्यकता है, करा देंगे आप सत्ता पक्ष वाले हैं, थोड़ा दबाव लगा देंगे तो शायद जल्दी हो जायेगा। मैं तो इसलिये कह रहा था कि मैं आपको रोजगार कैसे मिले जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार कैसे मिले जो इतने लोगों को रोजगार दे देंगे तो आपकी वाहवाही होगी। कोई मुझको नहीं कहेगा कि मैंने यह सुझाव दिया था तब मंत्री जी ने लोगों को रोजगार दिया है। वह तो कहेंगे कि बसपा की सरकार थी, आप मंत्री थे, आपने हमको रोजगार दे दिया। मुझे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं तो प्रस्ताव आपके सामने इसलिये कर रहा हूं कि नाम किसी का भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश का काम होना चाहिये मेरा यह मानना है। मान्यवर, इस पर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जायेगा। मान्यवर, अपर आबकारी आयुक्त की डी0पी0सी0 बची है उसको दिखवा लीजियेगा और मेरठ जोन में पिछले 6 महीने से ज्वाइंट कमिश्नर नहीं है। कानपुर में डिप्टी एक्साइज आफिसर नहीं है।

मान्यवर, डिप्टी एक्साइज आफिसर जिले के आबकारी विभाग की रीढ़ होता है बगैर उसके इन दुकानों का संचालन हो सकता है न तो शराब की निकासी हो सकती है। (किसी सदस्य के टोकने पर) तजुर्बा है मान्यवर, इसलिये तो बोल रहा हूं और फिर आपके सामने बोलना है इसलिये तजुर्बा तो रखना ही होगा। अच्छा तो यह है कि इस विभाग के सेवन में न आपकी रुचि है न मेरी इसलिये हम लोग ठीक-ठीक बात कर ले रहे हैं वरना लड़खड़ा गये होते (हंसी) मुझे तो नहीं मालूम है। इसलिये मेरे कुछ सुझाव थे। मान्यवर, मेरा एक अंतिम सुझाव और दे दूं कि आपने इस तरफ ध्यान किया था कि कच्ची शराब की तस्करी पर रोक लगाने की आपने बात की बहुत अच्छा है। इलाहाबाद में संगम में प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण का स्थान है। मान्यवर, आप इसकी जांच करवा लीजियेगा। वहां के अधिकारियों की स्पेशल ड्यूटी लगवा दीजियेगा कि संगम से लेकर बलुआ घाट तक शाम के 6 बजे के बाद यमुना जी में जितनी भी नाव आपको घूमती हुई दिखाई देगी वह दो-दो गेलन महुआ की शराब लेकर बेचते हुए मिलेंगे। इसकी जांच करा लीजियेगा और उस पवित्र नगरी को कम से कम आबकारी के इस प्रकोप से बचाने का काम करेंगे। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय करवरिया जी ने बहुत सारे प्लाइन्ट्स बताये हैं मैं आखिरी से शुरू करता हूं इलाहाबाद संगम से लेकर बलुआघाट तक दो-दो गैलन बेचते मिलेंगे। स्वाभाविक है कि बेचते मिलेंगे और करवरिया जी को पता है बाकी सब समझ रहे हैं, बेचते मिलेंगे करवरिया जी को पता है उन्होंने कोई बात संज्ञान में लाई है। करवरिया जी ने एक तो यह सुझाव दिया कि अल्कोहल केवल इंडस्ट्रियल अल्कोहल में रखा जाए। शराब न बनाई जाये और दूसरी तरफ सहायक आबकारी आयुक्त बढ़ा दीजिये, यह बढ़ा दीजिये। मैंने तो पहले ही कहा था कि कम है। एक तरफ सुझाव दिया शराब मत बनाइये और दूसरी तरफ जो डिस्टलरी और आसवनियां है उसमें सुझाव दिया कि इतने नौकर भर लीजिये। एक तरफ मत बनाइये और एक तरफ भर लीजिये। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं इनका सुझाव क्या है ? इन्होंने कहा पेय वाला अल्कोहल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, बहुत से ऐसे प्रान्त हैं जहां पूर्व में शराब बन्दी कर दी गई। सरकार ने घोषित कर दी। जहां तक मुझे स्मरण है आन्ध्रा, महाराष्ट्र और हरियाणा में नशाबन्दी घोषित कर दी। शराब बेचना बन्द कर दिया। मान्यवर, घर-घर शराब बन रही है आप दो गैलन की बात कर रहे हैं आप संगम से लेकर बलुआ घाट की बात कर रहे हैं जब तक शराब पीना लोग बन्द नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होना है। शराब अगर बन्द कर देते हैं तो भी शराब पीने वाले शराब पियेंगे जहरीले पियेंगे और जिस तरह से दूसरे प्रान्तों में हुआ, इस उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों नहीं क्या हाल होगा क्या कहूं। जिन प्रान्तों में शराब बन्द कर दी गई वहां लोग जहरीली शराब पीकर मर गये। मान्यवर, मैं मानता हूं यहां कच्ची उतारी जाती है। हमने बड़ी सख्ती की है तो कमी आई है अभी समाप्त नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है मैंने सुदृढ़ीकरण की बात

कही। मैंने विभाग के सुदृढीकरण की बात कही, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कही मांझा में कहीं किसी न किसी गांव में रोज कच्ची शराब उतारते हैं। अवैध कब्जा कराते हैं और जहरीली शराब भी बेचते हैं। इधर डर के मारे बहुत दिन से नहीं बना रहे हैं अगर बनाया होता तो लोग पीते। तो मैंने पहले ही कहा कि कैजुअल्टी सामने आती। मान्यवर, जिस तरह से हमारी सरकार ने सख्ती की है लोग कहने वाले तो यह कहते हैं कि शराब ज्यादा बिक रही है। अब कम बिके तो राजस्व कम आ रहा है और ज्यादा बिके तो ज्यादा पिला रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि ज्यादा बिकने का कारण क्या है अगर शराब ज्यादा बिकी तो शराब ज्यादा बिकने का कारण क्या है। शराब ज्यादा बिकी तो उसका कारण यह है जो अवैध शराब बन रही थी जो कच्ची शराब उतारी जा रही है, अवैध मदिरा बन रही थी जो स्मगलिंग करके, अब लोग नहीं हैं यहां करवाने वाले, मान्यवर, स्मगलिंग हो रही थी। दूसरे प्रान्तों से उसमें पैमाने पर बड़ी कमी आई है रुकावट आई है क्योंकि अवैध मदिरा नहीं बन रही है। मान्यवर, कहते हैं राजस्व की कमी आई है जितना पांच-छः सालों का मैंने जिक्र किया पहली बार टारगेट फिक्स किया गया एक बार और किसी भी साल में 100 फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई 2002 से लेकर 2003 तक, चालू वित्तीय वर्ष की बात नहीं करता अभी एक महीना बाकी है तीन बार टारगेट हमारा बढ़ाया गया और हम पीछे नहीं भागते हैं, मान्यवर, अगर पहली बार वाला टारगेट रहता तो हम उससे काफी आगे जाते और दूसरे वाले से भी हम ऊपर जायेंगे जो दोबारा टारगेट रखा गया है, 4192 और हमें उम्मीद है मान्यवर, कि 4192 से भी आगे हम जायेंगे, जो तीसरी बार फिक्स किया गया है। उसके आगे हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं ? एक तरफ कहते हैं कि स्मगलिंग करते हैं और एक तरफ राजस्व बढ़ रहा है, अगर स्मगलिंग कर रहे हैं तो यह शराब कैसे बिक रही है, ज्यादा यह राजस्व कैसे बढ़ रहा है, तीन-तीन बार का टारगेट हम प्राप्त करने की स्थिति में आ गये हैं। होगा क्या, यह 31 मार्च के बाद पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट 4192 करोड़ रखा गया है, हमें उम्मीद है, हम उसको क्रास करेंगे, उसको पार करेंगे। मान्यवर, एक तरफ यह बात कहना कि बन्द कर दी जाये और एक तरफ यह कहना कि भर्ती कर ली जाये एक का तो मैंने जवाब दे दिया। दूसरा जो आपने आशवनी में रोजगार की बात कही है, उसको मैं दिखवा लेता हूं कि हम नियमतः क्या कर सकते हैं ? जो भी सम्भव हो सकेगा, मान्यवर, हम इस प्रदेश के हित में करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है, करवरिया जी से कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। मैंने जो कहा कि एक-एक दुकान की तीन-तीन ब्रांचें खोली जा रही हैं और उससे शराब की बिक्री बढ़ रही है, तो इन्होंने भी उसको स्वीकार किया है कि तीन बार इन्होंने प्रदेश का लक्ष्य बढ़ाया है और तीन बार लक्ष्य बढ़ा करके उस लक्ष्य की ओर इन्हीं कारणों से बढ़ रहे हैं। मान्यवर, एक बात मैं और कहूंगा। पिछली बार के भी बजट में, मंत्री जी को अपने भाषण के दौरान भी कहा था कि नाका थानान्तर्गत, नाका

चौराहे पर स्थित दीप अवध होटल के बगल में वाइन एवं बियर शाप खुली है जो लड्डू गोपाल कृष्ण मन्दिर के ठीक सामने है। मैंने पिछली बार भी कहा था और यह प्राविधान भी है कि किसी भी विद्यालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर की रेंज में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। प्रदेश में इस प्रकार की कई दुकाने हैं और उनमें से यह भी एक है तो इस प्रकार की दुकानों को निश्चित रूप से अभियान चलाकर बन्द करायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री उदयभान करवरिया-

आप इसको दिखवा लें और मान्यवर, मंत्री जी ने एक और चीज कही थी कि मैं एक तरफ तो शराब बन्दी की बात करता हूं और दूसरी तरफ कहता हूं कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की भर्ती की जाये और उनकी प्रोन्नति की जाए। तो मान्यवर, आबकारी विभाग का मतलब केवल शराब नहीं है, यही मैं भी कह रहा हूं और जो अधिकारी, कर्मचारियों की भर्ती होगी वह केवल शराब के लिये भर्ती नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि आप इण्डस्ट्रियल में जाइये, उसमें भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप केवल घूम-घूम करके पता नहीं क्या कारण है कि मैं इस्तेमाल की तरफ ले जाता हूं, मैं दूसरे औद्योगिक इकाइयों की तरफ ले जाता हूं और मान्यवर, मंत्री जी घूम-घूम करके शराब की तरफ चले आ रहे हैं। तो मान्यवर, थोड़ा सा समय और भी जा रहा है, मैं इनके आगे के कार्यक्रमों में बाधा नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, यह बजट बिना दिशा का है, यह बजट प्रदेश के नौजवानों को निराशा करने वाला है, गरीब किसानों को शराब के नशे में धकेलने वाला है, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,86,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,25.22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,25,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,20,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,20,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-.

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि :-

यह सदन महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता है कि :-

1-राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी, जो "महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति" कहलायेगी। समिति में सभापति को सम्मिलित करते हुए 19 सदस्य होंगे, जिनमें से 15 सदस्य विधान सभा के तथा 4 सदस्य विधान परिषद् के होंगे। विधान सभा के 15 सदस्य अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तथा विधान परिषद् के 4 सदस्य सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे।

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

2-समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(1) महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा करना,

(2) महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में संस्तुतियां करना,

(3) महिलाओं एवं बच्चों की विधिक सहायता की समीक्षा करना,

(4) समिति राज्य में स्थापित संस्थानों के कृत्यों एवं अभिलेखों की जांच कर सकेगी जो राज्य सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हो,

(5) समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों की जांच भी कर सकेगी जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(6) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय इस समिति के क्षेत्र में आता है अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

उक्त समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।

3-यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले 4 सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता है कि :-

1-राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी, जो "महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति" कहलायेगी। समिति में सभापति को सम्मिलित करते हुए 19 सदस्य होंगे, जिनमें से 15 सदस्य विधान सभा के तथा 4 सदस्य विधान परिषद् के होंगे। विधान सभा के 15 सदस्य अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तथा विधान परिषद् के 4 सदस्य सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे।

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

2-समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(1) महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा करना,

(2) महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में संस्तुतियां करना,

(3) महिलाओं एवं बच्चों की विधिक सहायता की समीक्षा करना,

(4) समिति राज्य में स्थापित संस्थानों के कृत्यों एवं अभिलेखों की जांच कर सकेगी जो राज्य सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हो,

(5) समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों की जांच भी कर सकेगी जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(6) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय इस समिति के क्षेत्र में आता है अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

उक्त समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।

3-यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले 4 सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को उपलब्ध कराये ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें। यह जो प्रस्ताव आप लाये हैं, यह ऐसे समय में लाये हैं जब सदस्यों की संख्या इतनी कम है। इस समिति का क्या औचित्य है यह तो बता दें। या फिर इसे आज स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप आबकारी पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं इसलिये असर आपको हो गया है। मैंने इसका उद्देश्य पढ़ दिया है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, आबकारी का असर तो समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसका पूरा उद्देश्य बता दिया कि क्या है, यह भी बता दिया कि इसके कार्य क्या है और इसका प्रतिवेदन रख दिया है। मैं इस पर मतदान करा रहा हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

एक निवेदन था कि सुबह श्री कुबेर सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ सवाल उठाया था हैण्डपम्प के सम्बन्ध में, अगर सूचना आज देनी है तो आज दे दें अगर कल देने को कहें तो कल दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजियेगा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर में ग्राम मनुवागढ़ के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की जनपद आजमगढ़ स्थित अमिला मार्ग से लरहन लालघाट मार्ग के चौड़ीकरण में की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज शाखा नहर के कार्य हेतु नियम विरुद्ध टेण्डर की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं। चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक/प्रवक्ता ग्रेड के शिक्षकों के चयन में अनुसूचित जाति के शिक्षकों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित जमुना किनारे, दयालबाग में शमशान घाट बनाने व जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मैगलगंज से मढ़िया आश्रम व पुवायां-मोहम्मदी मार्ग की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद-जालौन (उरई) के नया रामनगर के अजनारी रोड के फाटक के पास रहने वाले जागेश्वर पुत्र श्री कालीचरन की पुत्री कु0 अंगुरी देवी के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं। आठवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस की जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थाना भवन क्षेत्र से विद्युत विभाग की हाईटेंशन लाइन गुजरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की लखनऊ स्थित विधायक निवास-3 रायल होटल के पुराने जर्जर छत का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा दसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की लखनऊ स्थित विधायक निवास-95-96 बी ब्लाक दारूलशफा की छत गिरने एवं मरम्मत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी,
2-श्री आर0पी0एन0 सिंह,
3-श्री अनिल कुमार यादव,
4-श्री सुन्दर लाल लोधी,
5-डा0 अनिल चौधरी,
6-श्री लल्लू सिंह,

7-श्री रमापति उर्फ रमाकांन्त
8-श्री संजय कपूर
9-श्री पूरन प्रकाश
10-श्री इमरान मसूद
11-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल
12-श्री अशोक बंसल
13-श्री यशपाल सिंह
14-श्री सुखलाल
15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
16-श्री कृष्ण गोपाल पटेल
17-डॉ0 धर्मपाल सिंह
18-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
19-डॉ0 अजय तोमर
20-श्री मदन चौहान
21-श्री बैजनाथ दुबे
22-श्री महेश चन्द्र गुप्ता
23-श्री निर्मल कुमार वर्मा
24-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा
25-श्री लालजी यादव
26-श्री शिबगतुल्ला अंसारी
27-श्री विद्यासागर गुप्ता
28-श्री श्यामदेव राय चौधरी
29-श्री जोखूलाल यादव
30-श्री चन्द्र भद्र सिंह तथा
31-श्री राम किशुन

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मनमाने ढंग से निष्कासित सैकड़ों कर्मचारियों की सेवा पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-2-2008 को यह सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/मण्डी समिति का गठन हुए लगभग 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक तृतीय, चतुर्थ व ग्रेड-1 व 2 स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति, निष्कासन, सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति आदि की कोई सेवा नियमावली न होने से वहां मनमाना राज चल रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभिन्न समय पर शासन व समिति के लोगों को मनमाने ढंग से नियुक्ति व निष्कासन करती रहती है।

01 अप्रैल, 1996 से 01-12-1997 तक मण्डी परिषद्/मण्डी समिति में सैकड़ों तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ग्रेड-1 व 2 अधिकारी पूर्व की ही भांति और प्रक्रिया से नियुक्ति किये गये। इसमें से अधिकांशतः अनुसूचित जाति, जनजाति के थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीरज अवस्थी के एक व्यक्तिगत मामले में 16-12-2005 को उनकी नियुक्ति को वैध नहीं माना। विभाग ने इसी मामले को आधार मानकर इस अवधि में की गई शेष नियुक्तियों को मनमाने ढंग से दिसम्बर, 2005 में रद्द कर दिया और सैकड़ों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया। वह और उनका परिवार सड़क पर आ गया है। पूरा परिवार भय, भूख से ग्रस्त होकर तबाही के कगार पर खड़ा है। विभाग में 01-04-1996 के पहले इसी तरह नियुक्ति किये गये लोग अभी भी हैं। इसी विभाग में 90 दिन तथा तीन वर्ष के लोगों को नियमित कर दिया गया है। निष्कासित लोग भी इसी वर्ग के हैं, किन्तु इनके विषय में तत्कालीन सरकार जान बूझकर मौन रही और वर्तमान समय में भी इनको घोर निराशा हाथ लग रही है। यह लोग जनतांत्रिक आन्दोलनों एवं सभी स्तर पर गुहार लगाकर हताश एवं निराश हो गये हैं। आगामी होली के अवसर पर परिवार सहित होलिका में समाने की बात कह रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिये काफी गंभीर एवं शर्मनाक घटना होगी। एक ही प्रक्रिया में नियुक्त लोगों के बीच असमानता से संवैधानिक उल्लंघन का भी मामला है। सदन 12 मार्च से स्थगित हो जायेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल शासन से इस प्रकार में निष्कासित अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य लोगों की सेवा बहाल किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में निदेशक, मण्डी परिषद् से आख्या प्राप्त की गई। निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार सेवा से हटाये गये गैर नियमित कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में 65 अमेण्डमेंट अप्लीकेसन्स रिट पिटीशनन्स योजित की गई हैं। उक्त कर्मचारियों द्वारा उक्त अमेंण्डमेंट अप्लीकेसन्स रिट पिटीसन्स मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19-9-2006 एवं 2-4-2007 के क्रम में दाखिल की गई हैं।

स्पष्ट है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष सब्ज्युडिस है। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-107 के अन्तर्गत प्रकरण पर विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर पिलखुआ में हैण्डलूम कपड़े के उत्पादन को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वाणिज्य कर मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के अन्तर्गत अनुसूची एक अनुसूची दो, एवं अनुसूची तीन में अंकित वस्तुओं को क्रमशः शून्य प्रतिशत, चार प्रतिशत एवं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं को रखा गया है। अनुसूची चार में नान वैट गुड्स को रखा गया है। इन अनुसूचियों में अंकित माल से भिन्न माल पर अनुसूची पांच के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेय है। उक्त अनुसूचियों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी सूचित करने विषयक गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 26-11-2007 में यह अपेक्षा की गई है कि राज्यों के मा0 वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) के कर की दरों के शिड्यूल के सम्बन्ध में तय किये गये कामन प्वाइंट्स आफ कनवर्जन्स का अधिकतम सम्भव पालन किया जाना चाहिए।

प्राधिकृत समिति द्वारा वैट व्यवस्था के लिये निर्धारित दरों में बेड शीट, पिलो कवर एवं अदर टैक्सटाईल मेड-अप्सको 4 प्रतिशत की करदेयता के अन्तर्गत रखा गया है। इसके अनुरूप ही ''बेड शीट, तकिया का गिलाफ एवं कपड़े की बनी अन्य वस्तुएं जिसमें हैण्डलूम पर बनी वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, को प्रदेश में वैट अधिनियम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की करदेयता के अन्तर्गत रखा गया है। समस्त प्रकार का हैण्डलूम कपड़ा, हैण्डलूम दरी, हैण्डलूम शाल एवं लोई, चाहे सादी, छपी हुई, रंगी हुई अथवा कढ़ी हो,' को करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची में रखा गया है।

उक्त उत्पादों पर सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त में वैट नहीं लागू है, के बिन्दु पर स्पष्ट करना है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बेडशीट, पिलो कवर एवं अदर टैक्सटाइल मेड-अप्स

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा समान श्रेणी की वस्तुओं पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, पंजाब, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तराखण्ड में भी 4 प्रतिशत की करदेयता रखी गई है। राजस्थान में बेड शीट, 25 रुपये मुल्य तक के पिलो कवर के अतिरिक्त पिलो कवर एवं अन्य टैक्सटाइल मेड-अप्स को 4 प्रतिशत की करदेयता की श्रेणी में रखा गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वैट व्यवस्था के पूर्व इन वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाले काटन यार्न, कलर्स एवं डाइज पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता थी। कर का यह अंश निर्मित माल की कीमत में शामिल होता था। वैट व्यवस्था में काटन यार्न करमुक्त कर दिया गया है तथा कलर्स एवं डाइज सहित अन्य कच्चे माल पर प्रान्त के भीतर दिये गये कर का समायोजन (सेट आफ) निर्मित माल की बिक्री पर देयकर में दिया जाता है जिसे देखते हुए निर्मित माल की कीमत में वृद्धि की संभावना बहुत कम है।

प्राधिकृत समिति के निर्णय एवं उपर्युक्त पड़ोसी राज्यों द्वारा उक्त वस्तुओं पर निर्धारित कर की दर तथा राजस्व के हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इन वस्तुओं को समुचित कर की देयता में रखा गया है।]

जनपद बागपत में सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा क्षमता से कम विद्युत आपूर्ति करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद बागपत एवं बड़ौत की विद्युत आपूर्ति जनपद स्तरीय.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नगरों के अनुरूप 16 घण्टे प्रतिदिन आदेशित है परन्तु प्रतिदिन प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धंता में कमी के कारण प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपातकालीन विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली में उत्पन्न व्यवधानों के कारण भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। अग्रेतर यह भी सूचनीय है कि जनपद बागपत के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र छपरौली आदर्शनगला,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जोहड़ी बडावद, तितरौदा अतिभारित थे जिसके कारण उक्त विद्युत उपकेन्द्रों पर डबल ग्रुप में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, इससे विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद बागपत के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र छपरौली की वर्तमान क्षमता 10 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 20 एम0वी0ए0 किया जाना प्रस्तावित है तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जुगाना एवं बराल की वर्तमान क्षमता 2×5 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर (10+5) एम0वी0ए0 किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र किरठल की अतिभारिता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र इब्राहिमपुर माजरा के चालू होने के बाद तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिजरौल की अतिभारिता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बामनौली के चालू होने के पश्चात् समाप्त हो जायेगी। जनपद बागपत के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र आदर्शनगला की अतिभारिता समाप्त करने हेतु मलकपुर में नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा जोहड़ी विद्युत उपकेन्द्र के लिये पोषक का निर्माण किया जा रहा है तथा तितरौंदा एवं बडावद विद्युत उपकेन्द्रों की संयुक्त पोषक को विभाजित किये जाने का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्र जोन माना वर्तमान में अतिभारित नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद बागपत की पारेषण प्रणाली अतिभारित है, जिसके कारण भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है परन्तु 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लोनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् जनपद बागपत के विद्युत उपकेन्द्रों की अतिभारिता की समस्या कम हो जायेगी।]

जनपद गोण्डा व बलरामपुर सहकारी बैंक के बकाये की धनराशि की वापसी एवं बैंक शाखा को पुनजीर्वित करने के सम्बन्ध में महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद गोण्डा व बलरामपुर सहकारी बैंक के बकाये की धनराशि.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[की वापसी एवं बैंक शाखा को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर सहकारी बैंक की 29 शाखाओं में 129 पूर्णकालिक कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा गोण्डा जिला सहकारी बैंक की पूंजीगत एवं वित्तीय स्थिति अच्छी होने के उपरान्त भी 2002 में बैंक को गैर जिम्मेदाराना ढंग से बंद कर दिया गया है। बैंक में 1.25 लाख खाताधारकों की रु0 65.00 करोड़ की पूंजी बंद पड़ी है तथा कर्मचारियों का रु0 8.00 लाख प्रतिमाह का वेतन भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण बैंक चालू नहीं कराया जा सका है। अतः जनपद के खाता धारकों तथा सहकारिता की साख को बचाने के लिये राज्य सरकार के राज्यांश एवं वित्तीय मदद की तत्काल आवश्यकता है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश दिनांक 07-08-2002 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा ने बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू हैं) की धारा-11(1), धारा-18, धारा-22(3)(ए), धारा-22(3)(बी) एवं धारा-24 का परिपालन नहीं किया है तथा बैंक अपने जमाकर्ताओं/ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 से यह अपेक्षा की कि वह जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा को परिसमापित करते हुए परिसमापक नियुक्त करें।

3-उपर्युक्त संदर्भ में निबन्धक के आदेश दिनांक 17-8-2002 द्वारा बैंक को परिसमापित करते हुए परिसमापक नियुक्त किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त आदेश के विरुद्ध बैंक द्वारा भारत सरकार के समक्ष दायर की गयी अपील दिनांक 2-9-2002 संयुक्त सचिव/अपीलीय प्राधिकारी, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25-2-2003 के द्वारा निरस्त कर दी गयी है। उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-290 के अनुसार परिसमापन की तिथि से कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

4-अग्रेतर यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक की सभी 29 शाखाओं का दिनांक 17-8-2002 तक का लेखा परीक्षा कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मै0 जिंदल एण्ड कम्पनी द्वारा अभिलेखों का आडिट जनवरी, 2008 में पूर्ण कर लिया गया है। बैंक के परिसमापक द्वारा बीमा क्लेम सूची शीघ्र ही निक्षेप बीमा प्रत्यय गारण्टी निगम मुम्बइ को प्रेषित कर दी जायेगी तथा उक्त निगम से धनराशि स्वीकृत होने के पश्चात् बैंक के जमाकर्ताओं का अधिकतम एक लाख तक का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद उन्नाव के विकास हेतु शासन से स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में अनियिमतता किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि वर्ष 2007-08 में शासन ने जनपद-उन्नाव में विकास हेतु विभिन्न कार्य स्वीकृत कर धन का आवंटन कर जिला पंचायत, उन्नाव को भेजा, जिला पंचायत के अध्यक्ष व इंजीनियर ने चोरी-चोरी टेण्डर आमंत्रित कर दिनांक 15-2-2008 निर्धारित कर अपने निजी ठेकेदारों को उसी दिन निविदा देने की प्रक्रिया बनायी और एक भी निविदा का विक्रय नहीं किया।

कुछ ठेकेदार निविदा क्रय करने हेतु दिनांक 14-2-08 को जिला पंचायत गये परन्तु उन्हें निविदा ही नहीं दी गयी। यह सम्पूर्ण जानकारी जब मौखिक रूप से जिलाधिकारी, उन्नाव को मिली, इस कारण उस दिन निविदायें जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कैंसिल की गयी।

जिला पंचायत अध्यक्ष से निविदा देने के पूर्व धन वसूली करने की योजना बनायी। उन्हीं ठेकेदारों को निविदायें देने के आदेश दिये जाते जो निविदायें हेतु 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत धन अग्रिम कमीशन के रूप में देते हैं।

शासन के आदेश हैं कि निविदायें खुली आमंत्रित हों और नियमानुसार हों, परन्तु जिला पंचायत, उन्नाव ने आज भी अपने मनमाने प्रक्रिया से निविदायें की जा रही हैं।

गम्भीर प्रकरण की जांच कराकर आमंत्रित निविदायें, जो जिला पंचायत से सम्बन्धित हों, उनको जिलाधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में बक्शा रखकर और जिलाधिकारी की देखरेख में निविदायें आमंत्रित करने साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को खुली निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सूचना में उल्लिखित तथ्यों की जिलाधिकारी , उन्नाव से जांच करायी गयी है। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपनी जांच आख्या में यह अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा विभिन्न योजनाओं के निविदा आमंत्रण की प्रथम सूचना पत्र सं0-292, दिनांक 21-01-2008 के द्वारा जारी की गयी थी, जो दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक 25-1-08 को प्रकाशित हुई, जिसमें निविदा बिक्री की तिथि 14-2-08 एवं निविदा आमंत्रण की तिथि 15-2-08 नियत थी, जो जिला पंचायत निर्माण नियमावली, 1984 के नियम 21, जिसमें निविदा आमंत्रण हेतु समय 03 सप्ताह से कम न हो, की व्यवस्था है, के अनुरूप है। दिनांक 14-2-08 को जिला पंचायत में किसी निविदा प्रपत्र की बिक्री नहीं हुई। अतः दिनांक 15-2-08 को पुनः निविदा की तिथि 26-2-08 नियत की गयी, इसकी सूचना पत्र दिनांक 15-2-08 द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक समाचार हिन्दुस्तान में विज्ञापित कराने हेतु दी गयी, किन्तु समाचार-पत्र द्वारा उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके कारण पुनः एक बार निविदा को तिथि स्थगित करते हुए दिनांक 03-03-08 को निविदा की बिक्री व दिनांक 04-03-08 को निविदा आमंत्रण व खोलने की तिथि निर्धारित करते हुए पत्र दिनांक 23-2-08 को दैनिक समाचार-पत्र आज को विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु दी गयी, जो दिनांक 24-2-08 के अंक में विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। इसके साथ ही इन सभी सूचनाओं को जिला सूचना विज्ञापन केन्द्र, उन्नाव के द्वारा शासकीय वेबसाइट डब्लू.डब्लू.डब्लू.उन्नाव एन.आई.सी0 इन पर प्रदर्शित करने हेतु दी गयी। साथ ही जिला स्तरीय सम्बन्धित विभागों को भी निविदा की सूचना दी गयी है।

जिलाधिकारी, उन्नाव की आख्या के अनुसार निविदाओं की चोरी-चोरी किये जाने एवं किसी धनराशि की वसूली का कोई साक्ष्य जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया है तथा इस आशय की कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत, उन्नाव को यह निदेशित कर दिया गया है कि वे नियमानुसार कम से कम 02 प्रमुख समाचार-पत्रों में निविदा सूचनाओं का प्रकाशन सुनिश्चित करें, साथ ही निविदायें वेबसाइट पर डाली जायं। तदनुसार शासन स्तर से अध्यक्ष, जिला पंचायत, उन्नाव को खुली निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।]

जनपद संतकबीर नगर को घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये बांध के लिये अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री दशरथ प्रसाद चौहान मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-56 के अन्तर्गत दिनांक 20-02-08 को निम्न सूचना दी गई थी :-

जनपद संतकबीरनगर क्षेत्र सं0-162 विधान सभा हैंसरबाजार की घाघरा नदी के बाढ़ से बचने के लिये वर्ष 1973 में जो बांध बनाया गया था उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को अभी तक नहीं दी गयी है। यह गांव निम्नवत् हैं :-भिखारीपुर, तुर्कवलिया, नायक, चपरा, पुर्वी, मदरा, गुलहरियां, मदरहा, नेतवापुर, छपरा आदि गांव हैं। इसी प्रकार विकास खण्ड नाथनगर के अन्तर्गत मुखलिसपुर पम्प नहर जो ग्राम रेवटा तक गयी है, अभी तक तमाम गांवों-रेवटा, साखी, गोरयाघाट, कलान आदि गांवों के किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। स्थानीय अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय को सदन कार्यवाही रोककर संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

2-उक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 20-02-08 द्वारा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर से आख्या मांगी गई है। इसी अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, गोरखपुर एवं मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-2) सिंचाई विभाग, गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद संतकबीरनगर में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये मदरहा-बेहड़ा डाड़ी बांध बनाने हेतु भिखारीपुर, तुर्कवलियानायक, चपरापूर्वी, मदरा, गुलहरिया, मदरहा, नेतवापुर छपरामगरबी आदि ग्रामों के किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, जिसमें से ग्राम भिखारीपुर के कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है।

ग्राम तुर्कवलियानायक, चपरापूर्वी (चपरा मशरिकी) अगवापुर उर्फ गुलहरिया एवं छपरामगरबी चकबन्दी प्रक्रिया में हैं। चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, गोरखपुर द्वारा उक्त ग्रामों के कृषकों को चिन्हित करके धनावंटन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात् प्रभावित कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम मदरा, महदरहा, नेतवापुर व अन्य ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर के भुगतान के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर वास्तविक कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद संतकबीरनगर में मुखलिसपुर पम्प नहर के निर्माण हेतु ग्राम रेवटा, साखी एवं गोपालपुर उर्फ फिरोजपट्टी आदि ग्रामों के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी। गोरयाघाट एवं कलान ग्रामों के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी थी। अतएव ग्राम रेवटा साखी एवं गोपालपुर उर्फ फिरोजपट्टी के कृषकों को भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-2), सिंचाई विभाग, गोण्डा से धनावंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु गणनाचक्र पर आयुक्त, बस्ती मण्डल का अनुमोदन न होने के कारण वित्त विभाग द्वारा धनावंटन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की गयी है। मुख्य अभियन्त (सरयू परि0-2), सिंचाई विभाग, गोण्डा से सम्पूर्ण धनांवटन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। तत्पश्चात् कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।]

जनपद गोण्डा में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राम विशुन आजाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[यह बताया गया है कि जनपद गोण्डा में जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का साढ़े 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति अंश से अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभार्थ खर्च किया जाना था, निर्धारित धनराशि से जो पम्पिंग सेट (डीजल इन्जिन) की खरीद की गई जिसे किसी मान्यता प्राप्त डीलरों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त दुकानों से कोटेशन ने लेकर अधिकारियों को सांठगांठ से मनमाने तरीके से कुछ खास डीलर से भारी पैमाने पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर घटिया किस्म के पम्पिंग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेटों की खरीददारी की गई है। अधिकारियों को मनमाने तरीके से अपात्र व्यक्तियों को इंजन का वितरण किया गया है। सूची में दर्शाये गये लाभार्थियों को अधिकांशतः इंजन पम्पिंग सेट न देकर अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। जितने मूल्य से पम्पिंग सेटों को खरीदा गया है उतने मूल्य के पम्पिंग सेट नहीं हैं वे घटिया किस्म के हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना में उल्लिखित तथ्यों को जिलाधिकारी, गोण्डा से जांच कराई गई है। जिलाधिकारी गोण्डा ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत गोण्डा की सामान्य बैठक दिनांक 02-12-2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार डीजल पम्पिंग सेट (मय कम्पलीट सहित) क्रय किया गया था, जिसके लिये दिनांक 19-12-2007 को टेण्डर आमंत्रित करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रचलित समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं जनपद की वेबसाइट डब्लू0डब्लू0एन0आई0सी0 गोण्डा इन पर विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। नियत तिथि को कुल 09 टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिसमें से अतुल जनरेटर प्रा0 लि0 आगरा एवं श्री राम मिलन स्टोर, स्टेशन रोड गोण्डा के न्यूनतम दर समान थे, जो समस्त ऐससरीज सहित प्रति इंजन रुपया 20,650.00 में दिये जाने हेतु दिये गये थे। दोनों फर्मों की न्यूनतम दर समान होने के कारण इन्हीं फर्मों से कुल 935 डीजल इंजन रु0 93.07 लाख में क्रय किये गये हैं, जिन्हें सदस्य, जिला पंचायत की संस्तुति पर उनकी उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों को वितरित किये गये हैं। क्रय किये गये डीजल इंजन भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 11170 द्वारा निर्मित हैं, जो घटिया किस्म के नहीं हैं, और न ही अधिक मूल्यों पर क्रय किये गये हैं।

इस प्रकार जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा इंजन क्रय किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, जिसमें कोई अनियमितता अथवा सांठ-गांठ परिलक्षित नहीं होती है।]

जनपद चन्दौली, तहसील चकिया के तहसीलदार द्वारा श्रीमती प्यारी देवी से दुर्व्यवहार करने की जांच कराने एवं उनकी पैतृक सम्पत्ति पर हुए अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राम किशुन मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 28-2-2008 में उल्लिखित है कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की नतिनी श्रीमती प्यारी देवी निवासी झूंसी शाहगंज, चकिया जनपद चन्दौली अपने पति श्री जनार्दन लाल श्रीवास्तव जो रिटयर अधिकारी हैं, के साथ अपनी पैतृक सम्पत्ति जिस पर गांव के दबंग किस्म के लोगों का कब्जा है, को हटवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चन्दौली के आदेशों के अनुपालन में तहसीलदार चकिया से मिलने गई लेकिन तहसीलदार चकिया ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको जबरदस्ती कार्यालय से बाहर निकाल दिया जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने पति के साथ धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर जनता में रोष है।

2-जिलाधिकारी, चन्दौली से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(क) शिकायत कर्ता जनार्दन लाल श्रीवास्तव के मकान/सत्संग भवन के उत्तर तरफ, सामान्य गली के पार विपक्षी श्री सोहन लाल श्रीवास्तव को बहुत पहले से कब्जा है व मौके पर श्री सोहन लाल श्रीवास्तव आबाद हैं विपक्षी सोहन लाल द्वारा रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया है। आवागमन में कठिनाई नहीं है बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा सत्संग भवन/मकान में भी गली/ रास्ते में सीढ़ी बनाई गई है। प्रश्नकर्ता गली/रास्ता ग्राम झूंसी-कूतपुरवा सामान्य आबादी श्रेणी-6 (2) स्थिति आ0नं0 175 के बीचोबीच है जिसमें कोई चकमार्ग/रास्ता अंकित नहीं है। शिकायतकर्ता ने मकान के उत्तर गली/रास्ते में कोई अवरोध नहीं किया गया है। सामान्य आवागमन चालू है। जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच में जनार्दन लाल श्रीवास्तव की पैतृक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया है।

(ख) जहां तक तहसीलदार चकिया द्वारा श्री जनार्दन लाल श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का प्रश्न है, जांच से इसकी पुष्टि नहीं हुई है जिलाधिकारी, चन्दौली से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) चन्दौली द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करके दिनांक 2-3-2008 को सम्पात करा दिया गया है।]

प्रदेश में विभिन्न मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं के प्रमाण-पत्र को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा द्वारा नियम-51 .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा दिनांक 28-2-2008 को यह सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश में संचालित विभिन्न मदरसों से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र छात्रायें शिक्षित एवं प्रशिक्षित किये जाते हैं। प्रदेश के अनेक मदरसों में छात्रों को मिनी आई0टी0आई0 द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन मदरसों में आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है, उन मदरसों से आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों के प्रमाण-पत्र पर उनको नौकरी/रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यह कहकर नकार दिया जाता है कि मदरसों से मिनी आई0टी0आई0 के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई है। इससे जहां छात्रों के भविष्य अंधकार में पड़ जाता है वहीं उनका समय धन तो बर्बाद ही होता है, उनको मानसिक पीड़ा भी होती है। आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रमाण-पत्र को यदि सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है तो फिर ऐसे मदरसों में प्रशिक्षण ही क्यों दिया जाता है ? इससे छात्रों एवं अभिभावकों में कुण्ठा एवं रोष व्याप्त है तथा छात्र अपने भविष्य के प्रति चिन्तित हैं। मा0 सदस्य द्वारा इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना एवं की गई मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य निम्नवत् हैं :-

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-217/52-3-2004-1 (82)/2002, दिनांक 31-01-2004 यथा संशोधित शासनादेश संख्या 2859/52-3-2004-1 (82)/2002, दिनांक 13-01-2005 द्वारा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों से मिनी आई0टी0आई0 (मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम) की मार्ग-निर्देशिका जारी की गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसाज वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, संचालित करने का निर्णय वर्ष 2004 में लिया गया। मदरसा मिनी आई0टी0आई0 का मुख्य उद्देश्य यह है कि योजनान्तर्गत मदरसों के तालीम याफ्ता बच्चों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए इस प्रशिक्षण से प्रदेश में अल्पसंख्यक के मुस्लिम समुदाय के बच्चों का न सिर्फ कौशल सुधार होगा, बल्कि उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होने पर रोजगार मिलने के अवसर बढ़ जायेंगे। इतना ही नहीं मदरसों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बच्चे यदि योजनाबद्ध तरीके से ऐसा औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो वे स्वयं अपने रोजगार के लिये छोटे पैमाने पर निजी इकाई वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं। इस अमल से मुस्लिम बच्चों में छुपी हुई टेक्निकल सलाहियतें भी उभरकर सामने आयेंगी, जिन्हें इस्तेमाल करने का मौका इस प्रशिक्षण से उन्हें प्राप्त होगा।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस औद्योगिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कम से कम फौकानिया स्तर तक मान्यता प्राप्त एवं जिनमें 3 वर्ष से शिक्षण कार्य चल रहा है, ऐसे 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना की गई है। प्रत्येक मदरसों में उपकरण क्रय में सहायता स्वरूप केवल एक बार एकमुश्त सहायता राशि लगभग रु0 2.00 लाख दिये गये हैं। एक मदरसे में मिनी आई0टी0आई0 के अन्तर्गत मुख्य अनुदेशक सहित तीन ट्रेडों के लिये तीन अनुदेशकों, एक लिपिक सहस्टोर कीपर तथा एक प्रयोगशाला परिचर को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 18.00 हजार की धनराशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में दी जाती है।

चूंकि इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा प्राप्त एवं शिक्षारत बालक/बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ इस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण उनकी अभिरुचि के अनुसार प्रदान करना भी है जो उनके स्वरोजगार स्थापित करने में पूरी तरह सहायक हो। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न ट्रेडों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 02 वर्ष है। मिनी आई0टी0आई0 के अन्तर्गत एन0सी0वी0टी0 (नेशनल काउन्सिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग) के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है तथा एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 (स्टेट काउन्सिल आफ वोकेशलन ट्रेनिंग) के समकक्ष मिनी आई0टी0आई0 को भी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

140 मदरसों में संचालित मिनी आई0टी0आई0 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा मिनी आई0टी0आई0 की परीक्षा का संचालन उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य मदरसों में शिक्षा प्राप्त एवं शिक्षारत बालक/बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि मदरसों के बच्चे योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयं छोटे पैमाने पर निजी व्यवसाय स्थापित कर सकें।]

जलकल संस्थान, हाथरस की भूमि पर बिना भूमि अधिग्रहीत किये जबरन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जिलाधिकारी हाथरस के आदेश संख्या .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[41 डी0एल0आर0सी0-2007, दिनांक 14-09-07 से भूमि का आवंटन विद्युत उपकेन्द्र हाथरस देहात के विद्युत उपसंस्थान हेतु किये जाने के पश्चात् विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। भूमि नाल-जेड-ए की है तथा राजस्व अभिलेखों के अनुसार राज्य सरकार की सम्पत्ति के रूप में राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग कलेक्ट्रेट के प्रबन्ध में अंकित है। प्रश्नगत भू सम्पत्ति है एवं इसे विद्युत गृह बनाये जाने विषयक जनहित के कार्य के लिये पुनर्ग्रहीत कर विद्युत विभाग को उपलब्ध कराया गया है। भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी पत्रावली किसी कर्मचारी/अधिकारी स्तर से वर्तमान में गायब नहीं की गई है। अपितु रिकार्ड रूम के काफी समय पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण परिषद् के महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण पत्रावली [illegible] परिषद् कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।]

सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में नरेगा योजना की धन [illegible] के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा .....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 28-2-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा के अन्तर्गत नरेगा के पैसों के फर्जी भुगतान पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व लगभग 35 लाख रुपया बिना कार्य कराये भुगतान किया गया था, जिसके सम्बन्ध में वहां के स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी आदि को मिलकर इसकी जांच के लिये ज्ञापन दिया था परन्तु राजनैतिक दबाव के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण जांच अभी तक नहीं हो सकी। पुनः अब खण्ड विकास अधिकारी इधर धन का वितरण कुछ खास ग्राम सभाओं में जैसे झकही, पचपेड़वा आदि गांवों में से 15 से 20 लाख रुपया नरेगा के रूप में दिया गया है जबकि अधिकांश ग्राम सभाओं में कोई धनराशि नहीं दी गई है परिणामस्वरूप वहां के मजदूरों में जिन्हें जाब कार्ड दिया गया है विकास खण्ड इटवा पर माह जनवरी, 2008 में धरना कुदाल व टोकरी लेकर किया गया था परन्तु उस प्रदर्शन के समय क्षेत्र पंचायत अधिकारी या कोई कर्मचारी वहां नहीं आया मजदूर शाम तक वहां बैठे रहे हैं। एस0डी0एम0 ने आकर ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि सभी मजदूरों को काम दिया जायेगा। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी ने मनमानी करके अभी तक बहुत से गांवों को कोई धनराशि नहीं दी है, जिससे ब्लाक के मजदूरों में काफी रोष है। जनता फर्जी भुगतान के पैसों की जांच की मांग कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण के जांच की मांग की गई है। सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र संख्या-507/38-7-08-नियम/08, दिनांक 28-02-2008 द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया गया था।

2-मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-2582/जांच-एनआरईजीए /2007-08 दिनांक 29-01-2008 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार बिन्दुवार टिप्पणी निम्नवत् है :-

(1) विकास खण्ड-इटवा के सभी ग्राम पंचायतों को पूर्व में ही प्रति पंचायत रु0 1.00 लाख अग्रिम के रूप में अवमुक्त किया गया था बाद में जिन ग्राम पंचायतों द्वारा उनके ग्राम पंचायत में कार्ड धारक मजदूरों द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की मांग की गई उन्हें मांग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गई।

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की देनदेयता के बावत प्राप्त 23.68 लाख रुपये दुरुपयोग के सम्बन्ध में मा0 विधायक इटवा द्वारा आयुक्त, बस्ती मण्डल को प्रेषित शिकायती पत्र की जांच जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में शिकायत तथ्यहीन व निराधार पाई गई थी।

(3) ग्राम झकही, पचपेड़वा में 15 से 20 लाख रुपया नरेगा से दिये जाने व अधिकांश गांव में कोई धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड-इटवा में नरेगा के अन्तर्गत 83 ग्राम पंचायतों में एक-एक लाख रुपया सीड मनी के रूप में अग्रिम दिया गया था, जिन ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण-पत्र तैयार हुआ एवं मजदूरों के द्वारा कार्य की मांग की गई वहां मांग के अनुसार धनराशि दी गई है। ग्राम झकही नाम का कोई गांव विकास खण्ड-इटवा में नहीं है। इससे मिलता जुलता ग्राम पंचायत झकडिया है। ग्राम झकडिया में रु0 8.50 लाख तथ पचपेड़वा में 3.25 लाख रुपया दिया गया है। इस प्रकार ग्राम झकही एवं पचपेड़वा में 15 से 20 लाख रुपया दिया जाना एवं अधिकांश गांव में कोई धनराशि

न दिये जाने की बात निराधार व असत्य है। विकास खण्ड के अन्य ग्राम पंचायतों में कार्ड धारक मजदूरों द्वारा मांगे गये कार्य के अनुरूप कार्य देकर मानव दिवस सृजित कराया गया है।

(4) जॉब कार्ड धारक मजदूरों का विकास खण्ड-इटवा पर माह जनवरी, 2008 में दिये गये धरने/प्रदर्शन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खण्ड विकास अधिकारी, इटवा के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में विकास खण्ड मनवापुर का चार्ज है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस धरने/प्रदर्शन की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली थी और वे उस दिन विकास खण्ड-मनवापुर में उपस्थित थे। परगनाधिकारी, इटवा को दिनांक 29-01-2008 को ज्ञापन दिया गया है जिसमें मा0 विधायक इटवा, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, शेष पंचायत सदस्य, वकील आदि जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आप इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। यह केवल वक्तव्य के लिये है इसलिये कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो सी0डी0ओ0 की आख्या आई है, यह सत्य से बिल्कुल परे है। मैं इसके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

लखीमपुर खीरी में नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 28-02-2008 को दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद लखीमपुर खीरी में जिला मुख्यालय के बीचो-बीच नगर पालिका परिषद्, लखीमपुर के अन्तर्गत एक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रेलवे क्रासिंग है, जिस पर ओवर ब्रिज न होने के कारण शहर में हजारों लोग, छात्र-छात्रायें, व्यापारी, शिक्षक, शिक्षिकायें एवं श्रम करने वाले लोग दिनभर जाम में फंसे रहते हैं जिससे समय व धन हानि होती है इससे लोगों में काफी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। कई बार धरना प्रदर्शन व आन्दोलन हो चुके हैं। सड़क जाम, रेल रोको प्रदर्शन किये गये हैं जिससे स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

2-इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी क्षेत्र में स्थित बिलराया-पनवारी मार्ग पर पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत रेलवे क्रासिंग संख्या-120 स्पेशल पर यातायात गणना में क्रासिंग पर टी0वी0यू0 1,29,820 है तथा समपार पर रेलवे उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु रु0 946.27 लाख की लागत का आगणन गठित कर रेलवे वर्क्स कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में सम्मिलित किये जाने हेतु भारत सरकार, रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिनांक 26-12-2007 को प्रेषित किया गया है।

3-इस प्रकार भारत सरकार से रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में शामिल किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त रेल उपरिगामी सेतु के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी।]

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस मद को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 10 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 4 मार्च, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
प्रमुख सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(मा0 अध्यक्ष के आदेश देखिये पीछे पृष्ठ संख्या 125 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग के अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज दिनांक 4 मार्च, 2008 को समयाभाव के कारण जो सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके या जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम आरक्षण के जनक क्षत्रपति शाहूजी महराज एवं संविधान के रचयिता परमपूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के जनक मान्यवर, कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

मान्यवर, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं बहन कु0 मायावती जी को जिन्होंने मुझ जैसे धोबी समाज में जन्मे अदना व्यक्ति को टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 12 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ तालाब के किनारे गांव के लोगों के कपड़े धोने का काम भी करता था और जब समय मिलता था तो पढ़ाई का काम करता था। धीरे-धीरे ज्ञान बढ़ा और पार्टी के करीब आकर पार्टी का काम शुरू किया।

मान्यवर, आज मैं जब सम्मानित सदन विधान सभा में बैठा हूं तो अपने को बहुत अभिभूत और गौरवान्वित समझता हूं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन कपड़े धोने वाला यह व्यक्ति विधान सभा में और सम्मानित सदस्यों के बीच में बैठकर बहस एवं चर्चा में भाग लेगा।

मान्यवर, अब मैं लोक निर्माण के बजट के समर्थन पर मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आज हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का सुधार करना हमारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं।

मान्यवर, वर्ष 2008-09 के बजट में लगभग 6347 करोड़ रुपये का प्राविधान करके प्रदेश के विकास के लिये बजट रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिकार है।

मान्यवर, बहन जी की सरकार एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री बड़े भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में इस विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है।

मान्यवर, गुणवत्ता एवं मानक के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जहां निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता खराब देखी वहीं पर अधिकारियों को दण्डित करने का काम किया है।

मान्यवर, इस विभाग में माननीया बहन जी ने विभाग में ठेकेदारी हेतु दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए [illegible] की व्यवस्था [illegible]चित की है।

मान्यवर, यह पहली सरकार है, जिसने ऐसी व्यवस्था लागू करके दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक समाज को उठाने का काम किया है।

मान्यवर, प्रदेश के सेतुओं के निर्माण में भी प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है।

मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सम्मानित विधायक एवं मंत्री लोग जब बहन जी का नाम लेते हैं तो विपक्ष के लोग हंसने लगते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बहन जी ही हमारी जिन्दा देवी हैं। उनकी पूजा हम करते हैं तो विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्यों एतराज होता है।

मान्यवर, अन्त में आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं बजट का भरपूर समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

चौ0 महिपाल सिंह 'माजरा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2008-09 के लोक निर्माण विभाग के बजट उसके उद्देश्यों परियोजनाओं और कल्याणकारी बजट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट को प्रस्तुत करते समय सदन में माननीया बहन जी ने कहा था कि हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य **"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"** के सिद्धान्त पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना करना है, जिससे प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने प्रदेश में **एक मध्यम-मार्गीय, अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है।** जिसका दृष्टिकोण किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने के बजाय व्यवहारिक एवं यर्थातवादी है। **"पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप"** हमारी सरकार की एक नई आर्थिक नीति है, जिसका मकसद सरकार के सीमित साधनों के कारण विकास में निजी क्षेत्र की पूंजी और कार्यकौशल का लाभ उठाना है। इसमें हमारी सरकार ने आरक्षण नीति भी लागू करने का निर्णय लिया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्माण कार्यों में अराजकतत्वों एवं माफिया के दखल को समाप्त करने तथा टेण्डर प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए **इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है,** जिससे अब टेण्डर एवं ठेकेदारी प्रक्रिया में माफिया राज समाप्त होगा और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भयमुक्त होकर अपनी स्वेच्छा से टेण्डर के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही टेण्डर में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धा के सुनिश्चित होने के परिणामस्वरूप नियमतः कम से कम दरों पर काम कराना सार्थक होगा और सरकारी धन की बचत भी होगी।

मान्यवर, वर्ष 2008-09 में बजट का आकार एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट से 11 प्रतिशत अधिक है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने का लक्ष्य रखा है, जिस प्रदेश में सड़कों की स्थिति अच्छी होती है वहां का उद्योग और अन्य क्षेत्रों की कार्यकुशलता सफलता पूर्वक सम्पन्न होती है। क्योंकि सड़कें जब अच्छी होगी तो कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योगों तक सारे कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न होंगे। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यय का भार काफी कम हो जाता है और काफी पूंजी की बचत होती है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2008-09 में 2246 करोड़ रुपये की धनराशि से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे **2376 ग्रामों को सर्वऋतु मार्गों से जोड़ा जा सकेगा।** ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु **1080 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे 3500 किमी0 लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1000 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के इस बजट में एक नई स्कीम की नीति अपनायी गयी है जो कि डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के नाम से जानी जायेगी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 3800 ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 1206 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे 400 किमी0 लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसे ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जिनकी दशा खराब हो गयी है उनके पुनर्निर्माण हेतु हमारी सरकार ने **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना के तहत 150 करोड़ रुपये के द्वारा लगभग 4500 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है जो कि पिछली सरकारों के मुकाबले कल्याणकारी है।**

मान्यवर, प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा निर्मित मार्गों का सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने **वित्तीय वर्ष 2008-09 में सड़कों/सेतुओं के निर्माण सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव हेतु 6347 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था प्रस्तावित की है वह सराहनीय है। मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1095 करोड़ की व्यवस्था करके 1800 किमी0 लम्बाई में मार्गों की दशा सुधारने का जो सराहनीय कदम उठाया गया है। वह स्वागत योग्य है।**

मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत शहरी मार्गों के सुधार/ पुनर्निर्माण हेतु 175 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत वर्तमान बजट में 470 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके 600 किमी0

लम्बाई में मार्गों की चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करने का जो निर्णय लिया है उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा।

1239 करोड़ रुपये के द्वारा 25 हजार किमी0 लम्बाई में मार्गों को गड्ढा मुक्त किये जाने की योजना स्वागत योग्य है।

पुलों एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण की जो व्यवस्था की है वह स्वागत योग्य है।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव का कार्य सम्पादित कराया जाता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के तहत भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का दायित्व भी इसी विभाग के ऊपर है। यह विभाग उत्तर प्रदेश में गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गों के रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी है। भवन कार्यों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग व निर्माण कार्यों में तीव्रता लाने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम मार्गों को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण एवं प्रदेश के पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण उद्यम है।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़, सहारनपुर में माननीय लोक निर्माण मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके निदान हेतु विभागीय मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले की जर्जर सड़कों को दुरुस्त कराने व जिले को नई सड़कें देकर विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की कृपा करेंगे। हमारा जिला राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यमुना ब्रिज ग्राम दौलतपुर लखनौती से होते हुए कुन्जपुरा-करनाल-हरियाणा को मिलाने हेतु प्रस्तावित है। इस सेतु का निर्माण मान्यवर श्री कांशीराम सेतु के नाम से बनवाये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरा मानना है कि मानव जाति के आर्थिक विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक दशाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति के मानव के जीवन यापन हेतु अनेक प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध कराये हैं। इनमें सिंचाई प्रमुख है। प्रदेश की सींचन क्षमता को बढ़ाकर कृषि एवं किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु हमारी सरकार ने वार्षिक बजट में 3789 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हंगावली हेड से यमुना नहर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु पानी सप्लाई की जाती है। परन्तु खेद का विषय है कि ग्राम हंगावली से निकलने वाले राजबाहे की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे कृषि फसलों के उत्पादन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है और किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह राजबाहा ग्राम थरौली से इस्लामनगर की सफाई नहीं की गयी है जिससे टेल तक पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इस समस्या में कमी लाने के लिए बालपुर में

यमुना नहर से मोहण्ड बनाकर टेल तक पानी पहुंचाया जा सकता है, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लोक निर्माण/सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट माननीया बहन जी के निर्देशन में प्रदेश की जनता के लिए काफी हितकारी सिद्ध होगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

मान्यवर, मा0 बहन जी के निर्देशन में माननीय लोक निर्माण/सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि निम्नलिखित सुझावों को अपने बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे।

1-जलालपुर (पिसावा) से राऊपुर मिट्टी व डामरीकरण, 4 कि0मी0

2-जल्लमढ़ी से देअआका डामरीकरण 2.5 कि0मी0

3-हेतलपुर से सिकरौटी गांव तक मिट्टी व डामरीकरण 4 कि0मी0

4-दमुऔका से जलालपुर गांव तक डामरीकरण 3 कि0मी0

5-राजपुर गांव से बालनपुर गांव तक माट ब्रांच नहर पटरी डामरीकरण 3 कि0मी0

इसके साथ-साथ 3 बरसाती नालों के पुल निम्न गांव के बीच में बनाने का कष्ट करें।

1-जड़ाना-मथना गांव के बीच पतवाया नाले पर पुल

2-पलेसड़ा डाढ़े की गढ़ी-मौर गांव की सड़क तक पतवाया नाला पर पुल

3-नाला परौली पर गौं दमुऔका पर पुल

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट 2008-2009 पर समर्थन में बोलने के लिए आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब से पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी है, पहली बार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में जहां गुण्डा माफियों का राज चलता था अधिकारी नाम की बात समाप्त हो गयी थी, उसको समाप्त करने के लिए मा0 मंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसमें पहली बार उत्तर प्रदेश में बेबसाइट के माध्यम से इण्टरनेट पर निविदा आमंत्रित करना तथा पूरे उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार-पत्रों (लोकल) समाचार-पत्रों के माध्यम से पहली बार निविदा आमंत्रित करने का सराहनीय कार्य मा0 मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है। मान्यवर, यही नहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी के निर्देशों पर

निविदादाता से निविदा के साथ टी-4 एवं टी-5 यानी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ होना आवश्यक है। यह सराहनीय कदम मा0 मंत्री [illegible] उठाया गया है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवपाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपने बचकाने शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कोई पुल जब से सरकार बनी है नहीं स्वीकृत हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जहां पर जनपद जौनपुर के लिए एक वर्ष में 11 करोड़ रुपया दिया था। मैं पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जबसे उत्तर प्रदेश में मा0 मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग कार्य कर रहा है और केवल जनपद जौनपुर के हमारे विधान सभा के अन्तर्गत ही दो पुल जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से गोपालपुर विकास खण्ड रामपुर एवं असवा विकास खण्ड बरसठी सम्मिलित है। यही नहीं मान्यवर, हमारे विधान सभा बरसठी के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये केवल हमारे विधान सभा में रोड बनाने के मद में दिया गया जो पिछली सरकार के पूरे जनपद जौनपुर के ग्यारह करोड़ रुपये के विरुद्ध लगभग दो गुना धन हमारे विधान सभा बरसठी, जौनपुर में अवमुक्त किया गया. जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यही नहीं स0पा0 के विधायकों के द्वारा जनपद जौनपुर में जो कुछ किया गया है वह किसी से छुपा नहीं है। मान्यवर, हमारे विधान सभा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की विकास खण्ड रामपुर में एक सड़क है जिसका नाम है करौंधी से सुरेरी। इस मार्ग पर भी पूर्व के विधायक द्वारा विधायक निधि से टुन-टुन सिंह की दुकान के सामने से लगभग 4 कि0मी0 पर तेरह लाख रुपये का गबन करने का कार्य समाज कल्याण निर्माण निगम, जौनपुर के द्वारा पैसा निकाल लिया गया इसकी जांच करायी गयी तो लगभग 10 लाख रुपये की वसूली का पत्र मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर द्वारा जारी किया गया।

मान्यवर, यही नहीं जब स0पा0 की सरकार थी तो एक मार्ग जो विकास खण्ड बरसठी में आता है ग्राम सहादतपुर इस मार्ग को बनाया जा रहा था, जब मैं प्रचार के समय उक्त मार्ग पर पहुंचा तो देखकर नई टेक्नालॉजी देखने को मिली कि रोड पर आगे-आगे मैक्सफाल्ट डामर के स्थान पर पानी डालकर गिट्टी डाली जा रही थी। जब उक्त की शिकायत मैंने अधि0 अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण, जौनपुर से की तो कहा गया कि इस मार्ग को पुनः बनवाया जाएगा किन्तु आज तक पुनः नहीं बना।

मान्यवर, अन्त में मैं केवल इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि स0पा0 ने जो भी किया था, अपने आपके लिए, भाई-भतीजे के लिए व जाति विशेष समुदाय के लिए। हम जो भी किए और जो कुछ कर रहे हैं श्रीमन्, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय के [illegible]। इसी के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं पुनः मा0 अध्यक्ष जी आपका आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह-

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा जो बजट सदन में पेश किया गया है। मान्यवर, हमारे धुरियापार क्षेत्र में एक साल होने जा रहा है कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। कमहरिया पुल पिछली सरकार द्वारा पुल का शिलान्यास कर दिया गया था जिसकी लागत लगभग 78 करोड़ रुपया का शिलान्यास कर दिया गया था और पुल पर कुछ धन रिलीज भी हो गया था। वर्तमान सरकार द्वारा पुल निरस्त कर दिया गया है। सरकार से मांग करता हूं कि क्या सरकार कमहरिया पुल बनवाने का काम करेगी।

श्री कृपाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, मैं बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। मान्यवर, 6 सितम्बर, 2004 को बी0यू0ए0 राजमार्ग संख्या-38 पर कस्बा बिहार के पास मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोन नदी का पुल बाढ़ से ध्वस्त हो गया था किन्तु उसके बाद ढाई वर्ष तक सपा के शासनकाल में ऐसे महत्वपूर्ण पुल का निर्माण नहीं कराया गया और आज सदन में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी अपने शासनकाल की बावत लम्बी चौड़ी बातें कर रहे थे, उन्हें अपने कार्यकाल की ओर एक बार तो निगाह डाल लेनी चाहिए थी। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आते ही उस पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया गया और मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी सरकार की मुखिया बहन सुश्री मायावती जी को जिनके कुशल नेतृत्व में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा उक्त पुल को 6 माह में ही बनवा दिया गया है। मान्यवर, माननीय सिद्दीकी साहब के कार्यकाल में गुणवत्तापरक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग में कराकर सरकार की कार्यशैली पर मुहर लगा दी है। अन्त में एक सुझाव देते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बी0यू0ए0 राजमार्ग संख्या-38 पर तहसील मुख्यालय बीघापुर स्थित ग्राम पाटन के पास एक अतिथि गृह का निर्माण जनहित में कराने की कृपा करें क्योंकि उन्नाव एवं रायबरेली के बीच उक्त राजमार्ग पर कोई अतिथि गृह नहीं है और तहसील मुख्यालय पाटन में होने के कारण अत्यन्त आवश्यकता है। पुनः आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार बजट के समर्थन में रखने का अवसर दिया। धन्यवाद।

चौधरी महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुरोध सहित आग्रह करता हूं कि लोक निर्माण विभाग बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को बजट प्रस्ताव में शामिल करने की कृपा करें। 1-पनैटी से अनवराबाद तक मार्ग का निर्माण। 2-भरतुओ चौराहे से रेलवे फाटक मड़गक तक मार्ग का निर्माण। 3-पनैटी से साधु आश्रम मार्ग पनैटी से सुमेश रजवाहे के कलाई कृषि फार्म तक पुल तक। 4-बौनेरा वलीपुर मार्ग से नगला कश्यप तक मार्ग का निर्माण। 5-हरदुआगंज से बुआसी रहसूपुर होते हुए उकरना रामपुर तक। 6-दौलतपुर से नगलिया मउ तक। 7-हरदुआ गंज अलाली मार्ग से निधोला गांव में वीरेन्द्र बाल्मीकि के मकान तक। 8-आजादपुर मार्ग से समस्तपुर

होते हुए बरकुला तक मार्ग का निर्माण। 9-पनैटी साधु आश्रम मार्ग पर से गरिया से गिरधरपुर तक। 10-माघुआ एस्केप से नगला ठेकेदार होते हुए नगलाकोठी तक। 11-मनोहरपुर कायस्थ सेमथुरा बाई पास पर नाले का पुल। 12-नगला श्याम से धौसी पालन मार्ग के राजवाहा पर पुल का निर्माण। 13-वौनेरा वलीपुर मार्ग से नगला कश्यप मार्ग पर नाले का पुल। 14-गइराक माइनर कहौसरा एवं रूस्तमपुर अरवन के बीच धोतीलाल के बीच में पुल का निर्माण। 15-पी0टी0ए0 मार्ग से केशौपुर जाफरी पुल का निर्माण। 16-गांव सिलजा पर काली नदी के पुल का निर्माण आदि प्रस्तावों को बजट में शामिल करने की कृपा करने का कष्ट करें।

श्री वासुदेव सिंह (बाबा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में विधान सभा, शिकारपुर से सम्बन्धित सुझाव। 1-ग्राम हर्थला से ग्राम भटवारा के बीच में काली नदी बहती है जिससे 30-40 गांवों के लोगों को शहर तक जाने में काफी परेशानी होती है जिससे 70-80 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। अतः काली नदी का पुल ग्राम हुर्थला से भटवारा के बीच बनवाने का कष्ट करें।

श्री शिवबालक पासी-

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट पर आपने सुझाव देने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश के वह गांव जिन गांवों को जमीन का बिना मुआवजा दिये सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन गांवों की सूची माननीय विधायकों से आमंत्रित कर प्राथमिकता पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराने की कृपा करें क्योंकि इसी विभाग में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा देने का प्राविधान है। धन्यवाद।

श्री अशोक कंसल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहता था लेकिन समय अभाव के कारण आपके द्वारा आदेश दिया गया कि जो बोलना चाहते हो लिखकर दे दो जिसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से निम्नलिखित प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1-जो माननीय मंत्री जी प्रत्येक विधान सभाओं में 5-5 गांव डा0 भीमराव अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत व शहरों में 4-4 वार्डों को माननीय कांशी राम योजना के अन्तर्गत संतृप्त करने की घोषणा की है मैं चाहता हूं कि यह विकास माननीय विधायकों की संस्तुति पर कराने का कष्ट करें।

2-मान्यवर, मेरी विधान सभा मोलाहेड़ी गांव में काली नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस पुल के न होने से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

3-मान्यवर, हमारे जिले में व अन्य जिलों में भी माननीय विधायकों से 5-5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लिये गये थे लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों के क्षेत्रों में प्रस्ताव अनुसार रुपया जाने का काम हो चुका है। लेकिन अन्य विधायकों को अभी तक नहीं पहुंचा है। यह शीघ्र पहुंचाने

का काम सरकार करे। मान्यवर, सरकार में लोक निर्माण मंत्री जी ने पहले भी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आश्वासन दिया था कि जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हुए हैं उनको रुपये भेजने का काम किया जायेगा।

4-मान्यवर, तमदि यहां बहलना से रामपुर तिराहे के पुल तक व पचेड़ा गांव रोड वर्तमान में ही बनी है इनकी गुणवत्ता की जांच करा ली जाय।

5-मान्यवर, मुजफ्फरनगर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें जो जीर्ण-शीर्ण हालत में है उनको बनवाने का काम किया जाय जो मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना शाहपुर होते हुए गांव भडल तक, बुढ़ाना से कांधला व शामली रोड, मुजफ्फरनगर से चरथावल थाना भवन रोड, बुढ़ाना से खतौली रोड, मुजफ्फरनगर से भोपा होते हुए शग्रताल तक जो एक प्राचीन तीर्थस्थल है।

6-मान्यवर, नगर में पचेड़ा बाईपास से जानसठ बाईपास को जोड़ने वाली जीर्ण-शीर्ण सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने का भी काम सरकार करे जिससे शहर में लगने वाले जाम को भी निजात मिलेगी।

7-अल्पसंख्यक समुदाय के सिमी समुदाय के लोगों को मोहर्रम के दिनों में ताजिये दफनाने के लिए काली नदी के दूसरे छोर तक जाना पड़ता है जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सो काली नदी पर एक पुल का निर्माण कराने की कृपा सरकार करे। अन्त में मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

श्री काली चरण राजभर-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी के कुशल मार्गदर्शन में जो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी द्वारा वर्ष 2008-09 का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस बजट में ग्रामीण मार्ग व सेतु निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित, आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत अधूरे कार्यों हेतु 80.00 करोड़ तथा नये कार्यों के लिए 154.35 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 1357.00 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो सराहनीय है। मान्यवर, इस वर्ष बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिए 39.00 करोड़ तथा पूर्वांचल विकास निधि हेतु 141.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मान्यवर, ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए नये मार्ग के लिये 2251.85 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 80 करोड़ जिला योजना के तहत 730.00 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 80 करोड़, जिला योजना के तहत 730.00 करोड़ आर0आई0डी0एफ0 योजना के लिए 234.35 करोड़ रुपये तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत 1207.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए।

मान्यवर, मार्गों एवं नये सेतु हेतु इस बजट में 6712.60 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो वर्ष 2003-04 की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है। मान्यवर, कांशी राम जी शहरी समग्र विकास योजना को साकार करने के लिए नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत के चयनित वार्डों में मार्ग सुधार के लिए 175.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2008-09 में 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है तथा केन्द्रीय सड़क निधि के लिये इस वर्ष अधूरे पुराने को पूरा करने हेतु 100.00 करोड़ तथा नये कार्यों हेतु 75.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

मान्यवर, यह बजट लोकहित में है, जनहित में तथा प्रदेशहित में है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। कृपा करके इसे कार्यवाही में समावेश कराने की कृपा करें।

श्री भगवान दास-

महोदय, आपके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रिय नेता सुश्री बहन मायावती के नेतृत्व में तथा लोकप्रिय लोक निर्माण मंत्री के कुशल निर्देशन में आज सदन में जो सुनहरा बजट प्रस्तुत किया गया अत्यन्त सराहनीय एवं जनहित में है। इससे प्रदेश में आवागमन का सर्वांगीण विकास होगा तथा गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा। इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खलीलाबाद से मेहदावल मार्ग के दोनों तरफ जो अभी तक नहीं लग पाया है उसे लगवाने की कृपा करें। खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र में नऊआ गांव में बाघ नगर तक खड़न्जा एवं लेपन कार्य कराने की कृपा करें।

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं वर्ष 2008-09 के लोक निर्माण विभाग का बजट जो माननीय सिद्दीकी साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया उस पर पूरा बल देता हूं एवं आग्रह करता हूं कि बस्ती मेंहदावल मार्ग के कि0मी0 6 से 15 तक अति खराब है जिसे निर्माण कराया जाना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे बनवाने हेतु आवश्यक बजटीय व्यवस्था कराते हुए बनाये जाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में माननीय सिद्दीकी साहब द्वारा वर्ष 2008-2009 के लोक निर्माण विभाग के बजट पर समर्थन के लिए बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान बजट प्रदेश की आम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बहुआयामी, विकासोन्मुखी बजट है। इसके माध्यम से प्रदेश में सड़कों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं। गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर बल दिया गया है। माफियाराज एवं गुण्डागर्दी के कैन्सर को स्वाहा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेण्डर प्रणाली लागू की

गयी है जिसके माध्यम से इन्टरनेट के द्वारा कहीं से भी हम निविदा डाल सकते हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जनपद-बस्ती से डुमरियागंज जाने वाली सड़क काफी छतिग्रस्त एवं खराब हालत में है। यह सड़क अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग बढ़नी होते हुए नेपाल को जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण सड़क है, इसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिनवा-रामनगर मार्ग, पड़िया-हनुमानगंज मार्ग एवं सोनहा-सिवाघाट मार्ग का मरम्मत कराया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, अन्त में मैं वर्ष 2008-2009 के लोक निर्माण विभाग के बजट पर पुरजोर समर्थन करते हुए बल देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जरवल रोड से गोण्डा मार्ग का हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराया जाय तथा उतरौला से जनपद-बलरामपुर मुख्यालय तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स प्लांट से इसका निर्माण कराया जाय। मान्यवर इसके अतिरिक्त सादुल्ला नगर रेहरा मार्ग से 'सरायखास' से बूजीपुर मौर्यागंज किशुनपुर ग्रेटर मार्ग का निर्माण कराया जाय जो लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर के अधीन है। मान्यवर, साथ ही विकास खण्ड रेहरा बाजार जनपद-बलरामपुर ग्राम पट्टी से लालपुर मसुइया, खन्दालीजोत मार्ग का निर्माण कराया जाय, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री भीमराव अम्बेडकर, एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया. मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की यशस्वी, लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहिन कु0 मायावती जी को दिल से बधाई देता हूं जिनके गुण्डाराज के खात्मे के अभियान के चलते लोक निर्माण विभाग में पारदर्शिता आ सकी। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी धन्यवाद देता हूं जिनके अथक प्रयास से लोक निर्माण विभाग जैसा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा विभाग भी सही रास्ते पर आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इटावा जनपद से चुनकर आया हूं, जहां के ही दूसरे विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलते हुए वे कह रहे थे कि लोक निर्माण विभाग में आज भ्रष्टाचार है, सही बात मान्यवर, यह है कि पहले की स0पा0 सरकार में इटावा जनपद में ही कई मार्ग ऐसे हैं जिन्हें बिना बनाये ही पेमेण्ट कर दिये गये। एक बार नहीं वरन् कई-कई बार उखाड़ कर रोड बनाये और फर्जी पेमेण्ट दिये गये। इटावा में समाजवादी पार्टी के ही नेता व कार्यकर्ता ठेकेदारी का कार्य करते थे। गुण्डागर्दी के बल पर व बन्दूक की नोक पर ठेकेदार कार्य ले लेते थे और बिना गुणवत्ता का ख्याल रखके कार्य कराते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र लखना में जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, जहां सड़कें नहीं है, वहां कई सड़कें पास की और पूर्व सरकार जिसके मुखिया भी हमारे जनपद के थे व लोक निर्माण

मंत्री भी उनके भाई थे, उन्होंने 20 सड़कें स्वीकृत करके भी नहीं बनने दी। जबकि अपने क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें बनवा लीं। यह उनका जनपद के प्रति व वहां की जनता के प्रति भेद-भाव है। मान्यवर एक सड़क ऐसी है जो बकेवर व्यासपुर इकनौर से भदेवा मार्ग है जिसका इकनौर की मड़ैया से दलीप नगर तक लगभग ढाई कि0मी0 सड़क लगभग 20 वर्ष से अधूरी पड़ी है, जबरदस्ती नहीं बनने दी गयी क्योंकि वह पिछड़े निषाद समाज के गांव की सड़क थी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों ने सड़कों का आज तक उपयोग नहीं किया क्योंकि हमारा विधान सभा क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। मान्यवर, पूर्व की सरकार व समाजवादी पार्टी का एक और अभियान रहता है कि लोक निर्माण विभाग के साइन बोर्डों, पुलों व पुलियों आदि को स0पा0 का प्रचार बोर्ड बना दिया गया है जो पूर्णतः गलत अवैध है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए, धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय भीम-जय भारत।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, नियम-51, 301 तथा .... लिखकर सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। लेकिन आगरा शमसाबाद, राजाजंग रोड जो अन्तर्राज्यीय मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान को जोड़ता है इसका चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। मान्यवर, आपके पास 18 करोड़ के करीब प्रस्ताव भी हैं। कृपया इसे स्वीकृत करें। मान्यवर, फतेहाबाद, यमुना नदी पर बैराज बहुत जरूरी है। मान्यवर, माननीय कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना फतेहाबाद में सड़कों पर गिट्टी डालकर छोड़ दी है उससे लोग परेशान हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जितनी सड़क बनीं जैसे-टोड़रा से कुर्रा, चित्तपुर, राजा सेडा रोड से करीमपुरा तक, फ़तेहाबाद रोड से राजापुर, शमसाबाद से ईदायत नगर सभी सड़कें मानकों से नीचे हैं। मान्यवर, फतेहाबाद में छीतापुर का पुल है जो खारी नदी पर पूरा बनना अति आवश्यक है। मान्यवर, खेरागढ़ को जोड़ने वाला यह पुल है, इसका काम बन्द हो गया है, लगभग 80 प्रतिशत काम हो गया है, इसे पूरा करवा दें। मान्यवर, शंकरपुर घाट आज भी लोकार्पण की बाट जोह रहा है। मान्यवर, 7 कि0मी0 सड़कें विधायकों के प्रस्ताव पर बनें और ये सड़कें कम से कम 5 साल तक चलें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 70 ऐसे गांव हैं जिन्हें सड़क से जोड़ने की जरूरत है। शमसाबाद, ईनायतपुर, पावसर, मीरपुरा, लाल की गढ़ी, उजरई आदि के सड़कें बनवाने तथा जहानागिरि गढ़ी से श्रीपति, फतेहाबाद रोड से नगला .... की मरम्मत कराने का काम किया जाय और इसका सत्यापन जन प्रतिनिधियों से करा लिया जाय।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद जालौन की कुछ सड़कों की समस्या बहुत समय से है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप मेरे पड़ोसी जनपद से हैं तथा विकास की आपकी मंशा रहती है, अतः आपसे अनुरोध है कि अपने

अनुभव से मेरे जनपद की समस्याओं का निवारण करने की कृपा करें। हमारी समस्याएं निम्न प्रकार हैं :-

1-उरई से मुहाना तक राठ रोड का मार्ग खराब है, कृपा करके उसे ठीक कराया जाय।

2-उरई बाई पास मेन रोड जो कि बनने के एक सप्ताह बाद ही खराब उसको ठीक कराने का कम कराया जाय।

3-उरई से इटौरा मार्ग वाया करमेर वम्हौरी का निर्माण कार्य कराया जाय।

4-जालौन वाई-पास-चुर्खी से कुठोद रोड तक का मार्ग का चौड़ीकरण किया जाय।

5-बेतवा नदी पर कोटरा घाट को काफी समय से लम्बित रखा गया है, रपटा स्वीकृत था मगर यह घोसी मिल को मिलता है।

6-उरई से राठ रोड म0 प्र0 को जाने वाली सड़क पर उरई में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराने की कृपा करें।

7-प्रधान मंत्री सड़क योजना में बन रही सड़कों की गुणवत्ता में बिल्कुल ही खराब निर्माण कराया जा रहा है इसकी जांच कराके ठीक काम कराया जाय तथा

8-जोरहपुर से हमीरपुर जाने वाला मार्ग जिस पर माननीय मंत्री जी भी गये होंगे, की हालत अत्यन्त खराब है जिसे ठीक कराने का कष्ट दे रहा हूं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, शिवपाल यादव जी ने कटौती प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हमने आपसे ज्यादा पैसा खर्च किया, आपसे ज्यादा सड़कें हमने बनवाईं, माननीय मंत्री जी आपने भी बजट बढ़ाने का काम किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी आप पिछली सरकार से कहीं अधिक सड़कें बनवा दें लेकिन जो व्यवस्था है इससे सड़कों की समस्या कम होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ गया है कि जो भी आप सड़क बनाने का काम करोगे 6 महीने बाद वह खत्म हो जाएगी तो विकास कैसे होगा। माननीय मंत्री जी अधिकारी वही हैं, ठेकेदार वही हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कार्यकाल में सड़कों का विकास होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम दाहा से बरनावा व बड़ौत से अमीनगर सराय तक की सड़क आपके कार्यकाल में बनी है। आप जांच करा लीजिए दोनों सड़कें बनकर टूट गयी हैं। तो क्या ऐसे ही विकास होगा। क्या सरकार उक्त सड़कों की जांच टी0ए0सी0 से कराने का कष्ट करेगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम-दाहा से फौलादनगर, जनपद-बागपत, दोघट से टीकरी (बागपत) व ग्राम जसड़ से पांचली तक सड़क निर्माण कराने का माननीय मंत्री जी कष्ट करें। मान्यवर, दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क मेरठ रोहटा बरनावा मार्ग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण एवं

सौन्दर्यीकरण करायें। मान्यवर, आपने मुझे माननीय शिवपाल यादव जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री संजय कपूर-

माननीय सभापति जी, आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी प्रदेश के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत खराब है इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं इससे सड़कों को ठीक रखने में मदद मिलेगी। जितने गैंग के वेलदार हैं, प्रत्येक वेलदार को एक कि0मी0 सड़क की जिम्मेदारी दे दी जाय, उसकी जवादेही तय कर दी जाय, इससे सड़कों में सुधार आएगा।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र विलासपुर में रा0मा0 87 है इस पर भाखड़ा नदी पर पुल बन रहा है उसकी प्रगति बहुत धीमी है। इसमें रोज 4-5 घण्टे जाम लगता है क्योंकि यह नैनीताल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको शीघ्र पूरा कराया जाय।

मान्यवर, ग्राम खड़िया विलासपुर में सेजनी नदी पर पुल का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, यह बरेली शीशगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, सैकड़ों ग्रामों का रास्ता है। कृपया जनहित में इसकी स्वीकृति अविलम्ब करवा दें।

मान्यवर, मिलक-विलासपुर मार्ग यह रा0मा0 24 व 87 को जोड़कर उत्तरांचल जोड़ने का मुख्य मार्ग है, इसका प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, यह मार्ग बहुत टूटा हुआ है तथा आवागमन बाधित है। कृपया इस मार्ग को हाट-मिक्स से बनवाने कराने व सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा करें।

मान्यवर, विलासपुर में उत्तरांचल बार्डर पर वन विभाग व सेल्स टैक्स की चौकी है जिस पर रोज जाम लगता है। कृपया मंत्री जी यहां पर सड़क का चौड़ीकरण करवा दें जिससे जनता को जाम से निजात मिले।

मान्यवर, तहसील मिलक में भवरकी से सेजनी नदी पर पुल बनवा दें ताकि जनता का रास्ता इस मार्ग पर खुल सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिमरिया से लखीमपुर भीखा धमोरा से ऐचोरा, कमुला नगला से खड़िया तक सड़कों की हालत बहुत खराब है, कृपया आप इसकी मरम्मत करवा दें।

मान्यवर, अन्त में माननीय मंत्री जी मैं आपसे 7 कि0 मी0 सड़क प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर देने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका धन्यवाद तथा मा0 शिवपाल सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा लोक निर्माण का बजट जो रखा गया है। उस बजट से प्रदेश की सड़कों का निर्माण, मरम्मत एवं उच्चीकरण नहीं किया जा सकता। मैं जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि जिला योजना की

सड़कें, ग्रामीण मार्ग और राज्य मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जनपद की सड़कों पर आवागमन आधित हो रहा है। झिलाही वजीरगंज मार्ग का उच्चीकरण हुये अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ और उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। दर्जी कुआं-मनकापुर मार्ग का उच्चीकरण कार्य हो रहा था, कुछ भागों में लेपन एवं उच्चीकरण का कार्य करवाया गया परन्तु अवशेष पड़े भागों पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है बभनान बेलहरी मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका हैं आवागमन बाधित हो रहा है। फुलवापुर की जिसई रानीपुर चुवाड़ मार्ग एवं कोटर वाया महाराजगंज मार्ग पर जो कार्य करवाया जा रहा है वह अभियंताओं एवं ठेकेदारो की मिलीभगत से मानक के अनुसार कार्य नहीं करवाया जा रहा है। अम्बेडकर ग्रामों को 31 दिसम्बर तक संतृप्त करने हेतु कहा गया था-वह अभी पूरा नहीं कराया गया है। अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का जो मरम्मत कार्य करया गया है वह कार्य जाड़ों में कराया गया है जिससे कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। सड़कों की गिट्टी उखड़कर ऊपर आ गयी हैं उतरौला इलाहाबाद मार्ग के कुछ भाग (दतौली-मनकापुर) का चौड़ीकरण कराना शेष मनकापुर नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण नहीं कराया गया है। झिलाही वजीरगंज मार्ग पर स्थित लकड़ी का पुल जो चौखट घाट पर स्थित है, पूर्व सरकार में स्वीकृत हुआ था परन्तु इस सरकार में पुल निर्माण का कार्य जो स्वीकृत था, रोक दिया गया है। मेरे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, सर्वे करवाकर सड़कों का निर्माण करवा दें। अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग का वित्तीय वर्ष 2008-2009 का बजट सराहनीय है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सेतु (पुल) की सख्त जरूरत है जिसमें एक शाहगंज रुई की मण्डी और दूसरा सिकन्दरा रेलवे फाटक का, माननीय मंत्री जी कृपा करें निर्माण कराने का कष्ट करें, मैं आपका आभारी रहूंगा क्योंकि वहां पर दो-दो घण्टे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। वहां की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्री विनोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित समस्यायें हैं उन्हें पूर्ण कराने का कष्ट करें जो कि निम्नवत् हैं :-

1-बकुलाही नदी पर ग्राम सभा टिकरिया खुर्द से ऐधा (बदली का पुरवा) पर पुल एवं बन्धे का निर्माण। विकास खण्ड बाबागंज।

2-कुण्डा खनवारी मार्ग से लरू होते हुये पीग (अम्बेडकर गांव) तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य। लम्बाई-8.00 कि0मी0, विकास खण्ड-बाबागंज।

3-पी0जे0एल0 रोड से बाघराय से राजापुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। लम्बाई-6.00 कि0मी0।

4-जेठवारा-कुण्डा मार्ग पर राजापुर बाजार से ढिगवस सम्पर्क मार्ग शून्य से लेपन स्तर तक। लम्बाई-3.00 कि0 मी0।

5-जेठवारा-कुण्डा मार्ग पर खेमीपुर से टिकरिया खुर्द तक मरम्मत एवं चौड़ीकरण का कार्य। लम्बाई-लगभग 6.00 कि0मी0।

श्री गेंदालाल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा किये गये प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया लोक निर्माण विभाग का बजट बहुत ही लाभकारी तथा जनहित में है। आज से पहले कभी भी इस प्रकार का बजट नहीं रखा गया। यह बजट बहिन कु0 मायावती जी की अच्छी सोंच का गरीबों के हित का बजट है। इसके लिये मैं प्रदेश की मुखिया का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सासनी, जनपद-हाथरस के कुछ आवश्यक कार्यों की तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :-

1-सासनी जलेसर रोड पर एक छोटा पुल जो काफी दिनों से टूटा पड़ा है उसे बनवाने हेतु अपने बजट में समायोजित करें।

2-सासनी नानक रोड से मडराक रेलवे स्टेशन तक करीब 5.00 कि0मी0 के मार्ग की मरम्मत कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस जिले से हम चुनकर आए हैं उसी जिले से माननीय मंत्री जी भी हैं। बांदा जनपद में केन नदी में मूरागढ़ पुल के पास से बांदा में एक बाईपास बनने का काम शुरू किया गया था। अध्यक्ष जी, रोड बनने के लिए जमीन है नहीं और रोड बनने का टेण्डर हुए और ठेकेदार को एडवांस धन भी दे दिया गया। किसानों ने अपने खेतों पर रोड बनाने से मना कर दिया है। इस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। पपरेंदा से चौडगरा तक रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 6 इंच खोदकर गिट्टी डाली जा रही है। वहां बांदा से पपरेंदा होते हुए हमीरपुर रोड बनी है उसमें डेढ़ फीट गिट्टी डाली गयी है। इसी रोड चौडगरा की रोड बढ़ाई गई है। केवल लूट की जा रही है। निर्माण निगम के ठेकेदारों से बन्दरबाट हो रही है। मेरी विधान सभा में ऐसे गांव हैं जहां 10 से 12 कि0मी0 तक लोगों को अपने गांव जाने के लिए रोड नहीं है। धुधुई से मदांव मवई दलपापुरवा 10 कि0मी0 लोगों को जाने का कोई रास्ता नहीं है। कलस्टरपुर घोषणा तथा कमासिन से भरी रोड मडा होते हुए और मऊ से श्योहारपुरवा होते हुए कमासिन दादौ रोड तक, कमाससिन पनाह रोड से बंगलनपुरवा होते हुए देवराहा गोंडा से औदहा तक कमासिन राजापुर रोड से अमरोही बाबा होते बन्थरी से आगे ममसी होते हुए सिंहपुर तक रोड जर्जर और खराब है। मैंने जिन रोडों का जिक्र किया है। यह रोड बनवाये जाने हेतु जनहित में सरकार के लोक निर्माण मंत्री का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर माननीय शिवपाल सिंह यादव के कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में पारदर्शिता की बात कही। मान्यवर, पारदर्शिता का आलम तो यह है कि माननीय मंत्री जी कुछ माह पूर्व सुल्तानपुर गये थे तथा सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ रोड की दुर्दशा देखकर उस मार्ग का निर्माण करने वाली ठेकेदार फर्म को काली सूची में डालने की बात कही थी परन्तु कुछ माह बाद ही इस ठेकेदार को बलिया लोक सभा सीट से ब0स0पा0 का प्रत्याशी बना दिया। मान्यवर, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ के मध्य इस सड़क की हालत यह है कि इस सड़क पर 389 कि0मी0 की दूरी तय करने में 75 मिनट से 90 मिनट के बीच समय लगता है। मंत्री जी के दौरे के बावजूद आज तक उस सड़क की हाल वही है। इसी प्रकार से सुल्तानपुर नगर से कुड़वार बाजार जाने वाली सडक व कुड़वार बाजार के अन्दर की सड़क के ऊपर भी माननीय मंत्री जी की कृपादृष्टि इसलिए नहीं हो सकी कि इस क्षेत्र की जनता ने विधान सभा चुनाव में ब0स0पा0 प्रत्याशी को धूल चटा दी थी। इसी प्रकार कुड़वार नाका रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु या अण्डर-वे का निर्माण अति आवश्यक है परन्तु इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इलाहाबाद रोड रेलवे क्रासिंग पर भी उपरिगामी सेतु बनाना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस संदर्भ में कृपया जवाब दे दें। मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं, बात समाप्त करता हूं।

श्री वाचस्पति-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अम्बेदकर ग्राम योजना में आज 5 ग्रामों को तथा अगले वर्ष से 10 ग्रामों का विकास होगा और इतना ही नहीं ग्रामों में अब सी0सी0 रोड बनाई जाएगी। मान्यवर, टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इन्टरनेट) द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं अपने जनपद-कौशाम्बी में मूरतगंज से महेवा घाट तक लगभग 32 कि0मी0 व सिरायू से सरांय अफिल लगभग 30 कि0मी0 तक सिर्फ मेरे विधान सभा 264 सिरायू जनपद कौशाम्बी में लगभग 30 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा टेण्डर किया जा चुका है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अन्त में मान्यवर, मैं लोक निर्माण मंत्री व आदरणीय बहन जी को बधाई देना चाहता हूं कि वर्ष 2008-2009 का बहुत ही लोकप्रिय बजट पेश किया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कुलदीप सिंह गंगवार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में कहना चाहता हूं कि बहन कु0 मायावती जी के निर्देशन में बना बजट पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री द्वारा रखा गया है,

इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं जो इस बजट में अम्बेडकर गांव हर विधान सभा के 5-5 गोद लेने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में अम्बेडकर गांव का विकास करके आम जनमानस को लाभ मिलेगा। मान्यवर, टेण्डर प्रक्रिया की जो इन्टरनेट से की गई है उससे टेण्डर में निष्पक्षता आएगी। गुण्डागीरी, माफियागीरी खत्म होगी। मैं इस बजट पर बल देते हुए इसे समर्थन करता हूं।

श्री जमीर खां-

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि कांशीराम योजना के अन्तर्गत जो शहर अलीगढ़ के चार वार्ड जो विकास कार्य के लिए दिए गए हैं, वो विधायक के कहने से कार्य होना सुनिश्चित करें। इस कार्य को केवल अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है क्योंकि वह अधिकारी ब0स0पा नेता के कहने से सारे कार्य करते हैं और हमारे कहने पर सब टाल-मटोल कर देते हैं। जिससे विकास कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अलीगढ़ शहर का कार्य क्षेत्रीय विधायक के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। जो भी कार्य कराए जायं वह विधायक निधि से या अन्य विकास कार्य जो कराए जा रहे हैं उनके कार्य में गुणवत्ता नहीं है। शहर क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है वह अपने मर्जी से कार्य करवाते हैं। क्योंकि ब0स0पा0 की सरकार होने से उन्हीं के कामों को सुनते हैं और करते भी हैं। अधिकारी भी कहा करते हैं कि हम आपका कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्ता और सरकार के इशारे पर हम अधिकारीगण कार्य करते हैं। अगर हम उनके कहे हुए कार्य नहीं करते हैं तो हमारा स्थानान्तरण करवा देंगे। यह कहकर विकास कार्य करते हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर लोक निर्माण विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें दो विषमताएं हैं। प्रथम-गुणवत्ता का मानक बहुत ही घटिया है और द्वितीय-समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य नहीं करते हैं। मान्यवर, आज ठेकेदार पर कोई अंकुश नहीं है। 7 कि0मी0 सड़क में आज तक शाहपुर जट, हाजीपुर-रमपुरा मार्ग और ग्राम आलमपुर (नाबार्ड) का काम पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, सड़क निर्माण (राज्य मार्ग के रूप में मेरठ से बुलन्दशहर मार्ग, गढ़ से स्याना मार्ग) उखाड़ कर-खोदकर डाल दिया गया है। यह काम तुरन्त पूरा किया जाय। मान्यवर, पी0एम0जी0एस0वाई0 मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो मार्ग बक्सर से ढाना वैट कुटी मार्ग पर रोड़ी हैं, इसकी जांच करा ली जाय। गढ़मुक्तेश्वर में श्रद्धालु आते हैं। एन0एच0-24 से राठ की ओर रेलवे लाइन उपरिगामी सेतु मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है क्योंकि उक्त रेलवे फाटक अधिकतर समय बन्द ही रहता है। मान्यवर, दन्तियाना से रव्यैया 3 कि0मी0 का मार्ग जो 10 गांवों को जोड़ने वाला है, अत्यन्त व्यस्त रहता है, इसका चौड़ीकरण कराया जाय। मान्यवर, क्योंकि पेन्टिंग और सड़क पानी से टूटती है, अतः ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट और कंकरीट की सड़कें बननी चाहिए। मान्यवर, समय-समय पर सड़क से पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु इसकी कोई व्यवस्था नहीं जो विभाग को बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। मान्यवर, सम्पर्क मार्गों हेतु सिर्फ उन्हीं गांवों का चयन किया जा रहा जिनका बना हुआ है इसीलिए यदि विधायक की सहमति से उक्त कार्य कराए जायं, तो उपयुक्त होगा।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र-मिश्रिख के अन्तर्गत पिसांवा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बरम्भौली से हसनापुर होते हुए करमल कुइंया तक तथा पिसांवा ब्लाक अन्तर्गत गुरसंडा ढकिया मार्ग से बाजनगर तक, पिसांवा ब्लाक में शैना से सेज कलां होते हुए सरियापुर तक और जलाल नगर से सिकरौली तक वाया अल्ला नगर ब्लाक-पिसांवा तथा महोली ब्लाक के अन्तर्गत उरदौली से वजीर नगर तक बड़ी नहर पट्टी एवं पिसांवा ब्लाक के अन्तर्गत बहादुर नगर से भिटौरा तक के सम्पर्क मार्ग डामरीकरण हेतु प्रस्तावित है, इन पर काम कराने का कष्ट किया जाय।

श्री लालजी यादव-

महोदय, आपका ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ राहत आयुक्त द्वारा बाढ़ से क्षति ग्रस्त मार्गों पर अभी तक धन अवमुक्त न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है। अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल धन अवमुक्त कराकर क्षति ग्रस्त मार्गों की मरम्मत जन हित में करायी जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 75 विधान सभा (122)-01-08-2008-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।